



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 9, 1985 (फाल्गुन 18, 1906)  
N. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 9, 1985 (PHALGUNA 18, 1906)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### भाग III—खण्ड 1

#### [PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं  
[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

अधिकारी (उ०) सेवा आयोग  
नई दिल्ली-110011, दिनांक 25 जनवरी 1985

सं० ए० 32014(1)/प्रशा०-III—इस कार्यालय की अधिसूचना सं० ए-32014/1/84-प्रशा०-III दिनांक 9-1-1985 का आंशिक संशोधन करते हुए संघ लोक सेवा आयोग में के० सं० से० के संवर्ग के निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में डेस्क अधिकारी के पद पर कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है :—

उपर्युक्त अधिकारी कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का० जा० सं० 12/1/74-सी० एस० (1) दिनांक 11 दिसम्बर 1975 की शर्तों के अनुसार सं० 75/-प्र० मा० की दर से विशेष वेतन प्राप्त करेंगे।

सं० ए० 32014/1/84-प्रशा०-III—राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निम्नलिखित सहायकों को प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर अनुभवा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है :—

क्र० सं०	नाम	अवधि
	सर्वश्री	
1.	के० पी० अग्रवाल	26-11-84 से 30-6-85 तक
2.	राम अवतार	30-11-84 से 30-6-85 तक
3.	सुदेश कुमार	30-11-84 से 30-6-85 तक

क्र० सं०	नाम	तदर्थ नियुक्ति की अवधि
	सर्वश्री	
1.	एस० एल० कुमार	28-2-85 से 29-3-85 तक
2.	फिलिप जान	4-2-85 से 29-3-85 तक
3.	ए० एम० जाट	14-1-85 से 29-3-85 तक
4.	सी० एल० भाट	24-1-85 से 29-3-85 तक
5.	भगीरथी कुमार	12-1-85 से 29-3-85 तक
6.	तारा सिंह (अ० जा०)	15-2-85 से 29-3-85 तक

दिनांक 31 जनवरी 1985

सं० ए० 38013/2/83-प्रशा०-1—संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में स्थायी तकनीकी सहायक (हॉलरिथ) और नियमित अधीक्षक (त० सं०) श्रीमती डी० जे० लालवानी को निवर्तन आयु प्राप्त होने के परिणामस्वरूप अधीक्षक के पद से 31 जनवरी, 1985 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

एम० पी० जैन  
अवर सचिव (प्रशा०)  
संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1985

सं० 2/4/85-प्रशासन—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग में, स्थायी अनुभाग अधिकारी तथा केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त के स्थानापन्न निजी सचिव श्री सुरेन्द्र पाल को तदर्थ रूप से अवर सचिव के पद पर वेतनमान रु० 1200-1600 में 10-12-1984 (पूर्वाह्न) से 89 दिन अथवा श्री अक्षय वत्त, अवर सचिव के फिर से काम संभाल लेने तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

दिनांक 16 फरवरी 1985

सं० डी० के०-पी० आर० एस-61—कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर उनकी अनुवर्ती नियुक्ति हो जाने पर, श्री विनेश चन्द्र गुप्ता, आई० ए० एस० (ओ० आर०-67) निदेशक, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, को नया कार्यभार संभालने के लिए 14-2-1985 (पूर्वाह्न) से कार्यभार से मुक्त किया जाता है।

कृष्ण लाल मल्होत्रा  
अवर सचिव (प्रशासन)  
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

का० एवं प्र० सु० विभाग  
के० अ० ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1985

सं० ए-19019/1/78-प्र०-5 (खण्ड-2)—मुख्यालय को समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-2-1985 के अधिक्रमण में, श्री ई० एन० रेनीसन ने दिनांक 1-8-1984 से दिनांक 31-1-1985 तक पुनर्नियुक्ति की समाप्ति के बाद दिनांक 31 जनवरी, 1985 के अपराह्न को अपर निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं विशेष पुलिस महानिरीक्षक/विशेष पुलिस स्थापना के पद का कार्यभार त्याग दिया।

आर० एस० नागपाल  
प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना)  
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 1985

सं० 3/3/85-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, श्री किशोर कुमाल, आई० पी० एस० (गुजरात-1972) को पुलिस अनुसंधान एवं

विकास ब्यूरो में सहायक निदेशक के पद पर दिनांक 29 जनवरी 1985 (अपराह्न) से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० मल्लिक  
महानिदेशक

- महानिदेशालय, के० रि० पु० बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 फरवरी 1985

सं० ओ० दो-1896/83-स्थापना-1—केन्द्रीय श्री सुरक्षा बल में पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय) को नियुक्ति के फलस्वरूप प्रतिनियुक्त आधार पर श्री ओ० पी० भूटानी, आई० पी० एस० (यू० पी०-1952) ने दिनांक 07-1-85 (पूर्वाह्न) पुलिस महानिरीक्षक, से०-4 के० रि० पु० बल, शिलांग का कार्यभार त्याग दिया।

सं० डी०-एक-30/84-स्थापना-1—श्री एम० डी० देसमान्य, उप-अधीक्षक, 2रो बटा० के० रि० पु० बल को सेवाएँ दिनांक 23-1-85 (अपराह्न) से त्रिपुरा सरकार को डेप्युटेशन आधार पर सौंपी जाती हैं।

दिनांक 15 फरवरी 1985

सं० ओ० दो०-1281/76-स्थापना—श्री बलवंत सिंह ने सरकारी सेवा में निवृत्त होने के फलस्वरूप पुलिस उप-अधीक्षक, ग्रुप सेक्टर, के० रि० पु० बल, नई दिल्ली के पद का कार्यभार दिनांक 31-12-1984 (अपराह्न) को त्याग दिया।

सं० ओ० दो-1466/80-स्थापना—एस० एस० बी० शिमला, हिमाचल प्रदेश डिवीजन में डिवीजनल आर्गनाइजर के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप डेप्युटेशन आधार पर श्री इन्द्र भगत नेगी, भारतीय पुलिस सेवा (प्र०-1958) ने दिनांक 17-10-84 (पूर्वाह्न) उप निदेशक (प्रशासन) महानिदेशालय, के० रि० पु० बल, नई दिल्ली का कार्यभार त्याग दिया।

अयोध राज महीपति  
सहायक निदेशक (स्थापना)

श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 2 मार्च 1985

संख्या 23/3/85-सी.पी.आई.—जनवरी, 1985 में आर्थिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100) दिसम्बर, 1984 के स्तर 588 (पाँच सौ अठ्ठासी) पर ही स्थिर रहा। जनवरी, 1985 माह का सूचकांक (आधार वर्ष 1949=100) पर परिवर्तित किए जाने पर 715 (सात सौ पन्द्रह) आता है।

शितेन्द्र नाथ शर्मा  
संयुक्त निदेशक  
श्रम ब्यूरो

## वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

बैंक नोट मुद्रणालय

देवास, दिनांक 10 फरवरी 1985

क्र० बी० एन० पी०/सी०/5/84—श्री ए० के० रस्तोगी, तदर्थ हिन्दी आधिकारी (रु० 650-1200 के वेतनमान में) बैंक नोट मुद्रणालय, देवास को दिनांक 10-2-85 (अपराह्न) से रु० 425-700 के वेतनमान में हिन्दो अनुवादक के पद पर प्रत्यावर्तित (रिवर्ट) किया जाता है।

मु० वं० चार  
महा प्रबन्धक

कार्यालय महालेखाकार लेखा, मध्य प्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 19 जनवरी 1985

क्रमांक प्रशासन-एक/लि० अ०/प्रभो०/301—महालेखाकार (लेखा), म० प्र० ने निम्नलिखित अस्थायी अनुभाग अधिकारी को स्थानापन्न लेखा अधिकारी के पद पर वेतनमान रु० 840-40-1000-द० रो०-40-1200 में उनके नाम के आगे दशयि कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक पदोन्नत किया है।

क्र० सं०	नाम	स्थायी क्र०	कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक तथा आवंटन
----------	-----	-------------	---

1.	श्री एन० सी० निम	02/2	31-12-84 पूर्वाह्न
----	------------------	------	--------------------

[प्राधिकार-महालेखाकार (लेखा) के आदेश दिनांक 22-12-84]

(ह०) अपठनीय  
वरिष्ठ उप महालेखाकार/प्रशासन

भारत सरकार टकसाल

बम्बई, दिनांक 23 जनवरी 1985

आदेश क्रमांक 284—श्री एस० वि० खांडोलकर की तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से ग्रुप मुख्य धातु परीक्षक के रूप में की गई व्यवस्था को दिनांक 1-10-84 से समाप्त करने के परिणाम श्री डी० डी० कोली, स्थानापन्न धातु परीक्षण अधीक्षक (राजपत्रित) जिन्होंने श्री एस० वि० खांडोलकर की प्रोन्नति की एवजा में पदोन्नति की गई थी, उनको दिनांक 1 अक्टूबर, 1984 के पूर्वाह्न से सहायक धातु परीक्षण अधीक्षक (अराजपत्रित) के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया गया।

आदेश क्रमांक 285—श्री एस० डी० दामले की धातु परीक्षण अधीक्षक के रूप में बम्बई टकसाल के दिनांक 1-12-84 के डायरी आदेश क्रमांक 241 द्वारा की गई पदोन्नति एव द्वासा रद्द की गई।

आदेश क्रमांक 286—वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली के दिनांक 3-1-1985 के अ० शा० पत्रांक एफ० 2/28-31—कोईन की हिदायत अनुसार श्री एस० वि० खांडोलकर की तदर्थ आधार पर उप मुख्य धातु परीक्षक के रूप में की गई व्यवस्था दिनांक 1-10-1984 से समाप्त की गई है। अतः श्री एस० वि० खांडोलकर, उसी दिनांक से धातु परीक्षण अधीक्षक के अपने मूल पद पर प्रत्यावर्तित हो गए।

ग० रा० कहते  
महा प्रबन्धक

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

महालेखाकार का कार्यालय लेखा परीक्षा, केरल,

तिरुवनन्तपुरम, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० हकदारी रोकड़/1/10-3/84-85/162—महालेखाकार (लेखा परीक्षा), केरल, तिरुवनन्तपुरम के कार्यालय के लेखा-परीक्षा अधिकारी श्री पी० एम० तोमस और सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी श्रीमती पी० पी० मरियाम्मा अधिवर्षिता के कारण 31-1-1985 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गये हैं।

वि० लक्ष्मीनारायणन,  
महालेखाकार

कार्यालय निदेशक लेखा परीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० 5298/ए-प्रशासन/130/82-84—वार्षिक निवृत्ति आयु प्राप्त करने पर श्री गुरवकश सिंह, स्थायी लेखा परीक्षा अधिकारी, रक्षा सेवाएं, दिनांक 31-1-1985 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हुए।

भगवान शरण तार्यल,  
संयुक्त निदेशक लेखा परीक्षण  
रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली

## रक्षा मंत्रालय

भारतीय आर्डेनन्स फैक्टोरियां सेवा

आर्डेनन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता-16, दिनांक 5 फरवरी 1985

सं० 3/जी/85—वार्षिक निवृत्ति आयु (58 वर्ष) प्राप्त कर, श्री ननी गोपाल दत्ता, स्वामिपत्र सहायक कार्यशाला प्रबन्धक (भौतिक एवं स्थायी फोरमैन) दिनांक 31 अक्टूबर, 1984 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

वी० के० मेहता  
उप महानिदेशक

नई दिल्ली-110001, दिनांक 13 फरवरी 1985

सं० ए-17011/291/85-ए-6—राष्ट्रपति, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अधीन हैदराबाद में अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत) श्री जे० के० चौधरी को दिनांक 14 जनवरी 1985 के पूर्वाह्न से अधिक से अधिक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर निदेशक, निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री जे० के० चौधरी ने दिनांक 10 जनवरी 1985 के अपराह्न को हैदराबाद में अधीक्षक अभियन्ता (विद्युत) के पद का कार्यभार छोड़ दिया और 14 जनवरी, 1985 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली में निदेशक निरीक्षण के पद का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 15 फरवरी 1985

## वाणिज्य मंत्रालय

मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1985

आयात तथा निर्यात व्यापार नियंत्रण (स्थापना)

सं० 6/1354/81-प्रशासन (राज०)/970—इस कार्यालय के श्री भगत सिंह, सहायक निदेशक (शुल्क वापसी) सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर 31 जनवरी, 1985, के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

सं० 6/1429/83-प्रशासन (राज०)/1033—संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय, कलकत्ता में श्री एन० एल० घोष, नियंत्रक, आयात-निर्यात, सेवा निवृत्ति की आयु होने पर 31 मई 1984 को अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

दिनांक 11 फरवरी 1985

सं० 1/4/85-प्रशासन (राज०)/1011—राष्ट्रपति वाणिज्य मंत्रालय में डैस्क अधिकारी श्री एस० पी० शर्मा को 30 जनवरी, 1985 (अपराह्न) से मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात के कार्यालय, नई दिल्ली में, वरिष्ठ प्रशासनिक विश्लेषक के रूप में, प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

एम० पी० अईसक  
उप-मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात  
हूते मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय  
(प्रशासन अनुभाग-6)

नई दिल्ली-110006, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० ए-17011/36/71/प्र-6—निदेशक निरीक्षण, बम्बई के कार्यालय में स्थायी सहायक निरीक्षण अधिकारी (अभियांत्रिकी) श्री ए० जी० थडानी, निवृत्ति की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 31 जनवरी, 1985 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

एस० एल० कपूर  
उप निदेशक (प्रशासन)  
हूते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान

सं० ए-17011/16/71 ए-6—राष्ट्रपति, उप निदेशक निरीक्षण (अभियांत्रिकी) (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" अभियांत्रिकी शाखा का ग्रेड-II) श्री टी० एस० संधू को 4 फरवरी 1985 के पूर्वाह्न से निदेशक निरीक्षण श्री जी० शिवरामन जो कि 4-2-85 से 3-5-85 तक 89 दिन के अवकाश पर हैं के स्थान पर 1500-60-1800-100-2000 रुपए के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते हैं।

श्री टी० एस० संधू की निदेशक निरीक्षण (भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप "ए" का ग्रेड-1) के रूप में नियुक्ति भारत संघ द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गयी तीन एल० पी० ए० सं० 67/83, 68/83, तथा 69/83 और उप निदेशक निरीक्षण श्री एस० सी० आनन्द द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय में दायर की गयी और दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानान्तरित तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में अभी लम्बित रिट याचिका सं० 3001/83, 35/83 के निर्णय की शर्तों के अधीन की गयी है।

श्री टी० एस० संधू ने उप निदेशक निरीक्षण (अभि०) के पद का कार्यभार छोड़ दिया है तथा दिनांक 4-2-85 के पूर्वाह्न से पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली के कार्यालय में निदेशक निरीक्षण का कार्यभार संभाल लिया है।

एस० एल० कपूर  
उप निदेशक (प्रशासन)

इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय

खान विभाग

भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, दिनांक 11 फरवरी 1985

सं० ए-19011(20)/84 पी० पी०—निवृत्ति की आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर श्री एन० एल० चटर्जी, क्षेत्रीय खान नियंत्रक को 1 फरवरी 1985 के पूर्वाह्न से भारतीय खान ब्यूरो के कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है और तदनुसार उनका नाम इस विभाग की प्रभावी स्थापना से काट दिया गया है।

दिनांक 16 फरवरी 1985

सं० ए-19012(100)/77-स्था० ए०—श्री वी० के० तारसेकर, स्थानापन्न सहायक रसायनज्ञ, भारतीय खान ब्यूरो ने पेटेंट इन्फारमेशन सिस्टम, नागपुर में प्रांतिनियुक्ति पर चले जाने के कारण दिनांक 31-1-85 (अपराह्न) से उपरोक्त पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

पी० पी० वादी,  
प्रशासन अधिकारी  
कृते महानियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

राष्ट्रीय अभिलेखागार

नई दिल्ली-1, दिनांक 15 जनवरी 1985

गुद्धिपत्र

सं० एफ०-8-9/83 स्थापना--इस विभाग की दिनांक 25 अगस्त, 1984 की समसंख्यक अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन किया जाये।

उक्त अधिसूचना की पंक्ति 1 और 2 में "श्रीमती सुधा रानी शर्मा और श्री एस० आर० बयैजा के स्थान पर "श्रीमती सुधा रानी शर्मा तथा श्री एस० आर० बयैजा" पढ़ा जाये।

अधिसूचना की अन्य बातें अपरिवर्तित रहेंगी।

रा० परती  
अभिलेख निदेशक  
भारत सरकार

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 फरवरी 1985

सं० 4/34/81-एस-एक—श्री पी० श्रीनिवासन, कार्यक्रम निष्पादक, आकाशवाणी, त्रिश्चिरापल्ली अब के० पी० श्रीनिवासन कहलायेंगे।

हरीश चन्द्र जयाल,  
प्रशासन उपनिदेशक  
कृते महानिदेशक

वन एवं वन्य प्राणी विभाग

भारतीय वन्य प्राणी संस्थान

देहरादून, दिनांक 17 जनवरी 1985

सं० 1-2/84-भा० व० सं०/94--इस संस्थान के अधिसूचना सं० 112/84-डब्ल्यू एल० आई/ 3(22) बी दिनांक 27 जनवरी, 1974, के क्रम में अधोहस्ताक्षरी, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान, देहरादून में प्रशासनिक अधिकारी श्री सी० पी० पाहवा की तदर्थ नियुक्ति की अवधि को दिनांक 9 जनवरी से एक साल की आगामी अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर भरा जाये, इसमें जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

वि० बि० सहारिया  
निदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

फिल्म प्रभाग

बम्बई, दिनांक 7 फरवरी 1985

सं० 9/31/49-सि०-1-श्री एच० जी० भंडारकर ने अपने कार्य के निवर्तन की आयु पूरी कर लेने पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी, फिल्म प्रभाग के पद का कार्यभार 31 जनवरी 1985 के अपराह्न से छोड़ दिया है।

एन० एन० शर्मा  
प्रशासनिक अधिकारी  
कृते निदेशक प्रशासन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय

(खाद्य विभाग)

शर्करा निदेशालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 फरवरी 1985<sup>1</sup>

सं० ए-32014/1/83-स्था०—श्री वेनी प्रसाद, सहायक (लेखा एवं सांख्यिकी) (सेलैक्शन ग्रेड), शर्करा निदेशालय को इसी निदेशालय में 5 जनवरी, 1985 (पूर्वाह्न) से अगला आदेश मिलने तक पूर्णतया अस्थायी एवं तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप में रु० 500-20-700-द० अ०-25-900 के वेतनमान में अनुभाग अधिकारी (लेखा एवं सांख्यिकी) ग्रुप "बी" (राजपत्रित) पद पर नियुक्त किया गया है।

बी० लक्ष्मी रतन  
मुख्य निदेशक

परमाणु ऊर्जा विभाग

रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र

कलपाक्कम, दिनांक 2 जनवरी 1985

सं० आर० आर० सी०/ए-32023/1/83-आर--इस केन्द्र की तारीख 21 नवम्बर, 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र के निदेशक ने इस केन्द्र के स्थायी सहायक लेखापाल श्री किल्लीकुम्मार मामन वेलायुधन की उसी केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से की गयी पदोन्नति की अवधि 1-1-85 से 31-1-85 अथवा, अगला आदेश होने तक के लिए, जो भी पहले घटित हो, बढ़ा दी है।

कुमारी एस० गोपालकृष्णन  
प्रशासन अधिकारी

पू० सी० रेखवे

मालीगांव, दिनांक 1 फरवरी 1985

ज्ञापन

सं० ई०/55/III/197 (ओ०)—भारतीय रेल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री के० वी० नन्दा को एनडू द्वारा भारतीय रेल प्रशासनिक सेवा के अवर वेतनमान के एक वर्तमान रिक्त पद पर दिनांक 1-1-83 से स्थायी किया जाता है।

इसे महाप्रबन्धक/पू० सी० रेखवे मालीगांव के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(ह०) अपठनीय  
कृते महाप्रबन्धक (का०)

## महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 दिसम्बर 1984

सं० ए० 32014/3/84-ई० सी०-(पार्ट)—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित तकनीकी सहायकों को उच्चतर पद का कार्य-भार ग्रहण करने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए या पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक, इनमें से जो भी पहले हों, रूपरू 650--1200 के वेतनमान में सहायक तकनीकी अधिकारियों के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है और उन्हें प्रत्येक के नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है :-

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती स्टेशन	नया तैनाती स्टेशन	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
सर्वश्री—				
1.	पी० एस० नारायणन	मद्रास	मद्रास	25-8-84 (पूर्वाह्न)
2.	एन० के० सूद	बम्बई	औरंगाबाद	13-9-84 (पूर्वाह्न)
3.	के० वेलायुधन II	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	27-8-84 (पूर्वाह्न)
4.	डी० के० शर्मा	नुह	लखनऊ	29-9-84 (पूर्वाह्न)
5.	के० मृत्युकृष्णन	नागपुर	नागपुर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
6.	एस० एम० भण्डारी	सिकन्दराबाद	जयपुर	16-10-84 (पूर्वाह्न)
7.	के० वेलायुधन I	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	28-8-84 (पूर्वाह्न)
8.	आर० एन० गुप्ता	पन्त नगर	लुधियाना	31-8-84 (पूर्वाह्न)
9.	एस० के० घोष	मुजफ्फरपुर	रांची	25-9-84 (पूर्वाह्न)
10.	एन० के० गुप्ता	फर्रुखाबाद	लखनऊ	20-11-84 (पूर्वाह्न)
11.	ए० आर० गोस्वामी	अहमदाबाद	अहमदाबाद	31-8-84 (पूर्वाह्न)
12.	हरीश पन्त	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	27-8-84 (पूर्वाह्न)
13.	एम० के० धर्मोधिकारी	बड़ौदा	बेलगाम	28-9-84 (पूर्वाह्न)
14.	जे० बी० सोनार	अहमदाबाद	अहमदाबाद	31-8-84 (पूर्वाह्न)
15.	डी० सी० दास	कलकत्ता	भुवनेश्वर	27-9-84 (पूर्वाह्न)
16.	ए० के० बंसल	रेडियो निर्माण और विकास एकक दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
17.	एस० पलैनिअप्पन	मद्रास	मद्रास	25-8-84 (पूर्वाह्न)
18.	के० सारेंस	त्रिवेन्द्रम	मंगलौर	28-9-84 (पूर्वाह्न)
19.	सुरजीत सिंह	रेडियो निर्माण और विकास एकक, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
20.	सुभाष चन्द्र	श्रीनगर	लखनऊ	20-9-84 (पूर्वाह्न)
21.	सम्पूर्ण सिंह	रेडियो निर्माण और विकास एकक, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
22.	डी० भट्टाचार्य	गया	गया	28-8-84 (पूर्वाह्न)
23.	आर० पी० गैन्धर	वाराणसी	मद्रास	25-9-84 (पूर्वाह्न)
24.	एस० के० नन्दा	कलकत्ता	कलकत्ता	2-9-84 (पूर्वाह्न)
25.	पी० एस० डोलकिया	राजकोट	राजकोट	26-9-84 (पूर्वाह्न)
26.	टी० एम० सैनुद्दीन	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	29-8-84 (पूर्वाह्न)
27.	एस० एल० नन्दा	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	30-8-84 (पूर्वाह्न)
28.	पी० वी० काथे	बम्बई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
29.	एस० एस० हकीम	बम्बई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
30.	वी० एस० मलिक	कलकत्ता	कलकत्ता	31-8-84 (पूर्वाह्न)

1.	2	3	4	5
31.	वी० आर० नाथर	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	29-8-84 (पूर्वाह्न)
32.	एम० एच० अयूबी	बम्बई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
33.	डी० के० चक्रवर्ती	श्रीनगर	कानपुर	29-9-84 (पूर्वाह्न)
34.	एस० एल० भिडे	बम्बई	औरंगाबाद	28-9-84 (पूर्वाह्न)
35.	एम० एम० भारद्वाज	लखनऊ	अहमदाबाद	20-9-84 (पूर्वाह्न)
36.	एम० जे० लुकोसे	बम्बई	बेलगाम	19-9-84 (पूर्वाह्न)
37.	सी० अरुमुधम	कोयम्बतूर	कोयम्बतूर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
38.	पी० ए० राठीड़	बम्बई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
39.	एल० एन० शर्मा	गोहाटी	गोहाटी	31-8-84 (पूर्वाह्न)
40.	एल० के० मित्तल	ग्वालियर	लखनऊ	16-10-84 (पूर्वाह्न)
41.	एच० आर० रंजन	वैमानिक संचार स्टेशन दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	2-9-84 (पूर्वाह्न)
42.	एस० टी० कुमार	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	मद्रास	30-8-84 (पूर्वाह्न)
43.	बी० एस० परमार	नागपुर	नागपुर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
44.	पी० आर० आनन्द	लखनऊ	भोपाल	31-8-84 (पूर्वाह्न)
45.	एस० सी० सूद II	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	26-8-84 (पूर्वाह्न)
46.	एस० के० खन्ना	कलकत्ता	कलकत्ता	29-8-84 (पूर्वाह्न)
47.	पी० के० कपूर	जयपुर	जयपुर	24-8-84 (अपराह्न)
48.	एन० एस० मियां	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	हैदराबाद	31-8-84 (पूर्वाह्न)
49.	जे० एन० नाग	जमशेदपुर	जमशेदपुर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
50.	जे० एस० देयोल	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	30-8-84 (पूर्वाह्न)
51.	नन्द किशोर	वैमानिक संचार स्टेशन दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	2-9-84 (पूर्वाह्न)
52.	पी० के० चन्दा	कलकत्ता	पानागढ़	31-8-84 (पूर्वाह्न)
53.	एम० के० चन्दा	कलकत्ता	कलकत्ता	2-9-84 (पूर्वाह्न)
54.	याकूब खॉं	मंदसौर	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	22-9-84 (अपराह्न)
55.	एम० के० सेनगुप्ता	कलकत्ता	कलकत्ता	31-8-84 (पूर्वाह्न)
56.	जे० एस० मन्नेसेना	जयपुर	जयपुर	3-9-84 (पूर्वाह्न)
57.	एम० एल० कोचर	वैमानिक संचार स्टेशन, नई दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, नई दिल्ली	2-9-84 (पूर्वाह्न)
58.	एस० आर० मिश्रा	कलकत्ता	कलकत्ता	31-8-84 (पूर्वाह्न)
59.	एस० करुणाकरण	कांचीपुरम	कांचीपुरम	27-8-84 (पूर्वाह्न)
60.	बी० पाल	कलकत्ता	कलकत्ता	30-8-84 (पूर्वाह्न)
61.	एम० एल० देवनाथ	तारकेश्वर	पटना	29-9-84 (पूर्वाह्न)
62.	जी० एस० विद्यार्थी	वैमानिक संचार स्टेशन, नई दिल्ली	नागपुर	2-9-84 (पूर्वाह्न)
63.	बी० के० मुकर्जी	कलकत्ता	मोहनवाड़ी	27-9-84 (पूर्वाह्न)
64.	स्वामीनाथ	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	24-8-84 (पूर्वाह्न)
65.	आर० के० चन्दा	कलकत्ता	कलकत्ता	17-9-84 (पूर्वाह्न)
66.	शांतल सिंह	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	26-8-84 (पूर्वाह्न)
67.	विनयेन्द्रा दत्त	कलकत्ता	कलकत्ता	31-8-84 (पूर्वाह्न)
68.	के० एस० छुग्गड़	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन दिल्ली	30-8-84 (अपराह्न)
69.	बी० बी० तनेजा	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र, इलाहाबाद	27-8-84 (पूर्वाह्न)
70.	एम० एन० जोशी	नागपुर	नागपुर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
71.	आर० एस० पिल्लै	त्रिवेन्द्रम	त्रिवेन्द्रम	29-8-84 (पूर्वाह्न)

1	2	3	4	5
72.	पी० टी० सैनी	रेडियो निर्माण और विकास एकक, दिल्ली	बंगलौर	27-9-84 (पूर्वाह्न)
73.	यशपाल सिंह	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	26-8-84 (पूर्वाह्न)
74.	एम० एन० लंहरा	कलकत्ता	भुवनेश्वर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
75.	जी० एम० गदरे	बम्बई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
76.	एम० एल० गिरधर	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	रेडियो निर्माण और विकास एकक, नई दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
77.	एस० सी० साहनी	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	26-8-84 (पूर्वाह्न)
78.	जी० एस० दत्ता	कलकत्ता	मोहनबाडी	26-9-84 (पूर्वाह्न)
79.	आर० एन० वर्मा	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
80.	आर० के० नेगी	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	नियंत्रक, केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो, दिल्ली	30-8-84 (अपराह्न)
81.	कल्याण कुमार सेन	गया	इम्फाल	18-9-84 (पूर्वाह्न)
82.	अशोक जौली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	26-8-84 (पूर्वाह्न)
83.	पी० एस० वर्मा	बम्बई	बम्बई	31-8-84 (पूर्वाह्न)
84.	ए० एन० सिंह	सिलचर	सिलचर	31-8-84 (पूर्वाह्न)
85.	एस० के० चन्दा	कटिहार	सिलचर	26-9-84 (पूर्वाह्न)
86.	पल्लव क्रांति राय	कलकत्ता	तेजू	27-9-84 (पूर्वाह्न)
87.	ए० जे० आइजक	हैदराबाद	हैदराबाद	29-8-84 (पूर्वाह्न)
88.	नवेल भटनागर	रेडियो निर्माण और विकास एकक, दिल्ली	वैमानिक संचार स्टेशन, दिल्ली	28-8-84 (पूर्वाह्न)
89.	विजय कुमार नन्वी	कलकत्ता	कलकत्ता	30-8-85 (अपराह्न)
90.	श्री० पी० सक्सेना	एस० टी० पी० महानिदेशक नागर विमानन	नियंत्रक, केन्द्रीय रेडियो भंडार डिपो, दिल्ली	30-8-84 (पूर्वाह्न)
91.	अशोक कुमार सक्सेना	बम्बई	भावनगर	25-9-84 (पूर्वाह्न)
92.	जे० के० सरकार	पटना	पटना	28-8-84 (पूर्वाह्न)
93.	पी० के० राय	गया	गया	28-8-84 (पूर्वाह्न)
94.	रमेश कुमार	रेडियो निर्माण और विकास एकक, दिल्ली	हैदराबाद	31-8-84 (पूर्वाह्न)
95.	टी० के० चौधरी	पोर्ट ब्लेयर	पोर्ट ब्लेयर	29-8-84 (पूर्वाह्न)
96.	बी० के० दास	कलकत्ता	कलकत्ता	30-8-84 (पूर्वाह्न)
97.	जे० एम० सरकार	कलकत्ता	कलकत्ता	31-8-84 (पूर्वाह्न)
98.	एस० आर० विश्वास	कलकत्ता	कलकत्ता	31-8-84 (पूर्वाह्न)
99.	जे० एम० राखड़ा	लखनऊ	हैदराबाद	17-9-84 (अपराह्न)
100.	इन्द्रजीत	उदयपुर	मंगलौर	27-9-84 (पूर्वाह्न)

दिनांक 4 फरवरी 1985

सं० ए० 32013/6/83-ई० सी०—राष्ट्रपति ने निम्न-लिखित अधिकारियों को दिनांक 9-11-1984 से और अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में उपनिदेशक नियंत्रक, संचार के ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है :—

क्र सं०

नाम

- 1 श्री एन० के० पुरी, सहायक निदेशक संचार
- 2 श्री पी० के० सिंघल, सहायक निदेशक संचार

क्रमसं० नाम

- 3 श्री के० एस० कृष्णामूर्ति, सहायक निदेशक संचार
- 4 श्री बी० एन० एम० राव, सहायक निदेशक संचार

दिनांक 8 फरवरी 1985

सं० ए० 19011/120/80-ई०—निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने पर महानिदेशक नागर विमानन, नई दिल्ली के श्री एम० पी० खोसला, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण एवं अनुज्ञापन) दिनांक 31-1-1985 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो गए हैं।



सं० ए० 014/1/83 ई० सी०—महानिदेशक नागर विमानन ने निम्नलिखित सहायक तकनीकी अधिकारियों को प्रत्येक के नाम के सामने दी गयी तारीख से नागर विमानन विभाग में उसी ग्रेड में स्थायी रूप में नियुक्त किया है :—

क्र० सं०	नाम	दिनांक
1	2	3
सर्वश्री—		
1.	सी० एल० जैन	1-4-1981
2.	ए० के० सक्सेना	—वही—
3.	रंजीत घोष	—वही—
4.	ए० एस० पाल	—वही—
5.	एच० एल० अरोड़ा	—वही—
6.	सी० के० सोबती	—वही—
7.	वी० के० रस्तोगी	—वही—
8.	जे० एस० सेरीन	29-4-1981
9.	टी० एस० कृष्णामूर्ति	—वही—
10.	एन० एन० नम्बियार	—वही—
11.	बी० एस० खुराना	—वही—
12.	सी० वेंकटचलम	—वही—
13.	आर० एस० सोखे	20-8-1981
14.	एम० के० कृष्णन्	—वही—
15.	कुलवन्त सिंह	—वही—
16.	एन० वी० मुब्तयाण्यम्	—वही—
17.	केशो नाथ	—वही—
18.	जी० एस० बर्मा	16-12-1982
19.	एस० के० सेठ	—वही—
20.	जसवन्त सिंह	—वही—
21.	प्रो० पी० जुनेजा	—वही—
22.	के० सी० शर्मा	—वही—
23.	बी० के० पुरी	—वही—
24.	आर० जयरामन	—वही—
25.	के० एस० मुखर्जी	—वही—
26.	एम० शिवामुब्तयाण्यम्	—वही—
27.	के० टी० जान	—वही—
28.	बी० जी० जीशी	—वही—
29.	एस० आर० टी० बर्मन	—वही—
30.	ज० एस० नरूला	21-4-1983
31.	के० आर० के० शर्मा	—वही—
32.	एन० एस० स्ना	1-6-1983
33.	ए० रामदोस	—वही—
34.	एस० पी० शर्मा	2-6-1983
35.	आई० एस० वेदी	—वही—
36.	ए० एन० शिरके	—वही—
37.	पी० एल० बजाज	—वही—

1	2	3
सर्वश्री—		
38.	जी० एल० अकोलकर	2-6-1983
39.	एच० एम० प्रभाकर	—वही—
40.	डी० पिबूमणि	—वही—
41.	एच० एल० चावना	2-6-1983
42.	जी० एल० मेहता	28-8-1983
43.	एस० पी० श्रीवास्तव	—वही—
44.	ओ० पी० बत्तरा	—वही—
45.	एस० पी० चौधरी	—वही—
46.	ईश्वर दयाल	—वही—
47.	ए० महानिगेश्वर	—वही—
48.	एफ० एम० भाटिया	—वही—
49.	आर० एच० मुकुठ	—वही—
50.	बी० के० मुखर्जी	1-10-1983
51.	जोगिन्दर सिंह मान	—वही—
52.	पी० एस० वलवी	1-10-1983
53.	एम० एस० कांग	—वही—
54.	टी० के० दास गुप्ता	—वही—
55.	इचपूनानी के० के०	—वही—
56.	बी० एम० कट्टरमल	5-11-1983
57.	एम० के० विश्वाम	—वही—
58.	के० एस० नेगी	—वही—
59.	ओ० पी० चड्ढा	—वही—
60.	जोगिन्दर सिंह	12-2-1984
61.	एम० के० सध्ये	—वही—
62.	वाई० सी० पुनियां	19-2-1984
63.	ए० एस० गिल	—वही—
64.	पी० एन० मणि	—वही—
65.	टी० एस० जौली	—वही—
66.	बी० एस० भोंसले	—वही—
67.	टी० सेलवाराज	—वही—
68.	वी० एच० रंगाराव	—वही—
69.	बी० सी० राय	—वही—
70.	हरनेक सिंह	—वही—
71.	टी० एन० जे० नम्बियार	—वही—
72.	कृष्ण नाल	1-4-1984
73.	सी० एम० आहलुवालिया	30-4-1984
74.	बलवीर सिंह	—वही—
75.	के० एल० कपूर	—वही—
76.	एस० एस० ग्रेवाल	—वही—

दिनांक 6 फरवरी 1985

सं० ए० 12025/3/71ई०—I—इस कार्यालय को दिनांक 19-11-84 की अधिसूचना सं० ए० 12025/3/71-ई०-1—के क्रम में महानिदेशक नागर विमानन ने नागर विमानन विभाग में श्री के० के० शर्मा की हिन्दी अधिकारी के पद पर की गयी

तदर्थ नियुक्ति दिनांक 31-12-84 तक जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की है।

दिनांक 7 फरवरी 1985

सं० ए० 32013/5/83-ई०-I—इस कार्यालय की दिनांक 23-6-1984 की अधिसूचना सं० ए० 32013/5/83-ई० I-के क्रम में राष्ट्रपति ने श्री एफ० सी० शर्मा की नागर विमानन विभाग में उपनिदेशक (अनुसंधान एवं विकास) के पद पर की गयी तदर्थ नियुक्ति की अवधि दिनांक 12-12-1984 से 11-6-1985 तक की अवधि के लिए अथवा पद के नियमित आधार पर भरे जाने तक; इनमें से जो भी पहले हो, बढ़ा दी है।

वी० जयचन्द्रन  
सहायक निदेशक प्रशासन

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय ;

बेहरादून, दिनांक 13 फरवरी 1985 ;

सं० 16/425/84-स्थापना-I—अध्यक्ष, वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय, बेहरादून, डा० सी० बी० एस० वसा को दिनांक 1-1-85 की पूर्वाह्न से अगले प्रावेशों तक वन मृदा एवं वनस्पति सर्वेक्षण वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय के मिदनापुर केन्द्र में अनुसंधान अधिकारी के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

[जे० एन० सक्सेना  
कुल सचिव

वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय

नौबहन और परिवहन मंत्रालय

नौबहन महानिदेशालय

बम्बई-400 03, दिनांक 12 फरवरी 1985

सं० II-टी० आर० (6)/83—राष्ट्रपति मरीन इंजीनियरी प्रशिक्षण निवेशालय, कलकत्ता के इंजीनियर अधिकारी श्री डी० बन्वोपाध्याय का त्यागपत्र 7-10-1984 (पूर्वाह्न) से स्वीकार करते हैं।

अमिताभ चन्द्र  
नौबहन उप महानिदेशक

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी लॉ बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्टार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 445(2) के अधीन सूचना

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में और

वेस्टर्न इंडिया स्पीनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में।

बम्बई, दिनांक 13 फरवरी 1985

कम्पनी आवेदन सं० 40 वर्ष 5 में स्थित माननीय उच्च न्यायालय, बम्बई के आवेश दिनांक 13-1-1977 के द्वारा वेस्टर्न इंडिया स्पीनिंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड का परिसमापन करने का आवेश प्रदान कर दिया है।

श्रीमत्प्रकाश जैन  
अतिरिक्त कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सन्गोल्ड फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० स्टेट/5228/11226—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस दिनांक से तीन (3) मास के अवसान पर सन्गोल्ड फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दक्षित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और लक्ष्मी फोरजिंग प्राइवेट लिमिटेड के विषय में

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० स्टेट/4259/11230—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि लक्ष्मी फोरजिंग प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

“कम्पनी अधिनियम, 1956 और गौतम पेपर मिल्स लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० स्टेट/4407/11232—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि गौतम पेपर मिल्स लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सुपर स्टार पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० स्टेट/560/4466/11234—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सुपर स्टार पेपर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गयी है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 और वी० डी० चिट फण्ड एण्ड फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

जालन्धर, दिनांक 14 फरवरी 1985

सं० स्टेट/5228/11237—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस दिनांक से तीन (3) मास के अवसान पर वी० डी० चिट फण्ड एण्ड फाइनेंसर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायगी।

वी० एम जैन

कम्पनियों का रजिस्ट्रार

पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा चण्डीगढ़

प्रथम बार. टी. एन. एच. -----

भाषा-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भाषा-कर अधिनियम

कार्यालय, सहायक भाषा-कर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 24 जनवरी, 1985

निदेश सं० ए०एस०आर०/84-85—यत मुझे, एम० सी०/64  
कपिल, आई०आर०एस०,

भाषा-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), जो कि धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि का प्लॉट है तथा जो मजीठा रोड के पीछे  
अमृतसर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-  
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर,  
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के बीच तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त-  
विक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अंतरण से हुई किसी भाव की बावजूद, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में संविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तविक  
को, जिन्हें भारतीय भाषा-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-  
नार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या  
किया जाना चाहिए था जिन्होंने में संविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अमृतसर  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) श्री सुरजीत चन्द  
पुत्र श्री किशन चन्द  
श्रीमति नीलम कान्ता  
पत्नि श्री विजय कुमार  
शरीफपुरा, अमृतसर।

(2) लखवीर सिंह  
पुत्र श्री सोहन सिंह  
बासी बावा बकाला  
जिला अमृतसर

(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार है।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) और कोई  
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता  
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)  
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
दर्यावाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के द्वारा  
लिखित में किए जा सकेंगे।

सत्यापन:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में किया  
गया है।

अमृतसर

एक भूमि का प्लॉट 200 वर्ग० जो मजीठा रोड के पीछे,  
आखी के हस्पताल के पास, अमृतसर में है जैसा सेल डीड न०  
2096/12-6-1984 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर  
में दर्ज है।

एस० सी० कपिल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक भाषा-कर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, अमृतसर

तारीख : 24-1-1985  
मोहर :

प्रकृत धारा 21 टी. एच. एच. प्रकृत धारा 21

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूच्य

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 11 फरवरी 1985

निवेश सं० ए० एस० आर०/84-85/165— यत. मुखे,  
एस० सी० कपिल, आई०आर०एस०,  
भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थविर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० रिहायशी मकान है तथा जो कटरा शेर/सिंह,  
अमृतसर में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और  
पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर  
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
तारीखे जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान  
प्रतिफल के लिए बन्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि मनापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का  
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब  
प्राप्त गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक  
जिसे नें बाह्यदिक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों  
को, जिन्हें भारतीय भाषकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
बन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या वा किया  
जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक  
में, नें, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब को उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

(1) हरमजन सिंह  
पुत्र श्री गुरवित्त सिंह,  
गली नं० 3, दयानन्द नगर, लोरेस रोड,  
अमृतसर।  
(अन्तरक)

(2) श्री बलजीत सिंह  
पुत्र श्री दयाल सिंह,  
वासी नौशहरा ठाला  
तहसील तरन तारन  
जिला अमृतसर।  
(अन्तरिती)

(3) जैसा उपर सं० 2 में कोई किराएदार हो।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) और कोई  
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता  
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहीमां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपे 2—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पक्ष लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

1/4 भाग रिहायशी मकान नं० 1296/12 जो कटरा  
शेर सिंह, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं० 2150/18-6-84  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में वर्ण है।

एस० सी० कपिल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 11-2-1985

मोहर :

प्रकृत आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० ए०एस०आर०/84-85/166-- यतः

मुझे, एस० सी० कपिल, आई०आर०एस०,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० रिहायशी मकान है तथा जो कटड़ा शेर सिंह, अमृतसर, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) हरभजन सिंह  
पुत्र श्री गुरदित सिंह,  
गली न० 3, दयालन्द नगर,  
लारेंस रोड, अमृतसर ।

(अन्तर्क)

(2) सतनाम सिंह  
पुत्र श्री मोहिन्द्र सिंह,  
वासो नौशाहरो ढाला  
तसहसील तरन तारन  
अमृतसर ।

(3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो ।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4) श्री कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए कार्रवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के संबंध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किसे जा सका है।

सन्दर्भ :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अन्तर्गत 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में दिया गया है ।

सकल

1/4 भाग रिहायशी मकान का न० 1296/12 जो कटड़ा शेर सिंह, अमृतसर में है जैसा सेल डीड न० 2151/18-6-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, अमृतसर में दर्ज है ।

एस० सी० कपिल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक, आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अजन रेंज, अमृतसर

तारीख : 11-2-1985

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भाषकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० एस० सी० आर०/84-85/167—अतः मुझे एस०

सी० कपिल, आई० आर० एस०

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इससे  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ग के अधीन सूचना प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या रिहायशी मकान है तथा जो कटड़ा शेर  
सिंह, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपायय अनुसूची  
में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-  
फल के लिए अंतरिती की गई है और मुझे यह विश्वास करने का  
कारण है यह पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत  
से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में लिखित-  
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी भाष की वास्तु, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्गत के  
वास्तु को कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/वा

(ब) ऐसी किसी भाष या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय भाषकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
भाषकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों तथात् ॥—

1. श्री हरभजन सिंह,  
पुत्र गुरदित्त सिंह,  
गली नं० 3, दयानन्द नगर,  
जिला अमृतसर।

(अन्तरक)

2. श्री बलबीर सिंह,  
पुत्र श्री महिन्द्र सिंह,  
वासी नौगाहरा ठाला,  
जिला, अमृतसर।

(अन्तरिती) ॥

3. जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किरायदार है।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिकार में सम्पत्ति है)

4. और कोई

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता  
है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

वस्तुओं

1/4 भाग रिहायशी मकान नं० 1296/12 जो कटड़ा  
शेर सिंह, अमृतसर में है जैसा सेल डीड नं० 3051/27-7-84  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

एस० सी० कपिल,  
सहायक प्राधिकारी,  
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 11-2-1985

माहर :

## प्रकरण आर्.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर कार्यालय

अमृतसर, दिनांक 11 फरवरी, 1985

सं० ए एस० आर०/84-85/168:-अतः मुझे, एस० सी० कपिल, आई० आर० एस

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या रिहायशी मकान है तथा जो कटड़ा शेर सिंह, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जुलाई, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, आयकर अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक का दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधितः :—

1. श्री हरभजन सिंह,  
पुत्र श्री गुरदित सिंह,  
गली न० 3, दयानन्द नगर,  
अमृतसर।

(अन्तरक)

(2) विक्रम जीत सिंह  
पुत्र श्री मुखतार सिंह  
वासी नौशहरा डाला,  
जिला अमृतसर

(अन्तरिती),

(वह व्यक्ति जिसके अधिमोग में सम्पत्ति है)

से (3) जैसा ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो।

(4) और कोई

वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

1/4 भाग रिहायशी मकान न० 1296/12 जो कटड़ा शेर सिंह, अमृतसर, में है जसा सेल डीड न० 3052/27, 7, 84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

ए०ससा० कपिल आर्०एस०

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 11-2-1985

साहू



प्रकृत आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की;  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 14 फरवरी, 1985

निर्देश सं० अमृतसर/84-85/169—यतः मुक्त,

एस० सी० कपिल, आई०आर०एस०,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम पाधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि घड़ियाला है तथा जो अमृतसर में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्णरूपसे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पट्टी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-6-84 का पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एस० अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य क्रान्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाँहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

- (1) श्री पाना सिंह  
पुत्र श्री सरैय सिंह  
गाँव घड़ियाला पट्टी  
जिला अमृतसर, (अन्तरक)
- (2) गेजा सिंह  
पुत्र श्री बाहुल सिंह  
गाँव घड़ियाला पट्टी  
जिला अमृतसर
- (3) जसा कि उपर नं० 2 में कोई किराएदार हो।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग से सम्पत्ति है)।
- (4) और कोई

वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शक्यता —

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमृतसर

कनाल मरला कृषि भूमि 24-2½ स्थिर गाँव घड़ियाला  
पट्टी जिला अमृतसर रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

(एस० सी० कपिल) आई०आर०एस०  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, अमृतसर

तारीख : 14-2-1985

मोहर :

रूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० अमृतसर, 84-85, 170—

यतः मुझे,

एस० सी० कपिल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि गांव घड़ियाला में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, एस० आर० पट्टी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29-6-84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नया पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वारस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, बिना भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रकोषनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) पाला सिंह  
पुत्र श्री सरण सिंह  
गांव घड़ियाला पट्टी  
अमृतसर (अन्तरक)
- (2) अनोख सिंह पुत्र  
श्री इन्द्र सिंह  
गांव घड़ियाला पट्टी  
अमृतसर (अन्तरिती)
- (3) जैसा उपर नं० 2 में कोई किराएदार हो।  
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।
- (4) और कोई  
(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 24-2½ कनाल मरला स्थिर गांव घड़ियाल पट्टी  
म डी ड नं० 1030 तिथि 29-6-84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी

एस० सी० कपिल  
संलग्न अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, अमृतसर

तारीख : 14-2-1985

माहंर :

प्ररूप बाह. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी, 1985

सं० राज० सहा० आ० अर्जन/2537:—अत. मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
100,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जयपुर है, तथा जो प्लॉट में स्थित है  
(और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जयपुर में रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन,  
तारीख 6 जून, 1984।

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और  
मुझे यह विश्वास करने का कारण  
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत  
से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंत-  
रितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,  
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचना  
के लिए, आर. या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा रकद नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए, अंतरण में सूचना  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ज्ञान प्रकाश,  
श्रीमती विश्वमोहिनी,  
शरद प्रकाश,  
कुमारी रीना  
निवासी चिथवाड़ी का बाग,  
आमेर रोड, जयपुर।

(अन्तरक)

2. मैसर्स राजेश कॉरपेट,  
बावड़ी गेट,  
तेहपुरा, जिला सकर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाह्य करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को करना,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
15 दिनों के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति को उक्त सम्पत्ति के पास  
निश्चित मात्रा में अंतरण।

स्पष्टीकरण.—उक्त पूर्वोक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लॉट स्थित रावतों की गली, चिथवाड़ी का बाग, जयपुर  
जा उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या ॥ 1388 दिनांक  
6-6-1984 पर पंचिबद्ध विक्रय पत्र में विस्तृत रूप से  
विवरित है।

मोहन सिंह,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, जयपुर

तारीख : 15-2-1985

मोहर ३

**अज्ञात भाई.टी.एन.एच.**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 1985

सं० राज० सहा० आ० अर्जन, 2538:—अतः मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 66 बी है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 23 जून, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण मिश्रित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. बृज मोहन शर्मा पुत्र श्री सावल मल शर्मा मेओ कालिज अजमेर।

(अन्तरक)

3. बावल चन्द, श्रोसवाल प्लाट नं० 66 बी०, अजीत कालोनी, राईका बाग एरिया, जोधपुर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लाट नं० 66 बी०, अजीत कालोनी, राईका बाग एरिया, जोधपुर जो उप पंजियक जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1688 दिनांक 23-8-84 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, जयपुर

तारीख : 15-2-1985

माहूर :

प्रकाश भाई टी. एन. एन. ए. ए. ए. ए. ए.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 1985

सं० राज,सहा० आ० अर्जन, 2539:—अत मुझे, मोहन  
सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 66 बी है तथा जो जोधपुर  
में स्थित है, (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप  
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जोधपुर  
में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम (1908 का 16) के अधीन,  
तारीख 23 जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित को यह है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
बहु प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के सावित्य  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ब्रज मोहन शर्मा  
पुत्र श्री सावल राम शर्मा  
मेघो कालेज,  
अजमेर।

(अन्तरक)

2. श्री शान्ती चन्द  
पुत्र श्री बादल चन्द श्रोसवाल,  
निवासी प्लॉट नं० 66 बी०,  
अजीत कालोनी,  
राईका बाग, एरिया,  
जोधपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और बर्णों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 66 बी स्थित अजीत कालोनी, राईका बाग  
एरिया, जोधपुर जो उप पंजियक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या  
1689 दिनांक 23-6-84 पर पंजिबद्ध विक्रय पत्र में और  
विस्तृत रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह,  
मक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, जयपुर

तारीख: 15-2-85  
मोहुर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना**

**भारतीय सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी 1985

स० राज० सहा० आ० अजन/2520 :—अतः मुझे, मोहन  
सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-  
ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण  
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/-  
₹ से अधिक है

और जिसकी संख्या मकान सम्पत्ति है तथा जो अजमेर  
में स्थित है (और इससे उपापद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप  
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अजमेर  
में, रजिस्ट्रीकरण, अधिनियम 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख, 14-6-1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
शास्त्रिक रूप से की गई नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को  
प्रयोजनार्थ अन्तरितियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री कीरतमल  
पुत्र लाल चन्द द्वारा  
मुख्तार श्री पारसराम  
पुत्र श्री घनश्यामदास,  
खारी कुई, अजमेर वर्तमान निवासी  
5 बेगमपुरा,  
मुम्बई रोड, सूरत।

(अन्तरक)

2. श्री रमेश चन्द,  
कुन्दन लाल,  
उसरी गेट, अजमेर।

(अन्तरितियों)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के पक्ष में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति संख्या 630,23(30/405) ब्लू कैसल पड़ाव,  
अजमेर जो उप पंजीयक, अजमेर द्वारा क्रम संख्या 2122  
दिनांक 14-6-84 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में और विस्तृत  
रूप से विवरणित है।

मोहन सिंह,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण  
अर्जुन रेंज, जयपुर

तारीख : 15-2-1984

मोहर :

प्ररूप आई टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 फरवरी, 1985

सं० राज०/महा० आ० अर्जन/2541,--अन: मुझे, मोहन सिंह,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), का धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लान नं० 1 है तथा जो जोधपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार कार्यालय, जोधपुर में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भले यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है ---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में भ्रूविभा को लिए;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में भ्रूविभा को लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री धर्म दान  
एवं श्री. इयाल दास पुत्र  
श्री मगरमल सिन्ध  
5 वाँस, रोड,  
सरदारपुरा, जोधपुर ।

(अन्तरक)

2. श्री नन्द लाल  
एवं श्री. गोपाल दाम,  
पुत्रान श्री. मगरमल  
निवासी पांचवाँ मी. रोड,  
सरदारपुरा, जोधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों कराए गए हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-संबंध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी को पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्लान नं० 1, अ० बी० मी० टी० रोड, (नई सड़क) का वेनमेन्ट पोरमन जो उप पंजीयक, जोधपुर द्वारा क्रम संख्या 1637 दिनांक 16-6-1984 में और विस्तृत रूप से विवरणित है ।

मोहन सिंह,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज, जयपुर

तारीख : 15-2-1985  
माहुर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 1985

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5607---अतः मुझे,  
वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या भूमि सर्वे० नं० 312 है, तथा जो ग्राम सेजवाया में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय धार में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है।

है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भूत या अन्य आस्तियों को, बिना भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सहायता के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण की है, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बाबू लाल  
पिता दौलाज राजपूत निवासी—सेजबाना तहसील धार।  
(अन्तरक)

2. डिवेलपमेंट लेबोरेट्रीज प्रा० लि० के०  
मैनेजिंग डायरेक्टर वासु साठानी  
पिता श्री बद्रीनारायण सोडानी  
अमेरिका द्वारा मू० आम रामअवतार  
पिता बद्रीनारायण सोडानी;  
निवासी-7, सीता बिल्डिंग यशवन्त रोड,  
इन्दौर।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

नामसूची

भूमि सर्वे० नं० 312, ग्राम सेजवाया जिला धार में स्थित है। यह स्थावर सम्पत्ति है जिम्नका सम्पूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा तद्व्यापित फार्म नम्बर 37 जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 6-2-1985

मोहर



प्रकृप आर्ट. टी. एन. एस - - - - - 9

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 1985

सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल 5608.—अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी संख्या भूमि सर्वे० नं० 1541 है, तथा जो चिमनगज मण्डा, उज्जैन में स्थित हैं (और इससे उपानद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतराकें) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरक से हुई किसी भाव की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरक में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

4-486 GI/84

1. श्री हरिश्चन्द्र गोपाल  
आत्मज श्री फूलचन्द्रजी गोयल  
निवास—गोयल निवास,  
लखीपुरा, उज्जैन।

(अन्तरक)

2. भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसा०  
मर्यादित कार्यालय गांधी भवन,  
नई सड़क, उज्जैन  
द्वारा अध्यक्ष चन्द्रभान गुप्ता,  
निवासी—उज्जैन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी न्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पार लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे० नं० 1541, चिमनगज मण्डा, उज्जैन में स्थित है।

वी० के० बरनवाल,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक, आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-2-1985

मोहर

प्रकृत बाई. टी. एन. एच. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269 (घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

सं. जाई० ए० नं०/अर्जन/भोपाल 5609---अत मुझे,  
व रेन्द्र कुमार बरतवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विचार करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिनका संख्या भूमि सर्वे० नं० 1537 है, तथा जो  
चिमनगंज मण्डल, उज्जैन में स्थित है (और इससे उपावद्ध  
अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अर्जन  
के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रार अर्जन अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन, जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-  
रिती (अंतरांतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय/पाया  
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
दायित्व में काम करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 41) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्ग  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा 1  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री हरीशचन्द्र गोयल  
आत्मज फुलचन्द जी गोयल  
निवासी,—गोयल निवास,  
सर्खापुरा, उज्जैन।

(अन्तरक)

2. भारत हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसायटी  
मर्यादित कार्यालय गार्धः भवन,  
नई सड़क: उज्जैन  
द्वारा अध्यक्ष श्री चन्द्र भान गुप्ता,  
निवासी, उज्जैन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

भूमि सर्वे० नं० 1541, चिमनगंज मण्डल, उज्जैन-में  
स्थित है।

वी० के० बरतवाल,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 6-2-1984  
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. १

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आर्.ए. सं०/अर्जन/भोपाल 5610—अत.

मूझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि सर्वे नं० 1541 है, तथा जो चिमनगंज, मण्डी, उज्जैन में स्थित है (और इससे उदात्त अनुसूच. में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार, अधिवार के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (19 का 16) के अधीन, जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित से बाधित रूप से अधीन नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिनियम

1. श्री हरिश्चन्द्र गोयल  
पिता फुलचंद जी गोयल  
नि० गोयल निवास,  
सखीपुरा,  
उज्जैन।

(अन्तरक)

2. म० भारत हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी,  
मर्यादित कार्यालय,  
गांधी भवन,  
नई सड़क,  
उज्जैन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में संपादा होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में लिखा गया है।

### अनुसूची

भूमि सर्वे नं० 1541, चिमनगंज मण्डी, उज्जैन में स्थित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 6-2-1985

माहिर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक: 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/अर्जन/भोप.ल--5611--अर्ज:

मूक्त, वी० कु० बरनवान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके अन्तर्गत 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि म्हायत सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका सं० मकान न्यु० पा० नं० 15 है, तथा जो हुकुमचंद मार्ग, इंदौर में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिका-रों के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्जन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हृदयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गयी है और म्हायत विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके हृदयमान प्रतिफल में, ऐसे हृदयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण क निर्णय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में भास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है।

क) अंतरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सविधा के लिए; और/या

ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बधति :-

1. श्रीमती तुलसीबाई  
पति, रेवाशकरजी दुबे,  
(2) श्री, बालकृष्ण,  
(3) श्री गूलचंद्र,  
(4) श्री अशोक कुमार  
पिता श्री रेवाशकरजी दुबे,  
(5) श्रीमती पुष्पाबाई,  
(6) 1 से 4 नंबर तक  
नि० मर मेठ हुकुमचंद मार्ग 15,  
इंदौर ब, नं० 5,  
नि० रतलाम ब  
श्री लालचंद्र  
पिता श्री रामजी दुबे,  
निवास--तेली बाखल,  
मकान नं० 60,  
इंदौर । (अन्तरक)
2. श्री कमल विशंर वर्मा  
पिता श्री बशीधरजी वर्मा,  
निवास--मकान नं० 20,  
लायापुरा नं० 1,  
इंदौर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

मकान न्यु० पा० नं० 15, हुकुमचंद मार्ग, इंदौर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37 जी में निहित है।

वी० कु० बरनवान  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 6-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एच. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश नं० अ ई० ए० म०/अर्जन/भोपाल-5612--अतः

मुझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसके म० कृषि भूमि है, तथा जो उज्जैन में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूच में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार के कार्यालय, उज्जैन में, निदेश-अन्तरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की गबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ---

1. श्री भागीरथ

पिता - गनपत.ज.,

निवासी---मालीपुरा,

उज्जैन।

(अन्तरक)

2. नव आकाश गृह

निर्माण सहकार संस्था

उज्जैन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनसूची

कृषि भूमि सर्वे नं० 3793/1, 3794, 3795, 3796, 3807 एवं 3808/1 उज्जैन में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसकी संपूर्ण विवरण अन्तरित द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-ज. में निहित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 6-2-1985

मोहर :

शुरूवाई. टी. एन. एस् - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० अई० ए० सी० अर्जन भोपाल-5613--

अतः मुझे वा० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० कृषि भूमि है, तथा जो उज्जैन में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारों अधिकार के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिक्ष की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरिक्ष (अन्तरिक्षों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरिक्ष के शायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा एकत्र नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या डिपॉजिट में मौज्जा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. श्रीमती भुरीबाई  
पत्नी: गोरधनजी,  
श्री: रामेश्वर,  
श्री: बाबूलाल,  
श्री: चैतश्री,  
श्री जमनालाल,  
उज्जैन।

(अन्तरिक्ष)

2. नव आकाश गृह निर्माण सहकारी संस्था,  
उज्जैन।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि, उज्जैन में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसके संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-ज में निहित है।

वा० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहयक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख: 6-2-1985

मोहर

प्ररूप बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल-5614—अतः

मुझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/- रु. में अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लॉट नं० 56 पर बना मकान है, तथा  
जो साकेत नगर कालोनी, इंदौर में स्थित है (श्रीर इससे  
उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रारकी  
अधिकारी के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रारकण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंत-  
रितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,  
निम्नलिखित उपबन्ध से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक को  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को अधीन है :—

1. श्री यशवर्धन,  
पिता श्री किशन चोपड़ा,  
215, साकेत नगर कालोनी,  
इंदौर।

(अंतरक)

2. श्री हरीकृष्ण  
पिता श्री हनुमानदास जा,  
(2) उमिला देवी  
पति श्री हरीकृष्ण जी अग्रवाल,  
6, गता बिल्डिंग,  
इंदौर।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

**अनुपूरणी**

प्लॉट नं० 56 पर बना मकान साकेत नगर कालोनी,  
इंदौर में स्थित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-2-1985

माहूर ४

शक्य भाई. टी. एन. ए. ए. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5615-अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान म्यू० नं० 32/1595 है, तथा जो मैना वाली गली, लखकर, ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सूचना के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, विधान में सूचना के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जे० क० डे,  
पिता श्री के० पी० डे,  
निवासी—बी०-323,  
चित्ररजन पार्क,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री एन० पी० द्विवेदी,  
पिता श्री पी० आर० द्विवेदी,  
निवासी—मैना वाली गली,  
लखकर,  
ग्वालियर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

● उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की मामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान (का भाग) म्यू० नं० 32/1595, मैना वाली गली, लखकर ग्वालियर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यमपित फार्म नंबर 37-जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख: 11-2-1985,  
मोहर:



प्रथम भाई. टी. एन. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5616—अतः

मुझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान न्यु० नं० 32/1595 है, तथा जो मैना वाली गली, लश्कर, ग्वालियर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों  
को, जिन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

5-486 GI/84

1. श्री जे० के० डे

पिता श्री के० पी० डे,  
निवासी—बी-323,  
चित्तरंजन पार्क,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती के० डी० द्विवेदी,

पत्नी श्री एन० पी० द्विवेदी,  
निवासी—मैना वाली गली,  
लश्कर,  
ग्वालियर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पान  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

मकान नं० 32/1595 (का भाग) मैना वाली गली,  
लश्कर, ग्वालियर में स्थित है यह वह स्थावर सम्पत्ति है  
जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा मन्यापित फार्म नंबर  
37-जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-2-1985

मोहर :

द्रूप बाई, टी. एन. एस्. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5617--अतः

मुझे, धीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि ख० नं० 79/2, 70/2 है, तथा जो ग्राम बावड़िया कलां, जिला भोपाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय गाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाविल में कमी करने या उसके बचने से सुविधा के लिए; जोड़/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जगन्नाथ  
आत्मज श्री ऊंकार,  
बावड़िया कलां,  
जिला भोपाल।

(अन्तरक)

2. मै० रोहित सहकारी गृह निर्माण संस्था,  
मर्यादित,  
भोपाल,  
द्वारा प्रेसीडेंट रोहिततास।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि ख० नं० 79/2, 70/2, ग्राम बावड़िया कलां तह० हजूर जिला भोपाल में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-जी में निहित है।

सी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 8-2-1985

मोहर :

प्रकृष बाई.टी.एच.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-अ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5618—अतः

मुझे, वी० कु० बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,00/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० मकान नं० 1081, 1081/1, 1081/2 है, तथा जो राम मनोहर लोहिया वार्ड, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः धन उक्त अधिनियम की धारा 269-अ के अनुसूचन में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सुनील कुमार शिन्दे,  
पिता श्री सदाशिवराव शिन्दे  
अंधेर देव,  
जबलपुर।

(अन्तरक)

2. श्री अनिल कुमार शिन्दे,  
पिता श्री माधवराव शिन्दे,  
अंधेर देव,  
जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशुष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान नं० 1081, 1081/1, 1081/2, राम मनोहर लोहिया वार्ड, जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 8-2-1985  
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.ए.ए.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल,

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल/5619—अतः

मुझे, बीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० एवं मकान नं० 67, 67/1, 67/2 है, तथा जो गलगला, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपपन्न अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमैसी अनिता शिन्दे  
पत्नी श्री प्रमोद शिन्दे,  
159, बजाज नगर,  
नागपुर।

(अन्तरक)

2. श्री ज्ञानचंद जैन  
एण्ड 7 अन्य,  
खरडगंज,  
जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक न--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लॉट एवं मकान नं० 67, 67/1, 67/2, गलगला जबलपुर में स्थित हैं। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा स्थापित फार्म नंबर 37-जी में निहित है।

बी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 8-2-1985

मोहर

प्ररूप आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5620--प्रत.  
मुझे, वी० कु० बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूखण्ड क्रमांक 98 है, तथा जो जानकी नगर एक्सटेंशन, इंदौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-कारी के कार्यालय इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरुनाम सिंह,  
पिता श्री अमरीक सिंह,  
मण्डी बाजार,  
बुरहानपुर।

(अन्तरक)

2. श्रीमती लीला छाजेड़  
पत्नी श्री बसंत कुमार छाजेड़  
हा० मु० 149,  
जानकी नगर,  
एक्सटेंशन,  
इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपोहेस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूखण्ड क्रमांक 98, जानकी नगर, एक्सटेंशन, इंदौर में स्थित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 8-2-1985

मोहर :

भारत का राजपत्र, मार्च 9, 1985 (फाल्गुन 18, 1906)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

**आज्ञापन सूचना**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5621-अतः

मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूखण्ड क्रमांक 97 है, तथा जो जानकी नगर, इंदौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इंदौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरक के द्वारा किसी नाम की वास्तु, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के आयुष्य में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए की गई या

(ख) एसी किसी नाम या किसी धन या अन्य वास्तुवा को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्—

1 श्री अर्जुनसिंह  
पिता श्री अमरीक सिंह कोर  
निवासी—मण्डी बाजार,  
बुरहानपुर।

(अन्तरक)

2 (1) श्री ओमप्रकाश  
पिता श्री मोहन लाल  
(2) श्रीमती रामेश्वरी देवी,  
पत्नी श्री ओम प्रकाश,  
निवासी—साजन नगर,  
इंदौर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्तः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

भूखण्ड क्रमांक 97, जानकी नगर, इंदौर में स्थित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, भोपाल

तारीख : 8-2-1985

मोहर

**प्रकृत बाह्य. टी. एन. एन. —————**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
269-ब (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, जालन्धर

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल-5623—अतः

शुभे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 64 है, तथा जो सी० सेक्टर, इन्द्रपुरी, भोपाल में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, भोपाल में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और शुक्रे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक के रूप में किसी भाग की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबिल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तुकों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री वाय० सी०

गर्ग पिता एम० एस० गर्ग  
निवासी-64,  
सी० सेक्टर,  
इन्द्रपुरी,  
भोपाल।

(अन्तरक)

2. श्री हरिन्द्र सिंह,

पिता श्री सरदार श्रवतार सिंह  
निवासी—सूरजगंज,  
इंदारसी।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी कार्य :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हस्तबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्लॉट नं० 64, सी० सेक्टर, इन्द्रपुरी, भोपाल में स्थित है।

वीरेन्द्र कुमार बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, भोपाल

तारीख : 8-2-1985

मोहर :

प्रकाशक: टी. एन. एन. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जेन/भोपाल-5627—अतः

मुझे, वी० कु० बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 22, एवं दुमंजिला मकान है, तथा जो रोनसरा, नरसिंहपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नरसिंहपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि बंधापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पक्का प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए एक नया प्राधिकृत निम्नलिखित संप्रत्यक्ष से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/वा

(ख) दूरी किसी भाव या किसी भव या अन्य वास्तुओं को, जिन्हें भारतीय वास्तव अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रवचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, डिपॉजिट में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री बिरदीचंद

पिता श्री कौशल चंद, लूनावत,  
स्टेशनगंज, नरसिंहपुर।

(अन्तरक)

2. मेसर्स गिरधारीनाथ कंछेदीलाल कांतल,

गाडरवारा द्वारा—

पाटनर श्री शरद कुमार

पिता श्री केदारनाथ कटहल,

गाडरवारा,

नरसिंहपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान, प्लॉट नंबर 22 पर, (नजूल शीट नं० 8) रोनसरा जिला नरसिंहपुर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण अन्तरिती [द्वारा सन्वयमित फार्म नं० 37-जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेन रेंज, भोपाल

तारीख : 6-2-1985

मोहर :



प्ररूप बाई. टी. एन. एष.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5628—अतः  
मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 47-बी, का प्लॉट है, तथा  
जो साकेत नगर, इंदौर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध  
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-  
कारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908  
(1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भ्रम यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के  
हासिल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य वास्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
में अधीन निम्नलिखित व्यक्तिगत अधि-  
कारी के लिए

6-486 GI/84

1. श्री चरण प्रसाद

पिता ज्योति स्वरूप

तरफे मु० ग्राम पविजा

पति चरण प्रसाद

नि० —41,

साकेत नगर

इंदौर

(अन्तरिती)

2. श्रीमती ललीताबाई

पति नदलाल जोशी

नि०—हातोद तह० इंदौर

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होगी हो, के भीतर पूर्वोक्त  
आक्षेपों को किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के साथ  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

प्लॉट नं० 47-बी का प्लॉट, साकेत नगर, इंदौर में  
स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका संपूर्ण विवरण  
अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नंबर 37-जी में निहित  
है।

वी० कु० बरनवाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख 11-2-1985

मोहर :

प्रकरण 2, भाग 1, टी. ए. एस. - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अर्जन/भोपाल-5629—अतः

मुझे, वी० कु० बरनवाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० मकान (का भाग) नं० 411 है, तथा जो साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम का उद्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का वृद्ध प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरक में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती राज भाटिया,  
पत्नी श्री डी० पी० भाटिया,  
साउथ सिविल लाईन्स,  
जबलपुर।

(अन्तरक)

2. मेसर्स भसीन रिवल्डस,  
(पार्टनरशिप फर्म),  
द्वारा मैनेजिंग पार्टनर—  
श्री गुरविन्दर सिंह भसीन,  
गोरखपुर,  
जबलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान (का भाग) नं० 411, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर संपत्ति है जिसका सम्पूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, भोपाल

तारीख : 11-2-1985

माहूर :

प्रकृत बाह्य टी.एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

राज्य सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देश सं० आई० ए० सी०/अर्जुन/भोपाल/5630—अतः मुझे, वीरेन्द्र कुमार बरनवाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० मकान (का भाग) नं० 411 है, तथा जो साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, जून 1984 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आब की वाजत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबिल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत है, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों के अर्थात् :—

- (1) श्री राजीव एवं संदीप भाटिया, दोनों पुत्र श्री डी० पी० भाटिया साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर। (अन्तरक)
- (2) मैसर्स भर्तन बिल्डर्स (पार्टनरशिप फर्म) द्वारा मैनेजिंग पार्टनर श्री गुरविन्दर सिंह भसीन गोरखपुर, जबलपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्यगी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान का भाग नं० 411, साउथ सिविल लाइन्स, जबलपुर में स्थित है। यह वह स्थावर सम्पत्ति है जिसका सम्पूर्ण विवरण अन्तरिती द्वारा सत्यापित फार्म नं० 37-जी में निहित है।

वी० कु० बरनवाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, भोपाल

तारीख: 11-2-1985

मोहर

प्रकृत बाई.टी.एन.एड.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आरजू सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० ए०-162/एक्यु०-

अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का आशय है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या आराजी मय निर्माण है तथा जो रामपुर बाग सिविल लाइन, बरेली में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरेली में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कमा के इश्यामन प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यामन प्रतिफल से, ऐसे इश्यामन प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आम की गबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचना के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार यह मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री प्रदीप कुमार भान
2. श्री कमल कुमार भान
3. श्री अरुण कुमार भान
4. श्री गिरीश कुमार भान

(अन्तरक)

(2) श्रीमती आशा अग्रवाल.

(अन्तरिती)

(3) विन्नेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त/शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी मय निर्माण स्थित 35, रामपुर बाग, प्लॉट नं० ए०, ब्लाक एस० सिविल लाइन, बरेली, जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बरेली के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है जैसा फार्म 37-जी संख्या 4867 में वर्णित है (पैमाइसी 250 वर्ग यार्ड)

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 13-2-1985

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या ए०-163 एक्यु०--

अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसके अन्तर्गत इससे पूर्व 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आराजी है तथा जो बल्डार्फ होटल का काँपस, मल्लीताल, नैनताल में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नैनताल में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 20-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत के धारित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अधिकारी को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) 1. श्री राम प्रकाश
2. श्री सूरज औतार
3. ओम औतार
4. विष्णु औतार,  
द्वारा श्रीमती रेनु वी० औतार
5. अनिल कुमार
6. राजीव कुमार,  
द्वारा श्री अनिल कुमार गोयल
7. राकेश कुमार  
अशोक कुमार गोयल

(अन्तरक)

- (2) 1. श्री आन सिंह बिष्ट
2. श्रीमती कमला बिष्ट
3. कुमारी गंगा बिष्ट

(अन्तरिती)

- (3) विक्रेता  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

इस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हस्त-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुधी

आराजी पैमाइसी 202.22.59 वर्ग-फीट स्थित होटल बल्डार्फ का काँपस मल्लीताल, नैनताल जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नैनताल के कार्यालय में दिनांक 20-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

ता उख : 13-2-1985  
माहर :

प्ररूप भाई, डी. एन. ए.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या सी०-44 एफ्यु०---

अतः मुझे, ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्लॉट नं० 2 का हिस्सा 1, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 13-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, - उक्त अधिनियम के अधीन कट्टे बनें के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बंधने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए; <sup>1</sup>

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री ब्रिज मोहन मेहरा

(अन्तरक)

(2) 1. श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा

2. श्रीमती भोमश्री शर्मा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि याव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 2 का हिस्सा, पैमाइसी लगभग 4600 वर्ग-फीट स्थित 1, राणा प्रताप मार्ग लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 13-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 14-2-1985

मोहर <sup>1</sup>

प्रारूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या डी०-55 एफ०-1-

अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट न० 187 है तथा जो 18, मदन मोहन मालवीय मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 2-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स आम्रपाली सहकारी गृह निर्माण समिति लि०, लखनऊ द्वारा सचिव श्री दिनेश चन्द्र श्रीवास्तव (अन्तरक)

(2) 1. श्री दिलीप वासवानी  
2. श्रीमती विनीता वासवानी (अन्तरितों)

(3) श्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ॥

प्रसूची

प्लॉट न० 18/7 पैसाईसी 7,700 वर्ग-फीट स्थित 18, मदन मोहन मालवीय मार्ग लखनऊ, थाना हजरत गंज, लखनऊ जिनका पञ्जीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय दिनांक 2-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जेंट क्षेत्र, लखनऊ

तार.सं. : 13-2-1985

माहूर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिन का 11 फरवरी 1984

निर्देश सं० जो० आई० आर० संख्या I-21/एक्यू०-1

अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सभ्य प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट न० 2 है तथा जो बीरबल साहनी रोड, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 15-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:-

- (1) जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि० (जिसका कार्यालय अमीनाबाद में है।) (अन्तरक)
- (2) डा० इकबाल अहमद किकदवाई (अन्तरिती)
- (3) विक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सूची

हारसिंग स्कीम में प्लॉट न० 3, जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि० पैमाईसी 2010 वर्ग-फीट स्थित बीरबल साहनी रोड, लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रार अधिकाारी लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 15-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जुन क्षत्र, लखनऊ

तारीख 11-2-1985  
मोहर



प्रारूप आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिन क 11 फरवरी 84

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० जे०-78/एफ्यु०--

अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या प्लॉट नं० 4 है तथा जो बीरबल साहनी रोड़, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक 15-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्क आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

7-486 GI/84

(1) जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

(जिसका कार्यालय अमीनाबाद लखनऊ में है।)

(अन्तरक)

(2) श्रीमती जमीला अहमद

(अन्तरिती)

(3) बिक्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी शिकायत :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जनता सहकारी गृह निर्माण समिति लि० के हाउसिंग स्कीम में प्लॉट नं० 4 पैमाइस 2041 वर्ग फीट स्थित बीरबल साहनी रोड़, लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 15-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 11-2-1985

सोहर :

प्रत्येक बाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या एम०-209 एक्यू०-

अतः मूझे ए० प्रसाद \*

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसका पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु से अधिक है

और जिसकी सख्या निर्मित मकान मय भूमि है तथा जो मसेहल्ला कुवरपुर बरेली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकारी के कार्यालय, बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि दबाए जा सकने वाली सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) एंसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

इतना अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) 1 श्री अशोक कुमार  
2 श्री अनिल कुमार

(अन्तरक)

(2) 1 श्री महेश चन्द  
2 श्रीमती सुर्मति संक्सेना

(अन्तरिती)

(3) विन्नेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभाग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

निर्मित मकान मय भूमि पैमाईस, 401 वर्ग-फुट स्थित मोहल्ला कुवरपुर बरेली, जिनका पंजीकरण # रजिस्ट्रार अधिकारी, बरेली के कार्यालय में जून, 1984 का किया जा चुका है।) जैसा फार्म 37-ज संख्या 4630 में वर्णित है)

(ए० प्रसाद)

मक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

(अर्जन क्षेत्र), लखनऊ

तारीख 13-2-1985

माहुर

**प्रारम्भिक सूचना**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं. जी० आई० आर० संख्या पी०-133/एक्यू०-

अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- से अधिक है

और जिनकी संख्या कृषि भूमि न० 92 है तथा जो बस्तौली लखनऊ में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुमूर्ची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में आस्तित्विक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के अन्तर्गत में किसी अन्तरक या उक्त अन्तरक में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

- (1) श्री इन्द्रा प्रकाश गुप्ता  
(अन्तरक)
- (2) श्री प्रेम चन्द अग्रवाल  
(अन्तरिती)
- (3) क्रेता  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना धारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों को पत्र लिखकर सूचित किया जाएगा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-संबंध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण :-** इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**धनसूची**

कृषि-भूमि न० 92, पंचमाईसी 17 बिस्वा स्थित बस्तौली लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रार अधिकाारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका (जैसा फार्म 37-जी संख्या 7584 में वर्णित है)।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 13-2-1985  
मोहर

प्रथम भाग टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या पी०-134/एफ्यू०—

अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका औचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी संख्या आराजी है तथा जो 16, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्तके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए हथ पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अंतरण से हुई किसी बाब की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में, सुविधा के लिए; और/या

(ख) एबी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तव, को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती प्रमिला श्रीवास्तव  
2. कुमारी अनुराधा चौधरी

(अन्तरक)

(2) श्री प्रेम किशोर

(अन्तरिती)

(3) क्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधकः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन का तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी स्थित 16, राना प्रताप मार्ग, लखनऊ, पंमाईसी 980 वर्ग-फीट (जैसा फार्म 37-जी संख्या 7907 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 11-2-1985

माहुर :

प्रत्यक्ष आई.टी.एन.एस. -----  
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**  
**धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**  
**भारत सरकार**  
**कार्गिल, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**  
 अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या पी०-135/  
 एक्यू०—अतः मुझे, ए० प्रसाद,  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें  
 इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
 कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
 25,000/- रु. से अधिक है  
 और जिसकी सख्या प्लॉट न० 16 का हिस्सा है तथा जो  
 राना प्रताप मार्ग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपोन्नत अनुसूची  
 में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
 लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का  
 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
 प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
 मुझे यह विश्वास करने का कारण  
 यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके  
 प्रतिफल से, ऐसे ध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक  
 है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के  
 बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
 उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं  
 किया गया है :—

[क] अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
 अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
 शायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
 के लिए; और/या

[ख] एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
 को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
 धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
 के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
 गया था या किया जाना चाहिए या जिन्हें  
 सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत  
 मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
 के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) श्री चैतन्य दास ।  
(अन्तरक)
- (2) श्री प्रेम किशोर ।  
(अन्तरिती)
- (3) क्रेता ।  
(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्णन के लिए  
 कार्यवाहीमां करता है ।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
 सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
 अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से  
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
 बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
 पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
 अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
 है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
 गया है।

बन्सुधी

प्लॉट न० 16 का हिस्सा, पैमाईसी 1100 वर्ग-फीट  
 स्थित राना प्रताप मार्ग लखनऊ (जैमा फार्म 37-जी संख्या  
 7908 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
 अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया  
 जा चुका है ।

ए० प्रसाद  
 सक्षम प्राधिकारी  
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
 अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 11-2-1984  
 मोहर ॥

प्रकृष बाई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० जा० सख्या आ०-237/  
अत, मुझे, ए० प्रसाद  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है  
और जिनकी म० दो मजिला बिल्डिंग है तथा जो 4/8  
पार्क लेन नरही, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपावद्ध  
अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984  
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
बहु प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कीर्तित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सूक्ष्मता  
के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूक्ष्मता  
के लिए।

सं: प्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् १—

- (1) ले० कर्न० आ० के० चावला ।  
(अन्तरक)  
(2) 1. श्री राकेश शर्मा  
2. श्री हृदयेश शर्मा  
(अन्तरिती)  
(3) विक्रेता ।  
(वह व्यक्ति, जिसके अभिभाग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पब्लिक संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर उपावद्ध  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,  
(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अशोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकें ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है ।

अनुसूची

दो मजिला बिल्डिंग मय भूमि पैमाईसी 3645 वर्गफुट  
स्थित 4/8, पार्क लेन, नरही, लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी  
सख्या 6747 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा  
चुका है ।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त  
(अर्जन क्षेत्र) लखनऊ

तारीख : 11-2-1985  
माह ४

प्ररूप आई.टी.एन एस.-----

(1) श्रीमती ई० चौकिन।

(अन्तरक)

(2) श्री राम प्रसाद।

(अन्तरिती)

(3) विक्रेता।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या आर०-238/

एक्यू०—अन मूझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरंजिपकी संख्या संख्या है तथा जो 84 ए०, सिविल लाईन, बरेली में स्थित है (श्रीरंजिप उपायुक्त अनुसूची में श्रीरंजिप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जन, 1984

का पत्राचार गणना के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एग्रे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया, प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान सं० भूमि पैमाईसी 1020 वर्ग-गार्ड, स्थित 84ए०, सिविल लाईन बरेली (जैसा फार्म 37-जी संख्या 4625 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बरेली के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन श्रेष्ठ, लखनऊ

तारीख 13-2-1984  
मोहर :

प्रकृष-आई. टी. एन. एस., - - -

(1) श्री इन्द्र प्रकाश गुप्ता।

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) श्री राम निवास अग्रवाल।

(अन्तरिती)

भारत सरकार

(3) क्रेता।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या आर०-239/एम्पू०-अतः, मुझे, ए० प्रसाद,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या कृषि भूमि नं० 92 है तथा जो बस्तौली, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कोथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी भाग की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तवों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्मसूची

कृषि-भूमि नं० 92 पंमाईसी 8 बिस्वा 10 बिस्वान्सी स्थित, बस्तौली लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी संख्या 7586 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 13-2-1984  
मोहर



प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 85

निर्देश हं० जी० आई० आर० संख्या आर०-240/  
एक्यू०—अतः, मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो बिहारीपुर, बरेली में  
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बरेली में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के  
अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और  
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि  
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, का कारण है कि  
उसके द्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्यमान प्रतिफल का पंद्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखितों में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को  
वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
का अन्तर्गत भारतीय आ-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तर्गत  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, संबंधित है—

8-486 GI / 84

- (1) 1. श्री राम बहादुर  
2. श्री प्रेम बाबू  
3. श्रीमती रामकली  
4. मास्टर महेश (नाबा०),  
द्वारा माता, श्रीमती राम कली  
5. श्री छोटे।

(अन्तरक)

- (2) श्री राम प्रीतार।

(अन्तरिती)

- (3) विक्रेता।

(वह व्यक्ति, जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाही करना करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवशुध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

प्रमुखी

आराजी पैमाईसी 700 वर्ग-गज स्थित बिहारीपुर,  
बरेली (जैसा फार्म 37-जी संख्या 4728 में वर्णित है)  
जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, बरेली के कार्यालय  
में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र, लखनऊ

तारीख : 13-2-1985

मोहर :

प्रकृत्य भाई. टी. एन. एच.-----

(1) श्री मो० अजीम खान

(अन्तरक)

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

- (2) 1. मिराज अहमद  
2. फजल अहमद  
3. कमर अहमद

(अन्तरिती)

भारत सरकार

(3) क्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

कार्यालय, सहायक भाषकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 85

निर्देश सं० जी० आई० आर० संख्या एम०-354/  
एम्पू०—अतः मुझे, ए० प्रसाद

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन, सभ्य प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या ब्रिड्ज नं० 295/29 है तथा जो अहाता सागी बेग, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के उद्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके उद्यमान प्रतिफल से, ऐसे उद्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीया) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुए किसी भाई की वास्तविक उद्यमान अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के कारण से कमी करने या उक्त करने में सूचना के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या इन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्नाद :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध से समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

वो मंजिला ब्रिड्ज नं० 296/29, पैमाईसी 1497.5 वर्ग-फीट स्थित अहाता सागी बेग लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी संख्या 7376 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सभ्य प्राधिकारी  
निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त  
अर्जुन खेत, लखनऊ

तारीख : 11-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

1. श्री इन्द्र प्रकाश गुप्ता

(अन्तरक)

2. श्री सन्तोष कुमार

(अन्तरितो)

3. ज्योति

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पात है)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० एस-356/एक्यू०/ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि. नं० 92 में स्थित है (और इससे  
उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी के कार्यालय-लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अद्यतन  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, इसके अद्यतन प्रतिफल से, ऐसे अद्यतन प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती  
रिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पर्या  
व्या प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण सिद्धित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्त्वों  
को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्नाद :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि नं० 92 पैमाईसी 8 बिस्वा 10 बिस्वांसी  
स्थित बस्तीली लखनऊ (जैसा फार्म 37जी संख्या 7587  
में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
लखनऊ के कार्यालय में दिनांक जून 1984 को किया जा  
चुका है

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज लखनऊ

दिनांक 13-2-1985  
माहूर :

प्रकृत बाढ़, डी. ए. ए. —

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

साहायक सहायक

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पूना

पूना, दिनांक 13 जनवरी, 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० ए०—357/एक्यू-84-85

—यतः मुझे ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि नं० 92 बस्तौली, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984 .

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके ध्यमान प्रतिफल से, ऐसे ध्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तर्गत है कि किसी भी बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उसने बचने के विचार के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाव या किसी धन वा अन्य वास्तव्यो को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अनुसूचार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया जा या किया जाना चाहिए था, किन्तु वे अन्तर्गत में लिखे;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री इन्द्र प्रकाश गुप्ता

(अन्तरक)

2. श्री शैलेन्द्र कुमार

(अन्तरितों)

3. क्रेता

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

साधुकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि नं० 92 पैमाईशी 8 बिस्वा 10 बिस्वा स्थित बस्तौली लखनऊ (जैसा फार्म 37-जी संख्या 7585 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है ।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लखनऊ ।

दिनांक : 13 फरवरी 1985

मोहर :

प्रश्न बाह्य टी. एन. नं. ३३३३-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

वर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी 1985

निवेश सं० जी० आई० आर० सं० एस-358/एक्यू०—प्रतः

मुझे ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० निमित्त सम्पत्ति मय भूमि है जो श्यामगंज बरेली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बरेली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण विहित से वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है।—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की नाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को दिव्य।

वत्त धर, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्णित है—

1. (1) श्री प्रकाश चन्द  
(2) मास्टर गौरव चन्द (नाबा०)  
(द्वारा करता परिवार)  
(अन्तरक)
2. श्रीमती सरस्वत देवी शर्मावाल  
(अन्तरिती)
3. विक्रेता  
(व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना पारुी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

निमित्त सम्पत्ति मय भूमि पैमाईसी 305½ वर्ग गज स्थित श्यामगंज बरेली (जैसा फार्म 37-जी संख्या 4889 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी बरेली के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
वर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक 13 फरवरी 1985  
मोहुर

प्रकृत आदेश टी. एन. प्रकृत-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

छाहट सखनऊ

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० यू-39/एक्यू०—

मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्रथम तल है तथा जो 26/16 बजीर हसन रोड लखनऊ में स्थित है (और इससे उपापन्न अनुभूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16 के अधीन दिनांक 26-5-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वारत उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए और/या

(ब) ऐसी किसी भाग या किसी भन या अन्य अस्तित्वों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किन्तु जाना जातिहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बचाने :-

1. श्रीमती प्रेमलता लाल

(अन्तरक)

2. श्रीमती ऊषा विद्यार्थी

(अन्तरिती)

3. मोनर

(व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या की अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितग्रहण किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास निर्मित में दिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शर्तों और धारा का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रथम तल मय कवर्ड एरिया 1920 वर्ग फिट मय खुला छहण्जा और भूमि तल पर मोटर गैरेज पैमाइणी 215 वर्ग फिट स्थित 26/16 बजीर हसन रोड लखनऊ जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 26-6-1984 को किया जा चुका है

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन, रज. लखनऊ

दिनांक 11-2-1985

मोहर

प्रकृ. नार्. टी. एन. एस., -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई आर० सं० यू-40/एफ्यू/—अतः

श्री ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आराजी नं० 18 है तथा जो नेहरू नगर कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० लखनऊ में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरीत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी भी बात, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, बाँट/या

(ख) ऐसी किसी भी बात या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

1. मैसर्स एस० एन० मिश्रा

(अन्तरक)

2. श्रीमती उमिला मिश्रा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थान पर सम्पत्ति में हितग्रह किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहेस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

आराजी नं० 19 पैमाईशी 5490 वर्ग फिट स्थित नेहरू नगर हाउसिंग कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० लखनऊ जिनका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज लखनऊ

दिनांक 11-2-1985

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ दिनांक 11 फरवरी 1985

निवेश सं० जी आई० आर० सं० जेड-8/एक्यू०/—अतः  
मुझे ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० म० नं० 133/19-क है तथा जो अमीनाबाद रोड, नजीराबाद, लखनऊ में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से काथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी जाय की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने का उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्रीमती नवाब नूर जहां बेगम  
(2) श्रीमती नवाब मुर्दानिसा बेगम ।  
(अन्तरक)  
(अन्तरिती)
2. श्रीमती जैबूनिसा  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

### अनुसूची

सकान नं० 133/19-क मय भूमि पैमाईशी 1626 वर्ग फिट स्थित अमीनाबाद रोड नजीराबाद थाना कैसरबाग, लखनऊ जिला का पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लखनऊ के कार्यालय में 27-6-1984 को किया जा चुका है

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक 11-2-1985  
साहिर ध



प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी आई० आर० सं० ए-164/एक्यू०/—अतः मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि इमारत आदि है तथा जो मशानखेत टोक मौजा खबरर पट्टी सतबंगा तह० व जिला—नैनीताल में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) में रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व को कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/वा

ख) एभी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

9—486 GI/84

1. श्री अनूप कुमार पोहार ।

(अन्तरक)

2. श्री अंजली श्रोफ ।

(अन्तरिती)

यह सूचना धारो करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी वादः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यदितियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और शर्तों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनसूची

भूमि पमाईसं 12 एकड़ मय इमारत व पेड़पौधे सहित स्थित मशानखेत टोक मौजा खबरर पट्टी सतबंगा तह० व जिला—नैनीताल जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है (जैसा फार्म 37-जी संख्या 6797 में वर्णित है)।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक 13-2-1985

मोहर :

प्ररूप आर्ट. टी. एन. एम -----

1. श्री आनन्दी लाल गोयन्का

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना.

2. श्री भारत कुमार खेमका

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी०आई० आर० सं० बी-127/एक्यू०/—अतः

भूमि ए० प्रस्ताव

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि इमारत आदि है तथा जो मशानखे  
टाक मौजा खबरर पट्टी मतबंगा तह० व जिला नैनीताल म  
स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में अर जो पूर्ण रुप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 14-6-1984

का पृथक् सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भूके यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अन्तरिती  
(अन्तरिनियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त  
अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के  
वाचिस्थ में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एमी किसी आय या किसी भाग या अन्य आयियों  
का, अर्थात् भारतीय आय कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
था या किया जाना चाहिए था, विधान में सुविधा  
के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

भूमि पैसाईण 10.5 एकड़ मय इमारत व पेड़-पौधे सहित  
स्थित मशानखेत टाक मौजा खबरर पट्टी मतबंगा तह०  
व जिला नैनीताल जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
कलकत्ता के कार्यालय में दिनांक 14-6-1984 को किया जा  
चुका है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज लखनऊ

दिनांक 13-2-1985

मोहर :

प्रश्न क्रमांक टी. एन. ए. ११११

1. श्री आनन्दीलाल गोयन्का

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ(1) के अधीन सूचना

2. श्री दीपक कुमार खेमका

(अन्तरिती)

### सहायक आयकर

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं जी० आई० आर० सं० डी-56/एक्यु०/—अतः  
मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० भूमि इमारत आदि हैं तथा जो मगानखेत  
टाक मौजा खबरर तह० व जिला नैनोताल में स्थित है  
(और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक  
14-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती  
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब पाया  
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत, 'उक्त  
अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के  
द्वारा में कमी करने या उचित अर्थ में सूचना  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को  
जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922  
का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधि-  
नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिये था, धियान में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधिः :-

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्थन के संबंध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही  
अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिये गए हैं।

### अनुसूची

भूमि पैमाईशी 10 एकड़ मय इमारत  
पेड़-पौधे सहित मगानखेत टाक मौजा खबरर पट्टी  
सतबुगा, तह० व जिला नैनोताल जिनका पंजीकरण रजिस्ट्री-  
कर्ता अधिकारी कलकत्ता के कार्यालय में दिनांक 14-6-84  
को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज लखनऊ

दिनांक 13-2-1985  
मोहर :-

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० के-146/एक्यू०—अतः

मुझे, ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको स आराजी है तथा जो होटल वल्डार्फ क कैम्पस मल्लताल नैनीताल में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नैनीताल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविकता, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविकता में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ६—

1. (1) श्री रामप्रकाश
- (2) श्री सुरज प्रकाश
- (2) श्री सुरज प्रकाश
- (3) श्री श्रीम श्रीतार
- (4) श्री विष्णु श्रीतार
- (5) श्री अनिल कुमार
- (6) श्री राजीव कुमार
- (7) श्री राकेश कुमार
- (8) श्री अशोक कुमार कोयल

(अन्तरक)

2. श्री केवल किशोर चावला

(अन्तरिती)

3. विक्रेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, की भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी पैमाईशो 356.90 वर्ग फिट या 30.33 वर्ग मीटर स्थित होटल वल्डार्फ का कैम्पस मल्लताल नैनीताल (जैसा कि फर्म 37-जी संख्या 224 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक 13-2-1985

माहुर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

1 श्री आनन्दी लाल गोयन्का

(अन्तरक)

2. श्री कृष्ण कुमार खेमका

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० के-147/एक्यू०/—अत.

मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि इमारत आदि है, तथा जो मशानखेत टाक, मौजा, खबरर, तह० बजिल० जिला, नैनीताल, में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय फलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् १—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि पैमाईशी, 12.5 एकड़ मय इमारत, पेड़-पौधे सहित स्थित, मशानखेत टाक, मौजा, खबरर पट्टी, सतबंगा, तह० ब जिला नैनीताल जिसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी फलकत्ता के कार्यालय में दिनांक 14-6-1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख 13-2-1985

मोहर

रूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० ३-148/एक्यू०—अतः  
मुझे ए० प्रसाद  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है  
और जितनी सं० भूमि इमारत, आदि है तथा जो मशानखेत  
टाक, मौजा, खबरर पट्टी, मतबंगा, तह० व जिला नैनीताल  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 14-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और  
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह  
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल  
से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के अन्दर प्रतिशत से अधिक है और  
अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे  
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य  
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं  
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
दायित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री आनन्दी लाल गोयन्का

(अन्तरक)

2. श्रीमती कान्ता देवी श्रीफ

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात् अक्षरों के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

**माहूर**

भूमि पैमाइशी, 12.5 एकड़, मय इमारत व पेड़-पौधों  
सहित, स्थित मशानखेत, टाक, मौजा, खबरर पट्टी, मतबंगा  
तह०, व जिला नैनीताल, जिसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी, कलकत्ता के कार्यालय में दिनांक 14-6-1984 को  
किया जा चुका है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 13-2-1984

माहूर

प्रकृत आइ.टी.एन.एस. —————

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० एम-210/एक्षु०/—अतः मुझे ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विज्ञापन करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० केम्पस है तथा जो होटल बल्डार्क का कैम्पस, मस्लीताल, नैनीताल, में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय नैनीताल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देनेके अन्तरक के वायिलय में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वयण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) श्री राम प्रकाश
- (2) श्री सूरज श्रीतार
- (3) श्री मोम श्रीतार
- (4) श्री विष्णु श्रीतार
- (5) श्री अनिल कुमार
- (6) श्री राजीव कुमार
- (7) श्री राकेश कुमार
- (8) श्री अशोक कुमार गौयल,

(अन्तरक)

2. श्री मोहन सिंह बिष्ट
- श्री गोविन्द सिंह बिष्ट

(अन्तरिती)

3. विक्रंता

(वह व्यक्ति जिनके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद से समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्धु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी पैमाईशी, 550 बर्ग फिट, ग्रा 51.20 व मीटर, स्थित, होटल, बल्डार्क का कैम्पस, मस्लीताल, नैनीताल (जैसा कि फार्म 37-जी संख्या 227 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता, अधिकारी के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 13-2-1985

माहूर .

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

1. श्री श्रीमप्रकाश गोयन्का

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घे (1) के अधीन सूचना

2. मैसर्स, मशान बक्स (इन्टरनेशनल) लि०

1, आकलैन्ड, प्लेस, कलकत्ता-17

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० एम-211/एक्यु०—अल:

मुझे ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घे के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि इमारत आदि है, तथा जो मशानखेत टाक, मौजा खबरर पट्टी, सतबंगा, तह० व जिला नैनीताल में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवसाय प्रतिफल के लिए अंतरिक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे व्यवसाय प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उल्लेख करने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के परोक्षार्थ अंतर्गामी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि पैमाइशी, 10.5 एकड़, मय इमारत, व पेड़-पौधे सहित, स्थित मशानखेत टाक, मौजा, खबरर पट्टी, सतबंगा तह० वी ला, नैनीताल, जिसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कलकत्ता के कार्यालय, में दिनांक जून, 1984 को किया जा चुका है।

(जैमा फार्म 37-जी सख्या 6794 में वर्णित है)

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 13-2-1985

मोहर :



प्ररूप बाह्य. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० एम-212/एक्यु०/—अतः  
मुझे, ए० प्रसाद

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० प्रेमिसेज नं० 31/56 का भूमितल पर  
दुकान, है, तथा जो महात्मा गान्धी मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 22-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से स्थित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० रंजीत भागंव  
(अन्तरक)
2. मैसर्स, मार्डेन सिल्क हाउस,  
31/56, महात्मा गान्धी मार्ग, लखनऊ,  
द्वारा पार्टनर, श्री चन्द्र कुमार, जसनानी  
(अन्तरिती)
3. क्रेता  
(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के समय में कोई भी आक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाढ़ में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थात् राजपत्र के पाम  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रेमिसेज नं० 31/56 (पुराना नं० 48) का भूमि तल पर  
दुकान मय चारदीवारी फर्श और खत सिवाय भूमि (जिस पर  
दुकान है), स्थित महात्मा गान्धी मार्ग, हजरत गंज, लखनऊ  
जिसका पंजीकरण, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, लखनऊ के कार्यालय  
में दिनांक 22-6-1986 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 14-2-1985

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० आर० सं० आर-241/एक्यू०/-—अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आराजी, है तथा जो होटल बल्डार्फ का कैम्पस, मस्लीताल, नैनीताल, में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नैनीताल, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंभी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्त्रियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ---

1. (1) श्री राम प्रकाश
- (2) श्री सुरज प्रकाश
- (3) श्री थोम श्रीतार,
- (4) श्री विष्णु श्रीतार
- (5) श्री जिनिल कुमार
- (6) श्री राजीव कुमार
- (7) श्री राकेश कुमार
- (8) श्री अशोक कुमार गोयल

(अन्तरक)

2. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल

(अन्तरिती)

3. विज्ञेता

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी पैमाईशी, 1297.77 वर्ग फिट या 120.72 वर्ग मीटर, स्थित होटल, बल्डार्फ का कैम्पस, मस्लीताल, नैनीताल, (जैमा फार्म 37-जी संख्या, 222 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, लखनऊ

दिनांक : 13-2-1985

मोहर :

प्रकृत धारा 212 धारा 212 धारा 212

1. श्री सुशील कुमार गोयन्का

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

2. मैसर्स रेकनेस, लिमिटेड

द्वारा श्री सुभाष श्रोत्र, (अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

क्यों यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :-

निर्देश सं० जी० आई० आर० सं० आर-242/एक्यू०/—अतः

मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पन्ना 111 में 'जिसका' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
100,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी में भूमि इमारत आदि है तथा जो मशानखेत टाक,  
मौजा, खबरर पट्टी, सतबंगा, तह० व जिला नैनीताल में स्थित है  
(और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून,  
1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम में व्यवधान  
प्रतिफल के लिए अंतरिक की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों के उक्त अन्तरक निधि  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

समाप्तिकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

कानूची

(क) उक्त सूचना के द्वारा किसी धन की वास्तु, उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क के अन्तरक के अन्तर्गत  
नहीं कर्तव्य करने या उसमें बचने में सूचना के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी धन या किसी धन या अन्य वास्तुओं  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
या वा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना  
के लिए;

भूमि पैमाईसी, 11 एकड़ मय इमारत व पेड़-पौधे सहित  
स्थित मशानखेत पट्टी, टोक, मौजा खबरर पट्टी, सतबंगा  
तह० व जिला, नैनीताल, (जैसा फार्म 37-जी संख्या 6796  
में वर्णित है) (जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कलकत्ता  
के कार्यालय में दिनांक जून, 1984 को किया जा चुका है।)

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, लखनऊ

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचित :-

दिनांक : 13-2-1985

मोहर

प्रकाशक: डॉ. एच. एच. —————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० जी०आई० आर० सं० एस-355/एक्यू०/—अतः

मुझे, ए० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० आराजी है, तथा जो होटल, बल्डार्फ, के कैम्पस, नैनीताल, में स्थित है (और इससे उपायानुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/अधिकारी के कार्यालय नैनीताल में रजिस्ट्रार/अधिकारी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक जून, 1984

का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कांक्षित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के सापेक्ष में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब का उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. (1) श्री राम प्रकाश
- (2) श्री सूरज प्रकाश
- (3) श्री मोम श्रीतार
- (4) श्री विष्णु श्रीतार
- (5) श्री अनिल कुमार
- (6) श्री राजीव कुमार
- (7) श्री राकेश कुमार
- (8) श्री अशोक कुमार, गोयल,

(अन्तरक)

2. श्रीमती शीला टन्डन

(अन्तरिती)

3. विक्रेता

(वह व्यक्ति जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्यन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, या भी अवधि बाध में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी पैमाईशी, 415.32 वर्ग फिट, या 30.81 वर्ग मीटर, स्थित, होटल बल्डार्फ का कैम्पस, मल्लीताल नैनीताल (जैसा फार्म 37-जी सख्या, 228 में वर्णित है), जिसका पंजीकरण रजिस्ट्रार/अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून, 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, लखनऊ

दिनांक : 13-2-1985

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० जी० आई० प्रार०/वी०-76/एक्यू०-अतः मुझे, ए० प्रसाद,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सभ्रम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका संख्या आराज है तथा जो होटल वल्डार्फ का कैम्पस नैनीताल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारता अधिभार के कार्यालय, नैनीताल में रजिस्ट्रारण अधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के अधिनियम, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी काम के किसी धन या अन्य वास्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 वा 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 वा 2) प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रामप्रकाश
2. श्री सूरज औतार
3. श्री ओम औतार
4. श्री विष्णू औतार
5. श्री अनिल कुमार
6. श्री राजीव कुमार
7. श्री राकेश कुमार
8. श्री अशोक कुमार गोयल

(अन्तरक)

(2) श्री विजय गुप्ता

(अन्तरिती)

(3) विन्नेता

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आराजी पैमाइशी 1045.01 वर्ग फिट या 98 वर्ग मीटर होटल वल्डार्फ का कैम्पस, मल्लोतार, नैनीताल, (जैसा कि फार्म 37-जी संख्या 223 में वर्णित है) जिसका पंजीकरण रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी नैनीताल के कार्यालय में जून 1984 को किया जा चुका है।

ए० प्रसाद  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, लखनऊ

तारीख : 13-2-1985

माहुर ३

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आर० ये० सी० आई०ए०सी०/अक्रिब/37ईई/  
123---अत मूझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
उसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० कार्यालय है, तथा जो बसिरबाग हैदराबाद में  
स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद  
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधिनियम 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स बाबू खान कन्स्ट्रक्शनस,  
5-9-58/1-15,  
बाबूखान इस्टेट, बसिर बाग, हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमति रतनमाला साबु,  
3-4-144/3  
यडन गार्डन, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कार्यालय न० 1007, इमामजिला, बाबूखान इस्टेट, हैदराबाद  
विस्तीर्ण 1058 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकरण बिलेख न० 574/84,  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई.टी.एस. अक्रिब, रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-2-1985  
माहूर ३

प्ररूप आई. टी. इन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० आईएसी/एक्यू/37-ईई/124—

अतः मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय है, तथा जो बसीरबाग हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आईएसी/एक्यू/हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकर अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन, 4/84,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उन्हें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अन्य अधिनियम; या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स बाबूखान कन्स्ट्रक्शन्स,  
5-9-58/1-15,  
बाबूखान इस्टेट, बसीरबाग,  
हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) बेबा मलीहा साहेर  
पिता श्री बसोरुद्दीन बाबूखान,  
6-3-1111/4,  
निशात बाग लेआऊट,  
बेगमपेट, हैदराबाद ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के अर्जन की सम्बन्ध में कोई भी आपत्त :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों प सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और बर्णों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 1306, तेरहवां मंजिला, 5-9-58/1-15,  
बाबूखान इस्टेट, बसीरबाग, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1103-चौ०फुट,  
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 575/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आईएसी/  
एक्यू/रेंज, हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-2-1985

मांहर :

प्रकृष आइ. टी. एन. एम. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/37-ईई/125— अतः

मुझे, एम० जगम मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय है, तथा जो बाबूखान इस्टेट बसौरबाग, हैदराबाद, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आईएस/एक्यू/ हैदराबाद में भारतय रजिस्ट्र करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और गया गया है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की वजह, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के अन्तर्गत में करी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी भाव या किसी भव या अन्य वास्तुओं को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मेसर्स बाबूखान इन्स्ट्रुमण्ट्स,  
5-9-58/1-15,  
बसौर बाग, हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री. सैयद अमर,  
1-6-675/3,  
मूस. राबाध, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना को राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त अन्तरितियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 1308, तेरहवां मंजिला, बाबूखान इस्टेट, बसौर बाग,  
हैदराबाद, विस्तीर्ण 1022, चौ० फुट०, रजिस्ट्र वृत बिलेख नं०  
576/84, रजिस्ट्र कर्ता अधिकारी, आईएस/एक्यू/रेंज, हैदराबाद।

एम० जगम मोहन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-2-1985

मोहर :



प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/आर०/37ईई-126/---यतः

मुझे, एम० जगन मोहन

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० आर०/सी०/37ईई-126/---यतः  
वसीरबाग हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची  
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और इसे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक्रे) और अंतरिती  
(अन्तरितीयां) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है ---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों  
का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्त-  
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ---

1. मैसर्स बाबूखान कन्सल्टिंग्स 5-9-58/1-15,  
वसीरबाग हैदराबाद।  
(अन्तरक)

2. श्री अजमल मोड सनार्ड तुलोपा,  
1-8-303/34 एम० सी० रोड  
मिर्कन्दराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करने के लिए उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया करते हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-घ में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ हुआ जाये प्रथम अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 167 168, 172 173 प्रथम तल.  
बाबूखान इस्टेट, वसीरबाग हैदराबाद विस्तीर्ण 1523 76  
चौ० फुट रजिस्ट्रीकर्ता विवेक नं० 586/84 रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी आई० ए० सी० आर०, रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 14-2-1985

मोहर

• प्रत्यक्ष आदेश, टी. एन. एम. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/अक्वि०/37-ईई-127—अंतर्गत मुझे, एम० जगन मोहन

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विचार करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो पडरघाट, सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाब्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी० अक्वि/हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 4/84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी याय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बढ़ने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एसी किसी याय या किसी धन या अन्य वास्तविकताओं को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या प्रकट जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ग उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 मैमर्स इन्वैशन, एसोशिएट्स 142/सी  
पेडरघाट, रोड, सिकन्दराबाद ।

(अन्तरक)

2 श्री क० मोहन रेड्डो,  
1-11-28 फ्लॉग रोड,  
निझामाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए दायरबाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आरोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस्सा बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

ध्यायीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट न० 204 इन्वैशन अपार्टमेंट्स. लि० जी० रोड,  
सिकन्दराबाद विस्तीर्ण 1375 चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख नं०  
594/84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी०, अक्वि० रेंज,  
हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं. आई. ए. सी. 0/एफिक/37 इड/128—अतः

मुझे, एम. जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. ऑफिस है तथा जो बाबूखान इस्टेट, बसीरबाग, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई. ए. सी. 0/एफिक/हैदराबाद में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम दिनांक 4/84 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मैं यह निश्चय करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल भिन्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कांभत नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, सं. धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मैसर्स बाबूखान, कन्स्ट्रक्शन्स, 5-9-58/1-15, बसीरबाग, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मसार्थूनिसा बेगम, 72, मोगल अपार्टमेन्ट्स डेवकन टावर्स, बसीरबाग हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-इस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपवादस्थापना के पाम लिखित में किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण :—इसमें उक्त शब्द और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही अर्थ लगा जा उस अध्याय में दिया गया है ।

मन्सूची

कार्यालय, नं० 1301, 1302 तेरहवा मजिला बाबूखान इस्टेट, बसीरबाग हैदराबाद विस्तीर्ण, 2407, सी० फुट, रजिस्ट्रीकृत बिलेख नं० 596/84 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई. ए. सी. 0/एफिक/रेज, हैदराबाद ।

एम. जगन मोहन  
सक्षम प्रधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जुन रेज, हैदराबाद

तारीख . 14.2.1985

माहर :

**प्रकरण बाई-टी. एच. एच. १) -----**

भारत अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, महायुक्त आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश स० आई० ए० सी०/अक्रि०/37-ईई/120—अत.

मुझे, एम० जगन मोहन,

भारत अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनकी स० फ्लैट है जो बन्क स्ट्रीट हैदराबाद में स्थित है (श्रीर इसमें उपावद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी०/अक्रि०/हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुए किसी भाग की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उक्त यत्न में उचित भाग के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी भू-भाग या अन्य वास्तवों को, बिना भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भू-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या यह किताबाना बाहिर या छिपाने में सूचना के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार, के. में उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. अमृत अपार्टमेन्ट्स 4-3-336  
बैंक स्ट्रीट हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्रीमती प्रबोन रानी मखसेना,  
6-2-966/6 हिल कालनी  
खैरताबाद हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नमूने

फ्लैट न० 103-बि प्राउन्ड फ्लोर अमृत अपार्टमेन्ट्स 4-3-336 बैंक स्ट्रीट हैदराबाद विस्तीर्ण 763 चौ० फुट रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 600/84 रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी आई० ए० सी०/अक्रि० रेंज हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
महायुक्त आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985

मोहर :

प्रमुख आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई०ए० सी०/ए०/37-85/130—अतः  
श्री, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है और जो ए० सी० गार्डन हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि प्रमाणवास्तव सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ए० सी० दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिकी (अन्तरिकियों) के बीच ए० सी० अंतरण के लिए धन पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तर्ण लिखित में वार्षिक रूप से कीमत नहीं किया गया है —

(क) अन्तरक से हुई किसी आय का बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ए० सी० किसी आय का किसी धन या अन्य वास्तुओं का, जिन्हें भारतीय गण-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितों द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित धारितया, उर्थात् —

1. मैसर्स रूद्राराज बिल्डर्स  
10-2-6-ए० सी० गार्डंस,  
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

2 श्री नमनाशाम, बाम्बे डीरगाउन्ट हाल,  
फुल बाजार, करनूल ।

(अन्तरिकी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है,

### जन्मसूची

फ्लैट, 10-2-6-ए० सी० गार्डन, हैदराबाद विस्तीर्ण  
1021 चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 603/84,  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी० /अधिव रेज,  
हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, हैदराबाद

दिनांक 14-2-1985

मोहर ।

**इकाई नम्बर टी. एन. एल.** -----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, 14 फरवरी, 1985

निदेश सं. आई. ए. सी. एन्यू/37ईई 131-अत  
मुख्य एम. जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

और जिसकी सं. फ्लैट है तथा जो मारेडपल्ली, सिवन्दराबाद में स्थित है (और इसमें उपबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/अधिकारी के कार्यालय सिवन्दराबाद में रजिस्ट्रार/अधिकारी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भूसे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय प्राया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के बाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी भूय या अन्य वास्तवियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भूकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनात् अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

1. मैसर्स गीताजली, वन्स्ट्रुक्शनस 225 ए,  
मारेडपल्ली, ए. ओ. सी. सेंटर,  
सिवन्दराबाद ।

(अन्तरक)

2. श्री के. दादाभाई,  
डी. 11-17, मोती बाग,  
न्यू दिल्ली-21

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाही करा जाता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट नं. 2, ग्राउन्ड, पलाजर, गीताजली कन्स्ट्रुक्शनस म रडपल्ली, सिवन्दराबाद, विस्तीर्ण रजिस्ट्रीकृत विलेख नं. 604/84, रजिस्ट्रीकरी अधिकारी आई. ए. सी. अक्षय, रेज, हैदराबाद ।

एम. जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, हैदराबाद

दिनांक 14-2-1985

माहूर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफिव० 37ईई/132--अतः  
मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो मारेडपल्ली में स्थित है  
और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री-  
करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक  
4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच एम० अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
सावित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--

1. मैसर्स गीताजली, कन्स्ट्रक्शन्स,  
225 ए,  
मारेडपल्ली, ए० ओ० सी० सेक्टर,  
सिकन्दराबाद। (अन्तरक)
2. नोर्मर तालबाला,  
शालाना, टी, इस्टेंट  
शालाना पो० नाऊगोंग, आम्स-782 139  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

जगन्मोही

फ्लैट नं० 3, ए० ओ० सी०, सेक्टर, 225/ए, मारेडपल्ली,  
सिकन्दराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 605/84, रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी आई० ए० सी०, एफिव०, रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985

मोहर :

प्ररूप बाई. टी. एम. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

• निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वि०/37ईई/133—अतः

मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० कार्यालय है तथा जो बर्सीरबाग, हैदराबाद  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी०/  
एक्वि हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908  
का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-  
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 मैसर्स, बाबू खान, कन्स्ट्रक्शन्स,  
6-9-9-58/1-15,  
बाबू खान इस्टेट, बर्सीरबाग,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 धामतः रज़िया, जाभरफ, पति श्री असरफ अहमद खान  
कार्यालय न० 145, प्रथम तल, 5-9-58/1-15,  
बाबूखान, इस्टेट, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

यदि यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्यः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कार्यालय, न० 145, जमीरबाग, हैदराबाद, 5-9-58/1-15  
रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 606/84 विस्तीर्ण 305.46 चौ० फु०  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी०/एक्विरेज हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985

मोहरः



प्रकृत बखर्क टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई०ए० सी० एक्वि०/37ईई/134--

अतः मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो पेंडरघस्ट, सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी०/एक्वि०/हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दायमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दायमान प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण प्रक्रिया में नास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण द्वारा किसी बखर्क की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के अस्तित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी बखर्क या किसी धन या सम्पत्ति के लिए, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोग-नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा में किया;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--  
12—486GI/84

1. मैसर्स इनो वेंशन, एसोशिएट्स,  
142/सी,  
पेंडरघस्ट, रोड, सिकन्दराबाद।

(अन्तरक)

2. मैसर्स अहमद एण्ड कं०,  
सांजा जी गेट, जोधपुर,  
राजस्थान।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्तुकी

फ्लैट नं० 407, चौथा मंजिल, 142/सी, पेंडरघस्ट, रोड,  
नं० 609/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी०,  
एक्वि० रेंज, हैदराबाद

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 14-2-1985

मोहर :

रूप माह. टी. एच. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वि०/37/135इइ—अतः  
मुझे, एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो अमीरबाग हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आइ० ए० सी०/एक्वि०/हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स बाबूखान कन्स्ट्रक्शन्स,  
5-9-58/1-15  
बसाराबाग, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री हामीदखलो,  
16-2-59सी, अकबरबाग,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जांच :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बंध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय न० 156, 157 बाबूखान इस्टेट, बसाराबाग  
हैदराबाद, विस्तीर्ण, 614 चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विवेक  
नं० 611/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आर० ए० सी०, एक्वि/  
रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 14-2-1985

मोहर :

प्रथम बाईक डीन एन एड

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आर०ए० सी० नं० आई०ए०सी०/एड/37 ईई/

136—अतः मुझे एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो बसीरबाग, हैदराबाद में  
स्थित है (और इससे जुपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए०सी०/  
एड/हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908  
के 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
न्दर प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
गया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
विधिगत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी काम की वास्तविक, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
कार्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविक  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मीसर्स प्वाटीनम कन्स्ट्रक्शनस् को० 4-1-966  
अमीष रोड, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. कुमारी श्रायेशा सुलताना, 5-7-328,  
न्यू आगापुरा हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-  
भाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय  
में दिया गया है।

प्रतिसूची

फ्लैट नं० 4, 3-8-138, हैदराबाद, विस्तीर्ण, 12138,  
जी० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 612/84, रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी आई० ए० सी०, अक्वि० रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद।

दिनांक : 14-2-1985

मोहर :

प्रकृत आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सं० आई० ए० सी०, एफिव/37ईई/137—  
मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट तथा जो मारेडपल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल से ऐसे द्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. मंसूर गीतांजली, कन्स्ट्रक्शन्स,  
225/ए, मारेडपल्ली,  
ए० श्री० सी० सेक्टर,  
सिकन्दराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री मार्क, स्टीफन, रोमीग्रो,  
वेस्ट, मारेडपल्ली, सिकन्दराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि या उत्तमवन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1 ग्राउन्ड फ्लोअर, मारेडपल्ली, सिकन्दराबाद, विस्तीर्ण, रजिस्ट्रीकृत विलेज, नं० 611-ए/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी०, एफिव रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 14-2-1985

मोहर :

प्रथम भाग. टी. एम. एम. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/3एकवी/ईई, 138—अतः मुझे एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान है, तथा जो हीमायत नगर, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी०, एक्वि, हैदराबाद, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एम्ही किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. मेसर्स प्लैटीनम, कन्स्ट्रक्शन्स, कं०  
4-1-966, अबिन्द रोड,  
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

2. मास्टर, एम० ए० राजमान,  
5-7-328, न्यू आगापुरा,  
हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

दुकान; नं० 3, हीमायत नगर, हैदराबाद विस्तीर्ण 12138,  
चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 613/84, रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी आई० ए० सी०, एक्वि, रेंज, हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० (सी० एफ़िव० 37ईई 139—अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सूचना प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो हीमायत नगर, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी० एफ़िव, हैदराबाद में रजिस्ट्रार/करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित धनी गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एस दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब वादा पया प्राप्तफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरक निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अंतरक एवं उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उक्त अधिनियम में सुविधा के लिए; प्राप्ति

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किना जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः शब्द, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. मैगर्स प्लेटिनम कन्स्ट्रक्शन्स, कं०  
4-1-966

अबिद रोड, हैदराबाद

(अन्तरक)

2. श्री एम० ए० सुजीव,

5-7-328,

न्यू आगापुग, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थान पर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अथवा अन्तरक के पास निश्चित में किया जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

दुकान नं० 1, और 2, हीमायत नगर, हैदराबाद विस्तीर्ण 12138, चौ० फु०, , रजिस्ट्रार/कृत विलेख नं० 614/84, रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी आई० ए० सी० एफ़िव, हैदराबाद में स्थित है।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985

मोहर

प्रथम भाग, टी.एच.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एफ़िव० 37ईई 140--अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसके अन्तर्गत इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० फ्लैट है तथा जो हिमायत नगर, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी० एफ़िव० हैदराबाद, में रजिस्ट्रीकर अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गत में उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. मैसर्स प्लेटीनम, कन्स्ट्रक्शन्स, कं०  
4-1966,  
अविद रोड, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. एम० ए० समद,  
5-7-328,  
न्यू आगागापुरा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना पारित करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर्पोरेट/संस्थापकी के पक्ष लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 15, हिमायत नगर, हैदराबाद विस्तीर्ण,  
12138, चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 615/84,  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी आई० ए० सी०, एफ़िव० रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 14-2-1985

मोहर :

प्रथम भाग. टी. एच. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एफ़िव 37-ईई 141—अतः मुझे एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० बुकान है तथा जो हीमायतनगर, हैदराबाद में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार की अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी० एफ़िव, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिन 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की नावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उक्त बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अंतर्गत अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. भैरवसिंह जटानम कन्स्ट्रक्शन्स क०,  
4-1-966,  
अविद मोड, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती रीता, मक्सेना,  
20-1-397, सूखाना कोठा,  
ताटा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधाएं:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी लंबी अवधि में समाप्त होती हो, के भीतर पंचालन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितरूप किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूचा

बुकान नं० 16, विस्तीर्ण, 12138 चौ फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 616/84, रजिस्ट्रीकृती अधिकारी, आई० ए० सी०, एफ़िव, रेंज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, हैदराबाद

दिनांक 14-2-1985

माहूर :



प्ररुम् आई. टी, एन. एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्वि० 37ईई 142--मुझे,  
एम० जगन मोहन,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

और जिसका सं० फ्लैट है, तथा जो रघुनाथबाग, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपरोक्त अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी० एक्वि०, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की वापस उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तियों के जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धन: अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

13—486GI/84

1. डा० न ना पि०, देभाई, एफ० नं० 5,  
आदर्श नगर, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 श्रीमती मदुला विनोद शर्मा, और अन्य  
अपार्टमेंट्स, नं० एफ० 3, रघुनाथ बाग, अपार्टमेंट्स,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में छिप-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अन्वय 20-क में परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 3, रघुनाथ बाग, अपार्टमेंट्स, हैदराबाद वस्ती नं० 979 चौ. फुट रजिस्ट्रार विलेख नं० 619/84, रजिस्ट्रार अधिकारी आई० ए० सी० एक्वि, रेज, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985

माहेंद्र :

प्रकृत बाई., टी., एच. ए., ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज-I, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/37ईई-143—अतः मुझे,  
एम० जगन मोहन

सहायक आयकर अधिनियम, 1961. (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, तथा जो बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपासक अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के कार्यालय, आई० ए० सी०/अक्वि०, हैदराबाद में रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 4/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण में हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक में क्षयित्व में कमी करने या उसमें अर्थ में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों का जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्ण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. अमृत अपार्टमेंट्स,  
4-3-336,  
बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद ।  
(अन्तरक)
2. श्रीमती हेमलता श्रीनिवामन, पी० नं० 62,  
माधव नगर, सद्दाबाद,  
हैदराबाद, ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के अवधि या नत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितरक्षक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास निवेदन में किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में सूचया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 55, 4था माला, अमृत अपार्टमेंट्स, हैदराबाद  
विस्तीर्ण 1067 चौ० फु०, रजिस्ट्रीकृत विलेख, नं० 624/84/  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, आई० ए० सी०/अक्वि० रंज,  
हैदराबाद ।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, हैदराबाद

दिनांक : 14-2-1985  
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एच. - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 986/84-85—अतः मुझे,  
एम० जगन मोहन

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है कि धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है तथा जो पंजागुट्टा, हैदराबाद में स्थित  
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6/84  
का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के  
बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरित  
(अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अंतरितियों द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ए—

1. मैसर्स बिरंगो कन्स्ट्रक्शन्स, बाईंश्री बी० एन० रेड्डी  
बंजारा, हिल्स, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती के० भारती पति डा० के० राधाकृष्णा,  
फ्लैट, नं० 6, कांतीशिकारा कम्प्लेक्स,  
पंजागुट्टा, हैदराबाद।

(अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिगुणादानी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उक्त अध्याय में  
दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 6, प्रथम तल, डी० ब्लाक, कांतीशिकारा  
अपार्टमेन्ट्स, पंजागुट्टा, हैदराबाद, विस्तीर्ण 558, चौ० फु०  
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3199/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी,  
हैदराबाद।

एम० जगन मोहन

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 11-2-1985

मोहर

अर्जन रेंज, हैदराबाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 987/84-85—अतः मुझे,  
एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, तथा जो रेंज हील्स, हैदराबाद में  
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और  
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-  
पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-  
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है  
और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे  
अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य  
से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया  
गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
द्वाराच में कमी करने या उससे बचने में बाधा  
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
भारत अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में बाधा  
के लिए.

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुकुंदलाल अग्रवाल पति गिरीधर लाल,  
11-4-656/1, रेंज हील्स, हैदराबाद ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती पी० रमती पति पी० जे० जे० राजा,  
1-2-593/7, दोमलगुडा,  
हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-अ में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० बी-710, तातवा, मंजिला, 11-4-656/1  
रेंज हील्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1181, चौ० फु०,  
रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 1293/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी,  
खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-2-1985  
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० आर० एं० सी० न० 988/84-85—अतः मुझ,  
एम० जगन मोहन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, तथा जो रेड हिल्स, हैदराबाद में  
स्थित है (और इसने उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय का निर्माण करने या अन्य आस्तियों  
को, निम्नलिखित भारतीय अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) का उक्त अधिनियम, या  
अन्तरक अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
अधीन अन्तरण का उचित बाजार मूल्य नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के उपधारा (1) के  
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री मुकुंदलाल अगरवाल पति गिरिधर लाल,  
11-4-656/1, रेड हिल्स: हैदराबाद ।  
(अन्तरक)

2. श्री के० एन० राव पिता क० बलराम,  
11-4-656/1,  
फ्लैट नं० 211, रेड हिल्स, हैदराबाद ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के  
कार्यवाहियों शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 211, दूसरा मंजिल, 11-4-656/1, रेड  
हिल्स, हैदराबाद, विस्तीर्ण 1258 चौ० फुट; रजिस्ट्रीकर्ता  
विलेख नं० 1270/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, खैरताबाद ।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-2-1985

मांहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस., ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्जनय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सी० न० 989/84-85—अतः मुझे,  
एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लैट है, तथा जो रेड हिल्स, हैदराबाद में  
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि अध्यापक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वस्तुस्थिति रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरक से हुए किसी धन की वास्तु, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तु  
में कमी करने या उक्त बचने में सुविधा के लिए;  
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तुओं  
को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री लक्ष्मी प्रसाद और अन्य  
1-1-770/1, गांधी नगर  
हैदराबाद ।

(अन्तरक)

2. श्री टी० रामगोपाल,  
3-6-190/3,  
हीमायत नगर, हैदराबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शक्य :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 706, रेड हिल्स, हैदराबाद, एम० नं० 11-4-  
656/1, हैदराबाद, विस्तीर्ण, 1181 चौ० फुट, रजिस्ट्रीकृत  
विलेख नं० 3047/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-2-1985

माहूर :

प्रकृत आर्.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार  
कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निवेश सं० आर० ए० सी० नं० 990/84-85—अतः मुझे,  
एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संप्लैट है, तथा जो रेड हील्म, हैदराबाद में  
स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ए०में दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व

में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री लक्ष्मी प्रसाद और अन्य,  
1-1-770/1, गांधी नगर  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री पी० व्ही० सुब्रमन्यम,  
6-3-612/7,  
आनन्द नगर हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के बर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

प्लैट नं० 713, सातवीं मंजिल रेड हिल्स हैदराबाद  
विस्तीर्ण 874 चौ० फुट० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3048/84,  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-2-1985

मोहर :

प्ररूप: आई. टी. एन. एस. - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

परिव सतुकर

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 991/84-85—अतः मुझे

एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसके सं० प्लेट है जो ए० सी० गार्ड हैदराबाद में स्थित है  
(और हमने उपाबद्ध अनुसूची में और जो  
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकता अधिकारी के कार्यालय  
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16)  
के अधीन दिनांक 6/84

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अंतरण से हुई किसी आय की कटौत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के  
साथित्व में कमी करने या उक्त कटौत के सुविधा  
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्निशों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा  
के लिए,

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्क  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैथर्म बमेरा विल्डर्म आई. श्री इम्तीयाज  
अहमद खान 10-2-287/3 शांती नगर  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. डा० टी० आर्दीनारायणाह आई

डा० इदिरा बेकटरलम 11-6-655,  
वेड हिलन हैदराबाद।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करने पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिनों की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना का तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
सूचना के अर्जन के लिए कार्यवाहिया

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
वृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
नाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वाधीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० ई/दुसरा मंजला, बसेरा अपार्टमेंटम,  
11-4-633/4 ए० सी० गार्डम हैदराबाद विस्तीर्ण 1050  
चौ० फु० रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3342/84 रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, हैदराबाद

दिनांक : 11-2-85

मोहर :



प्रकल्प भाई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सी० नं० 992/84-85—अतः मझे,

एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० घर है तथा जो अकबर जाहा बाजार हैदराबाद में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक में बाधित्व में कमी करने या उचित बचत में बाधित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भव-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में बाधित्व के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती के० ललीता, पति लेट स्व० के० जेगेवेश्वरय्या, और अन्य,  
15-5-614 से 616,  
अकबर जाहा, बाजार, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मेवा बेम पति के० राममुन्दर, अग्रवाल,  
15-5-729, अकबर जाहा, बाजार, अफजलगंज,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां शुरू करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाडस्ताक्षरी के पास निहित में लिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर सम्पत्ति, नं० 15-5-614 से 616 अकबर जाहा बाजार, हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विनेख नं० 3618/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आ० ए० मी० नं० 993/84-85—अतः मूजे,  
एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिमकी सं० फ्लैट है तथा जो सम्राट, काम्पलेक्स  
हैदराबाद, में स्थित है (और इसमें उपायुक्त अनुधुची में और जो  
पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय  
हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन दिनांक 7/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह  
प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंत-  
रिती) के बीच एसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल,  
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप  
में कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
व्ययत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों  
को जिनमें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तर्गती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 श्रीमती शारा, बालकृष्णा और अन्य  
फ्लैट नं० 9, काचन बाग, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 श्रीमती अनुगधा, पोटाबधनी,  
16-9-427/ए/1,  
ग्रोन्ड, मनकपेट, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वीकारण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० डी-5, घर नं० 5-9-12, ग्रौर 12/1, सईफाबाद,  
हैदराबाद सम्राट, काम्पलेक्स, रजिस्ट्रीकृत बिलेख, नं०  
3998/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
[मक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, हैदराबाद

दिनांक: 11-2-1985

मोहर :

प्रमुख आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजमेर रोज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

1. ऊषा रानी साईंचार और अन्य 3,  
कोशन प्रभाद, देवडीना, हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. आमता राजा बाई, प्रार विमल बाई,  
21-7-572, खाकरवाडा, हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाद :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में  
45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिनों के भीतर उक्त स्थान पर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहरताधारी के  
पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये  
गये हैं।

निर्देश न० आ० ए० सी० न० 994/84-85—अन.मु.से,  
एम० जगन मोहन  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके  
पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के  
अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि  
स्थायर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से  
अधिक है  
और जिसका स० घर है, तथा जो हारीबावली, हैदराबाद  
में स्थित है (और इसमें उदाहरण अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 6/84  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविकता, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर वन के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकताओं  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वयण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :-

अनुसूची

घर सम्पत्ति, न० 23-6-3, और 4, हारीबावली, हैदराबाद  
रजिस्ट्रीकृत विलेख, न० 347/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी  
हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अजमेर रोज, हैदराबाद

दिनांक : 11-2-1985

मोहर .

शुद्ध बाई.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, हैदराबाद  
हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं. आर. ये. सं. नं. 995/84-85—अतः  
मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
100,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं. भूमि है, जो नागरम विलेज, रंगारेडु जिला,  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप  
से वर्णित है), रजिस्ट्रार कार्यालय, रंगारेडु  
जिला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरितीयों के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कीमत नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की वास्त, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वास्तव में कमी करने या उचित बचने में सुविधा  
के लिए; जोड़/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
क प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ज. माधव रेडु,  
और अन्य,  
16-2-738/ड.०/3,  
मलकापेट,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. मैसर्स पवन इंजीनियरिंग प्रा० लि०,  
बाइ श्री बेंकटरत्नम,  
1-113,  
मलकाजगिरी,  
हैदराबाद-47।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 3000 चौ० गज, नागरम विलेज,  
मेडचरी तालुका, जिना रंगारेडु, रजिस्ट्रार विलेज सं०  
3299, 3655, 3300, 3301 आ 3654/84, रजिस्ट्रार-  
कार्यालय, रंगारेडु जिला।

एम० जगन मोहन  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

साहूर :

रूप बाई.टी.एन.एस.-----

दायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० आर० गे० स० नं० 996/84-85--अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

दायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि ग्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका सं० घर है, जो रामकोट, हैदराबाद में स्थित है (और इसे उधानड अनुसूजा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्जिन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अनारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि प्रभापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, एम० दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरको)-और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ए०से अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ए०सी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री मोहम्मद उस्मान,  
और अन्य,  
5-9-1110/4/2,  
किम कोठा,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री सयद अब्दुल अहमद अब्दुल मजीब  
और अन्य,  
23-1-662/2,  
मोगलपुरा,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 3/5/121/ड०/1/2, पार्टी आफ राहत मंजिल रामकोट, यडन गार्डन, हैदराबाद, विस्तारण 538 चौ० गज भूमि और 843 चौ० फूट, प्लॉथ एरिया, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3168/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० आर० ये० सी० न० 997/84-85--अतः  
मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपये से अधिक है

और जिनकी सं० घर है, जो बरकतपुरा, हैदराबाद में स्थित  
है (और इसे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिवक्ता के कार्यालय, हैदराबाद में  
भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और  
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि  
यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रति-  
फल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है  
और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच  
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया  
गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन क्रम देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अन० जगन्नाथ रेड्डी,  
3-6-525,  
हैमायतनगर,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. कुमार। जी० कविता गौड,  
1-2-217/8,  
दोमनगूडा,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कांड भी आशेष .—

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ब) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

घर न० 3-4-495/1, बरकतपुरा, हैदराबाद, विस्तीर्ण  
1145 चौ० गज भूमि और 1085, चौ० फुट, प्लॉथ  
एरिया, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 3085/84, रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिवक्ता  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-2-1985

माहिर :

**सूचना नं० एच. 3/85**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश नं० आ. 0 यो० मा० नं० 998/84-85--अतः  
श्री, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसमें परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसका म० घर है, जो हीमायतनगर हैदराबाद में स्थित है (और उगम उपाय अतसूच में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रार की अधिकार के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 की 16) के अधिनियम, तारीख 6/84

का पूर्वकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के इश्यमान प्रतिफल को निम्न अन्तर की गई है और भूमें यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वकृत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इश्यमान प्रतिफल से, ऐसे इश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय राया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में तात्त्विक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए जाट/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 श्रीमती, आयेगासिद्दीक बेगम,  
पति मोहम्मद सुलतान अली अलीयास  
आला, मुलतान,  
3-6-111,  
हीमायतनगर,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 श्री अनामकली एक्षनपोर्ट प्रा० लि०,  
अनामकली चैम्बर्स,  
युनिटा हाउस,  
अबिहम,  
हैदराबाद।

(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वकृत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-**

को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वकृत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

घर नं० 3-6-111, हीमायतनगर, हैदराबाद, राजस्ट्री-  
कृत विलेख नं० 3492/84, रजिस्ट्रार की अधिकार, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-2-1985

साहू ३

प्ररूप बाह्य, टी. एन. एम. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 999/84-85--अन:

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनका सं० भूमि है, तथा जो गहुँअनारम, हैदराबाद में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारता अधिकारी के कार्यालय, अक्षमपुरा में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6/84.

मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ए०से दृश्यमान प्रतिफल का प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ए०से दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरीही (अन्तरीहियों) के बीच ए०से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ए०सी कमी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957) का 27 के प्रयोजनार्थ अन्तरीही द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रूपनाथ सोहाना

और अन्य,

5-9-83,

चापल रोड,

हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री पा० वेंकट रेड्डी,

पिता कानका रेड्डी,

16-11-101,

मुमागमबाग,

हैदराबाद।

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में दिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 के में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लान्ट ग्राफ लेण्ड, विस्तीर्ण 1117, चौ० गज, गहुँ-अनारम, हैदराबाद, रजिस्ट्रीकरण विलेख नं० 2367/84, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अक्षमपुरा।

एम० जगन मोहन

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

मोहर



प्रथम भाग टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं. आर. ए. सी. नं. 1000/84-85---अतः  
मुझे, एम. जगन मोहन,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 - रु. से अधिक है

और जिसका मण प्लेट है तथा जो अमरपेट, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाय अन्तर्गत में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 वा 16) के अधीन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार नं. 1 में उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

15—486GI/84

1 श्री विजया बिल्डर्स,  
वाई. श्री. जी. एल. राव,  
और अन्य,  
7/1/70/बि. 1,  
अमरपेट,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 श्रीमती एम. धनलक्ष्मी,  
के. आ. वाई. जनार्दन राव,  
एम्. ए. ए. इजीनियर,  
425, एम. आई. जी. एच.,  
एम. आर. नगर,  
हैदराबाद 500 038।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी वाक्षप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाह्य में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ दियो जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

फ्लैट नं. 106, विजया अपार्टमेंट, अमरपेट, हैदराबाद  
विस्तीर्ण 832 चौ. फु. रजिस्ट्रार विनेख नं. 3547/  
84, रजिस्ट्रार अधिकारी, हैदराबाद।

एम. जगन मोहन

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, हैदराबाद

दिनांक 11-2-1985

माहुर :

प्रकाशक: टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्भसिय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निर्देश सं. आर० ए० म० न० 1001/84-85--अत  
मुझे, एम० जगन मोहन,  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु से अधिक है  
और जिसे सं. फ्लेट है, तथा जो अणोक नगर, हैदराबाद  
में स्थित है (और इसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप  
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिवार के कार्यालय, हैदराबाद  
में रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का  
16) के अधिन, तारीख 6/84  
का प्रकृत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और  
रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है  
कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान  
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक  
है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरती (अंतरती) के बीच  
ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य  
से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया  
गया है --

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों  
के जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना था, छिपाने में  
सुविधा के लिए.

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. मेतर्स मेहता टावर्स  
बाई० श्री विजय मेहता,  
2-4-65,  
एम० जे० रोड़,  
मिंकधरावाद।

(अन्तरक)

2. श्री ए० हनुमंत राव  
पिता ए० वेकट्टापय्या,  
1-1-293/4,  
अणोक नगर,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात् स्थावरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फ्लेट न० 405, 1-1-293/4, अणोक नगर, हैदराबाद  
विस्तारण 921 चौ० फुट, रजिस्ट्रेशन विलेख न० 3384/  
84, रजिस्ट्रेशन अधिवार, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिवार  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

मोहर .

प्रकृत बाई. टी. एन. एच. :-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 1002/84-85--

अतः मुझे, एम० जगन मोहन ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० फ्लेट है, जो दोमलगूडा, हैदराबाद में स्थित है (और इसमें उपावद्ध असुनुची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से पूर्व किसी भाव की भावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूत्रिणा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूत्रिणा के लिए;

अतः बाब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० मागर वन्स्ट्रकमान,

1-2-524,

दोमलगूडा,

हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री वाटेजा इमार दाम

102, सागर अपार्टमेंट्स,

दोमलगूडा,

हैदराबाद।

(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लेट नं० 102, प्रथम तल, सागर अपार्टमेंट्स, 1-2-534, दोमलगूडा, हैदराबाद, रजिस्ट्रिकृत विलेख नं० 3092/84, रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रंज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

माहर

परूप आई.टी.एन.एन.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सा० नं० 1003/84-85—अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिपका सं० फ्लैट है, तथा जो दोमलगूडा, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिधारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० विजया त्रिलोचन,  
वाई० आर० एल० राव,  
और अन्य,  
7-1-70/त्रि०/1,  
अमोरपेट,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. अ.मता.वाई० पद्मावती,  
पति.वाई० एस० चौधरी,  
1-2-593/4,  
दोमलगूडा,  
हैदराबाद।

(अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों से से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट इन 1-2-593/4, दोमलगूडा, हैदराबाद, विस्तीर्ण  
1170 चौ० फुट, रजिस्ट्रेशन नं० 3439/84,  
रजिस्ट्रकर्ता अधिधारी, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

माहूर

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देशन सं० आर० ए० सं० नं० 100/84-85---अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका, सं० घर है, तथा जो गोशामहल, हैदराबाद में स्थित है (आर.इ.से उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिभार के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन, हैदराबाद तारीख 19-6-84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में एमें दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री बा० जगद,स्वर राव,

3-6-563,

ह.मायतनगर,

हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. मेगर्स हारदेवदासा रामनाथ केड्ला चार्.टेबल,

ट्रस्ट, थ्रु इट्स मैनेजिंग ट्रस्ट,

श्री गिरधारा लाल केडीया,

5-3-981,

फला जंग लेन,

हैदराबाद।

(अन्तरित.)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समन्वयी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सूची

घर सं० नं० 14-2-378, 378/1 आर. ट. 14-2-377, गोशामहल, हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3575/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिभार, हैदराबाद।

एम० जगन मोहन

सक्षम अधिभार

सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

गोशामहल 11-2-1985

माहुर

प्रकृत बाई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ए० सं० न० 1005/84-85---अतः  
मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु में अधिक है

और जिनका सं० घर है, तथा जो मासाब टैन्क एरिया,  
हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुनुच. में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री बर्ता अधिधारी के कार्यालय,  
हैदराबाद में रजिस्ट्र करण अधिनियम, (1908 का  
16) के अधिन, तारीख 6/84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मूढिधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, जिनमें मूढिधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अनुसरण  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जी० व्हे० रमना रेड्डो,  
ज्युबिल, मिल्ल,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री. सवार  
पिता श्री अब्दुल खादरी,  
10-4-771/4/1,  
मासाब टैन्क,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

और यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
व्यक्ति अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में लिए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
आयों नाम के अन्तर्गत 20-क में परिभाषित  
हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

घर न० 10-4-771/4/1, श्रीरामनगर, बालनी,  
मासाब टैन्क, हैदराबाद, रजिस्ट्र. वृत विलेख. न० 1283/  
84, रजिस्ट्र. बर्ता अधिधारी खैरताबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिधारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज, हैदराबाद

तारीख 11-2-1985

माह १

प्रश्न बाह्य. टी. एन. ए. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं. आर० ए० म० न० 1006/84-85 --अंतः

मुझे एम० जगन मोहन,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिनका सं० प्लॉट है तथा जो असाफनगर, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रारकी अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम, तारिख 6/84

के पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय प्राया समा प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिसमें से दस्तावेजिक रूप से कथित नहीं किया गया है।--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचिधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचिधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती. मुहम्मद, फातिमा,  
पति ए० ए० व. हूवेन,  
10-2-508,  
आसफनगर,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्री ताजूद्दिन  
और अन्य,  
145/बि०/  
आगापुरा,  
हैदराबाद।

(अन्तरित.)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्यष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट आफ लैन्ड नं, 10-2-508/ए०, सफाबाद,  
हैदराबाद, विस्तार 470 चौ० गज, रजिस्ट्रारकी विलेख नं०  
1432/84, रजिस्ट्रारकी अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारिख 11-2-1985  
माहिर :

रूप बाई.टी.एन.एस -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 1007/84-85—अतः

मूमे, एम० जगन मोहन,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है।

और जिसकी सं० प्लॉट है, तथा जो सोमाजीगूडा, हैदराबाद  
में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप  
से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद  
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का  
16) के अधीन, तारीख 6/84

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि तथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को  
घाटिस्व में कमी करने या उससे बचने में सूचिधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिनमें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सूचिधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ में अन्तरण  
में, जो, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री तेलावमी,  
पिता श्री भांजी,  
6-3-354/15,  
हिन्दुनगर कालोनी,  
हैदराबाद।  
और अन्य।

(अन्तरक)

2. मैसर्स बंजारा कंस्ट्रक्शन को० प्रा० लि०,  
बाई श्री अली खाजा आफिस  
एट बंजारा कॅटल,  
रोड नं० 12,  
बंजारा हिल्स,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया  
है।

अनुसूची

प्लॉट नं० विस्तारण 614 चौ० गज, सोमाजीगूडा,  
हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 3470/84, रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी हैदराबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 11-2-1985

मोहुर



प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

## भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आर० ए० सी० नं० 1008/84-85—अनः

मुझे, एम० जगन मोहन,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका सं० घर है, तथा जो मेहदीपटनम, हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6/84

को पूर्णतः सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अधापूरोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का उच्च प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में अस्तित्वक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धन की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी धन या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1. श्री डा० विस्वनाथराजू,  
33/एम० आई० जी० एच०,  
मेहदीपटनम,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. श्रीमती फानिभा बेगम  
पाँत लेट मोहम्मद इकामुल्लाखान,  
33/एम० आई० जी० एच०,  
मेहदीपटनम, कालोनी,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूरोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूरोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

घर नं० 33/एम० आई० जी० एच० (12-2-831/69), मेहदीपटनम कालोनी, हैदराबाद, रजिस्ट्रीकृत विनेख नं० 1480/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

अनः अध, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों को अध्याय 2—

तारीख : 11-2-1985  
मोहर ५

प्रकृत बाई.टी.एन.एस.-----

भाषकऽ अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ये० सी० न० 1009/84-85--अन  
मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी म० घर है, जो ए० सी० गार्डस, हैदराबाद में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, खैरताबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एवम् किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् --

1 श्रीमती ए० मीनाक्षी जी० पी० ए०,  
श्री ए० वेकट राव,  
काफीनाडा।

(अन्तरक)

2 श्रीमती पी० इंदुमती,  
10-1-18/34,  
शामनगर,  
ए० सी० गार्डस,  
हैदराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही जर्ब होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

प्रतिसूची

घर न० 10-1-18/34, ए० सी० गार्डस, शामनगर,  
हैदराबाद, विस्तीर्ण 402 चौ० गज, भूमि और 1400 चौ०  
फुट प्लीथ एरिया, रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 1249/84,  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी खैरताबाद।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रंज, हैदराबाद

तारीख . 11-2-1985  
माहूर :

प्ररूप भाई.टी.एन.एच. \*\*\*\*\*

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

1. श्री बि० सूर्यनारायणा राजू  
और अन्य,  
काकीनाडा।

(अन्तरक)

2. श्री यू० जयरामाराव,  
और अन्य,  
डी० नं० 38-1-16,  
वल्लभ भाई रोड,  
काकीनाडा।

(अन्तरिती)

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 402/84-85—अतः  
मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'सक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,0000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० घर है, जो काकीनाडा, में स्थित  
है (और इससे उपाय अतुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में  
भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के  
बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की वास्तव, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक क  
बाबत में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तवियों  
को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
न, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है  
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया  
है।

सम्पत्ति

घर संपत्ति, काकीनाडा, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 5699  
और 5700/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, काकीनाडा।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, हैदराबाद

दिनांक : 11-2-1985

मोहर :

प्रारूप भाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 403/84-85—अतः

शुभे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन संक्षेप प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० भूमि है जो तनूमला विलेज, ईस्ट गोदावरी जिला में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, काकीनाडा में भारतीय रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम, तारीख जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान रजिस्ट्रीकृत किया गया है अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अंतरक (अंतरकों) और अन्तरितीयता (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ग) ऐसी किसी आय व किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितीय द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या प्रकट जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी० वेंकट सूर्यमत्यनारायणा,  
तनूमला,  
काकीनाडा तालुक,  
जिना ईस्ट गोदावरी,

(अन्तरक)

2. श्री बी० भस्कर राव,  
काजलुरु विलेज,  
काकीनाडा तालुक,  
जिना ईस्ट गोदावरी।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि विस्तीर्ण 1-67, एकर, तनूमला विलेज, ईस्ट गोदावरी जिला, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 4498/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी काकीनाडा।

एम० जगन मोहन

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

मोहर

रूप्य ब्राह्मि टी. एन्. एस्. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ये० सी० न० 404/84-85—अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसका सं० घर है जो वंशगत, में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में प्रांर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के तार्यालय वंशगत में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अर्थात्, तारीख जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित ही गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं पाया गया है ---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किराी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या इन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाता आहात था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः इन उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती बी० गायत्री रामागव  
पति बी० पी० रामा राव,  
613/34/22/5,  
द्वारका पुरी कालोनी,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2 डा० पी० बी० रेड्डी  
और अन्य,  
मेडिकल प्रैक्टिसनरस,  
30-14-2,  
अलीपुरम बार्ड,  
वंशगत।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त व्यक्तियों के यंत्रों के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्तुची

घर संसति न० 30-14-2, अलीपुरम बार्ड, डावगाईन, वंशगत, रजिस्ट्रीकरण त्रिलेख न० 7511/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी निशाब्राह्मणम।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज, हैदराबाद

तारिख : 11/2-1985

मोहर :

प्रथम भाग, डी. एम. एस. -----

दाखल अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 405/84-85-अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है, जो जिना वैज्ञानिक, में स्थित है (और इससे उभावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैज्ञानिक में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

(क) अंतरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरित किया द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अनुसार, मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री के० रामकृष्णा  
और अन्य,  
हिल साहूड,  
8-2-472/ए०,  
रोड़ नं० 1,  
बंजारा हिस्स,  
हैदराबाद।

(अन्तरक)

2. मैमरम प्रान मैगनेट प्रा० लि०,  
हारबर एप्रोच रोड़,  
विशाखापटनम,  
बाई श्री बी० शिवरामप्रसाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी जासूस्य :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

गनसूची

भूमि विनिर्ण 4.36 ए०, बड्ढापूडी, रजिस्ट्रीकर्ता विनेख नं० 7392 आर 7726/84, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी वैज्ञानिक।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985

मोहर :

प्रूप. आर्. टी. एन. एस. - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आर० ये० सी० नं० 406/84-85—अतः

मुझे, एम० जगन मोहन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि है तथा जो वाल्टीयर नार्ड, वैयाग में स्थित है (और इसके उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, वैयाग में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून 84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के धारित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; **बहि/वा**

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्थान: में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्षों से—

1. मै० चंद्रा फैब्रीका स्टोर्स,  
47-11-14,  
द्वारका नगर,  
विशाखापटनम।

(अन्तरक)

2. डा० सी० एच० सत्य शोशकुमारी  
पति डा० सी० एच० श्रीकृष्णा,  
फर्स्ट फ्लोर,  
गूटूर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहेस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

### अनुसूची

भूमि-विस्तीर्ण 1082 चौ० गज, सी० बी० यम०,  
कम्पाउंड, वैयाग, रजिस्ट्रीकृत विलेख नं० 8772/84,  
रजिस्ट्रीकर्ता/अधिकारी वैयाग।

एम० जगन मोहन  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 11-2-1985  
माहुर :

प्रकृत्य आइ. टी. एन. एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० ए० सी० 65/रेंज 4/कल०/84-85—अत. मुझे  
शंकर के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० है, तथा जो नई हाटि में  
स्थित है (और इसमें उपासद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 22-6-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की धारत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वास्तव में कमी करने या उच्च करने में शक्ति  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
शक्ति के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मे० कृष्णा टूल एंड, हाईवेयर, प्रोडक्ट्स, (प्रा०) लि०  
(अन्तरक)

2. यूनीक्यू मैनुफैक्चरर्स ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

जमीन 17 काठा, जमीन का साथ मकान ।

पता: प्रसाद, नगर, नैहाटि, 24-परगना, दलिल सं०  
1984 का 7220

एम० के० बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज -4, कलकत्ता

दिनांक 13-2-1985

मोहर :



प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

1. श्री कुमारशे बलबुल चौधरी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

2. श्रीमती, सोना रानी सहा,

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं. ए. सी. 64/रोज 4/कल./84-85—अतः  
मुझे शंकर के. बनर्जी,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,00,000 रु. से अधिक है  
और जिसकी सं. है तथा जो गुड हाटि  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 21-6-1984  
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और  
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि  
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, का कारण है कि  
उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कभी करने या उससे बचने में मतिधा  
नहीं किया गया है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
के जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
या अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाता चाहिए था किमान में आयकर  
के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

17-486 GI/84

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

जमीन 3 काठा, 8 छटांक, जमीन का साथ मकान। पता  
रघुनाथ पुर, बगुईहाटि, 24-परगना, दलील सं. 1984 का  
7187

शंकर के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985

मोहर :

प्रमुख भार. टी. एन. एच. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रॉज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निर्देश सं. ए. सी. 63/रॉज-4/कल./84-85—अतः मुझे  
शंकर के. बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. . . . . है तथा जो वार्जिलिंग  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 7-7-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की वास्तव उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायत्व  
में कमी करने या उसने बचने में सविधा के लिए;  
दीर्घ/ग

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरितीय द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. जानकान एगो, इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,  
(अन्तरक)

2. आर. डी. एम. इन्डस्ट्रीज लि.  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन 48.04 एकड़। पता : हसकुया टि. गार्डन,  
वार्जिलिंग। दलील सं. 1984 का 7808

शंकर के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रॉज, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985  
मोहर :

इन्फ. बाह. टी. एन. एच. ----

1. रमा भट्टाचार्या

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

2. श्री सुधीर सेन

(अन्तरिती)

## भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-4, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निर्देश सं. सी.ए.172/84-85/क्र. 974/आर्. ए. सी./रज-1/कल.—अतः मुझे शंकर के. बनर्जी भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है और जिसकी सं. 12/सी है, तथा कामाक स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सी. ए. आर्. ए. सी., अर्जन रज-1, कल., में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 17-6-1984, को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भण्ड अथवा अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधोपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जहाँ भी अवधि नाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में निवेशित किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में रिया गया है।

## अनुसूची

फ्लैट नं. 7बी, एक तल्ला, पर 12/सी, कामाक स्ट्रीट, कलकत्ता। सक्षम अधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण, अर्जन रज-1, निकट निबन्ध दायो, दलील सं. सी.ए.-172

शंकर के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रज, कलकत्ता

दिनांक 15-2-1985

माहूर :

इसका नाम 'डी. एन. ए. ए.' है।

1. श्रीमती किरण जि. अश्ववाणी,

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

2. श्री मोहन लाल सेखाती

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

अर्जन रज-4, कलकत्ता

को वह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता है।

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

निर्देश सं. सी.ए.-5/84-85/क्र. 975—अतः मुझे,  
एस. के बनर्जी

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारों का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

और जिसकी सं. 3 है तथा जो मिडलटन, राँ कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सी. ए. आई. ए. सी., अर्जन रज-1, कल., में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एक अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिये गये हैं।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायित्व में कमी करने या उसमें बचन में सुविधा के लिए; और/या

अनुसूची

(ख) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

ब्लॉक-'डी' 7वां फ्लोर, 3 मिडलटन रोड, कलकत्ता,  
सी.ए., आई. ए., सी. रज-1, निकट निबन्ध दायो, दलील  
सं. सी. ए.-5।

शंकर के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रज, कलकत्ता

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन:—

दिनांक 15-2-1985

मोहर :

प्रकृत बाह्य टी.एन.एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकारद्वारा

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निर्देश सं. सी. ए./84-85/क्र. 976/आर्. ए. सी./  
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता—अतः मुझे, एस. के. बनर्जी,  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसके इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है  
और जिसकी सं. 2 है तथा जो बूड स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित  
है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सी. ए., आर्. ए. सी.,  
अर्जन-रेंज-1, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 14-6-1984  
को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम का दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकां) और अंतरिती  
(अन्तरितियां) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तब पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विधि  
के वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों  
को जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः धन, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण  
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती आशा, एम. केवलरामानि,  
(अन्तरक)

2. श्री घनश्याम दास सखारानि, और दूसरा  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वाक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में ऐतद्देश्य  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाष्टम्यक्षरणी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लॉट सं. जी-6, 2, बूड स्ट्रीट, कलकत्ता, सी. ए.,  
आर्. ए. सी., अर्जन रेंज-1, निकट निबंध, दायो, दलील  
सं. सी. ए. 6 है।

एस. के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

दिनांक : 15-2-1985

माहूर ४

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज-1, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निर्देश सं. सी. ए. 8/84-85/क्र. 977/आई.टी.ए.सी./  
अर्जन रंज-1, कलकत्ता—अतः मुझे, एस. के. बनर्जी,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है  
और जिसकी सं. 3 है, तथा जो मिडलटन, रोड, कलकत्ता में  
स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय सी. ए. आई.  
ए. सी./अर्जन रंज-1, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-6-1984  
के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

1. श्री हरकिशन नारायणदास, अहवाणी, (अन्तरक)
2. श्रीमती मन्जू गुप्ता, (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है ।

### अनुसूची

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्लेट सं. के-1 है, अपसरा कोआपरेटिव हाउसिंग सोसा-  
यटी, लि. 3, मिडलटन रो, कलकत्ता में सी. ए., आई.  
ए. सी., अर्जन रंज-1, निकट निबंध हुआ, दलील सं. सी.  
ए.-8 ।

एस. के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रंज-1, कलकत्ता

नोट: जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

माहुर :  
दिनांक : 15-2-1985

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-1, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निर्देश सं. सी. ए.-9/84-85/क्र. 978 आई. ए. सी./  
अर्जन रज-1, कलकत्ता—अतः मुझे, एस. के. बनर्जी,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु से अधिक है  
और जिसकी सं. 8/1ए है तथा जो चौरंगी लेन, कलकत्ता में  
स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सी. ए., आई.  
ए. सी./अर्जन रज-1, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 का 16) के अधीन दिनांक 16-6-1984  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
रिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण निश्चित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

1. श्री जयन्त कृपलानि,

(अन्तरक)

2. श्रीमती जयतुन निमा और अन्य

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बातें:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

(क) अन्तरण से हुए किसी बात की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में  
सविधा के लिए.

प्लॉट, 1स्ट फ्लोर, 8/1ए, चौरंगी लेन, कलकत्ता  
सी. ए., आई. ए. सी., अर्जन रज-1, निकट निबन्ध हुआ,  
वनील सं. सी. ए.-9,

एस. के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रज-1, कलकत्ता

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक : 15-2-1985

सांहर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

1. श्री दिनश वि. हेमानि और दूसरा ।

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. श्रीमति अर्चना दास और अन्य

(अन्तरिती)

### भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रंज-1, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ---

निर्देश सं. सी. ए.-13/84-85/क्र. 979/आर्. ए.  
सी./अर्जन रंज-1, कलकत्ता, ---अतः मुझे, एस. के. बनर्जी,  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब  
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है  
कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-  
रुपये से अधिक है  
और जिसकी सं. 61-बी है, तथा जो पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में  
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से  
दर्जित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सी. ए., आर्.  
ए. सी. अर्जन रंज-1/कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-6-1984  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और  
अंतरिती (अंतरितयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सूचना के लिए  
और/या

प्लॉट नं. 5सी. है, 5वीं फ्लोर, 61-बी, पार्क स्ट्रीट,  
कलकत्ता । सी. ए., आर्. ए. सी., अर्जन रंज-1, कलकत्ता  
निकट निबद्ध हुआ। पत्नी सं. सी. ए. -13

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सूचना के लिए

एस. के. बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रंज-1, कलकत्ता

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

दिनांक : 15-2-1985  
माहूर :



प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी 1985

निर्देश सं० सी०ए०-20/84-85/क्र०-980/आई० ए० सी०/अर्जन रेंज-I/कलकत्ता—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी, भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 18ए है, तथा जो पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सी० ए०, आई० ए० सी०/अर्जन रेंज-I, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास कृत किया गया है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की वास्तविकता, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

नतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्जित :-

18-48'5 GI/84

1. मै० सुजन विनियोग लि०

(अन्तरक)

2. श्रीमति शानकरि गुहा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मकान का छत (1/2, घोयर), 18ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता सी० ए०, आई० ए० सी०, अर्जन रेंज-I, निकट निबद्ध हुआ । दलील सं० सी० ए० 20

एस० के० बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, कलकत्ता

दिनांक : 15-2-1985

मोहर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एम्. -----

1. मै०सुजन विनियोग लि०।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

(2) मुकुच आगर दयाल,  
शेखर आगर दयाल

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी, 1985

निदेश सं० सी० ए०/21/84-85/क्र० 981/आई० ए० सी०/

एक्यू/आर-I, कल—अंतः मुझे एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 18ए है, तथा जो पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिगरी के कार्यालय सी० ए० आई०, ए० सी०/एक्यू/आर-I, कल रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,

1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 28-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अंतरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया जा रहा है।

मनुष्य

18ए, पार्क, स्ट्रीट, कलकत्ता, मकान का छत (1/2 शेयर), सी. ए०, आई० ए० सी० एक्यू/आर-I निकट निबद्ध दोआ, दलील सं० सी० ए०-21।

एस० के० बनर्जी  
संक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, कलकत्ता

अंतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 15-2-1985  
मोहर :

सूचना आई. टी. एन. एच.-----

1. सेमारदेओ, खेमका

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. गायत्री देवी जिनोदिया

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

अर्जन रोज, कलकत्ता

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

कलकत्ता, दिनांक 15 फरवरी, 1985

निदेश सं० टी०आर०-169/84-85/क्र०-982/आई० ए० सी०/एक्यू/R-Iकल—अंतः मुझे एस० के० बनर्जी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सम्पाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

और जिसकी सं० 196-सा है, तथा जो चित्तरंजन, एवेन्यु कलकत्ता में स्थित है (आर इससे उपरोक्त अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार कार्यालय एस०आर० ए०, कलकत्ता में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिन दिनांक 21-6-1984

(ग) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है कि भूछ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयां) के बीच ऐसे अन्तरणों के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

व्युत्पत्ति :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-के में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

अनुसूची

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना था, छिपाने में सुविधा के लिए,

196-सी, चित्तरंजन, एवेन्यु, कलकत्ता 15के-4, छ० जमीन साथ मकान, (1/3 भाग शेयर), दलील सं० आई-7202

एस० के० बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
'अर्जन रोज, कलकत्ता

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, में उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा 3 के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 15-1-1985  
गोहर 2

प्रकृत बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० टी०आर० 170/84-85/क्र० 983/—अतः

मुझे, एस० के० बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 196सी है, तथा जो चित्तोजन, एवेन्यू कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एस० आर० ए०, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और, अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयो) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. सत्यनारायण सोमका ।

(अन्तरक)

2. गायत्री देवी जिनोदिया ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

196 सी चित्तोजन एवेन्यू, कलकत्ता । 5 के० 4-छ०, जमीन, साथ मकान (1ह3 भाग शेयर), दलील सं० आई-7203 ।

एस० के० बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज, कलकत्ता

दिनांक 18-2-1985

मोहर B

प्रश्न नम्बर.टी.एन.एस्.-----

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रॉज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी 1985

निवेश सं० टी० आर०-171/84-85/क्र० 984/आई० ए०

सो०एक्यु०/आर-1/कन०, अन्तःसूचे, एम० के० बनर्जी

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 196-सी है, तथा जो चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय एम० आर० ए०, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 21-6-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता विलेख के अनुसार अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवों को बिना भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रकोषनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाव में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री द्वारका प्रसाद खेमका ।

(अन्तरक)

2. गायत्री, देवी, जिनोदिया ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाही करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

196-सी, चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता 5के, 4—छ०,  
जमीन के साथ मकान (1/3 भाग शेयर), दलील सं० आई-  
7204 ।

एम० के० बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रॉज, कलकत्ता

दिनांक 13-2-1985  
मोहर :

प्रकृत आइ.टी.एन.एस. -----

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

### सहायक सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० टी०आर०-174/84-85/क्र० 985/आई० ए०

सी०/एक्यू रेंज/कलकत्ता—अतः मुझे एम० के० बनर्जी  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है।

और जिसकी सं० 100/5/1ए है, तथा जो सुरेन्द्रनाथ बनर्जी  
रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में  
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय, आर० ए० कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,  
1908 (1908 का 16) के अर्थात् दिनांक 1-6-1985

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता विलेख के अनुसार अंतरित  
की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि  
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान  
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक  
है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के  
बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं  
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तस्क के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय का किसी धने या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सुहास बाला देवी, एवं श्री गिर्मल कुमार  
बनर्जी ।

1 (अन्तरक)

2. श्रीमती सरस्वती गुप्ता, तथा अन्य ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्यावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोदस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लॉट 1150 स्यावर फिट, प्रथम फ्लोर, 100/5/1ए,  
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड, कलकत्ता । दलील सं० आई-6276

एम० के० बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं 1725/एक्यू/आर-III/84-85—अतः मुझे  
शंकर के० बनर्जी  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/- रु. से अधिक है  
और जिसकी सं० 9 है, तथा जो सानी पार्क, कलकत्ता में स्थित  
है (और इससे उपाबद्ध अनुचर्चीमे और जो पूर्ण रूप से वर्णित है)  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-6-84  
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एम्मे दृश्यमान प्रतिफल का  
अधिकतम परिणत से अधिक है, और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच एम्मे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप में अधिन नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एम्मे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-धर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) का  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकाश नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती स्मिता, चौधुरी ।

(अन्तरक)

2. रोहित प्रापटीज ट्रेडिंग, क० ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के लिए  
कार्यवाही करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोपे —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

अ/27 अंश, ( 1 बीघा, 10 छ० 13 दलः ) दो तरफ़ा,  
मकान पता : 9 सानी पार्क, कलकत्ता । डीडन I 6990  
दिनांक 8-6-1984 को कलकत्ता में निबन्ध हुआ।

एस० के० बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 14-2-1985  
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, -3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1724 अर्जन रेंज-3/84-85--अतः मुझे,  
एस० के० बनर्जी,आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक हैऔर जिसकी सं० 20, ए० बी० सी०, है, तथा जो नेताजी  
सुभाष चन्द्र बोस रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध  
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
फॉन्ड, आई० ए० सी०, ए० स०/एक्यु आर-III में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 27-6-1984को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्नेह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दायत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
बाधित में करनी करने या उसने बचने में सुविधा  
के लिए; और/या(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-1. मै० फतेपुरिया, हाउसिंग सोमायटी (प्रा०) लि०, ।  
(अन्तरक)2. सुशीला फतेपुरिया, फाउन्डेशन, ।  
(अन्तरिणी)को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थात् अर्जाधारी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लॉट, नं० ए. बी. सी, ब्लॉक, में, पता : 204;  
ए. बी. सी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस रोड,  
रजिस्ट्री, आई० ए० सी० अर्जन रेंज-III, दफ्तर द्वारा 37ईई  
फार्म, अनुसार दिनांक 27-6-1984 को हुआ।एस० के० बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 14-2-1985

मोहर :



प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

1. श्रीकुमार चौधुरी।

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. मै० रोहित प्रापटीज एंड ट्रेडिंग क०

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1723/अर्जन रेंज-III/कलकत्ता, 84-85—अतः

मुझे एस० के० बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 9 है, तथा जो सामी, पार्क, कलकत्ता में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में काहू भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सदृशी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—उक्तमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

10/27, अंश, क्षेत्र—1 बीघा, 10 कट्टा, 13 छः-  
पता : 9 सामी पार्क, कलकत्ता। रजिस्ट्री : रजिस्ट्री  
कार्यालय द्वारा, डीउ नं 6491 दिनांक 8-6-1984 के  
अनुसार।

एस० के० बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 14-3-1985

मोहर :

शुक्र बाई. टी. ए. ए. —

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1722/अर्जन रेंज-3/84-85—अतः मुझे, एस० के० बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 9 है, तथा जो सानी पार्क, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित) रजिस्ट्रीकृत अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 8-6-1984

को उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी बाब या किसी धन या अन्य आस्तियों का अन्तर्गत भागीदार आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अन्य अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया है कि उक्त अधिनियम, 1957 के अधिनियम में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत अतः, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती अनुराधा गुप्ता, (चौधुरी)

(अन्तरक)

2. रोहित प्रापटीज एण्ड ट्रेडिंग कं०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों 50 सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होगी हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहम्याक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनर्जी

4/27, अंश, जमीन क्षेत्र० 1 बीघा, 10 कट्टा, 13 छ० पता : 9 सामी पार्क, कलकत्ता । रजिस्ट्री : डीड नं० 6493, दिनांक 8-6-1984 के अनुसार है ।

एस० के० बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3, कलकत्ता

दिनांक 14-2-1985

मोहर :

प्रकृत बाढ़, टी. एन. एस.-----

1. सीर कुमार चौधुरी

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. रोहित प्रापटीज, एंड ट्रेडिंग कं०

(अन्तरिती)

भारत सरकार

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

निदेश सं० कल०/1721/अर्जन रेंज-III/84-85-अतः मुझे,  
शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 9 है, तथा जो साने: पार्क, कलकत्ता में  
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 8-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती  
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुए किसी आय की वास्तविक उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य गतिस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
भन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों को अर्जित है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

10/27, ग्रंथ, जमीन क्षेत्र ०: 1 बीघा 10 कट्टा, 13 छ०  
साथ 2 तहला मकान।

पता: 9 सानी पार्क, कलकत्ता।

रजिस्ट्री डोड नं० 6492, दिनांक 8-6-1984 के अनुसार।

शंकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 14-2-1985

माहुर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एच. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ए (1) के अधीन सूचना

1. श्री कुष्ण पद शेट,

(अन्तरक)

2. रामचन्द्र को-आपरेटिव हार्जसिंग सोसायटी लि० (अन्तरिती)

**सादाच ध्यान**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन अर्ज III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1720/अर्जन रेंज-III/84-85—अतः मुझे, शंकर बनर्जी

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ए के अधीन स्थान प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है—

श्रीर जिसकी सं० 21एव, 21/1 है, तथा जो प्राननाथ पण्डित स्ट्रीट, कलकत्ता में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 18-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से अधिपद नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को खतिवट में कमी करने या उक्त अर्थ से सुविधा के लिए; अर्ज/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने से सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में संपाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर पूर्वोक्त उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

जमीन सह काठाम : क्षेत्र० 5कट्टा 13 छः० 42 ब० फुट  
पता : 21 एव 21/1, प्राननाथ, पण्डित स्ट्रीट, कलकत्ता  
रजिस्ट्री : डीड नं० 6916 दिनांक 18-6-1984 के अनुसार

शंकर बनर्जी

सहायक प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, कलकत्ता

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए के अन्तरण को, उक्त अधिनियम की धारा 269-ए की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 14-2-1985

मोहर ४

1. श्री काशी नाथ राय

(अन्तरक)

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

2. दीनबन्धु कर और अन्य

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1719/अर्जन रेंज-III/84-85—अतः

मुझे, शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है, की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 167/3 है, तथा जो विधान सरणी, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूचने में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 26-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति को अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन में सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को सामील से 30 दिनों की अवधि, जो भी अवधि समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-अनुभव करने वाले अन्य व्यक्ति द्वारा अक्षतमुलाक्षर्ग के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पक्षों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विषया गया है ।

अनुसूची

1/2 अंश, जमीन 1 कट्टा, 7 छ०, मकान 3 तल्ला, 1

पता : 167/3, विधान सरणी, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : डांड नं० I, 7326, दिनांक 26-6-84 के अनुसार ।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 14-2-1985

मोहर

प्रकाशक, टी. एन. एच. ...

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1718/अर्जन रेंज-III/84-85—अतः

मुझे शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 224/1 है, तथा जो ए० जे० सी० बोस रोड, और 68 वि० सी० रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अर्जन दिनांक 5-6-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित का धर्म है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कर्तित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बायबल में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोग-नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार मे, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मंसूर बी० के० थक्कर, प्रापर्टीज (प्रा०) लि० (अन्तरक)
2. मुनमुन वाला ट्रेडर्स (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करवा ह ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी जाकोब है—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

- सम्पत्ति (1) 3 फ्लॉट, हर एक 1581 ब० फु० (रकम 'एफ') ।  
(2) 2 फ्लॉट हर एक 932 ब० फु० (रकम 'जी')  
(3) 5 गेरेज ।

पता : 224/1, ए० जे० सी० बोस रोड, और 68 बी० सी० रोड, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : आई० ए० सी०, अर्जन रेंज-III, दफतर द्वारा दिनांक 5-6-1984 फार्म 37ईई के अनुसार ।

शंकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

दिनांक : 14-1-1985

मोहर :

इच्छा बाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज - II, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1717/अर्जन रेंज-III/84-85—अतः

मुझे, शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 7/2 है, तथा जो बन्देल, रोड, कलकत्ता में  
स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय आई० ए० सी०  
अर्जन रेंज, III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1903  
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 3-6-1984

का पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एके दृश्यमान प्रतिफल का  
पर्याप्त प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रति-  
फल निर्धारित उद्देश्य से उक्त उक्त लिखित में वास्तविक  
रूप से व्यक्त नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के  
दायित्व में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा  
के लिए: और/वा

(ख) एंसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तव्यो  
को, जिनका भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
यथा-कृत अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया वा या किया जाना बाकी है वा, क्रियान में  
सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों वर्णात् :-

1. योगेन्द्र नाथ आद्य ।

(अन्तरक)

2. प्रिय लाल साहा और अन्य ।

(अन्तरिती)

कई यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शर्त :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
निश्चित में किए जा सकेंगे ।

सूचीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है ।

अनुसूची

4 तल्ला, मकान सह जमीन

पता : 1 मन्दिर, स्ट्रीट, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : आई० ए० सी० एक्यू० आर०-III, दफ्तर

द्वारा दिनांक 3-6-1984 37ईई फर्म पार्स अनुसार ।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 14-2-1985

माहर :

प्रश्न आई. टी. एन. एम. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269(घ) (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निर्देश सं० कल०/1716/अर्जन रेंज- /84-85—अतः मुझे  
शंकर बनर्जी,

भायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्रतिफल से अधिक अन्तरण का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति का बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र, दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थित है (और इसके उपबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिभारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज -III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, पूरा दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय या धन, उक्त अधिनियम के अधीन कर के अन्तरक के कार्यालय में कमी करने या उससे अन्तरण से अन्तरण के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स राम गोपाल, गानेरी वाला प्रा० लि० अन्य (अन्तरक)
2. मैसर्स शंकर लाल पोद्दार, और अन्य। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

यूनिट नं० 2, क्षेत्र : 5235 व० फु०,

पता : 2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता

रजिस्ट्री, : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-III, कलकत्ता के कार्यालय द्वारा दिनांक 2-6-84 37ईई फार्म के अनुसार।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकार,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, कलकत्ता

तारीख : 140-1-1985

माहर :



प्रकृत आई. टी. एन. एच. ---3---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
269-ब (1) के अधीन सूचना

**आयकर अधिनियम**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० कल०/1715/अर्जन रेंज-3, /84-85—अतः मुझे,  
शंकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र, चन्द्र दत्त मरणी,  
कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची  
में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता  
अधिकारी के कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 19-6-1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उचित बनने में सुविधा के सिद्ध,  
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

20—486GJ84

1. रामगोपाल, गानेरीबाला (प्रा०) लि० और अन्य  
(अन्तरक)
2. मीसर्स हराईजन मल्लिक प्राजेक्ट, लि० ।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाही कराता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
नाम लिखित में किए जा सकेंगे ।

**सूचनाकरण :-** इसमें प्रयुक्त शब्दों और बर्णों का, जो उक्त  
अधिनियम के बन्धाय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होना जो उक्त बन्धाय में दिया  
गया है ।

**अनुसूची**

फ्लॉट नं० 5 और 6, पता—2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त मरणी,  
कलकत्ता, 1 क्षेत्र० 1394 व. कु०, ।

रजिस्ट्री : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन  
रेंज-III, कलकत्ता के कार्यालय द्वारा दिनांक 19-6-1984  
37ईई, फार्म के अनुसार ।

शंकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 13-2-1985

नोट :-

इच्छा बाई, टी. एन. एच. ----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत राजपत्र

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी 1985

निदेश सं० कल०/1714/अर्जन रेंज-3/84-85—अतः मुझे,  
शंकर बनर्जी,

भायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो मौजा, कांकुलिया  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 27-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह निश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरिक्तियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
के वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बात को वास्तव, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के कारण  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तवियों  
को जिनमें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. शोख आशरफ अली,।

(अन्तरक)

2. श्री अमल कुमार घटक।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पाम  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिय  
गया है।

अनुसूची

जमीन 6 कट्टा, 11 छ० उसके माथ छोटा, काठाम।  
पता : मौजा कांकुलिया।

रजिस्ट्री : रजिस्ट्री दफ्तर कलकत्ता द्वारा डीड नं० 3046  
दिनांक 27-6-1984 के अनुसार।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

तारीख : 13-2-1985

मोहर

प्रकट बाई टी. एच. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1713/अर्जन रेंज-3/84-85—अतः, मुझे, शंकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, 3, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरणसे है अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक अंतरित में वास्तविक रूप से अंतरित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व को कमी करने या उसके अर्थ में सूचना के लिये और या/

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

1. मैसर्स रामगोपाल गानेरी वाला और अन्य।  
(अन्तरक)
2. मैसर्स मलय कर्मेशियल, इन्टरप्राइजेस लि०।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थ में विश्व कायवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्थ में सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति, यूनिट नं० 9 और 10, क्षेत्र० 1418 व० फु०।  
पता : 2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता।

रजिस्ट्री : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता के कार्यालय द्वारा दिनांक 2-6-84, 37ईई फार्म के अनुसार।

शंकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, III कलाशा

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 13-2-1985

मोहर

प्रकृत बाह्य टी. एच. एच. ११११

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० कल०/1712/अर्जन रेंज-III/84-85—अंतः

मुझे शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-II, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-84

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के श्रावित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचिभा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सूचिभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स रामगोपाल गातेरी वाला, (प्रा०) लि० और अन्य (अन्तरक)
2. मैसर्स लायन कर्माशियल कम्पनी, लि० । (अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थात्साक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति, यूनिट नं० 7 और 8, क्षेत्र ० 1528 व० कु० ।  
पता : 2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-प्रथम  
कलकत्ता द्वारा दिनांक 2-6-84 37ईई फार्म के अनुसार ।

शंकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज III कलकत्ता

तारीख : 13-2-1985

गोप्य

प्रत्येक बाई की एच.एच.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 13 फरवरी, 1985

1. श्री सुकुमार घटर्जी,।

(अन्तरक)

2. श्री शिव शंकर राय और अन्य ।

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करने पूर्वक सम्पत्ति के वर्जन के विषय  
कार्यवाहियों करता है।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बायोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, महाहस्ताक्षरी के  
पक्ष लिखित में किए जा सकेंगे।

निदेश सं० 1711/अर्जन रेंज-III/कल०/84-85—अतः मुझे,  
शंकर बन्जर्जी

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 35 है, तथा जो विवेकानन्द रोड, कलकत्ता  
में स्थित है (और इससे उपावद्ध अमुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के  
अधीन दिनांक 26-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल में  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के बिना; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी भू या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय भाग-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
भाग-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, विधान से  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, बायोप :-

अनुसूची

मकान सह० जमीन, 4 क० 4 छ०,

पता : 35, विवेकानन्द रोड, कलकत्ता

रजिस्ट्री : कलकत्ता में डी ड न० I 7327 दिनांक 26-6-84  
के अनुसार ।

शंकर बन्जर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 13-2-1985

सांख्यिक ५

प्रमाण बाई टी. एन. एल. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रैज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1710/अर्जन रैज-II/84-85—अत. मुझे, शकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1016 है, तथा जो काकुलिया रोड, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहते थे, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री स्नेहमय चट्टोपाध्याय

(अन्तरक)

2. श्रीमती शीला चट्टोपाध्याय

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पत्र लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनर्जी

सम्पत्ति 1/3 अंश (2कट्टा 7 छटाक जमीन) उसके साथ 3तल्ला, मकान और अंशतः 4तल्ला, मकान।

पता : 101 जी. काकुलिया रोड, कलकत्ता।

रजिस्ट्री : डीडनं० 2740, दिनांक 11-6-84 के अनुसार कलकत्ता में।

शकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रैज 3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985  
माहूर :

प्ररूप माह. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1709/अर्जन रेंज-3/84-85—अतः मुझे, शंकर  
बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० 85 है, तथा जो इब्राहिमपुर रोड, कलकत्ता  
में स्थित है (और इसे उदाहरण अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 22-6-84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास  
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक  
(अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण  
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से  
उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया  
गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय का किसी धन या अन्य आस्तियों  
के, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, क्रियान्वे में सूविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् —

1. श्री शचीन्द्र नाथ साहा

(अन्तरक)

2. श्रीमती आरति घोष

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

संपत्ति: आधा अंश 2 तल्ला, मकान और जमीन  
1 कट्टा, 5 छ० 12 ब० फु० ।

पता 85 इब्राहिमपुर रोड, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री: रजिस्ट्री दफ्तर कलकत्ता द्वारा डीड न०  
2987 दिनांक 22-6-1984 के अनुसार ।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार .

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी 1985

निदेश सं० 1708/अर्जन रेंज-III/कल०/84-85—असः

महो, शांकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजिसकी सं० 101जी है, तथा जो काकुलिया रोड, कलकत्ता में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 11-6-84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी नाम की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के शायत्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी जाय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

असः जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुकरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री दिल्ली मय चट्टोपाध्याय

(अन्तरक)

2. श्रीमती शीला चट्टोपाध्याय

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई बाधोपे :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति :

2 कट्टा, 7 छटांक, जमीन की 1/3 अंश सह तीनतस्ता मकान और अंशतः चार तस्ता मकान ।

पता : 101जी, कांकुलिया रोड, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : कलकत्ता रजिस्ट्री दफ्तर द्वारा डीड नं० 2741 दिनांक 11-6-84 के अनुसार ।

शांकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985

मोहर :



प्ररूप बाध...टी.एन.ए.ख.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**आउट धरका**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1707/अर्जन रेंज-III/के०/84-85—अतः मुझे,  
शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर  
आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक  
19-6-84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
कम, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तुविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को  
दृष्टिपूर्व से कमी करने या उच्छेद करने में सुविधा  
के लिए; बीड/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तुविकों  
को चिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

21—48601/84

1. श्रीमती लीला बती, गानेरीवाला और अन्य  
(अन्तरक)
2. श्री कमल कुमार आगरवाला,  
(अन्तरिती)

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाह्य में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्रिस्तवध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है,  
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया  
है।

**अपूर्णा**

सम्पत्ति, यूनिट सं० 2, दफ्तर कक्ष, 1

पता : 2, नरेन्द्र चन्द्र दत्त सरणी, कलकत्ता।

क्षेत्र० : 1053 व० फु०।

रजिस्ट्री : 37-ईई फार्म के अनुसार सहायक आयकर आयुक्त  
(निरीक्षण), अर्जन रेंज, 3, दिनांक 19-6-1984 द्वारा।

शंकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एच. - - - - -  
 आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
 269-ब (1) के अधीन सूचना  
 भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1706/अर्जन रेंज-III/कल०/84-85—अतः

मझे, शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 335 है, तथा जो योधपुर पार्क, कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूच में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता [अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, III, कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 24-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) वही किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) व प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स कनन्दकशन,

(अन्तरक)

2. श्री एच० एस० सिन्हा,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाद लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आशिक छान तिन तलना पर और उसकी साथ अशतः काठाम।

पता : 335 योधपुर पार्क कलकत्ता।

रजिस्ट्री : सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज, कलकत्ता द्वारा, रजिस्ट्री हुआ है दिनांक 24-6-1984 37ईई फर्म के अनुसार।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985

साहूर :

प्ररूप अर्द्ध .टी. एन. एस. - -----

1. श्री कान्यकुब्ज, भैरव नवयुवक, सघ (प० ब०),  
(अन्तरक)
2. श्रीमती ऊषा मल्होत्रा,  
(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज III, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1705/अर्जन रेंज-III/84-85— अतः

श्री, शंकर बनर्जी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 116 बी है, तथा जो कालीघाट रोड,  
कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में  
और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय, कलकत्ता में रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-6-84

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के, अनुसरण  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

संपत्ति 3 कट्टा, 8 छ०, 43 ब० फु० और उसकी पर  
टाली, और टिन द्वारा निर्मित काठाम।

पता : 116 ख, कालीघाट रोड, कलकत्ता।

रजिस्ट्री : डीड न० 3023, दिनांक 25-6-1984 के  
अनुसार, कलकत्ता रजिस्ट्री दफ्तर द्वारा।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 11-2 1985

मोहर

रूप आई.टी.एन.एस.-----

1. श्री अशोक कुमार सूद और अन्य

(अन्तरक)

2. श्रीमती आभा सूद ।

(अन्तरिती)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1704/अर्जन रेंज-3//84-85—अतः मुझे  
शंकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 38 है, तथा जो लेक गार्डेंस, कलकत्ता में  
स्थित है (प्रोए इन्डे उल्लेख अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन  
दिनांक 8-6-1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
बायल्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45-दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया  
है।

अनुसूची

सम्पत्ति: प्लॉट न० 2, क्षेत्र ० 900 ब० फु० ।

पता : 38 लेक गार्डेंस, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : डीड न० 6515 दिनांक 8-6-84 के अनुसार ।  
कलकत्ता, रजिस्ट्री दफ्तर द्वारा ।

शंकर बनर्जी  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

दिनांक 11-2-1985

मोहर ॥

प्ररूप आर्. टी. एन. एस. -----

1. श्री शोखरचन्द, नाथ सेन गुप्ता,

(अन्तरक)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

2. श्री अरूप चक्रावर्ती

(अन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निवेश सं० 1703/अर्जन रेज-3/कल०/84-85—अत. मुमे, शंकर बनर्जी,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख (1) अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० वाशद्वीगा है, तथा जो खेतान न० 741, रीजेंट पार्क कलकत्ता में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुमूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकरता अधिकारी के कार्यालय कलकत्ता में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 27-6-84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकरता के कार्यालय में धारा 269 ए.वी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से बाधित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कट्टे बने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आब या किसी धन या अन्य वास्तव्यो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोपनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुत्पी

जमीन 4 कट्टा,

पता : वाशद्वीगा, रीजेंट पार्क, कलकत्ता।

रजिस्ट्री : डीड नं० 3048, दिनांक 27-6-1984

के अनुसार कलकत्ता में।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3, कलकत्ता

दिनांक 12-2-1985

मोहर

प्ररूप बाह्य टी एन एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता दिनांक 11 फरवरी, 1984

निदेश सं० 1702/अर्जन रेंज-3/कलकत्ता/84-85—अंतः  
मूझे, शंकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 63ए है, तथा जो ब्राइट स्ट्रीट, कलकत्ता में  
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में अर्जन रेंज पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर  
आयुक्त (निरीक्षण), अर्जन रेंज-3, कलकत्ता में रजिस्ट्रार/करण  
अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-6-84

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के नीचे ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-  
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को वास्तविक उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः यह, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब की अनुसरण  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मैसर्स पुष्पा एपार्टमेंट्स,

(अन्तरक)

2. श्री आर० एस० हरलाल का,

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं,  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति, प्लॉट नं० 3क, 3 तल्ला, 1

पता: 63 कन्नाइट स्ट्रीट, कलकत्ता

क्षेत्र० : सक्षम प्राधिकारी (सहायक आयकर आयुक्त  
(निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता द्वारा, 37ईई फार्म के  
अनुसार दिनांक 25-6-1984।

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

दिनांक 11-2-1985

मोहर

प्रश्न आर्. टी. एन. एच.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, कलकत्ता

कलकत्ता, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० 1701/अर्जन रेंज-3/84-85—अतः मुझे, शंकर बनर्जी,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 2 है, तथा जो नरेन्द्र चन्द्र दत्त सारणी, कलकत्ता में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-3, कलकत्ता रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 2-6-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1. मैसर्स रामगोपाल, गानेरीवाला प्रा० लि०, एवं अन्य (अन्तरक)

2. मैसर्स, गम्भीर चन्द बोरा, (एच० यू० एफ० (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति, यूनिट, नं० 10,

क्षेत्र 454 ब० फुज० ।

पता 2, नरेन्द्र चन्द्र सारणी, कलकत्ता ।

रजिस्ट्री : सक्षम प्राधिकारी (सं०आ० आ० (निरीक्षण), अर्जन रेंज-3, द्वारा 37ईई फार्म अनुसार दिनांक 26-1984

शंकर बनर्जी

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, कलकत्ता

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

तारीख : 11-2-1985

मोहर

प्रकृत आई. टी. एन. एच. ....

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी० एच्यु० 1 एस० आर०-3,  
6-84 322--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), का धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एच-11/26 है तथा जो लाजपत नगर,  
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
दिल्ली में रजिस्ट्रार/करण अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पक्ष  
से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों)  
के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित  
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से उचित नहीं  
किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का दावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक को  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के  
लिए; और/या

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती विद्यावती साहनी पत्नी

श्री सारा चन्ध साहनी,  
निवासी एच-11/26,  
लाजपत नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी

श्री आर० के० गुप्ता,  
निवासी एम० बी० - 12,  
शकुलपुर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रापटी नं० एच०-11/26, लाजपत नगर, नई दिल्ली, ताशदी  
100 वर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तारीख : 12-2-1985  
मोहर ]



प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली: 31 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० न०/एक्यू०/1एम० आर०-

3/6-84/325- - अतः सूक्ष्म, सुधार चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० ई-4/213 है तथा जो अमर कालोनी  
लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध  
अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिभार,  
के कार्यालय नई दिल्ली में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908  
(1908 का 16) के अधिनियम, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल के  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरितियों) के बीच उसे, अंतरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अंतरण से हुई किसी भाग को जबतक उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये;  
बौर/बा

(ख) एसी किसी भाग या किसी धन अन्य आस्तियों  
को, बिना भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधितः :--

22-486GI184

1. श्री कृष्ण कुमार मदन,  
निवास, 2134,  
सेक्टर 28,  
फरीदाबाद।

(अन्तरक)

2. श्री हेमराज लाल गुप्ता,  
निवास-1553,  
गुरूद्वारा रोड,  
कोटला मूबारकपुर,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्र० न० ई-4/218, डाई मंत्राली मकान अमर कालोनी,  
लाजपत नगर, नई दिल्ली, तादाद, 100 वर्गगज।

सुधार चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, 1 दिल्ली।

तारीख 31-1-1985  
मोहर :

प्रकृत बाई टी. एन. एन.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

सं० आई० ए० सी०/एम्/1/एम-आर०-3/6-84/329-

अतः मृसे, सुधीर चन्द्रा,  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या एम-50, है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई  
दिल्ली, में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण  
रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी प्राधिकार के कार्यालय,  
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908  
का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत बिलेस के अनुसार अंतरित की गई  
है और मृसे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त  
सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से  
ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंत-  
रक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंत-  
रण के लिए दृष्ट पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से  
उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया  
गया है :—

(क) अन्तरक से हुआ किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्वयिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
से, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती प्रकाश खन्ना और  
करुण खन्ना  
पत्नी और सुपुत्र स्व० श्री बक्षीश राय खन्ना,  
निवास, सं०-143, ग्रेटर कैलाश-1,  
नई दिल्ली-48।

(अन्तरक)

2. श्री बी० एल० शैलेश,  
श्री एम० एल० रतनाकर, और  
मास्टर राजेश कुमार (माइनर)  
द्वारा सहित अभिभावक और उसकी मा  
श्रीमती आशा शैलेश,  
निवासी आर-192,  
ग्रेटर कैलाश-1,  
नई दिल्ली-48।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

सं० नं० एम-50, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, तादादी  
510, वर्गगज।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 1 दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहिर :

प्रकृत आर्डर टी.एन.एस.-----

भाषांतर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज 1 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी, 1985

सं० आर्डर ए० सं०/एक्यू/1/एस आर 3/6-84/334

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका संख्या एम० 748 है तथा जो ग्रेटर कैलाश 1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार प्राधिकार के कार्यालय दिल्ली, में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16), के अधिन, ताराख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से टूट कर किसी आय करि बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रमाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. माडर्न एजेन्सिज लि०,  
थापर हाउस,  
124 जनपथ,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. स्टर्लिंग ओवरसीज इम्पेक्स प्रा० लि०  
70, मेडीज स्ट्रीट,  
फोर्ट बम्बई-23।

(अन्तर्गति)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यावाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

2-1/2 मंजिला निवासीय बिल्डिंग प्लॉट नं० 78,  
ब्लॉक 'एम' ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, ताबादी 500 वर्ग  
गज।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज - 1 दिल्ली

तारीख : 31-1-1985

मोहर :

## प्रसूत आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली;

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सं०/एक्यू०/1/एस० आर०-3

6-84,336--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु में अधिक है

और जिसकी सं० ई-605 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रार अर्थात् अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली, में रजिस्ट्रार अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक क दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सूविधा दायित्व के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री प्रदाप शंकर भट्ट और श्री अशाश शंकर भट्ट, सुपुत्रगण श्री अम्बा शंकर भट्ट द्वारा अटार्नी श्री मतीश सेट, निवासी जा-1/16, दरियागंज, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री रणजित अजवाना, सुपुत्र श्री एच० एल० अजवाना, निवासी डी-26, आराम हाउसिंग सोसाइटी, सांताक्रुज ईस्ट बम्बई।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तीसरी मंजिल प्रो० नं० ई-605, ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली, तादादा 397 वर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

तारीख : 11-2-1985

मोहरु

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- 2, नई दिल्ली.

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ०/1/एस० आर०- 3/  
6-84/337--अत- मुझे, सुधर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० ई- 605 है तथा जा ग्रेटर कैलाश- 2, नई दिल्ली, में स्थित है (और हमसे उपरोक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिनियम के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधिनियम तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, एक दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतिरिक्त (अतिरिक्तियों) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय को वास्तविक उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के नियमों, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अतिरिक्त द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किना जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

वतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) श्री तादाप शंकर भट्ट,  
श्री आशिष शंकर भट्ट,  
सुपुत्रगण श्री अम्बा शंकर भट्ट,  
द्वारा अटार्नी श्री सतेश सेः,  
निवासा जा- 1/16,  
दरियागंज, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री रणजीत दास सुपुत्र  
श्री अश्वनी दास और  
श्रीमती लक्ष्मी दास पत्नी  
श्री रणजीत दास, निवासां 992,  
डा० डा० ए० फ्लैट्स,  
कालकाजा, नई दिल्ली।

(अन्तर्गत)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपक्ष :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या अस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ग्राउन्ड फ्लोर, प्रो० नं० ई-605, ग्रेटर कैलाश-2,  
नई दिल्ली तादादा 397 बर्ग फीट।

सुधर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख 11-2-1985  
माहुर :-

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवर, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सा०/एक्यु०/1/एस० आर० 3/  
6-84/353--अंत मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें हममें  
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु से अधिक है

और जिसका सं० वृषि भूमि है तथा जो ग्राम बिजवासन  
नई दिल्ली, म रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय, दिल्ली, में  
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधिनियम,  
तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अतिरिक्त को गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-  
रिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; बांड/बा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
अ, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमता सावित्री देवी कोहली पत्नी  
श्री के० सी० कोहली,  
निवासा सी- 226,  
ग्रेटर कैलाश- 1,  
नई दिल्ली- 48 ।

(अन्तरक)

(2) मै० डियर उड प्रा० लि०,  
8/3, आसफ अली रोड,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादादा 16 बोघे और 4 बिघे, ग्राम बिजवासन,  
सहसोल महरोली, नई दिल्ली ।

शुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

तारीख : 4-2-1985

माहिर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सा०/एक्यू०/1/एम० आर०-3/  
6-8 4/354--अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० कृषि भूमि है तथा जो ग्राम बिजवासन, महरोली,  
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपात्रद्व अनुसूचा में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकाारी के कार्यालय,  
दिल्ली में रजिस्ट्रारकी अधिनियम, 1908 (1908 का 16)  
के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वास्त, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा  
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए या छेपाने में सविधा  
के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, बर्णात् :—

(1) श्रीमती नावित्त, देवी कोहली पत्नी  
आ. के० सा० कोहली,  
निवासा मो-226,  
ग्रेटर कैलाश-1,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० साउथ फोर्क रन्च प्रा० लि०,  
8/3, आसफ अली रोड,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवशुध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि तादाद, 22 बीघे 19 बिघे, खसरा नं०  
188/4, जिसमें बी० 6 घे और 15 बिघे में बना हुआ दो छोटे  
मकान, एक समर हाउस, द्युव बेल वाटर टैंक, अच्छा घर,  
एक कमरा और एक नौकर या घर, ग्राम बिजवासन तहसील  
महरोली, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख 4-2-1985

साह्वर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्य०/1/एस० आर०-2/3  
6-84/355—अतः मुझे, मुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1-ई/108-109 है तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री भगवान ममतानी,  
श्री प्रसू ममतानी,  
दीपो ममतानी,  
श्रीर नीलम केशवानी,  
निवासी एफ-136,  
सरोजनी नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती शोभा शोरा और  
श्रीमती सुमन शोरा,  
निवासी 1-ई, 108, 109,  
लाजपत नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

नमूने

प्रोपर्टी नं० 1ई/108-109, लाजपत नगर, नई दिल्ली  
तादावी 200 वर्ग गज।

मुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

[अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002]

तारीख : 11-2-1985

मोहर :



प्ररूप आर्द्र. टी. एन. एस्. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एन्यू०/1/एस०-आर-3/6-84  
380—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० डब्ल्यू 60 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-2, नई दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय श्रीरामपुरम में धारा 269 ग.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में श्रद्धा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में श्रद्धा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

23-486GJ/84

(1) माता जय कौर चेरिटेबल ट्रस्ट (रजि०), द्वारा ट्रस्टी एस० दर्शन सिंह सुपुत्र भाई साहब दिता मल, निवासी 6/21, रूप नगर, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री नरिन्द्र सिंह सेठी सुपुत्र स्वर्गीय वीन्ट सिंह सेठी,  
2. श्रीमती मंजित कौर सेठी पत्नी श्री एन० एस० सेठी,  
पोस्ट बोकस नं० 4692,  
द्वारा अटार्नी श्री परमजीत सिंह सुपुत्र श्री एम० जीवन सिंह,  
10, राज निवास मार्ग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रापटी नं० डब्ल्यू-60, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, तादादी 500 वर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहुर :

प्रकृत बाबू.टी.एम.एस.-----

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**कार्यालय**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जेंट रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० /एड्यू० /1/एस० आर०-3/  
6-84/390—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भाष्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीय जिसकी सं० जी-2/57 है तथा जो लाजपत नगर, नई दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाय अन्तःसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुए किसी भाग की वास्तविक उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्गण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन

(1) श्रीमती लाजवन्ती पत्नी  
स्व० श्री प्रेमचन्द,  
निवासी मकान न० ई/139,  
साकेत, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सतीन्द्र कुमार गुप्ता सुपुत्र  
स्वर्गीय श्री तोता राम,  
निवासी मकान न० 8/47,  
पंजाबी बाग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रा० नं० जी-2/57, लाजपत नगर, नई दिल्ली, तादादी  
100 वर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जेंट रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

तारीख : 11-2-1985

मोहर

प्रथम भाग. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एन्यू०, 1/एस० आर०-3/

6-84/433—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ई-101 है तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, दिल्ली में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख जून, 1984 है

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तर्रती (अन्तर्रतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कवित्व में कमी करने या उसके बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्रती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

(1) कुमारी मिनी जैन,  
निवासी के-41,  
हौज खास इन्कलेव,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० पाल एण्ड पाल बिल्डर्स लि०,  
12, रीगल बिल्डिंग,  
संसद मार्ग,  
नई दिल्ली।

(अन्तर्रती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर प्रत्येक व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिन बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० ई-101, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली तादादी  
352.5 वर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, दिल्ली, नई दिल्ली-110002

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तर्ग  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, जथाहूँ :—

तारीख : 11-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज- 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू०/2/37 ईई०/6-84/

387 अतः मूझे, आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसका सं० बी बी-3 है तथा जो दिलखूश इण्डस्ट्रियल इस्टेट, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेज- 2, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारिख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने

का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी नाम की वास्तु, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के कार्यालय में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी नाम या किसी धन या अन्य वास्तुओं को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्री जोगिन्द्र कुमार गांधी,  
निवासी ए- 77,  
गुजरन लाला टाउन,  
दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विग्गन साना,  
श्रीमती कविता सोनी,  
निवासी 37, हनुमान रोड,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० बी-3, दिलखूश इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली,  
तादादी 872 वर्ग फीट ।

आर० पी० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज- 6, नई दिल्ली

तारिख : 6-2 1985

मोहर

प्रश्न आई.टी.एन.एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/प्र.क्यु०/2/37ईई2/6-84/  
388-अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 1-12 है तथा जो ए/31-34, डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूच, में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/वर्ता अधिकारी, के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, भारतीय आयुक्त अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिती की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(ब) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ब) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) के अधीन अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) दिल्ली कमर्शियल बिल्डिंग्स प्रा० लि०,  
श्रीदिनाथ श्री हाउस,  
कनाट सर्कस,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री अनिल कुमार एण्ड सन्स  
(एच० यु० एफ०),  
कर्ता अनिल कुमार,  
50-ए, बनारसी दास इस्टेट,  
तिमारपुर, दिल्ली।

(अन्तरिती)

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

प्रो० नं० 1-12, तादादी 492 वगैरे फीट, ए/31-34,  
डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली।

आर० पी० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 6-2-1985  
माहुर :

**इसका भाई टी. एन. एस.**

**भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/2/37ईई०/6-84/389—अतः मुझे, आर० पं० राजेश,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिससे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिम्मा सं० 101 है तथा जो ए/31-34, डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार, अधिकारी, के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली; भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उचित दृश्यमान प्रतिफल में, एमें दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार पं०, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती. रुक्मिणी गुप्ता,  
श्रीमती कुमारी भाटिया,  
चन्दर कांता मलहोत्रा,  
निवासी डब्ल्यू-ए/170,  
शकरपुर, दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० दिल्ली कमर्शियल बिल्डर्स,  
आशिताथ श्री हाउस,  
कनाट सर्कस,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्त :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी व. एस लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण:—**इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट न० 106, तादादा 460 वर्ग फीट, ए/31-34,  
डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली।

आर० पं० राजेश,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 6-2-1985

माहुर :

प्राकृतिक आइटी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/प्रभ्यु०/2/37ईई०/6-84/  
390--प्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिगका सं० 1-12, 1-14 है तथा जो डा० मुखर्जी  
नगर, दिल्ली, में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अतिसूच, में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्र कार्यालय के कार्यालय,  
अर्जन रेंज-2, भारतीय आयकर (दिल्ली) में रजिस्ट्र. कारण अधि-  
नियम, 1961 के अधिनियम, ताराख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापर्योक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के  
पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एंसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित अर्थों, अर्थात् :—

(1) दिल्ली, कमिश्नर बिल्डिंग,  
आदिनाथ श्री हाउस,  
अर्भाजिट सुपर बाजार,  
कानाट प्लेस,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(1) श्री कुन्दन लाल भसन्त,  
निवासी सा-5/108,  
नारंग रोड,  
नई दिल्ली।

(अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

बन्सुची

प्रो० नं० 1-12, 1-14, डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली,  
तादादा 384 वर्ग फीट।

आर० पा० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली।

ताराख : 6-2-1985

सोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/

37 ईई०/6-84/391—अतः मुझे, आर० पी० राजेश  
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 401 और 402 है तथा जो ए/31-34 डा०  
मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची  
में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय अर्जन रेंज-1, आयकर अधिनियम 1961 के  
अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी बाबू की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाबू या किसी धन या अन्य वास्तवों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या क्रियः जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दिल्ली कर्माशयल बिल्डर्स  
आदिनाथ श्रो हाउस  
अपो० सुपर बाजार  
कनाट मार्कस  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विद्यावती जैन और  
धर्मवीर जैन तथा अन्य  
103 वीर नगर  
जैन कालोनी  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाढ़ में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधीनस्थकारी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

बनसूची

प्लॉट नं 401 और 402 तादावी 312 वर्ग फीट, ज  
ए/31-34 डा० मुखर्जी नगर दिल्ली।

आर० पी० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 6-2-1985

मोहर :



प्ररूप आई. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं. आई. ए. सी. 0/एफ्यू. 0/2/37 ईई. 0/6-84/  
392—अतः मुझे आर. पी. राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं. 2/डी-1 है तथा जो डा. मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कीमत नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें अर्थ में सुविधा के लिए और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, स्थानों में सन्निधि के लिए ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

24—486GI/84

(1) श्री महेश स्वरूप अग्रवाल,  
निवासी 3/74  
विष्णुपुरी,  
कानपुर ।

(अन्तरक)

(2) मै. आनन्द ट्रेडर्स  
52-54, कौशल्या भवन  
सदर बाजार दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

सेसमेंट नं. 2 तादावी 575 वर्ग फीट डी-1 डा. मुखर्जी नगर, दिल्ली ।

आर. पी. राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 6-2-1985

माहुर :

**राजपत्र भाग III, टी. एन. एच. 1985**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**

**बाजार बाजार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 6 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० /एचयू०/37 ईई०/6-84/393—प्रतः मुझे आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 403 और 404 है तथा जो डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्त्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली आयकर अधिनियम 1961 के अधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए द्वय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिक नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व को कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन के आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दिल्ली कर्मागार बिल्डर्स  
आदिनाथ श्री हाउस  
प्रपो० सुपर बाजार  
कनाट मार्केट  
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) मास्टर हिमांशु मलहोत्रा  
सुपुत्र श्री खुशाल चन्द  
निवासी 52/24  
राम जस रोड  
करौल बाग, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**बतुली**

फ्लैट 403 और 404 तादादी 456 वर्ग फीट  
ए-31-34 डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली

आर० पी० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 6-2-1985

मोहर

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 6 फरवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37 ईई०/6-84/  
394—अतः मुझे आर० पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी म० 1-15 है तथा जो डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारकी अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) इसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजन-प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दिल्ली कर्मशायल बिल्डर्स  
आदिनाथ श्री हाउस,  
कनाट सर्कस  
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री अतुल कुमार गुप्ता  
सुपुत्र श्री पूरन चन्द,  
निवासी 21-ए/4696  
असारी रोड दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रो० नं० 1-15, तादादी 83 वर्ग फीट जैन हाउस,  
एक्सटेंशन डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली ।

आर० पी० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 6-2-1985  
मांहर :

रूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/2/37 ईई०/6-84/  
395—अतः मुझे, आर०पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1-10 है तथा जो ए/31-34 डा० मुखर्जी नगर दिल्ली में स्थित है) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार ध. म., उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) दिल्ली कमिश्नल बिल्डर्स  
आदिनाथ श्री हाउस,  
कनाट सर्कस  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रोता चावला पत्नी  
श्री स्वर्ण सिंह चावला  
निवासी-50, उद्यम पार्क,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्तकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 1-10 तादादी 364 वर्गफीट ए/31-34,  
डा० मुखर्जी नगर, दिल्ली।

आर० पी० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 6-2-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1985

निर्देश सं० आई ए० सो०/एक्यू०/2/37 ईई/6-84/  
396—अतः मुझे, आर०पी० राजेश

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जी-5/4, 5, 6, है तथा जो भाई परमानन्द कालोनी, दिल्ली में स्थित है और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्त्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय में अर्जन रेंज-2 नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अतरका) और अन्तरती (अन्तरतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, अन्तर्गत आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गति द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती कृष्णा कुमारी  
निवासी एफ/6/7  
माडल टाउन, दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राखी वालिका  
निवासी एल/जी-21  
सेभ सराय भाग-2  
नई दिल्ली ।

(अन्तरती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० जी-5 विल्डिंग नं 4, 5, और 6, भाई परमानन्द कालोनी दिल्ली तादादी 221 वर्ग फीट ।

आर० पी० राजेश  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 6-2-1985  
माहूर ३

**व्यवस्थापक आयोग द्वारा जारी सूचना**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सं०/एवम्/2/37ईई/6-84/397 ---  
अतः मुझे, आर० पी० राजेश,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका संख्या 23 है, तथा जो 4 रैक्वेट कोर्ट रोड सिविल लाइन दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार कार्यालय के कार्यालय, अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली, भारत, आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम, तारीख जून, 1984।

जो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पर्याप्त प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी भाव की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी भाव या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० हाई टावर बिल्डर्स,  
रैक्वेट कोर्ट रोड,  
सिविल लाइन,  
दिल्ली-54।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुषाला बा मेहता,  
और श्री बा० एच० मेहता,  
निवासी-73 लखनऊ रोड,  
तिमारपुर, दिल्ली।

(अन्तरिती)

जो यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के दर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

**उक्त सम्पत्ति के दर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण :—**इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**बन्दूची**

फ्लैट नं० 25, बिल्डिंग नं० 4, रैक्वेट कोर्ट रोड  
सिविल लाइन, दिल्ली-54।

आर० पी० राजेश,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, दिल्ली,

तारीख : 6-2-1985

मोहर :

प्रकृप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-8 4/38 4—

अतः मूझे, जा० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका संख्या 12 है तथा जो सीरा पोर्ट रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रकर्ता अधिकांश के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली; भारत, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के स्थान पर प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में मूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी बाब या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री धरम सिंह,  
ट्रस्टों में धरम सिंह,  
फैमिली ट्रस्ट,  
निवासी ए-2/140,  
सफदरजंग इन्कलेब,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मैसर्स एम० बी० कार्मशियल (प्रा०) लि०  
94, कार्जा सैयद स्ट्रीट,  
गंगा बिहार,  
अम्बई-400003।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कराया जा रहा है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताधारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनुसूची

प्लॉट नं० 12 सीरा पोर्ट रोड, नई दिल्ली, तादावी 750  
वर्ग फुट (कारपेट एरिया)

जा० एम० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985  
मोहर ■

प्रख्य बाई. टी. एम्. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन-3 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफयु/3/37ईई/6-84/385-1-

अतः सुश्री, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना प्रपत्रधारियों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

औ जिसकी संख्या 4 है, तथा जो प्लॉट नं० 21, यूसुफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में और पूरा रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज, 3, नई दिल्ली; भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतर्गती (अंतर्गतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

नोट: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मं० साकेत प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०।

मं० सी०-538, डिफेंस कालोनी,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती सुषमा सुरी और  
एस० पी० एस० इन्वेस्टमेंट्स,  
निवासी जी० एफ-7/92,  
नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली

(अन्तर्गती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० प्लॉट नं० 4, अन्डर ग्राउण्ड, प्लॉट नं० 21,  
यूसुफ सराय, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली, तादाद, 318,  
वर्ग फुट।

जी० एस० गोपाल,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली।

तारीख : 30-1-1985

मोहर :



## प्रमुख बाजारों की एन एच एच -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एचयु/3/37ईई/6 84/385/ए०  
यतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको संख्या 167 ए, तथा जो प्लॉट नं० 9 बीकाजी कामा प्लेन, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जून, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व को कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के धराजनाथ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

25—486GI/84

1. मै० कर्नल श्री जी० डी० दयाल पुरी (रिटायर्ड)  
निवासी सं० 25,  
वेस्ट इण्ड कालोनी,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री रविन्द बाली,  
निवासी वेस्ट इण्ड कालोनी,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(यु० सी० ब०) प्रो० नं० 167 ए, प्लॉट नं० 9,  
बीकाजी कामा प्लेन, नई दिल्ली, तादाद 103 वर्ग फुट।

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली;

तारीख : 30-1-1985

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना  
भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी/एफ्यु/3/37ईई/6-8 4/38 6---अतः

मुझे, जी एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 163 है, तथा जो प्लॉट न० 6, बी.वाजी वामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उदात्त अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार, अतिरिक्त अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली, भारत, अधिनियम, 1961 के अधीन, तादादी लैस होल्ड, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए उचित पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अन्तर्गत अन्तरण द्वारा प्रकृत नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, अन्तर्गत में सुविधा के लिए;

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 श्री गजेन्द्र पाल सिंह,  
जी० एच० अर० इडस्ट्राज,  
निवासी-1328,  
सुलतान सिंह बिल्डिंग,  
काश्मोरो गेट, दिल्ली।

(अन्तरक)

2 श्रीमती अविनाश पुरी और  
श्रीमती प्रेम पुरी,  
निवासी-26/72,  
पजाबी बाग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्धुकी

प्र० न० प्लॉट न० 163, प्लॉट न० 6, बी.वाजी वामा प्लेस, नई दिल्ली, तादादी लैस होल्ड,

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3; दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहूर :

प्रारम्भ आई. टी. एन. एन. -- -- --  
**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की**  
**धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**  
 अर्जन रोज-3, दिल्ली।

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एम्/3/38ई/6-84/387 --

यतः मुझे, जी० ए० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसका मूल्यांकन 2 है तथा जो प्लॉट नं० सी०-1 नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रार उच्च अखिलेश्वर के कार्यालय, अर्जन रोज 3 नई दिल्ली भारत अर्थात् 19 अधिनियम 1961 के अधीन, तारखे जून, 1984।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अनुरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय राया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अनुरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाँहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अध्याय (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 श्री० मंगल मंच उपाखण्ड ज  
 19 थिरुटगन माग,  
 मुपनि त्रिल्लिंग, शिवाकाश।

(अन्तरक)

2 श्री० महाउदान एण्ड सन्स,  
 निवास। बा० 48 नाग-1,  
 विष्णु गार्डन नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

**उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप-—**

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**स्पष्टीकरण :-** इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

दुआन नं० 2, ग्राउण्ड फ्लोर, "कचन हाउस" प्लॉट नं० सी०-1, नजफगढ़ रोड, कम्युनिटी सेक्टर, नई दिल्ली, तादादा, 455 वर्ग फुट।

जी० ए० गोपाल  
 सक्षम प्राधिकारी  
 सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
 अर्जन रोज-3, दिल्ली

तारखे 30 1-1985  
 माहर

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

प्राप्त-अन्तरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सा० एफ्यु/3/37ईई/6-84/388--

तः मुझे, जा० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 4 है तथा जो प्लॉट नं० ए० 7, 8, 9 रणजित नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार कार्यालय अधिकांश के कार्यालय, अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली, भारत, आयकर अधिनियम, 1961 के अधिनियम तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय भया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाने चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण

1. मैं एम० पा० एस० इन्दरेश्वरन,  
बी०-197, नारायणा बिहार,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

1. मैं गुरु अमर दास इन्दरेश्वरन (प्रा०) लि०,  
बी०-197, नारायणा बिहार,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० दुकान नं० 4, तीसरी मंजिल, "सम्राट भवन" प्लॉट नं० ए० 7-8-9, रणजित नगर, कोम्प्युनिटी सेक्टर, नई दिल्ली, तादादो 529 वर्ग फुट।

जा० एस० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर :

प्रकट आई. टी. एन. एन. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली; दिनांक 30 जनवरी, 1985

सं० आई० ए० नं०/एफ्यु/3/32ईई/6-84/389--

अतः मुझे, जॉ० एस० गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका संख्या नं०-1/185 है तथा जो पश्चिम बिहार, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारत सरकार अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का फलप्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसका बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, सहायक अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्रीमती गुरबचन कौर और  
एस० राजेन्द्र सिंह  
निवासा एच० 58,  
बाला नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री तारा चन्द हिम्मत रतना,  
निवासा 21/35,  
वेस्ट पटेल नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन क संबंध में कोई भी आपेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना के तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों से से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अयोग्यताधारी के नाम लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और वाक्यों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रॉ० नं० नो-1/185, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली,  
तादादा 810 वर्ग फुट,

जॉ० एस० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली।

तारीख 30-1-1985

मोहर

प्रकृत आर्डी. टी. एन. एन. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रजन रेंज, 3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

सं० आर्डी० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/390:-

अतः मुझे, जी० एस्० गोपाल;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मकाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 10 है तथा जो प्लॉट नं० 3, 4, प्रीत नगर, दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, ग्रजन रेंज 3, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अनिश्चित का गृह है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वस्तुओं को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. मै० सावित्री प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
5/92, "दिपाली"  
नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली-19।

(अन्तरक)

2. श्री भीम सेन विज,  
निवासी डी-141,  
विवेक बिहार,  
दिल्ली-62।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृत्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

प्रो० हुन० दुकान नं० 10, ग्राउण्ड फ्लोर, प्लॉट नं०  
3 और 4, प्रीत नगर, दिल्ली-92, तादादी 157 वर्ग फुट

जी० एस्० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
ग्रजन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर :-

प्ररूप आई. टी. एन. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एस्/3/37ईई/6-84/391:—

अतः मुझे, जी० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 607 ए है तथा जो 9, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज, 3 नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि अध्यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसमें ह्यमान प्रतिफल में, एस् ह्यमान प्रतिफल का पद्धत प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एस् अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नीलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण तो हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नीलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती नीरा सेठी और  
श्रीमती अरूणा भण्डारी,  
निवासी 16/334,  
खजूर रोड, करोल बाग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० खेमका इन्स्ट्रुमेंट लिमिटेड  
शेक्सपियर कोर्ट,  
शेक्सपियर सरीन, कलकत्ता

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशेष —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 607 ए, प्लॉट नं० 9, बीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, (यू० सी०) तादादी  
333 वर्ग फुट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर :

प्रकृष बाए. टी. एम. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आर्.सी० ए०/एचयू/3/37ईई/6-84/392---

प्रतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 614 है तथा जो 9, भीकाजी कामा  
प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची  
में पूर्व रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय  
अर्जन रेंज 3 नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम 1961  
के अन्तर्गत, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
प्राया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
सापेक्ष में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मामलों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा-269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री विनोद कुमार आनन्द,  
निवासी सी-19,  
चिराग इन्कलेब,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० खेमका इन्स्ट्रूमेंट (प्रा०) लि०  
शैक्सपियर कॉर्टे,  
शैक्सपियर सर्गिन,  
कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० प्लाट नं० 614, प्लाट नं० 9, भीकाजी कामा  
प्लेस, नई दिल्ली, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग (य० सी०) तादावी  
352.5 वर्ग फुट।

जी० ए० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर :



प्रकृत आर्.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/393:—

यतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 507 है, तथा जो 2 ए, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज, 3 नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति से उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किंवा धाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

26 —486GI/84

1. मैं० कैलाश नाथ और ऐसोसियेट,  
1006, कंचनजुगां,  
18, बाराखम्भा रोड,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती ज्योति आनन्द  
सी/ओ श्री के० के० आनन्द,  
निवासी एस-218,  
ग्रेटर कैलाश-II,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० प्लॉट नं० 507, पांचवीं मंजिल, कमर्शियल कम्प्लेक्स, 'एलप्स', प्लॉट नं० 2 ए०, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 205 वर्ग गज।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहूर :

## प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

## भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/84/394:—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'एनए अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 7 है, तथा जो प्लॉट नं० 2 ए बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसका उचित अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), राजस्वीकर्ता अधिनियम के कार्यालय अर्जन रेंज 3 नई दिल्ली, भारतिय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त का भुआ है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में नास्तबिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाव में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री० कैलाश नाथ और एसोसियेट,  
1006 कंचन जुगां 18,  
बारा खम्भा रोड  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती बिमल कुमारी  
निवासी 120  
सैक्टर नं० 3,  
अर० के० पुरम  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

प्रो० नं० सोप नं० 7, ग्राउण्ड फ्लोर, कर्मशियल कम्प्लेक्स 'एलप्स' प्लॉट नं० 2 ए बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 88 वर्ग फुट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मांहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

सं० आई ए० मो०एक्यू/3/37ईई/6-84/395:—अतः

मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन शकम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 614 ए है, तथा जो 9 बीकाजी कामा प्लेन, नई दिल्ली में स्थित है (और इसके उदात्त अनुभूतियों में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अर्थात् अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1981 के अधीन तारीख जून, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच के ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण निम्नलिखित भावस्थायिक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बात, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या दा किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती प्रामोला राय  
निवासी सो०-19,  
चिराग इन्क्लेव  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मै० खेमका इनस्ट्रुमेन्ट (प्रा०) लि०  
शेक्सपियर कोर्ट,  
शेक्सपियर, सरोन,  
कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पदाह्वयकारों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्री० नं० प्लॉट नं० 614 ए०, प्लॉट नं० 9, बीकाजी कामा प्लेन नई दिल्ली मल्टीस्टोरी बिल्डिंग (यू० सी०) तादादी 352.5 वर्ग फुट।

जी० एस० गोपाल  
सहायक अधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

सांहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/396:—

अतः मुझे, जी० एन० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ की अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 4 डी/64 है, तथा जो ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन, तारीख 1984।

कां पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जयानगर में धारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती मोहिनी देवी  
धर्मपत्नी श्री गिरधारी लाल,  
निवासी 4 डी/64,  
राजेन्द्र नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अशोक कुमार जैन  
सुपुत्र श्री के० सी० जैन,  
निवासी एच० 252,  
सरोजिनी नगर  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विद्यमान है।

अनुसूची

प्रो० नं० 4 डी/64, ओल्ड राजेन्द्र नगर, नई दिल्ली  
तादादी 88.1 वर्ग फिट।

जी० एन० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर :

**व्यवस्थापक. टी. ए. ए.**-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/397:—

प्रतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी संख्या यू० जी 7 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून, 1984।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. जैना प्रावरटोज (प्रा०) लि०  
एडीनाथ मरी हाउस,  
श्री० सुधर बाजार,  
कनाट मकैस,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री राजीव दत्त  
मुपुत्र श्री बी० एल० दत्त  
श्रीमती ललिता दत्त  
धर्मपत्नी राजीव दत्त  
निवासी ई-ग/139,  
इन्दरपुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

**व्याख्याकरण:—**इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० यू० जी० 7, जैना टावर, डिस्ट्री० सेन्टर  
जनकपुरी, नई दिल्ली, तादावी 80 वर्ग फीट

जी० एस० गोपाल

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

**भाउव वरकाउ**

कार्यालय, सहायक भायकर आयुक्त (निररीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

सं० आर्डि० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/398.—

अतः मुझे, जी० एम० गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्यावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सख्या यू० जी० 10 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इन्में उगावद्ध अनुसूची में पूर्व रूप में वर्गीकृत है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिहारी के कार्यालय अर्जन रेंज, 3 नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984।

को पर्योक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्योक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का मन्द्ग प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० जूना प्रोपरटीज (प्रा०) लि०।  
एडीनाथ सरी हाउस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मुदेश कथूरिया  
धर्मपत्नी के० ए० कथूरिया  
निवासी सी०-18,  
विकासपुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० यू० जी०-10, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर,  
जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 90 वर्ग फुट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम अधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निररीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहूर :

शुभ्रूप आर्ष. टी. एन्. एस्. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/ए-84/399--

अतः मुझे, जी० एस्० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. में अधिक है

और जिसकी सख्या यू०-जी० 11 है तथा जो जनकपुरी  
नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपादक अनुसूच में  
पूर्व रूप से वर्णित है), निम्नलिखित अधिकारी के कार्यालय  
अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961  
के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने  
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य,  
उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
निम्नलिखित निम्नलिखित उद्देश्यों में उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए;  
और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
के जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाता चाहिए था, छिपाने में सविधा  
के लिए;

उक्त अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मी० जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एईनाथ सरी साउम,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरों के साथ  
लिखित में किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

बन्धुपत्नी

प्रो० न० यू० जी-11, जैना टावर डिस्ट्री सेन्टर, जनक  
पुरी, नई दिल्ली, सादादी 155 वर्ग फुट।

जी० एस्० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985  
मोहर :

**शास्त्र्य भाई. टी. एन्. एस. -----**

**भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

**अर्जुन रेंज 3 दिल्ली**

**नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985**

**निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू/3/3ईई/6-84/400.**

**अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,**

**भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है**

**और जिसकी संख्या 404 सी है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जुन रेंज-3 नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन, तारीख जून, 1984**

**को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल से लिए अन्तरिक्ष की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—**

**(क) अन्तरण से हुई किसी धाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा है लिए; और/वा**

**(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को बिना भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में दृष्टाया है लिए;**

**अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—**

**1. मैसर्स प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एडीनाथ सरी हाउस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस,  
नई दिल्ली।**

**(अन्तरक)**

**2. श्री कपूर चन्द जैन  
सुपुत्र श्री खेम चन्द जैन,  
निवासी ए-99,  
विहासपुरी,  
नई दिल्ली।**

**(अन्तरिती)**

**को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।**

**उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—**

**(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;**

**(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।**

**स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।**

**अनुसूची**

**प्रो० नं० 404 सी०, जैना टावर, डिस्ट्री सेक्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली, ताबाकी 170 वर्ग फुट।**

**जी० एस० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज 3, नई दिल्ली**

**तारीख 30-1-1985  
मोहर :**



प्रकृत जाह. टी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3 दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/401:—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सख्या यू० जी० 14 ए०, है तथा जो जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पत्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिकी (अन्तरिकियों) के बीच से अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित से वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. म० जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०।  
एडीनाथ सरी हाउस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री बीरज भूषण शर्मा  
सुपुत्र श्री तीर्थ राम शर्मा,  
निवासी सी०/5,  
न्यू कृष्णा पार्क, धोली प्याऊ,  
नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिकी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

भनुसूची

प्रो० न० 14 ए०, जैना टावर, डिस्ट्री सेक्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली, तावादी-100 वर्ग फुट।

जी० एस० गोपाल,  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 3 नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहूर ४

प्ररूप आई. टी. एन. एन. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जनरेंज, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० ए० यूपी०/3/37ईई/6-84/402—  
अतः मुझे: जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1000/ रु में अधिक है

और जिसकी सं० यू० जी० 8ए, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जनरेंज, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विष्णय करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एजीनाथ सरी हाउस, श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली  
(अन्तरक).

(2) श्रीमति राज बेरी सुपुत्र  
बी० के० बेरी  
निवासी-प्लॉट नं०-82, पाकेट-13, ब्लाक-सी-4-बी,  
जनकपुरी, नई दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आरोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में दृष्टबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्र० नं०-यू० जी० 8ए, जैना टावर, डिस्ट्री सेंटर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी-80 वर्ग फिट 4

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जनरेंज 3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1-1985  
मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/3/37ईई/6-84/403 —

अतः मुझे जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिनकी सं० 506, है तथा जो प्लॉट नं० 3, जनकपुरी, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली; भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एडीनाथ सरा हाउस भो० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस नई दिल्ली  
(अन्तरक)

(2) श्री सतपाल भाटिया सुपुत्र  
श्री जे० एन० भाटिया,  
श्रीमती सुमन नासा भाटिया धर्म पत्नी  
श्री सतपाल भाटिया  
निवासी—बी-1/624, जनकपुरी, नई दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियों शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेक्ष :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्री० नं० प्लॉट नं०-506, पांचवीं मंजिल, प्लॉट नं०-3,  
जैना टावर, डिस्ट्री सेक्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 462  
बगंजीट,

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहूर :

**इस्य बाहेँ.टी.एन्.एस.-----**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू०/3/37ईई/6-84/404—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यू० जी० 32 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाय अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, तारीख जून, 1984 का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने की अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन का अन्य वास्तविकता को, चिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोचनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या वा किया जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एजीनाथ सेसी हाउस प्रो० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली  
(अन्तरक)
- (2) श्री तविन्द्र पाल सिंह सुपुत्र  
श्री सार दुल सिंह सेठी  
निवासी-एफ-64, गुरु नानक पुरा, जैल रोड,  
तिलक नगर, नई दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाह्वितकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्री० न०—यू०—जी०—32, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी 155 वर्ग फिट,

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985  
माहूर :

अध्यक्ष बाबू टी. एच. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/405—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यू० जी० 7-बी है तथा जो जनकपुरी नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपायद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के अर्जन तारीख जून 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का रन्वह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य गांस्तिगो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

- (1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एडीनाथ सर्री हाउस, श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस नई दिल्ली  
(अन्तरक)
- (2) श्रीमति कौलाश बंसल  
धर्म पति श्री आर० के० बंसल,  
निवासी—रमेश नगर, डी० एस०—क्वाटर,  
नई दिल्ली-15  
(अन्तरिणी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामीन से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उसे अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

श्री० न० यू० जी०-7 बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली, तादावी-75 वर्ग फिट ।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985  
मोहर :

प्ररूप आई. ट. एन. एस. - - -

अध्यक्ष अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निवेश सं० आर० ए० सी०/एफ्यु०/3/37ईई/6-84/406—

अतः मुझे, जो० एस० गोपाल,

इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यू० जी० 16 बी० है तथा जो जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाय अतिसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एडोनाथ सरी हाउस, श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री इन्दर पाल सिंह  
सुपुल श्री दलीप सिंह,  
श्री विजेन्द्र पाल सिंह  
सुपुल श्री दलीप सिंह  
निवासी-मकान नं० 6, गांव बिन्वापुर,  
डाक घर-उत्तम नगर, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहीमा शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है। (8)

बन्धुपत्नी

श्री० नं० यू० जी० 16 बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर,  
जनकपुरी, नई दिल्ली, तादावी 80 वर्ग फिट।

जो० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985  
मोहर।

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०-3/37ईई/6-84/  
407—प्रतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 207 है तथा जो युसुफ सराय, नई दिल्ली  
में स्थित है (और इससे उपाखण्ड अनुसूची में और पूर्ण रूप  
से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3  
में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख  
जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी मात्र की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के  
व्ययत्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) आर० पार० एपार्टमेंट (प्रा० लि०)  
एडोनाथ सरी हाउस प्रो० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती रेणु गुप्ता,  
धर्मपत्नी श्री सुशोर गुप्ता  
सी०/प्रो० श्री अनुपम गुप्ता,  
निवासी 114, जोरबाग नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में  
दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 207 जैना कर्माशयल कम्प्लेक्स, युसुफ  
सराय नई दिल्ली तादावी 285 वर्गफीट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

माहूर :

प्रकृत आड. टी. एन. एच. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू-3/37ईई/6-/  
84/408—अतः मुझे, जी० एस गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यु० जी० 9बी है तथा जो जनकपुरी नई  
दिल्ली में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण  
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय अर्जन  
रेंज-3 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961  
के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम से कम हयमान  
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख के अनुसार अंतरित की गई  
है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि  
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
उसके हयमान प्रतिफल से, ऐसे हयमान प्रतिफल के  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंत-  
रिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण के द्वारा किसी भाग की वास्तु, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के  
वास्तव में कमी करने या उच्चतम करने के इच्छित  
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तुओं  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
अन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अतः, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार  
में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०,  
छोनाथ सरो हाउस, ओ० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली।  
(अन्तरक)

(2) श्री सागर मल शर्मा,  
सुपुत्र श्री स्वर्गीय श्री अन्नत राम शर्मा  
निवासी डब्ल्यू जेड०-26, मनोहर पार्क  
रोहतक रोड़, नई दिल्ली।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० यु० जी०-9बी जैमा टावर डिस्ट्री सेन्टर  
जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 100 वर्गफीट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली।

दिनांक : 30-1-1985

मोहर :



प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एम्बु०/3/37ईई/6-84/  
409—अतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25 000/- रु से अधिक है

और जिसकी संयु० जी०-5ए है तथा जो जनकपुरी, नई  
दिल्ली में स्थित है (और इसमें उदात्त अर्जसूची में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय  
अर्जन रज-32 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम  
1961 के अन्वय तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य पर कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दानत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
दायित्व के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् —

28—486GI/84

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०,  
17 डीनाथ मरी हाउस, श्री० सुपर बाजार  
कनाट भर्कम नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री प्रकाश चन्द्र कर्मा  
सुपुत्र श्री राम जी कर्मा,  
निवासी एम-50 विकास पुरा,  
नई दिल्ली-18।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाही करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अध्याहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रा० न० यु०जी-5ए जैना इन्स्ट्रो मेन्टर जनकपुरी  
नई दिल्ली, तादादी 100 वर्गफीट

जी ए० गोपाला  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रज-3, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985

मोहर

प्ररूप बाई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यु०/3/37ईई/6-84  
410—अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी नं० जी-17ए है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारत सरकार अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जन 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय हासिकोट में धारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल, से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरिती) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

- (क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिय को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित, व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एडोनाथ नं० हाउस, ओ० सुपर बाजार  
कनाट मार्केट, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री अमरजीत सिंह  
सुपुत्र श्री जगराम सिंह,  
निवासी मकान नं० 10 गांव बिन्दीपुर  
डाकघर उत्तम नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के नाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

प्रोपर्टी नं० जी-17ए जैना टावर इस्ट्री, सन्टर  
जनकपुरी नई दिल्ली, तादादो 90 वर्गफीट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

मोहर :

प्रकरण बाह्य टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी० एच०/3/37ईई/6-84/411—अतः मुझे, जो० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सूक्ष्म प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 85 है तथा जो न्यू राजधानी इन्कलेव नई दिल्ली-92 में स्थित है (और इसमें उल्लेख अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) जिसे उक्त प्राधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दावित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) एल० एन० मोदी एन्ड सन्स  
(एच० यू० एफ०)  
निवासी सी-8 साउथ एक्सटेंशन पार्ट-2  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री सुदेश कुमार  
निवासी 469 देव मोटर. मार्केट  
हमोलटन रोड, कश्मिरो गेट, दिल्ली।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियों पक्ष सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रौ० नं० प्लेटन० 83, न्यू राजधानी इन्कलेव नई दिल्ली-92

जो एस० गोपाल  
सूक्ष्म प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं. आई.टी.एन.एस. 110/ए.यू.3/37ईई/6-84/412/-

अतः मुझे ज्ञात है कि श्री गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ब के अधीन स्थगित प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसको सं. 411 बा है तथा जो जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) एजिन्ट्रककर्ता अधिकार के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्णतः सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मैं यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या था कि धा जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा.) लि.,  
एडोनाथ सरी हाउस, श्री. सुन्दर बाजार,  
कनाट मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सो. के. रामपाल  
सुपुत्र श्री. हेमराज रामपाल,  
निवासी-ए-80 शकर गार्डन,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्णतः सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्त्याक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो. नं. 411ए, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादो-85 वर्गफीट।

श्री. ए. गोपाल  
सहायक प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली-110002

दिनांक : 30-1-1985

मोहर

प्रारूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश म आई० ए० सी० एन्यु०/3/37ईई/6-84/413

अतः मुझे, जी० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसको स० यु०, जो 7 सी, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसके उदाहरण अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्व विभागीय अधिकारी के कार्यालय अर्जन-रेंज-3, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोर्टीज (प्रा०) लि  
एडीनाथ सरो हाउस, ओ० सुंदर बाजार,  
कनाट मार्केट नई दिल्ली।  
(अन्तरक)

(2) श्री सी० के० इन्दनानी  
सुपुत्र श्री जे० जी० इन्दनानी,  
सी/श्री०, श्री आर० के० निवारा,  
निवासी बी-2/ब।147, जनकपुरी, नई दिल्ली।  
(अन्तरिती)

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—  
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में वृद्धिबद्ध लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनसूची

प्रो० न० यु०-जो०-7सी जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 75 वर्गफुट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली-110002

दिनांक . 30-1-1985

मोहर :

प्ररूप: भाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एवम्/3/37ईई/6-84,414

प्रतः मुझे, जी० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनको सं० यु० जी०-12 है, तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृत्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि बंधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उनके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिणी (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय किया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण के अधीन बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी कारण या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियाँ को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिणी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरा हाउस, ओ० सुपर बाजार,  
बनाट मार्केस, नई दिल्ली.

(अन्तरक)

(2) श्रीमती बरमो देव,  
धर्मपत्नी श्री चन्द्र सिंह,  
निवास नं० बी-3/183,  
जनकपुरी, नई दिल्ली.

(अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के नि-  
कार्यवाहिया शुरू करता है।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कार्ड भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन की अवधि या तत्सदृशी व्यक्तियों सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में मर्यादा होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में शिवाय किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपावृत्तियों के लिखित में किया जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उ-  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होंगे, जो उस अध्याय में दिए  
गया है।

अनुसूची

प्रो० न० यु०-जी०-12, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्ट  
जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 155 वर्गफुट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिका  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली-11007

दिनांक : 30-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सो० एक्यु०/3/37ईई/6-84/415

तः मुझे, जी० एन० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
सके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
69-घ के अधीन मध्य प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
गरण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
5,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० य०-जी०-4, है तथा जो जनकपुरी, नई  
दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपावृद्ध अनुसूची में  
और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम  
1961 की के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
सन्तुष्ट प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित अ-  
स्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सविधा  
के लिए, बार/दा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा  
के लिए;

ततः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1).  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तिगत अर्थों में—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रॉ) लि,  
एडीनाथ सरी हाउस, ओ० सुपर बाजार  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री सुभाष चन्द्र भल्ला और  
श्री अशोक कुमार भल्ला,  
सुपुत्र श्री मोती राम भल्ला,  
तिवासी डब्ल्यू जैड-32, कृष्णा पार्क स्टेशन,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में एक जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रॉ० नं० य०-जी०-4, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर,  
जनकपुरी, नई दिल्ली।  
तादादी 205 बंगफोट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली-110002

दिनांक 30-1-1985  
सांहर

प्ररूप आई.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए०. सी० एक्यू०/3/37ईई 6-84/416

अतः मुझे ज० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 603 है तथा जो जनकपुर, नई दिल्ली, में स्थित है (और इसे उभाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है (रजिस्ट्रारता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारत अधिनियम, 1961 के अर्जन तार: जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूचिभा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचिभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोगर्टीज (प्र० ) लि०,  
एड.नाथ रर, हाउस ओ० सुपर बाजार,  
कम्यूट सर्विस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रामत. कैलाश अग्रवाल,  
धर्मपत्नी, श्री आर० के० अग्रवाल,  
निवासा. सं-2सा, पाकेट न० 2, ल.ट न० 76,  
जनकपुर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए आवश्यकतापूर्वक करवाया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० सं० 603, नैग टावर, डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली।

जवादा. 300 वर्गफुट।

जो० ए० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी:

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली-110002

दिनांक 30-1-1985

आर.ए.ए.



## मुख्य भाग की एन.एस.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-अ (1) के अधीन सूचना

## भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एफ्यु०/3/37ईई/6-84/417--  
अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० यु० जी०-16ए०, है तथक जो जनकपुरी, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनासूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जुन रेज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच एम्में अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविकता, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

29/486GI/84

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०  
एउ नाथ सरा हाउस, आ० सुपर बाजार,  
कनाट मार्केस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) मै० शक्ति इन्डस्ट्रियल स्टैमपिंग इन्डस्ट्रियल और,  
भारत भुषण,  
निवासी-23, राजा गार्डन,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

प्रो० नं० 16ए, जैना टावर, डिस्ट्रो सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, लाक्षादा-75 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी० एफ्यु०/3/37ईई 6-84/418--  
श्री० मुझे, जी० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन मसम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिमकी सं० 404बी०, है तथा जो जनकपुरी नई दिल्ली,  
में स्थित है (और इसमें उपासक अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित  
है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली,  
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के अधीन तारीख 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिनी (अन्तरिनीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज, (प्रा०) लि०  
एडवाथ मरा हाउस; आ० गुरपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरिनी)

(2) श्रामति आणा रान, धर्म पान्त  
श्री एच० आर० बागमा,  
निवासा-2/5, तिलक नगर,  
नई दिल्ली-18

(अन्तरिनी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अर्थात् हस्त-आक्षेप के पाम  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रो० नं०-404, श्री, जैना टावर, डिस्ट्री नेक्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी-130 वर्ग फिट

जी० एम० गोपाल  
मसम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख 30-1-1985  
मोहर 3

प्रथम भाग, टी. एच. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

गिडेज सं० अई० ए० सं० एक्यू०/3/37ईई/6-84/419-

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और राजसूक सं० यू० जी० 8, है तथा जो जनकपुर, नई दिल्ली में स्थित है (और, उसे उपावृत्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीवर्ती आधुनिक के दायित्व, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तार ख जून 1984

को प्रयोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत को यह है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती (अन्तरिती) के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकता को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

(1) जैना प्रोपरटाज, (प्रा०) लि०  
एडिनाथ सर) हाउस, सुपरा बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री चाको थोन्काणन्द सुपुत्र  
श्री चाको चाको,  
निवासी-वाई-2, हौज खास, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्तर्गत

प्री० न० यू० जी०-8, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी  
नई दिल्ली, तादादी-80 वर्ग फिट

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी,  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 3-10-1985

मोहर :

इसका धारा 1. एन. एस. . . . .

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

आयकर अधिनियम

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सा० एक्यु०/3/37ईई/6-84/420—  
अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० यु० जी० 7ए०, है तथा जो जनकपुरी नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाय अतिसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीवर्ती प्राधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के अधीन, तारीख जून, 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्तके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निर्मासिद्ध उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बावत से कमी करने या उद्देश्य करने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः यह उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति(यों) अर्थात्

(1) जैना प्रोपर्टाइज (प्र०) लि०  
एडोनाथ सरी, हाउस, औ० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री. सुजानसिंह राना सुपुत्र  
एस० उजागर सिंह राणा,  
निवासी-182, फतेह नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, यह उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्री० नं० यु० जी०-7 ए०, जैना टावर डिस्ट्री सेंटर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादा-100 वर्ग फीट,

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985

मोहर

श्रुत रूप आई.टी.एन.एस.]

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एफ्यू०/3/37ईई/6-84/421

अतः मुझे जी० ए० एस गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जी-14वा है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली के अधीन भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को वास्तव में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य व्यक्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रॉपरटीज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाउस, ओ० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) कैप्टन जे० एन० जीहर,  
सुपुत्र स्वर्गीय श्री सरदार प्रभात सिंह,  
निवासी बी-1/500,  
जनकपुरी, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जनसूची

प्रो० नं० 14बी, जैना टावर डिस्ट्री सेक्टर, जनकपुरी नई दिल्ली।

तादादी 100 वर्गफीट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरिक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एफ०/3/37ईई/6-84/4272

अ. मुझे ज० ए० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसका सं० ज-25 है तथा जो पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित है (आर-सं० उपरोक्त सं-सूच में आर पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्व की आठ वर्ष के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारत सरकार अधिनियम 1961 के अधिनियम तारीख 9 जनवरी 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम की दरवाजा प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और मझे यह विश्वास करने का कारण है कि अधोपूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ए० एस० दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ए० एस० अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निर्मालिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से स्थित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ए० सी० किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निर्मालिखित व्यक्तियां, अर्थात् —

(1) जैना प्राप्रस्टाज (प्रा०) लि०,  
एडानाथ सर्री हाउस, अया० सुपर बाजार,  
अनाट सर्कम, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

(2) श्री सजय अग्रवाल,  
सुपुत्र श्री ए० के० अग्रवाल,  
श्री दलबीर सिंह,  
सुपुत्र स्वर्गीय श्री रघुबीर सिंह,  
निवास, ए-2/40, पश्चिम विहार,  
जैना सोपिंग दम्पलेका नई दिल्ली ।

(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(अ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों की परिभाषा, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्री० नं० जो-25, जैना सोपिंग दम्पलेका, पश्चिम विहार  
नई दिल्ली ।

जतादादी 100 वर्गफीट ।

ज० ए० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक - 30-1-1985

मोहुर

**एच. ए. टी. ए. ए. ए.**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एचयू०/3/37ईई/6-84/423

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन अधिसूचना के यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसका रं० बी-22 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजपट्टीमती अधिकार, के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ह्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपाबद्ध सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उक्त ह्ययमान प्रतिफल से, ऐसे ह्ययमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में अंकित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम की अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में राविधा के लिए:

और/या

(ख) कोई किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तिबों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या उक्त अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपाने में राविधा के लिए.

(1) जैता प्रॉपर्टीज (पब०) लि०,  
एड 100, रं० टावर, अयो० रुपर बाजार,  
बनारस रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० एच० वी० आर० पेन्टर्स,  
प्रो० श्री. हरज ल सिंह थापर,  
निवासा-एच-31, बाली नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन को यथासंभव से कठोर भी बालोप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के माध्यम से किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-ए में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रो० नं० बी-22, जैता टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली।

तादादी: 170 वर्गफीट।

जी० एस० गोपा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली.

दिनांक : 30-1-1985

मोहर :

यह सूचना उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

**व्यवस्थापक आर्जी. एन. एस.**

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एक्यू०/3/37ईई/6-84/424

—अतः मुझे, जी० एस० गोपाल

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन, सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 110ए है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तर्गत सं० 110ए की धारा 269-ब के अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दाविले में कमी करने या उक्त वचन में सुविधा के लिए; आइ/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाउस, औ० सुपर बाजार  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली।  
(अन्तरक)

(2) श्रीमती किरण सिंह,  
धर्मपत्नी श्री ओ० एन० सिंह,  
निवावी-सी-2/90 मोती बाग,  
नई दिल्ली।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अनुसूची

श्री० नं० 110ए, जैना टावर, डिस्ट्री सेंटर, जनकपुरी  
नई दिल्ली।

तादावी : 170 वर्गफीट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

मोहुर :



रूप आई.टी.एन.एस.-----

ब्याजकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एम्बु०/3/37ईई/6-84/425

—अतः मुझे जी० एस० गोपाल,

ब्याजकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० जी-5ए है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण  
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम,  
1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भ्रम या अन्य मास्तिरों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
भ्रमकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार  
है, कि उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

30-486GI/84

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाउस, अयो० सुपर बाजार,  
कनाट मार्केस, नई दिल्ली।  
(अन्तरक)

(2) श्री अशोक कुनार मलहोत्रा,  
सुपुत्र श्री कुन्दन लाल मलहोत्रा,  
श्री योगिन्द्र कुमार,  
सुपुत्र श्री सीता राम,  
निवासी ए-82, विकास पुरी,  
नई दिल्ली-110018।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

बन्सूची

प्रो० नं० जी-5ए, जैना टावरे, डिस्ट्री सेन्टर, जनक  
पुरी, नई दिल्ली।  
तादावी 100 वर्ग फीट !

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

मोहर :

प्रकृत बाई. टी. एन. एस. 4 - - - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-अ (1) के अधीन सूचना

**बाजार बरकात**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी० एफ० यू०/3, 37/ईई/6-84/426—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-अ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० यू० जी०-14 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाउस, औ० सुपर बाजार,  
धनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती विद्या सेठी,  
धर्मपत्नी श्री सुरेश सेठी,  
निवासी-जी-8 एरिया हरी नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेक्ष :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**जनसूची**

(क) अन्तरक से हुई किसी भाव की वास्तु, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसके बचने में सहायता के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए

प्रो० नं० यू० जी०-14, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली।

नादादी : 105 वर्गफीट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अधीन :-

दिनांक . 30-1-1985

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/427---

अतः मुझे जी० एम० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या जी-9, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली के अधीन भारतीय आयकर अधिनियम 1961, तारीख जून 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया, प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, न धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
ग्रो० सुपर बाजार,  
कनाट मार्केस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री चरणजीत सिंह,  
सुरिन्दर सिंह सेठी,  
अमरजीत सिंह सेठी,  
कुलदीप सिंह सेठी,  
निवासी-बी/147, फतेह नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रा० नं० जी०-9, जैना टावर, डिस्ट्री सेंटर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी 55120 वर्ग फुट

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985  
मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/428—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 410-बी, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के अधीन तारीख जून 194

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और गया गया है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा-पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उलझे बचने से छुट्टी के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी भत्ता या अन्य जास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बचकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) डा० श्री ललित कुमार उप्पल  
श्रीरश्रीमती डा० श्रीमती के० एल० उप्पल,  
निवासी 2/286, जनकपुरी,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्तन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्तन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० 410-बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तावादी-180 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली।

तारीख : 30-1-85

मोहर :।

प्रारूप आई.डी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/429---

अतः मुझे, जी० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 604-बी है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक का दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

(1) जैना प्रोपर्टिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री सुरेन्द्र सेठी  
सुपुत्र श्री बी० के० सेठी,  
श्री नरेन्द्र सिंह सेठी  
सुपुत्र श्री बी० के० सेठी,  
निवासी—डब्ल्यू० जेड० एम०—33, न्यू महावीर नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्त :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

प्रा० नं० 604-बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी-130 वर्ग फिट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-85

मोहर :

प्रकृत बाई.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

### भाष्य सूचना

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/430—

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु से अधिक है

और जिसकी संख्या यू० जी०-23 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पूर्व प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सर्री हाऊस,  
ग्रो० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री कमल किशोर मिगल  
सुपुत्र श्री एम० एल० मिगल,  
निवासी-सी-3/191, जनकपुरी,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यान्वयन शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसाबबंद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० यू० जी० 23, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी 100 वर्ग फिट।

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निराक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली।

तारीख : 30-1-85  
साहू ६

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/431—  
अठ मुद्रा, जी० एस० गा० ल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/-रु में अधिक है

और जिसे निम्न मूल्य 00 जी०-6 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली  
में स्थित है (और इसमें उपायुक्त अनुसूची में पूर्व रूप में वर्णित  
है), सञ्चालन अधिपति का कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई  
दिल्ली; भारतीय आयकर अधिनियम 1961, के अधीन तारीख  
जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल में, एम दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरिती) के बीच होने अंतरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अंतरण लिखित में  
बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण में हुई किसी आब की वामन उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बावजूद भी  
कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
बाँ/बा

(ख) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य जास्तियों  
को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती दयाग प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाता पाट्टिए पा, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

धन: जब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण  
में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) जैना प्रोपर्टिज (प्रा०) लि०,  
एडिनाथ सरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राज खन्ना  
धर्मपत्नी श्री एस० डी० खन्ना,  
श्री स्वाम दास खन्ना  
सुपुत्र स्वर्गीय श्री किशोर चन्द खन्ना,  
निवासी-सी-300, विकासपुरी,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आशेष —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
अर्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-  
नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,  
यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जम्हूनी

श्री० न० यू० जी०-6, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनक  
पुरी, नई दिल्ली, तादादी-105 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1-1985

मोहर 3

प्रकृत आई.टी.एन.एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई०ए० सी०/एन०/3/37ईई/6-84/432-

अतः मुझे, जी०ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या यू० जी०-5 है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (ग्रीड 1 में उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है

कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायद ही कम करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. रिपार्मेंट में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री जैना प्रोभरटिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाय सरी हाऊस,  
प्रो० मुंर बाजार,  
कनाट मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री रवीन्द्र लाल मल्होत्रा,  
सुपुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल मल्होत्रा,  
निवासी ए-73-ए, किर्की नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

अन्य सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में प्राप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सूचीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनसूची

प्रो० न०-यू० जी०-5, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी-155 वर्ग फिट।

जी०ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख: 30-1-1985

माहुर :



प्रश्न बाह.टी.एन.एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/433--

अतः मुझे जी० ए० गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इससे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/-रु. से अधिक है

और जितकी संख्या जी-14, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961, के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और धरने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, अपने दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाविल्व में कमी करने या उससे बचने में सूचना के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वस्तुओं को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

31—486GI/84

(1) मै० जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सर्री हाऊस,  
ओ० सुपर बाजार,  
कनाट मार्केस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री राजेश भल्ला,  
श्रीर मुनिल कुमार भल्ला,  
निवासी-डब्ल्यू० जैड०-3वीं,  
सेक्टर नं० 3, कुष्णा पार्क,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में स्पष्ट भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होगी, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रा० न० जी-14, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी-100 वर्ग फीट।

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-85

मोहर :

प्रकृ. बाई. टी. एन. एस. -----

भायकउ अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ई/6-84/434—

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन मध्य प्राधिकारी को, यह विद्यमान करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु से अधिक है

और निम्नी सख्या जी०-6ए, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उदाहरण अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), राजस्व प्राधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में धारण या आयकर अधिनियम, 1961 के अर्जन दरख्त जून-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या कमी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या क्रिया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्

(1) मै० जैना ए० ए० (ता०) लि०,  
एडीनाथ मरी हाऊस,  
ग्रो० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कल, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री आई० ए० आनन्द,  
और ए० के० आनन्द,  
सुपुत्रगण स्वर्गीय श्री बी० ए० आनन्द  
निवासी-15/3बी, तिलक नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करशा हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी अपेक्षा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्तुकी

प्रौ० न० जी०-6ए, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी-90, वर्ग फीट।

जी० ए० गोपाल  
मध्यम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख 30-1-1985  
माहुर :

प्रमाण भाग, टी. एन. एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-3,

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एम्पू०/3/37ईई/6-84/435

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी पख्या जी-5, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम तारीख जून-1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में तात्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए बाँट/दा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जना प्रोपर्टिज (प्रा०) लि०,  
इलाहाबाद परा हाऊस,  
श्री० सुरर बाजार,  
कान्हाट मार्केट, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री परमजोत मिह अरोड़ा  
श्री श्री चरणजीत अरोड़ा,  
निवासी सी-35, फतेह नगर,  
जैन रोड, निलक नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेक्ष :—

के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अग्रहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रा० नं० जी-5, प्लॉट नं०-3, डिस्ट्री मेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादाशी-90 वर्ग फीट।

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),  
अर्जन रोज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-85

माँहर :

प्रकृत बाबू. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश नं० आई०ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/436—

अतः मुझे, जी०एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसमें पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सख्या जी-14-डी, है तथा जो जनकपुरी, नई  
दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से  
घणित है), रजिस्ट्रिकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3,  
नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961, के अधीन  
तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के  
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के  
दायित्व में एभी करने या उससे यत्न में हविषा  
के लिए, और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टीज (प्रा०) लि० 4,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमती राज रानी धर्मपत्नी श्री राज कुमार भल्ला  
सुपुत्र श्री डी० डी० भल्ला,  
निवासी-डी० ए०/198-डी,  
एल० आई० जी० फ्लैट,  
हरी नगर, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
जाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्री० नं० जी/14-जी० प्लॉट नं०-3, जनकपुरी, डिस्ट्री  
सेन्टर, नई दिल्ली, तादादी-100 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर :

प्रमुख आइ.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/437—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सूचना प्रार्थिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या जो-1, है तथा जो पश्चिम विहार, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित को गर्दा है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए वास्तविक प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का वास्तविक, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय नाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार मों, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्रीमती उषा रावल  
'धर्मपत्नी' श्री आर० के० रावल,  
निवासी सी-11, रमेश नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सरंला वर्मा  
'धर्मपत्नी' श्री सुरेन्द्र मोहन वर्मा,  
निवासी-ए-5/55, मोती नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्समंती व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्री० नं० जी-1, जैना कमर्शियल कम्प्लेक्स, पश्चिम विहार  
नई दिल्ली, तादादी-120 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-85  
मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/438—

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या बी-8 है तथा जो 19, कोम्प्यूनिटी सेन्टर, युसुफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है

और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरक) और और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी भाय या किसी भव या अन्य वास्तवों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण की है, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) बोम्बे बिल्डर्स इन्डिया (प्रा०) लि०  
18, मालवा मार्ग,  
कमणियल कम्प्लेक्स,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री हर्मा चन्दर साकुजा  
मुपुत्र स्वर्गीय श्री देवी धाम साकुजा,  
निवासी-ई-57, कालकाजी,  
नई दिल्ली-110019

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्री० न० स्टोर न० बी-3, अन्डर ग्राउन्ड, ओरियन्टल एपार्टमेंट, कम्प्युनिटी सेन्टर, युसुफ सराय, नई दिल्ली, प्लॉट न० 19, तादादी 327-06 बर्ग फिट

जी० ए० गोपाल  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-85

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

(1) श्री के० एल० मेहता

श्रीर डा० आत्मा देव शर्मा,  
निवासी-ए/41, पश्चिम इन्कलेव,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली।

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

(2) श्रीमती सुरजलत कौर

धर्मपत्नी एस० हरबस सिंह,  
निवासी एस-3, ग्रीन पार्क,  
दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपाहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया  
गया है।

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एन०/3/37ईई/6-84/439—  
अतः मुझे, जी० ए० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

श्रीर जिनकी संख्या 104 है तथा जो व-84, ग्रीन पार्क, दिल्ली  
में स्थित है (श्री: इसमें उपरोक्त अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है),  
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में  
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय मंगलूर में धारा  
269 ए बी के अधीन सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत  
किया गया है मुझे यह विश्वास

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच होने अन्तरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाध, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
साथत्व में कमी करने या उससे बचने में हानि  
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिये था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

अनुसूची

श्री० न० 104, फ्लैट फ्लोर, बहुमंजली कमर्शियल  
बिल्डिंग, आशीर्वाद के-84, ग्रीन पार्क, दिल्ली, (यू० सी०)  
छावादी 300 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली।

तारीख : 30-1-85

मोहर

रूप भाई.टी.एम.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/440-

अतः मुझे, जी० एम० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

श्रीर जिराकी सख्या एफ-10-बी, हैदराबाद जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर हमने उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार जिराकी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली; भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इष्टमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इष्टमान प्रतिफल से ऐसे इष्टमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुआ किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) जैना प्रोपर्टिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ मरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली;

(अन्तरक)

(2) श्री कदलजीत सिंह बेदी  
सुपुत्र श्री ए० ए० ए० बेदी,  
श्रीमती कृष्णा मेहता  
धर्मपत्नी श्री डी० डी० मेहता  
निवासी—ए2/73, राजौरी गार्डन,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्वन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

श्री० न० एफ 10-बी, जैना टावर, डिस्ट्री सेक्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली, तादादी—180 वर्ग फिट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-85  
माहिर :



प्रकृत बाह्य टी. एन. एड.-----

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/441—

अतः मुझे जी० ए० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. में अधिक है

और जिसकी संख्या यू० जी० 13, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्दह प्रतिपात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय माना गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में अधिस्त नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने के उद्देश्य के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—  
32—486GI/84

(1) जैना प्रोपर्टिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
प्रो० सुपर बाजार,  
कनाट मार्केस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री परमजीत सिंह अरोड़ा  
और श्री चरणसिंह अरोड़ा  
निवासी—सी-35, फतेह नगर,  
जैल रोड, तिलक नगर, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधाएं :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरों के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

बतावदीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, या उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, नहीं उल्टा होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० यू० जी०-13, प्लॉट न०-3, जनकपुरी, डिस्ट्री  
सेन्टर, नई दिल्ली, तादादी-155, वर्ग फिट

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-85

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/442—

अतः मुझे, जी० एल० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सूचना के अन्तर्गत सूचना के कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 111-ए, है तथा जो जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

का पत्रोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए आंशिक रूप से और यदि यह प्रतिफल करने के कारण है कि स्थावर सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरक) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय धारा प्रतिक्रिया निर्माणांकित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।

(क) अंतरण से है कि किसी आश की वास्तविक आय अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व से हमें करने या उचित बाजार मूल्य से अधिक है।

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में संविधा के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

- (1) जैना प्रोपरटिज (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाऊस, श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली  
(अन्तरक)
- (2) मै० गायत्री इन्टरप्राइज,  
श्रीमती आशा अग्रवाल,  
श्रीमती रेखा रानी गुप्ता,  
निवास-23 ए, एल० आई० जी० फ्लैट,  
रामपुरा, दिल्ली  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सम्पन्न होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाह्यताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्री० न०-11ए, जैना टावर, डिस्ट्री सेन्टर, जनकपुरी,  
नई दिल्ली, तादादी-130 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-85

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-844/43—

अतः सुझे जी० एम० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी संख्या 107, है तथा जो प्लॉट नं० 11, युसुफ सराय, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या बन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री आर० पी० अपार्टमेंट (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) कुमारी गराकी रानी गोगना,  
मास्टर राजीव गोगना  
सी/श्री श्री अमीत लाल,  
निवासी जे-62, राजौरी गार्डन,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में विद्यमान है।

अनुसूची

श्री० न० प्लॉट न० 107, प्लॉट न०-11 युसुफ सराय,  
नई दिल्ली, तादादी-260 वर्ग फिट।

जी० ए० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली नई दिल्ली-110002

तारीख : 30-1-85

सोहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस्. - - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/444—

अतः मुझे जी० एस्० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 281, है तथा जो युसुफ सराय, नई दिल्ली,  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज 3, नई  
दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख  
जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
बहु प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की भावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर बने के अन्तरक के  
बाधित में कमी करने या इससे बचने में सविधा  
के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी भाव या किमी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था दिखाने में  
सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री अशोक कुमार अग्रवाल,  
निवासी—बी 7/107, सफदरजंग इन्कलेष,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री आर० पी० अपार्टमेंट (प्रा०) लि०,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवन्ध किसी  
बन्ध व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित  
में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विधा  
गया है।

नन्सुकी

प्री० न० 201, कर्मशियल कम्प्लेक्स, युसुफ सराय,  
नई दिल्ली, तादासी-220 वर्ग फिट।

जी० एस्० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली नई दिल्ली-110002

तारीख : 30-1-85

मोहुर

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए०सी०/एक्यू० 3/37/ईई6-84/445—

अतः मुझे जी०एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी संख्या 111, है तथा जो 4, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे, यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के अभाव में अधिक है और अंतरक (अंतरका) और अंतरता (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) में उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजन में अन्तरित दंडा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम का धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० राधानी बिल्डर्स, प्रो० मोहता इन्डस्ट्रीज लि०  
आत्मा राम हाऊस,  
1, टोलसटाय मार्ग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती नीलम शर्मा,  
निवासी जैड-5, वेस्ट पटेल नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिता)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करनी हों।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन का अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अधिक अवधि में सम्पन्न होती हो, के भीतर पूर्वोक्त सम्पत्ति में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहुस्नाक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न०-111, पहली मंजिल, प्लॉट न० 4, बीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 515.5 वर्ग फिट

जी०एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली-110002

तारीख : 30-1-1985  
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/446—

अतः मुझे जी०एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

अर्जिसकी संख्या 207, है तथा जो ए/2, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारियों के कार्यालय अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बावजूद अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसे किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धारा-269-ब अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री सतीश चावला  
सुपुत्र श्री लाघया मालगी,  
निवासी-281-एल,  
माडल टाउन, करनाल ।

(अन्तरक)

(2) श्री शिवलोक प्रोपरटीज,  
एडीनाथ सरी हाऊस,  
श्री० सुपर बाजार,  
कनाट सर्कस, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिए गए हैं ।

अनुसूची

प्रो० सं० 207, मिशन सिनेमा कम्प्लेक्स, ए2, नजफगढ़ रोड, इमरजियल कम्प्लेक्स, नई दिल्ली, तादादी-500 वर्ग फिट ।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली/नई दिल्ली-110002

तारीख : 30-1-85

माहूर :

प्रकृत आर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देशां सं० आई० ए० सी०, एख्यू०/3/37ईई/6-84/447—

यतः, मुझे, जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य  
25 000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या 208 है तथा जो सी-3, करमपुरा, कम्युनिटी  
सेन्टर, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय,  
अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961  
के अधीन तारीख जून 1984

तो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
सन्तुष्ट प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की गणना उक्त अधि-  
नियम में अधीन कर देने के अन्तरक के शक्ति में  
कमी करने या जबसे करने में सुविधा के लिए,  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन  
कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तर्गता द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

यतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
हैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

(1) श्रीमती कुसुम सन्धु  
और श्री मादाविन्दरासिंह सन्धु,  
निवासी-बी 171, ग्रेटर कैलाश-I,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मधु गुप्ता  
निवासी-10/2, जय देव पार्क,  
नजदीक पंजाबी बाग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पत्रागत सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों कागज हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में  
की तामीत में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

जनसूची

प्री० न० 208, दूसरी मंजिल, बिल्डिंग नं० सी-3, करम  
पुरा, (यु० सी० एम० बी०) कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली—  
तादादी—280 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख: 30-1-85

मोहर

प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०, ए०, 3, 37ईई/6-84/448—

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल,  
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है  
श्रीय जिसकी संख्या 203 है तथा जो प्लॉट नं० आर-6, हीज  
खास, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपावृत्त अनुसूची में और  
पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन  
रेंज-8, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन  
तारीख जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती  
(अन्तरितीय) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिखित में  
वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, आयकर  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा पकड़ नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा  
के लिए.

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कर्ण जित सिंह,  
निवासी एफ-62, ग्रीन पार्क,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री रामामूर्ति,  
निवासी-111, ई-12, लाजपत नगर,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,  
वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया  
है।

अनुसूची

प्रौ० नं० 203, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नं० आर-6, हीज  
खास, नई दिल्ली, तावादी 1319.35 वर्ग फ़ीट।

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

तारीख : 30-1-85

मोहर :



प्ररूप बाह्य. टी. एन. एम. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का  
धारा-269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी० ए० ए० 3/3कईई/6-84/449--

अतः मुझे, जी० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी संख्या एफ-101 से 104 है तथा जो प्लॉट नं०  
4, बीकाजी कामा प्लेग दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध  
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के  
कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम  
1961 के अधीन जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि सहायक आयकर सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया  
गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
के वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आब की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-  
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था  
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

33—486GI/84

(1) मै० राजधानी विल्डर्स,  
प्रो० मोहना इन्डस्ट्रीज लि०,  
आत्माराम हाउस, 1, टोलस्टाय मार्ग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

(2) मै० ओडियन इन्डस्ट्रीज इन्फ्रासंस्ट्रक्चर,  
डेवलपमेन्ट कारपोरेशन,  
पोस्ट बॉक्स नं० 7,  
हौज खास, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में काई भी बाधाएं

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

सम्पूर्ण

प्रो० नं० एफ-101 से 104, पहली मंजिल, प्लॉट नं० 4,  
बीकाजी, कामा प्लेग नई दिल्ली, ताकादी 1588, बर्ग फिट

जी० एम० गोपाल  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-2, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-85  
माहूर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-8, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/450-

अतः मुझे जी० एस० गोपाल

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें हमने इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिनकी सख्या एफ-106, हे तथा जो प्लॉट नं० 4, बीकाजी कामा, प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है और हममें उगावद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जून 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरिक की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिक (अन्तरिकियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित तर्कों में उक्त अन्तरक निहित में काम-विशेष कर स करवा दी जायगा :-

(1) अन्तरक न तब तक किया जाय जो अन्तरक उक्त अधिनियम के अधीन करदान के अन्तरक के अधिनियम से कम करान या उससे कम में सुविधा के लिए होयगा

(2) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आम्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिकी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या किया जा सकता है के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

(1) मै० राजध नी बिल्डर,  
प्रॉ० मोह 1, टोलस्टाय मार्ग,  
आल्हा राम हाउस 1, टोलस्टाय मार्ग,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमती सारगा देवी धर्मपत्नी श्री एस० के० साकवर  
निवासी 2, पालम मार्ग,  
बसन्त विहार, नई दिल्ली

(अन्तरिकी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करवा हों।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन का सम्बन्ध में काम भी आक्षेप:-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में उगावद्ध होगी है, में भी उक्त पूर्वोक्त व्यक्तियों से उक्त अर्जन के लिए

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रॉ० नं० एफ०-106 प्लॉट नं० 4, बीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली, नादादी-205, वर्ग फिट

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख 30-1-85  
माहूर :

प्ररूप आई.टी.ए.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3, दिल्ली

दिल्ली, दिनांक 30-1-1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एल्यू-3/37ईई/ज-3/151

—अतः मुझे जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सूचना अधिनियम की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित मूल्य सूच्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीय जिसकी संख्या 190 है तब जो प्लॉक बी-2, पश्चिम विहार नई दिल्ली, में स्थित है और अपने उदात्त अनुचो में पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय अर्जन रेज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन तारीख जून 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य एक कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में अधिक है और अतरक (अतरकों) और अन्तरिणी (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी काम की शकत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तित्वों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 1) या उक्त अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधिनियम अन्तर्गत द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या अन्यथा जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तिगतों, अधीन

(1) श्री मुल्कराज  
निवासी-9, 8 पजाबी बाग,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमती गुरुबचन कौर  
निवासी-गज-58 बाबी नगर,  
नई दिल्ली

(अन्तरिणी)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए आवश्यकता शुरू करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिनों के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—उक्त सूचित शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

श्री० न० प्लॉक न० 190, प्लॉक बी-2, पश्चिम विहार,  
नई दिल्ली, तादादी 150 वर्ग गज।

जी० एस० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-3, नई दिल्ली

तारीख 30-1-85

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ग की उपधारा (1) के अन्तर्गत

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/452—

अतः मुझे जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 103 है तथा जो प्लॉट नं० 22 यूसुफ सराय नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्वीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून 1, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण में लिखित वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तविक उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के क्षयित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तविकता का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोग के अन्तर्गत द्वारा प्रकृत नहीं किया गया या राशि का अन्तर्गत या, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री भनोट प्रोपर्टीज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०  
102-103 राजा हाउस 30-31 नेहरू प्लेस  
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. मास्टर राल नायर और कुमारी राधिका नायर,  
सी/ओ श्री वी० नायर  
निवासी सी-5 फ्रैंड्स कालोनी (ईस्ट)  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में लिखित जा सकेंगे

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० 103 पहली मंजिल बनी हुई बिल्डिंग प्लॉट  
नं० 22 कम्प्यूनिटी सेन्टर यूसुफ सराय नई दिल्ली तादादी  
385 वर्ग फिट ।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 3, नई दिल्ली

-तारीख : 30-1-1985

मोहर :

प्रकृषु शाह, टी. एन. एस्. —

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सं०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/453—

धृत: मुझे, जी० एम० गोपाल

भाषकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु से अधिक है

श्री जिसकी सं० 104 है तथा जो प्लॉट न० 22 युसुफ सराय  
नई दिल्ली में स्थित है (श्री इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्री  
पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्वोक्त अधिकारों के कार्यालय  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय अर्थकर अधिनियम 1961  
के अधीन दिनांक 1 जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूल्य यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
शायित्य से कमी करने या उसमें बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) का उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए,

धत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. भरीट प्रोर्टेज एण्ड इन्डस्ट्रीज लि०  
102-103 राजा हाऊस 30-31 नेहरू प्लेस  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मीरा नायर  
द्वारा श्री बी० नाथर  
निवासी सी-5 फैंड्स कालोनी (ईस्ट)  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
आक्षेप के लिए उचित सुविधा द्वारा

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधाहस्ताक्षरी  
के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परि-  
भाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय  
में दिया गया है।

बन्सूची

प्रो० न० प्लॉट न० 101, पहली मंजिल, बनी हुई  
बिल्डिंग प्लॉट न० 22, कम्यूनिटी सेंटर, युसुफ सराय नई  
दिल्ली, तादादी 2805 वर्ग फीट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

मोहर

प्रत्यक्ष कार्य- डी. एन. एड. —————

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निर्देश अ.ई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/454—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 303 है, तथा जो प्लॉट नं० 22, यूसुफ सराय,  
नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और  
पूर्ण रूप से बाधित है) रजिस्ट्रार अधिकाारी के कार्यालय  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961  
के अधीन दिनांक 1 जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरती  
(अन्तरती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तु-  
विक्रय से बाधित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तुओं  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब का उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. भोट प्रो.बी.ए.एण्ड.इण्डस्ट्रीज, लि०  
102-103, राज. हाऊस, 30-31, नेहरू प्लेस  
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री विजय गुप्ता,  
निवासी चिरनजीव टावर, 43, नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त संपत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अर्थात् हस्ताक्षरी के  
पास लिखित में ;

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अन्तर्गत (1) के अन्तर्भाव में  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 303, तीसरी मंजिल, धनी हुई बिर्लाडगड, प्लॉट  
नं० 22, कम्प्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली (तादादी, 504 वर्ग फीट)।

जी० एम गोपाल  
आयकर प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, दिल्ली।

दिनांक : 30-1-1985

मोहर ।

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवर, 1985

निदेश सं० आ.ई० २० सा०/ए.ए.०/3/37ईई/ 6-84/455--

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विध्वंस करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसका सं० 301 है तथा जो प्लॉट नं० 22, यूसुफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है (और उपरोक्त पन्द्रह अनुसूची में सी० जे० पूर्ण रूप से वर्णित है) के लिए कर्ना अधिकांश के कार्यालय अर्जुन रेंज-3, नई दिल्ली, भारत सरकार अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक 1 जून, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की शक्ति, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एस किसी अन्य वाणिज्यिक या अन्य आस्तियों का, अन्तः भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 के अधीन आय कर अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 के अधीन आय कर अधिनियम के अन्तर्गत अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, अन्तर्गत अधिनियम के लिए

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति को, अर्थात् —

1. भनोट प्रोपर्टीज एण्ड इन्स्ट्रुमेंट्स लि०,  
102-103, राजा हाऊस, 30-31, नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. जैनी साव एण्ड बिनर भिल्स (प्रा०) लि०  
2045/2, चूना मण्डा, स्ट्रीट नं० 6,  
पहाड़ गंज, नई दिल्ली ।

तारिखी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सम्पन्न होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बनसूची

प्रो० नं० 301, त.सरी मंजिल, बनी हुई, बिल्डिंग, प्लॉट नं० 22, कम्प्यूनिटी सेन्टर यूसुफ सराय, नई दिल्ली, तादादी-505 वर्ग फीट

जी० ए० गोपाल

सक्षम प्राधिकार;

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जुन रेंज, 3 नई दिल्ली

तारिख : 30-1-1985

मोहर

प्ररूप बाई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/456—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विषयम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उद्दिष्ट बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

श्री र जिनकी सं० 302, है तथा जो प्लॉट नं०-22, युसुफ सराय नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली, भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्तके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकां) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए दाय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण सिद्धित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की दावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिय. को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) भनोट प्रोपर्टीज एण्ड इन्स्टीज लि०  
102-103, राजा हाउस, 30-31,  
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) जैना साव एण्ड विनर मिल्स (प्रा०) लि०  
2045/2 चूना मण्डी स्ट्रीट नं० 6  
पहाड़ गज नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेपः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्धक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताधारी के पास निश्चित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और बर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जम्सूची

प्रा० नं० 302, तीसरी मजिल, बनी हुई बिल्डिंग 4 प्लॉट नं० 6  
कम्पनिटी सेक्टर, नई दिल्ली, तादादी-504 वर्ग फिट ।

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन क्षेत्र-3, नई दिल्ली

तारीख : 30-1-1985

माहिर :



प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एफ्यु०/3, 37ईई/6-84/457—

अतः मुझ, जे० एम० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. में अधिक है

अ रजिस्ट्री सं० 100, है तथा जो प्लॉट नं० 22, युसुफ सराय, नई दिल्ली में स्थित है, (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली भारत, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन जारी जून, 1984,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास मुझे यह विश्वास करने का कारण

यथा पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नह किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किना जाना चाहिए या छिपाने में सविधा के लिए;

(1) भनोट प्रोपर्टीज एण्ड इन्वस्टिज लि०  
102-103, राजा हाउस, 30-31, नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री सुरेश कुमार गुप्ता  
सुपुत्र श्री हरीश गुप्ता,  
निवासी-एन-8,  
पंचशील पार्क, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए आवश्यकता करती है :

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों की सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशित की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में विवरण आयेगा।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सन्तुष्टी

प्रो० नं० 105, पहली मंजिल, बनी हुई बिल्डिंग, प्लॉट नं०  
22, कम्युनिटी सेन्टर, नई दिल्ली तादादी-347 वर्ग फिट ।

जे० ए० गोपाल,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

अतः रु०, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरक में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

34—486GI/84

तारीख : 30-1-1985

मोहर :

रक्षक बाई. टी. एन. एन.-----

भायकटु अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एड्यू०/3137ईई/6-84/458---

अतः मुझे, जी० ए० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 304, है तथा जो प्लॉट नं० 22, युसुफ मराय,  
नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और  
पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन  
रेंज-3, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन,  
तारीख जून, 1984

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि वधापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह  
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित  
में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(1) भनोट प्रोपर्टीज एण्ड इन्व्स्टिज लि०

ई 102-103, राजा हाउस,  
30-31, नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) मै० आल आर्टे

डी०-5 वेस्ट इन्ड०,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियों करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि; जो भी  
अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाल  
लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है,  
वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया  
है।

सन्तुष्टि

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को निम्न भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

प्रो० नं० 304, तीसरी मजिल, बनी हुई बिल्डिंग, प्लॉट  
नं० 22, कम्युनिटी सेक्टर, नई दिल्ली, युसुफ मराय, नई दिल्ली  
ताबादी-505 वर्ग फिट

जी० ए० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय  
में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

तारीख : 30-1-1985  
मोहर

प्रमुख आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/459—

अतः मुझे जी० एस० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000 - रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 101 है तथा जो आर-1, हौज खास, नई दिल्ली,  
में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से उचित,  
है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली  
भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन तारीख जून, 1984

को पूर्वाक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भूके यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और  
अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में  
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोज-  
नार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था  
या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री कर्ण जीत सिंह,  
निवासी-12, रीगल बिल्डिंग,  
पालियामेंट स्ट्रीट,  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्रीमति मनमोहन कौर,  
निवासी- बी०-57, सर्वोदय, इनधलेव,  
नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० 101, प्लॉट नं० आर०-1, हौज खास, नई दिल्ली,  
तादासी-1030 वर्ग फिट

जी० एस० गोपाल  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, 3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

मोहर

प्रकृत बाई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एफ०/3/37ईई/6-84/460—

अतः मुझे, जी० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसको सं० 301 है, तथा जो आर-1 हौज खान, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकाारी के कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एक दृश्यमान प्रतिफल का दृश्य प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की नाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कर्णजोत सिंह,  
निवासी-12 रोगल बिल्डिंग  
पालियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री ताराचन्द वर्मा और श्रीमती निशा मालिक  
निवासी एच-523, सरोजिनो नगर  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

प्रो० नं० 301, प्लॉट नं० आर-1, हौज खान नई दिल्ली,  
ताबादो 1005 वर्ग फिट ।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

मोहर

## प्रारूप आई. टी. एन. एस. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/461—

अन: सुझे. जो० एस० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
उक्त पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने  
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 302 है तथा जो आर-1, होज खंसा नई  
दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण  
रूप से वणिज्य है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन  
रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961  
के अधीन दिनांक जून 1984

का पृष्ठांकित सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूल्य यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वकत सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उक्तके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितीया) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया  
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में  
वास्तविक रूप से वणिज्य नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य जास्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण  
का, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री कर्णसिंह  
निवासी-12, रागल विल्डिंग  
पार्लियामेंट स्ट्रीट  
नई दिल्ली-110001

(अन्तरक)

2. श्रीमती हेमलता मेहता,  
निवासी-43, नाउथरन एवेन्यू  
कलकत्ता-29

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृष्ठांकित सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये प्रयुक्त शब्दों का अर्थ :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन का अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित प्राप्त  
किया अन्य पृष्ठांकित सम्पत्ति के अन्तरण के लिए  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

### अनुसूची

प्रो० सं० 302 पन्ना सं० आ-1, होज खंसा नई दिल्ली  
तादाथी 1000 वर्ग फिट।

जी० एस० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985  
माहुर :

## प्ररूप आई.टी.एन.एस-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई०.ए०.सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/462—

अत. मुजे, जी० एम० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसका पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

प्रॉपर्टी सं० 364-ई है तथा जो 364-ई निर्माण विहार, दिल्ली-4 में स्थित है (प्रॉपर्टी में उपावृत्त अनुसूची में प्रॉपर्टी जो पूर्ण रूप से वर्गित है), रजिस्ट्रारकी अधीन कार्यालय अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मूके यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तर्गती (अन्तर्गतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्त्रियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तर्गती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती/ पी० एस० कनवाल और श्रीमती कुलदीप कौर निवासी 21/101 लोधी कालोनी नई दिल्ली-3

(अन्तरक)

2. श्रीमती राजया सुन्नान धर्मपत्नी श्री इन्तजार अहमद सिद्दीकी निवासी-2139 एम० पी० स्ट्रीट, नजदोक पार्टीदो हाउस दारिया, गंज दिल्ली।

(अन्तर्गती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

## अनुसूची

प्रॉ० सं० 364-ई, निर्माण विहार, दिल्ली, तादावी 802 वर्ग फिट।

जी० एम० गोपाल  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985  
माँहर :

प्रकृत बाई. टी. एच. एच. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/3/37ईई/6-84/463—

अतः मुझे जी० एन० गोपाल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सूचना प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 100,000/- रु से अधिक है

और जिपकी सं० बी-1 है, तथा जो 20, युसुफ मराय, नई दिल्ली में स्थित है (और हमें उपावृद्ध प्रतिसूचों में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) राजस्वोक्त अधिकारों के कार्यालय, अर्जन रेंज-3 नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अर्जन दिनांक जून, 1984

का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और भर्त्सक विश्वास करने का कारण है कि गणापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरण (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिणियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्यों से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीर्तित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तिबों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाँहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. आकमफोर्ड इंजिनियर्स, (प्रा०) लि०  
18, कैमिगलस कम्प्लैक्स मानचा मार्ग,  
डिप्लोमैटिक नक्शेब, नई दिल्ली-4  
(अन्तरक)

2. श्रीमती इंदिरा कोहली,  
निवासी 11/ए-13, मोती बाग,  
नई दिल्ली।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में अतबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्टोर नं० बी-1, आधार प्लॉट नं० 20, श्रीविजयलक्ष्मी अपार्टमेंट, बिल्डिंग, कम्प्यूनिटी सेन्टर, युसुफ मराय नई दिल्ली तादादी, 360.79 वर्ग गज।

जी० एन० गोपाल

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-3, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महात्मा जवाहर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/पञ्च 1/37ईई/6-84/892—

धतः सुधो सुधोर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
मके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन मध्यम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० एस-466 ई तथा जो ग्रेटर कैलाश-2 नई  
दिल्ली में स्थित है (और जहाँ उक्त उद्देश्य प्रत्यक्ष और जो पूर्ण  
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अथवा अथवा कार्यालय अर्जन  
रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के  
अधीन दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई और मूल्य यह विश्वास  
करने का कारण है कि मध्यम प्राधिकारी का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एस दृश्यमान प्रतिफल का  
एक प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और  
अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय  
पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण  
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
हायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहे था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

धतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
में, मू, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. राजस्थान ऑफिसर्स वेलफेयर फंडेशन प्रा० लि०  
भोलवारा भवन 40-41 कम्पुनिटी सेक्टर  
न्यु फोर्ब्स कालोनी नई दिल्ली-65  
(अन्तरक)

2. मेसर्स हिन्दुस्तान इलेक्ट्रो-ग्रार्फोल्स लि०  
40-41 कम्पुनिटी सेक्टर न्यु फोर्ब्स कालोनी  
नई दिल्ली  
(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाही शुरू करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्यन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अध्याहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

बनसुधी

प्लॉट नं० 466 ब्लॉक 'एस' ग्रेटर कैलाश-2 नई दिल्ली  
ताबादी 551 वर्ग गज।

सुधो चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

दिनांक 29-1-1985

साहू :



**प्रकरण आई.टी.एन.एल.**

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली/दिनांक 29 जनवरी 1985

निदेश सं० आई.ए० सी०/एनयु०/1/ 7ईई/6-84/894E

प्रतः सुधर चन्ना,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- से अधिक है

और जिसका सं० 83 और 84 है तथा जो 28 बाराखम्बा रोड नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपरोक्त अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से अर्जित रजिस्ट्रीकर्ता अधिवार के कार्यालय अर्जुन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा उचित संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकी) और अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से अधिगत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, बिना भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 1) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

35-486GI/84

1. श्री गोपाल दास इस्टेट्स एण्ड ट्राडिंग प्रा० लि०,  
28-बाराखम्बा रोड नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री देवी महल कोइली (एन० ए० एफ०),  
एन/22 सिविल टाउन जि:  
राउरकेला-4 एरिया-7 और 8।

(अन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके उक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहरताधारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रकृत कथन और धारा का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 के में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

स्पेस नं० 83 और 84 लोवर आउटड प्लोर डा  
गोपाल दास भवन 28-बाराखम्बा रोड नई दिल्ली तादाथी  
367.46 वर्ग फीट स्पेस नं० 83 (133.66 वर्ग फीट  
स्पेस नं० 84 (233.80 वर्ग फीट)।

सुधर चन्ना  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर-आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जुन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक 29 जनवरी 1985

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/895-

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 904/21 है तथा जो काठवाड़ा रोड

दिल्ली में स्थित है (और इन उदाहरण अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित र) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून 1984

के पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय जयानगर में धारा 269 ए.बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास

करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में अस्तित्व रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आम की भावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. मै० जिजाक्स एब्स  
प्रो० हिल्टन इजो।नयस प्रा० लि०  
40 नवयुग मार्केट गातियाबाद (यू० पी०) ।  
(अन्तरक)
2. श्रीमती शकुन्तला साहनी पत्नी श्री टी०आर० साहनी,  
अनुपमा चन्दोक और अंशु चन्दोक (माइनर)  
काटेज 30 वेस्ट पटेल नगर  
नई दिल्ली।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सम्पन्न होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० 904 तादादी 595 बर्ग फीट 21-बाराखम्बा रोड नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985

मोहर :-

प्रमाण आदि के लिए ए.स.स. 1985-86

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य

भारत सरकार

महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/एक्यू०/1/37/दि०/6-84/897--

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 806 है तथा जो 13-मालवा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (श्री. उदय उभावद्व अनुसूचक प्रा. जो पूर्ण रूप से वर्णित है) राजपत्र अतिरिक्त अधिकारों के अधीन अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में प्रकाशित राजपत्र अंक 1981 के अधीन दिनांक जून 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से उस के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरण की गई है और इसका यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एस दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और उत्तरक (उत्तरक) और अतिरिक्त (अतिरिक्त) के बीच एस अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देन के अन्तरक के अर्थ में कोई कर देन या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसो किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहते थे; छिपान में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. श्री संजय बंसल  
निवासो-बो-15, ग्रेटर कैलाश-1  
नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्रीमती रितु सचदेवा।  
निवासो बो/एन (पूर्वी) 33-शालीमार  
निवासाय योजना, दिल्ली

(अतिरिक्त)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए अन्तरण किया जाता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपत्ति :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकते हैं।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ऑफिस स्पेस प्लट नं० 806, तादादी 390 वर्ग फीट  
8वीं मंजिल बहु-वांजनी इमारत, टालस्टाय मार्ग,  
नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985

मोहर :

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

\* अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/898--

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ र. से अधिक है

और जिसकी सं० 803, है, तथा जो 13, टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इसे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि उपावद्ध सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से कुछ किसी वास्तविक वास्तव, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक रूप से कथित करने या उसके अन्तरण से सूचना आदि; और/वा

(ख) ए० सी० किसी भाग या किमी भूज या अन्य वास्तविक को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, वा. भन्कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था लिखित में सूचना आदि;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसार मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री एम० पी० बंसल,  
निवासी बी-15, ग्रैंडर कैलाश-1,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री मति साहनी,  
पत्नी श्री अशोक बे० मुखर्जी,  
निवासी ई-13ए/26, माडल टाउन,  
दिल्ली-9

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कराई गईं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वास्तविक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

सुधीर चन्द्रा

आफिस स्पेस न० 803, नंदादी, 390 वर्ग फीट, 8 वीं  
मंजिली बहु-मंजिली इमारत, 13 टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-1985

मोहर

प्रकृत आर्.टी.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
269-अ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 1985

निदेश सं० आर्.टी.एस. सी०/ए.कि०/1/37ईई/6-84/901-

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-269-अ के अधीन मध्यम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 802 है, तथा जो 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/अधीनकारी के कार्यालय, अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961, के अधिनियम दिनांक जून, 1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक की गह्र और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उपद्रोश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधिनियम देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने का उसमें उक्त अधिनियम के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या विक्रय धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोगार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-अ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. कुमारी मानिनी, भरत राम, (माइनर),  
मार्फत, श्री विवेक, भरत राम,  
25-प्रदर पटेल रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. भरत राम फाउन्डेशन,  
25- प्रदर पटेल रोड,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी शिकायत :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कमिश्नरियल प्लॉट, न० 802, बहु मंजिलों इमारत, 22  
कस्तूरबा गांधी मार्ग नई दिल्ली, तादादी 555 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा,  
सहायक प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज 1, नई दिल्ली

दिनांक : 28 जनवरी, 1985

माहुर :

प्ररूप आई. टी. एन. एम. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वि०/1/37ईई/6-84/90 2-

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० एम-71 है, तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० प्रवासी इण्डरप्राइजेज, लि०  
27-ब्रेवर्न रोड, 10-फ्लोअर,  
नारायणी बिल्डिंग, कलकत्ता ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती राजन नेहरू और श्री० वी० वाई० नेहरू,  
कर्ता, आर० के० नेहरू, (एच० यु० एफ०),  
तथा अटार्नी,  
डो-11/20/, काका नगर, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिता पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

पहली मंजिल, और वरसाती मंजिल न० एम-71,  
ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली, तादादी, 1800 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1अ नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985

माहूर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्वि०/1/37ईई/6-84/903-

अतः सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिनको सं० 609 है, तथा जो 22 ... जी० मार्ग, नई दिल्ली, में स्थित है (आर इनसे उपावृद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से दर्ज है) रजिस्ट्रार/अधीनकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अर्जन दिनांक जून, 1984

को प्रदान की सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और भर्त्सक यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-  
अधिनियम के अधीन कर दान के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए, अर्ज/या

(ख) एसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा  
के लिए;

अतः अध, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती शीला भरत राम,  
25, सरदार पटेल रोड,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. भरत राम फाउन्डेशन,  
25 सरदार पटेल, रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों  
में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है ।

अनुसूची

कमिश्नरियल फ्लैट नं० 609, बहु-मंजिली इमारत, 22-  
कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, तादादी, 522 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकार;  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक 30-1-1985  
मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी./एफि०/2/37ईई/6-84/905-  
अतः मुझे मुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे हममें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि म्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी न० 18/21 है, तथा जो बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली  
में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप  
वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1,  
नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन  
दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
करने का कारण है कि तथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती  
(अंतरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्त-  
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से 'है' किसी आय की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को  
दृष्टि में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री शिवोपूर, राज जोगिन्दर कपूर  
2720, अजमल खान रोड, राज बाग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री भजन सिंह चौहान  
(2) श्री समथोर राजन चौहान,  
(3) कमारी सुजाता, चौहान,  
निवासी, डी-6/27, बमन्त बिहार, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्चन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्चन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख में 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त म्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

महसूची

प्लेट न० 18, पहली मंजिल, मन्दी स्टोरी बिल्डिंग,  
21-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली तादाती, 595 वर्ग फीट।

मुधीर चन्द्रा  
मक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-84  
मोहर :



प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एफिव०/1/37ईई/6-84/917—

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० 6/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपायुक्त अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत; उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

36—486 GI/84

1. मी० नेहरू प्लेस, होटलस, लि०  
इरोज भिनेमा, बिल्डिंग, जंगपुरा, एकपटेशन  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मास्टर, आशीश खेरा और कुमारी भावना खेरा,  
द्वारा, श्री एस० सी० खेरा, निवासी 213,  
न्यु दिल्ली, हाउस,  
27, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-1

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सम्पन्न होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस नं० 6, ब्लाक 'ई', 6-वां मंजिल, हॉटल, कम-कमर्शियल  
कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादा, 735 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक 28-1-85

मोहर :

## प्रथम भाग टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निदेश सं. आई. ए. सी. 0/ए. वी. 0/1/37ईई/6-84/918---

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सूचना प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिनकी सं. 9/ई, है तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपाखण्ड अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप में वर्णित है) अभ्युक्ति अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

का पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय-पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छुपाने में सूविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री. नेहरू प्लेस, होटल लि०  
इरोज, दिल्ली, दिल्ली, जगपुरा, एक्नटेशन, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री. नन्दार फार्मास्टर एण्ड इजानियर्स, प्रा० लि०  
बा-1/8, मालवीय नगर, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधक :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वृद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अभ्युक्ताधिकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सं. न० 9 बंकाक, 'ई' 6-वा मजिल, होटल-कम-कशियल,  
कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 484 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

दिनांक 29-1-85  
सोहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वि०/1/37ईई/6-84/919-

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 9/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिहारों के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और एक यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिता (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कीमत नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिता द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. म० नेहरू प्लेस, होटलस, लि०  
इरोज, सिनेमा, विल्डिंग, जंगपुरा, एक्सटेंशन,  
जनई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती मधुबाबा पत्नी, श्री एस० के० बाबा, और  
श्री एम० के० बाबा सुपुत्र श्री जी० एस्० बाबा,  
4 धरम मार्ग, डिप्लोमैटिक इनकलेव, नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिता)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

**अनुसूची**

स्पेस नं० 29, ब्लॉक ('ई', 6-वीं मंजिल, होटल-कम-कर्मशाला, कम्पलैक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, ताबादी 638 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, नई दिल्ली

दिनांक 29-1-1985

माहर :

प्रत्येक भाग में, टी. ए. ए. ए. ए.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-1, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवर, 1985

निर्देशन सं. आई. ए. सं. प्रक्यु. 1/37ईई/6-84/920--

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं. 13/ ई ई, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूच में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारता अधिभार, के कार्यालय अर्जन रज-1 नई दिल्ली में भारत में आयकर अधिनियम, 1961 के अधिनियम दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बन्धु प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विहित से वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरक से हुई किसी भाग की यावत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक में कमी करने या उसमें वचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) कोई किसी भाग या किसी धन या अन्य वास्तविकों की, सिन्हा भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धर-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोगवार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, विधान में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० नेहरू प्लेस, होटल, लि०  
इराज गिनेमा बिल्डिंग, जगपुरा एक्सप्रेस, नई दिल्ली, ।

(अन्तरक)

2. मै० इन्डियन वायुटैक्स क० प्रा० लि०  
109/32-33, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस न० 13, ब्लॉक 'ई', 6-वीं मंजिल, होटल-कम-बसमिथिल कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादा, 726 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकार,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-1, नई दिल्ली,

दिनांक 29-1-1985

मांहर 6

प्ररूप आई.टी.एन एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज, I नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/1[37ईई/6-84/921

मुझे, सुधार जन्त्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,00/- रु. से अधिक है

और जिसको सं० 8/ई है तथा जो नेहरू प्लेन, नई दिल्ली, में स्थित है (और इसमें उदाहरण अनुसूच में आता जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार की कार्यालय, अर्जन रोज-I नई दिल्ली, भारत, के अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम से कम एक दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरको) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य जास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, धारा 269-ब

1. मै० नेहरू प्लेन, हॉटल नं० 17,0  
इरोज, सिनेमा, बिल्डिंग, गंगपुरा एकमटेशन,  
नई दिल्ली -14

(अन्तरिती)

2. मास्टर विकास बजाज,  
अभिभादर श्र, जे० एम० बजाज,  
निवासी-ई-92, मालवा मार्ग, चाणक्यपुरी,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुधी

स्पेस न० 8, ब्लाक 'ई', (6-वीं मंजिल), हॉटल-राम-कमण्डल, कम्प्लैक्स, नेहरू प्लेन, नई दिल्ली, ता.दा. 484 वर्ग फीट।

सुधार जन्त्रा  
सक्षम अधिभार  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज I, नई दिल्ली

दिनांक: 29-1-85

मोहर :

पब्लिशिंग. टी. एन. एच.-----

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सा०/एकमु०/1/37ईई/6-84/922--  
धारा मुझे सुधार चन्द्रा

भाषाकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिनकी सं० 8/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, में  
स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रार के कार्यालय अर्जन रेंज-1,  
नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन  
दिनांक जून, 1984

जो पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के व्यवहार  
प्रतिफल के लिए अन्तरक की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके व्यवहार प्रतिफल से ऐसे व्यवहार प्रतिफल का  
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकी) और अन्तरिती  
(अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-  
विक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी गाय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा  
के लिए; और/या

(ख) एसी किसी बाब या किसी धन या अन्य वास्तुकी  
को, जिसे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर  
अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनात्  
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया  
जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए

वतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण  
के, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यथात् :-

1. भै० नेहरू प्लेस, होटल, लि०  
इरोज, सिनेमा बिल्डिंग, जंगपुरा पश्चिम,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मास्टर, राजाव शाह गोहाई और  
मास्टर विक्रम शाह गोसाई, सुपुत्र श्री. के० के० गोसाई  
कुमारो, सुमना शाह गोसाई, सुपुत्र श्री. के० के० गोसाई,  
निवासा एफ-31, मार्केट, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाब में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :-

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस्सा  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपाहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्याख्याकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

स्पेश नं० 8, ब्लाक 'ई', (7 वीं मंजिल), हाटल ब'म  
कमिशिल, कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली. ता.दा. 484  
वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम अधिकारी,

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली

दिनांक: 29.1.1985

सांहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

हित सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज 6, नई दिल्ली.

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवर, 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/एफ०/1/37ईई/6-84/923--

आय मुझे सुधीर चन्दा

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिवारी को यह विश्वास करने का कारण है कि आशुवर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

आरजि.क सं० 7/ई. तथा जे. नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, में स्थित जह (और इससे उप बद्ध अनुसूच में आरजे पूर्ण रूप से वर्णित है) और जस्ट्रे वर्ती अधिार के कार्यालय, अर्जन रोज I, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम दिनांक जन, 1984

को उक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इत्यमान प्रतिफल के लिए अनुरोध की गई है और मूल यह विश्वास करने का कारण है कि तथापुर्वक सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके इत्यमान प्रतिफल में, ऐसे इत्यमान प्रतिफल का पद्ध प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितीया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. मै० नेहरू प्लेस होटल; लि०  
इरोज, सिनेमा बिल्डिंग, जगपुर, एकपटेशन,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री. के० एन० बजाज, स्वा० श्री. पुत्र आर० एल० बजाज  
निवासा एस-543, ग्रेटर कैलाश 2,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थान पर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताधारी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस न० 7, ब्लाक 'ई', (6वीं मंजिल), होटल कम  
कमिश्नियल, कम्पलेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादा 484  
- वर्ग फ.ट।

सुधीर चन्दा  
सक्षम प्राधिवारा  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज I, नई दिल्ली

दिनांक 29-1-1985

साह्वर :

प्ररूप आई. टी, एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवर, 1985

निदेश सं. आई० ए० सा०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/924--

अतः मुझे सुधार अन्तर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं. 162 है, तथा जो ड० ड० ए०, फ्लैट्स, साकेत, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचि में जो पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार अधिभार के कार्यालय अर्जन रेज, नई दिल्ली, में भारत, आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. डा० (श्रमता), राज कुमार अग्रवाल,  
प्रोफेसर, फा० ला,  
सूना युनिवर्सिटी, पुणे-411007

(अन्तरक)

2. मोहम्मद, अलम और मोहम्मद, अदरम,  
सुपुत्रा नूर मोहम्मद,  
निवासा आई-6, ड० ड० ए० फ्लैट्स,  
तुर्कमान गेट, दिल्ली-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधक —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० रा - 62, ए० ड० ए० फ्लैट्स, साकेत, नई दिल्ली,  
तादादा, 900 वर्ग फीट ।

सुधार चन्द्रा,  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

दिनांक 11-2-1985  
मोहर :



रूप आई. टी. एन. एस. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/926—

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 7/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में, आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कायम नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी शायद वां वास्तव उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उगमें बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आध या किसी धन या अन्य वास्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

37—486 GI/84

1. मं० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि.  
इरोज इनेसा विल्डिंग, गंगपुरा, एक्सटेशन,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. मं० टेकइ नवेस्ट, (इन्डिया,) प्रा० लि०,  
804, विशाल भवन, 95 नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्पश्चात् की व्यक्तियों पर उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की धारा, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साहचर्यकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इस सूचना के अन्तर्गत, या उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित 'अन्तरक' शब्द का अर्थ है कि उक्त सूचना में दिया गया है।

अनुसूची

प्लेस नं० 7, 7-वें मंजिल, ब्लाक नं० "ई" होटल-कम-कमिश्नियल, कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 484 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-1985

फ़हर :

**रूप धारण. टी. ए. ए.****वायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना****भारत सरकार**कार्यालय, सहायक आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई०ए०मी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/927--

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

वायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० 104/56 है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपावृत्त अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिभारक कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतय आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बद्ध प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण में हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उचित वसूली में सूक्ष्मा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य वास्तुस्थिति के, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसे प्रतिफल के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-

1. श्री तारलोक नाथ बजाज, सुपुत्र श्री मंगत राम, निवासी 2/1, न्यु प्यालेसु कालोनी, ट्रान्स बम्बे, चन्द्र नगर, दिल्ली-51 (अन्तरक)

2. श्री बाल कृष्ण चढ़ा, पुत्र श्री जान चन्द, निवासी-1/7158, अर्जन रेंज, माहूदरा, दिल्ली-32 श्री हरीश चन्द्र सुपुत्र स्व० श्री, कृष्ण लाल, निवासी-21-रेनवे रोड, मेरठ, मिर्ठा, यू० पी०। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना को तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवद् किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पार लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

दुकान न० 104, पहली मंजिल, तावादी 244 बर्ग फीट, 56, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा  
गक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

दिनांक : 11-2-1985

संहर :

प्रकल्प आई टी एन.एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अन्तर्गत सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/939--

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-ब के अधीन नाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 8 है, तथा जो 28, बाराखम्बा रोड, नई  
दिल्ली में स्थित है (और इसे उपाकृष्ट अनुसूची में और  
पूर्ण रूप में वर्णित है) अधिदाता अधिकारी के कार्यालय  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961  
के अधीन दिनांक जून, 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण निम्नलिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है।--

(क) अन्तरण से हुई किसी बाब की बाबत उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के  
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा  
के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यों  
के अन्तर्गत भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण  
में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1)  
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री० गोपाल दास इस्टेट्स, एंड हाउसिंग प्रा० लि०  
28-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली

(अन्तरक)

2. श्री करोरी रामू मेहरा, सुपुत्र श्री लखमी चन्द मेहरा,  
निवासी ई-174, मस्जिद, मठ, नई दिल्ली।

(अन्तरिता)

का यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
आवश्यकता करना है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध  
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है,

अनुसूची

स्पेशन० 8, एल० जी० एफ०, डा० गोपाल दास, भवन  
28-बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली, तादादी 140.78 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-1985

मोहर :

प्ररूप आई. टी. एन. एन.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/940---

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

सहायक आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० शाप नं० 57 है, तथा जो अजित अरकाडे लाला लाजपत राय रोड, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में; भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देन के अंतरक व दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य वास्तव्यो को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अंतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्वय में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधीन :—

1. श्रीमती उमा किरन,  
निवासी एच-26, ग्रीन पार्क, एक्सटेंशन,  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री विनोद बत्रा, श्री सुनील बत्रा,  
निवासी ई/57, एन० डी० एस० ई-1,  
नई दिल्ली,।  
श्री प्रमोद कुमार वर्मा,  
निवासी सी-27, एन० डी० एस० ई-1,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आपेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

टीकाकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दुकान नं० 37, अजित अरकाडे लाला लाजपत राय रोड,  
नई दिल्ली, तादादी, 225 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 11-2-1985

मोहर :

शुभम बाई. टी. एन. एस. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/ए० नू०/1/37ईई/ए-84/943--

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1204-ए, है तथा जो 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) 'रजिस्ट्रार' अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज-1, नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत का यह है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एम दृश्यमान प्रतिफल का नब्बह प्रतिशत से अधिक है और अतरक (अतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) का बोध ऐसे अन्तर्गण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तर्गण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को बाधित या कमी करने या उससे बचने में श्रमिषा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में श्रमिषा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. म० अशोक कुमार गर्ग, एण्ड ब्रदर्स,  
एम-24, ग्रेटर कैलाश-II, दार्जीट नई दिल्ली-48 ।

(अन्तरक)

2. श्रीमती शामा मागू, श्रीमती सुदेश भन्डुला, श्रीमती श्रीमती शशी सिक्का,  
निवासी-एम-267, ग्रेटर कैलाश-2,  
नई दिल्ली-48 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अधिन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ---

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपांडस्ताक्षरी के पास निश्चित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० 1204-ए, (12-मंजिल), स्कीपर टावर 89,  
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी, 548 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 15-2-1985

मोहर :

प्रकृत बाह्य. टी. एन. एम. -----

बाधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 13 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/948—

शत मुसे, सुधीर चन्द्रा

बाधकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजितकी सं० 1/27 है, तथा जो शान्ति निकतन, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधिनियम दिनांक जून, 1984

क) पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरक को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिगतियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है 3—

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के बाबत में कमी करने या उसके बचने में सूचना के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूचना के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1 श्रीमती राजा नेहरू, श्री श्री सी० नाई० नेहरू, कर्ता आर० के० नेहरू, (ए. व० पू० एफ०), तथा अर्थार्थी डी-11/29, कानानगर, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2 प्रवसा इन्टरप्राइजेस, लि०  
27-ब्रेवन, रोड, 10मजिल, नगरयण विन्डिंग, कलकत्ता।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाब में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

व्याख्याकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 के भाग पाठभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० 1/27, शान्ति निकतन, नई दिल्ली, तादादा 2000 वर्ग गज।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक 13-2-1985

साहू

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अजन रोज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/954—

अन: मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 12/ब्लाक 'ई' है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जं: पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है, और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों और अन्तरिती (अन्तरारोतियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक की दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया था या किया जाना चाहिए था. निम्नाने में संविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. म० नेहरू प्लेस होटलस, लि०  
इरोज सिनेमा, बिल्डिंग, जंगपुरा एक्सटेशन,  
नई दिल्ली-14 ।

(अन्तरक)

2. श्रीमता कैलाश बती (बिमला),  
पत्नी, श्री राम लाल अग्रवाल,  
निवासी 104-ई, कमला नगर, दिल्ली-7 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किया जा सके।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एसेस नं० 12, ब्लाक 'ई', 6-वीं मंजिल, होटल-कम-कमर्शियल, कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी, 570 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-1985

मांहर :

प्रकृत धारा. टी. एम. एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना.

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक 29 जनवरी, 1985

निदेश सं० आ.ई०ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/955—

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ध के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि उक्त सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० स्पेस नं० 17/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, में स्थित है (और इससे उपायुक्त अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरती (अंतरतियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अंतरण से हुई किसी बात की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के शायद में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों के जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध के अनुसार में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मं० नेहरू प्लेस, होटल्स लि०  
इरोज, सिनेमा बिल्डिंग, जंगपुरा, एक्सटेंशन,  
नई दिल्ली-14

(अन्तरक)

2. मं० साज इन्टरनेशनल, प्रा० लि०  
द्वारा, डाइरेक्टर, श्री जी० एस० गिल,  
निवासी बी-849, न्यू फेन्ड्स कालोनी, नई दिल्ली

(अन्तरित)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी बाधा :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या उत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अधिक अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बन्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के अधिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस नं० 17, ब्लाक 'ई', 6-वें मंजिल, होटल-कम-कर्मशाला  
कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी, 638 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-1985

मोहर :



प्रधान मंत्री, टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली दिनांक 29 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37 ईई/6-84/956--

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 10/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेज-6, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक मई, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि गन्धार्पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का बड़ा प्रतिफल से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निर्माणाधीन उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है --

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए --

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अधि --

38—486GI/84

1 श्री० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि०  
इरोज सिनेमा बिल्डिंग, गंगपुरा एक्स्प्रेसन,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरण)

2 श्री मती इन्दु लावा, पत्नी श्री के० के० लीवा,  
पी 4/2, सफरजग, एन्कनेव,  
नई दिल्ली-29

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्रवाई कराता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में निवेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अध्याहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

बुद्धीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस न० 10, ब्लॉक 'ई', 6-वीं मंजिल, होटल-कम-कमर्शियल  
कमप्लेक्स नेहरू प्लेस, नई दिल्ली रोदादी 513 वा फीट ।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज-6 नई दिल्ली

दिनांक . 29-1-1985

माहूर :

प्रथम भाग-टी.एन.एस.-----

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना**

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू/1/37ईई/6-84/957---

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु से अधिक है

और जिसकी सं० 409 है, तथा जो 89, नेहरूप्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेज-1, नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय गांधीनगर में धारा 269 ए बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आय-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था. छिपान सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्--

1. श्रीमती रजा, तबोना, नती श्री मतीग तात  
निवासी ई-511, नंबर नं० 48-7,  
नई दिल्ली, 48

(अन्तरक)

2. श्री वशिष्टमुग्धा एग्रो मुपुत्र स्व० श्री देका एग्रो,  
निवासी खेर महल, दिमापुर (नागालैण्ड)।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बचन के लिए कार्रवाई कराता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बचन के सम्बन्ध में कोई भी आपत्तः--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दा और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**बन्सुर्वा**

फ्लैट, नं० 409, तादादी, 530 वर्ग फीट, 89- नेहरूप्लेस,  
नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

दिनांक 14-2-1985

मोहर :

प्रश्न आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०, ए० यू०, 1/37ईई, 6-84/959—

अत. मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 79,24 है, तथा जो बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली में स्थित है (जो इससे उपाबध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीवर्ती अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रिकृत विलेख के अनुसार जटोरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भारतीय आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1) मै गोपाल दास इस्टेट्स, एण्ड, वार्जिसिंग प्रा० लि०  
28 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2) मै० यशोमती ट्रस्ट,  
द्वारा ट्रस्टी, श्री भगवती प्रसाद,  
एम-122, कनाट मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पर्याप्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सबध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस नं० 78, (एल० जी० एफ०), डा० गोपाल दास भवन,  
28 बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली; तादाद, 121.38 वर्गफुट

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक: 29-1-1985

माहर :

प्ररूप. आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय. सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/961—

अत. मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 20,000/-रु. से अधिक है

और जिसकी सं० ए-18 है, तथा जो कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उभावद्र अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्री की अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कायम नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री महेन्द्र के० बजाज,  
निवासी 12/164, मालवीया नगर, नई दिल्ली।  
श्री रवि मदन,  
निवासी 43-ए, मालवीया नगर, जूझ दिल्ली  
श्री रमेशचन्द्र, कालरा,  
निवासी 11/148, मालवीया नगर, नई दिल्ली  
मै० अम्बिका, बिल्डर्स प्रा० लि०,  
निवासी 15/4577, दरीया गज, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्रीमती अमरजीत कौर,  
निवासी 331, बसन्त इनक्लेव, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करवाए हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाठ लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्रो० न० ए-18 कनाट प्लेस नई दिल्ली ता.दादा 154  
वर्ग फीट।

[सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 11-2-1985  
साहू

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-6, नई दिल्ली:

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/963—

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

औरजिनका, सं० स्पेस 19 ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूचा में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारों अधिकार के कार्यालय, अर्जन रोज-1, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रार अधिनियम 1961 के अधिनियम दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ए०स अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निश्चित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के वाधित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. म० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि० इरोज, सिनेमा बिल्डिंग, जगपुरा एकमटेणन, नई दिल्ली। (अन्तरक)
2. श्री. बी० आर० भानोट, सुपुत्र श्री गोपाल दास भानोट मास्टर, सूधीर भानोट, सुपुत्र श्री. बी० आर० भानोट, निवासी, बी-एल 22, आनन्द बिहार, जल रोड, नई दिल्ली-64। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस नं० 19, अलॉट ई, 8-मजिल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली तादादी, 638 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन-रज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 29-1-1985

मोहर &amp;

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवर, 1985

निदेश सं०आई० ए०सं०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/964--

अतः मुझे, सुधर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है और जिसका सं० स्पेस 16/ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूचि में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार की अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा दायित्व के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, का धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसारण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1. म० नेहरू प्लेस, होटल्स, लि०  
इरोज, सिनिमा, बिल्डिंग, जंमपुरा एक्स्पेंशन  
नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अनिल बजाज, सुपुत्र श्री श्री एम० एल० बजाज और  
श्रीमती मारा बजाज, पत्नी श्री अनिल बजाज,  
कनल बजाज रणजित बजाज, श्रीर शिव बजाज,  
निवासी : 140, गॉल्फ, निक्म, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्मसूची

स्पेस न० 16, ब्लॉक 'ई', 6-मंजिल, हॉटेल कम-कमिश्नियल  
कम्प्लेक्स, नेहरू प्लेस नई दिल्ली, ता.दादी 638 बर्गफुट

सुधर चन्द्रा,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-6, नई दिल्ली।

दिनांक : 29-1-1985

मोहर #

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----&gt;

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवर 1985

निदेश सं० आई० ए० सं० एक्यू० 1/37ईई6/-84/965---

अतः मुझे, सुधर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसका सं० स्पेस नं० 12 ई है, तथा जो नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाधुद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीरती अधिकार के कार्यालय अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधिन दिनांक जून, 1984

का पत्रोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के बन्धु प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में स्थित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देनेके अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसूची में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० नेहरू प्लेस होटल्स, लि०  
इरोज, सिनेमा, बिल्डिंग, जगपुरा एक्सटेंशन,  
नई दिल्ली;।

(अन्तरक)

2. डा० (श्रामत.), सरोज सागर, पत्न. श्र. वं० सागर,  
निवा.सं० के-46 जगपुरा, एक्सटेंशन, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस, नं० 12, ब्लॉक 'ई' 8 तमजिल, होटल-कम-कमशियल  
कम्प्लैक्स, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादादी 569 वर्ग फीट।।

सुधर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी।  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली

दिनांक : 29-11-1985

महूर :

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निदेश सं० आई०ए०सं० एक्यू० 1/37ईई/6-84/971ए—

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका नं० ई-101 है, तथा जो ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्णरूप से वर्णित है) रजिस्ट्रारकी अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधिनियम दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बाह्य-विक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन करने के अन्तरक को शायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, तथात् ६—

1. कुमार, मिनो जैन,  
निवासी: मकान नं० 4782/1-23, दरिया गज,  
नई दिल्ली।  
(अन्तरक)
2. पाल एण्ड पाल बिल्डर्स, सि०  
12 रंगल बिल्डिंग, संसद मार्ग,  
नई दिल्ली।  
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए आवश्यकियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप ६—

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हेतुबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किम् भी किया जाय।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लॉट नं० ई-101, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली तादावी  
352.5 वर्ग गज, ।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम प्राधिकारी:  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

दिनांक : 30-1-1985  
मोहर ०



प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-8 4/972ए—

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विदवाप्त करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 1 है, तथा जो प्राचीन, ग्रुप हाउसिंग स्कीम, मुजान सिंह पार्क, में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1 नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ध्र प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण, के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण सिद्धित में धार्मिक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

(क) अन्तरण से हुई किसी भाव की वापस, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के संस्कार के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एभी किसी भाव या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय भायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

39-486GI/84

1. यूनिकर्सन, बिल्डर्स, एण्ड कन्स्ट्रक्टर्स, प्रवीन आपटमेंट, मुजान सिंह पार्क, (साउथ), नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. श्री अमर सिंह गिल,  
निवासी: 6-हेल: रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए आवश्यकता करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में भंगन होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों को देनी अवश्य है।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अग्रेहस्ताक्षरी के पास निर्धारित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

निवासी फ्लैट, नं० 1, दूसरी मंजिल, प्रवीन ग्रुप हाउसिंग स्कीम, मुजान सिंह पार्क, नई दिल्ली तादादी: 2000 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
महायुक्त आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक: 28-1-1985

मोहर B

**प्रथम भाग, टी. एम. एम. एम.**

**आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना**

**प्रारंभ**

**कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)**

अर्जन्तरेज-1, नई दिल्ली

आसफ अली रोड नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई 684/973-ए

—अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 34 है, तथा जो बाबर रोड, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन्तरेज-1, नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को चिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया है— किन्तु उक्त अधिनियम, अधिनियम में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्वय में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री किशन बहादुर माथुर, सुपुत्र श्री प्रेमशंकर माथुर और श्री विनय शंकर माथुर, श्री रवि शंकर माथुर, और श्री मोहिन्दर शंकर सभी सुपुत्र श्री किशन बहादुर, माथुर निवासी-34, बाबर रोड, नई दिल्ली।

वर्तमान, : पी-95, एन० डी० एस० ई०-2, नई दिल्ली।  
(अन्तरक)

2. श्री विक्रम दत्त सुरी, सुपुत्र स्व० श्री मदन लाल सुरी, निवासी-पी-95, एन० डी० एस० ई० भाग-2, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

यदि यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधोप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किण जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**सुधीर चन्द्रा**

प्रा० न० 34 बाबर रोड, नई दिल्ली तातादी-212.5  
वर्ग गज.

सुधीर चन्द्रा;  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन्तरेज 1, नई दिल्ली-110002

दिनांक 14-2-1985  
मोहर

प्ररूप आई. टी., एन. एम.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) को  
धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रोज-1, नई दिल्ली;

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवर, 1985

निदेश सं० आई० ए० सं०/प्रक्र०/1/37ईई/6-84/974--

अतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें  
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा  
269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य  
1,00,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 802 है, तथा जो 13, टालस्टाय मार्ग नई  
दिल्ली में स्थित है और इसमें उपावद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण  
रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार, अधिकारी, के कार्यालय, अर्जन  
रोज-1, नई दिल्ली, में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के  
अधीन दिनांक जून, 1984

के पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पद्धत  
प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-  
फल निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त  
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तविक  
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के निम्न  
आइ/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या  
भारत अधिनियम, 1957 (1957 का 27)  
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया  
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में  
सुविधा के लिए,

अतः यह, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अन्तरण  
के, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1),  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. श्री सजय वंसन,  
निवासी 1767, भाग.रथ पैलेस,  
चांदनी चौक, दिल्ली ।
1. श्रीमती रेखा, लुथरा, मास्टर शरण लुथरा,  
कुमारी, गायत्री, लुथरा,  
निवास: जा-3, निजामुद्दीन, (वेस्ट),  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर  
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी  
अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-  
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के  
पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त  
अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 802, 8-मंजिल, 13 टालस्टाय मार्ग, नई  
दिल्ली, 696 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा,  
सक्षम अधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली।

दिनांक : 30-1-1985  
मोहर :

परूप आई.टी.एन.एच.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर अयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1985

निवेश सं० आई० ए० सं०/एचयू०/1/37ईई/6-34/979ए--

अतः मुझे सुधार चन्द्र।

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 54 ई है, तथा जो 13 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अर्थात् अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली, में भारत, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय का बावत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचाने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मै० कौलाश अपार्टमेंट, प्रा० लि०  
चांद सिनेमा, बिल्डिंग, त्रिलोकपुरी,  
दिल्ली-91

(अन्तरक)

2. श्री संजय मलिक, राहुल मलिक, रोहित मलिक,  
सभी निवासी 305, थापर नगर मेरठ, यू० पी०

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करवा हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में क्रोड भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

जगन्मोहिनी

फ्लैट नं० 54, बंगला बिल्डिंग, 13 नेहरू प्लेस नई दिल्ली  
ताबादी 825 वर्ग फीट।

सुधार चन्द्रा

सक्षम अधिकारी

सहायक आयकर अयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

दिनांक : 11-2-1985

मोहर

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

**भारत सरकार**

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई ए०सा०/एचयू०/1/37ईई/6-84/983-ए—

अतः मुझे सुधार चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 812बी है तथा जो हेमकुण्ट टावर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपान्त अनुसूची में और जो पूर्णरूप में वर्णित है) रजिस्ट्र कर्ता अधिकाणी के कार्यालय, अर्जन रज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1981

की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य में उद्यमान प्रतिफल के लिए अतिरिक्त की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुत्राक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, इस दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अतिरिक्त (अतिरिक्तियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अंतरण से हुई किसी आय की रीति, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती अवकाश प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अन्तरण से, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

1 मै० हिन्दुस्तान, आर्मेस, एच० एस०-35, कैलाश, मार्केट, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2 श्रीमती प्रमोदा दयाल, कुमारी बृन्दा दयाल, कुमारी अनुराधा दयाल, 812-बी, हेमकुण्ट टावर, 98 नेहरू प्लेस नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में आई भी जांच --

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा।

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण.--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

**अनुसूची**

फ्लैट न० 812-बी, हेमकुण्ट टावर, 98, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, तादावी 541 वर्ग फीट।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम अधिकारी  
नहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रज-I, नई दिल्ली

दिनांक : 14-2-1985

माहूर ..

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, 1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी, 1985

निवेश सं० आई० ए० सी०/एफ०/1/37/ईई/6-84/984ए--

प्रतः मुझे सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

और जिसको सं० 1005 ई, तथा जो 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपावृद्ध अनुसूची नें और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारों के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधिन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अंतरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अंतरक के शायद में कमी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/वा

(ख) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य मास्तिरों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्णित:—

1. श्री राजाव गुप्ता,  
हरमिज विला, 8-ए, करमिकिल, रोड,  
बम्बई ।

(अन्तरक)

2. श्री सी० बी० अग्रवाल, (एच० यू० एफ०),  
मार्फत, यूनाईटेड, व्हा, कल्स, प्रा० लि०,  
20/1, आसफ अली रोड, नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

फ्लैट नं० 1005, बिल्डिंग नं० 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग,  
नई दिल्ली, तादादी, 542 वर्ग फीट ।

सुधीर चन्द्रा,

सक्षम प्राधिकारी

सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-1985

सोहर :

प्ररूप माह. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ  
(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली;

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 1985

निर्देश सं० आई०ए०/एक्यू०/1/37ई/6-84/985—

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजिदक सं० 406/एफ-14 है, तथा जो कनाट प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधीकार के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वार्षिक रूप में कथित नहीं किया गया है:--

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्तु, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वास्तु में कमी करने या उक्त अन्तरण में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या किसी आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भू-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बचारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसूचन में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

1. सै० कम्प्यूटेंट बिल्डर्स  
101, कम्प्यूटेंट, हाउस,  
एफ-14, कनाट प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. सुभ चेरिटेबिल ट्रस्ट,  
ए-439, डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली।  
सपन चेरिटेबल ट्रस्ट,  
101, पदमा पैलेस,  
86, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितवशु किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

सुधीर चन्द्रा

फ्लैट नं० 406, कम्प्यूटेंट, हाउस, एफ-14, कनाट प्लेस,  
नई दिल्ली, तादादा, 730.64, वर्ग फुट।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

तारीख : 12-2-1985

माहुर ए

प्ररूप धार. टी. एम्. एम्. - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की  
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज-1, नई दिल्ली,

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्यू०/1/37ईई/6-84/986ए—

अतः मुझे सुधीर चन्दा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें  
इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा  
269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का  
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य  
25,000/- रु. में अधिक है

और जिसकी सं० ब-49 है तथा जो फ्रेडम कालोन, नई दिल्ली में  
स्थित है (और इन्होंने उपरोक्त अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से  
वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकारियों के कार्यालय, अर्जन रोज-1,  
नई दिल्ली में भारत का आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन  
दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान  
प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास  
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार  
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल में ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का  
बहुत प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती  
(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए न्य पाया गया प्रति-  
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक  
रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी धन की बचत उक्त अधि-  
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में  
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए;  
और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों  
को, किन्तु भारतीय आयकर अधिनियम, 1922  
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-  
कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को  
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया  
या या किया जाना चाहिए या, लिखाने में सविधा  
के लिए;

अतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की अनुसरण  
की, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)  
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री गुरमुख सिंह,  
निवासे, मकान नं० 8, गेड, नं० 19,  
पंजाब; बाग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2 श्रीमती शारदा गुप्ता,  
निवासे: 8स/9, अब्दुल अजीज रोड,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए  
कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आपेक्षः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45  
दिन की अवधि या तन्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना  
की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि  
बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त  
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से  
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में किसी-  
बहुत कमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अपाहस्ताक्षरी के पत्र  
लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः— इसमें पर्युक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त  
अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित  
है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया  
गया है।

अनुसूची

प्रो० नं० ब-49, फ्रेडम कालोन, नई दिल्ली, तादादी  
250 वर्ग मी, (209 वर्ग म.टर)।

सुधीर चन्दा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रोज, नई दिल्ली।

तारीख : 28-1-1985  
माहूर :



प्ररूप आई. टी. एन. एस. - - -

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
भारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेज-I, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 29 जनवरी 1985

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/1/37ईई/684/989ए-

यतः मुझे, सुधर चन्द्रा

भायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सं० 405 है तथा जो 13 टाल स्टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेज-I, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय शिवाजीनगर में धारा 269 ए. बी. के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के सम्मूह/के पास रजिस्ट्रीकृत किया गया है मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यह यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को भारत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सजिध के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसार के, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-

40-486G1/84

1. मै० बकश; विक्रम विक्रम कन्स्ट्रक्शन कं० (प्रा०) लि०  
13-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. डा० देविन्दर पुरो और श्री संजिव पुरो  
निवासी बी-4 गुजरन बाला टाउन नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

आफिस स्पेस नं० 405 तादादी 696 वर्ग फीट, 4-मजिल, बहू-मजिली इमारत, 13-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली।

सुधर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेज-I, नई दिल्ली.

तारीख : 29-1-1985

सोहर :

प्रकृत बाढ़. टी. एन. एच. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा  
269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली.

नई दिल्ली, दिनांक 28 जनवरी, 1985

निर्देश सं० आई०ए०सी० एक्यू०/1/37ईई/6-84/990ए—

मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीरजिस्ट्रार सं० 506 है तथा जो 13-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीरजिस्ट्रार उपायुक्त अनुमूर्त्त, मे श्रीरजिस्ट्रार जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार अधिकार के कार्यालय अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली में आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पूरुह प्रतिशत में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बावजूद, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें कटौती से सुविधा के लिए, और/या

(ख) किसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ब के अन्तर्गत में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् —

1. मै० बक्शी, विक्रम विकास कन्स्ट्रक्शन, कं० प्रा० लि०  
13-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली ।

(अन्तरक)

2. श्री.मत, सं.ता देवा, श्री धरम वीर अग्रवाल और  
श्री. राजेश अग्रवाल,

निवासी-302/3, कौशलया पार्क हीज खास,  
नई दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्तन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के बर्तन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्य :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

बन्सुखी

आफिस फ़ैट नं० 506, तादादी, 390 वर्ग फीट, बहु-  
मंजिल, इमारत, 13-टालस्टाय मार्ग, नई दिल्ली ।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-I, नई दिल्ली.

तारीख : 28-1-1985

साहंर

प्रारूप आई.टी.एन.एफ. ---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ग (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली।

नई दिल्ली, दिनांक 30 जनवरी 1985

निदेश सं० आई०ए०सी० एक्यू० 1/37ईई/6-84/991/—

अतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रु. से अधिक है

और जिसका सं० 907 है, तथा जो 89 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम, 1961 के अद्यतन दिनांक जून, 1984

का पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तर्गत की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरक लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तर्क के आयुक्त में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या विन्याजित किया था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्तर्गत में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :

1 मैं ब्राडवें टावरम, (इंडिया), प्रा० लि०  
बै:-102, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2 श्री यशपाल संगारों, और श्रीमती बंजना संगारों,  
निवासी 6/53-बी, पंजाबी बाग,  
नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाव में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवृद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

फ्लैट नं० 907, तादादी, 551 बंग फीट, 89 नेहरू प्लेस,  
नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1 दिल्ली, नई दिल्ली

दिनांक : 30-1-85

मोहर :

इसका अर्थ टी. एन. एच.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन संचयन

सहायक सचिव

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 1985

निदेश सं० आई०ए०सी०/एच०/1/37ईई/6-84/992 --

प्रतः मुझे, सुधीर चन्द्रा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसका सं० 2 है, तथा जो 36, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में स्थित है (श्रीयु इससे जवाबद्व अनुसूच में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय, अर्जन रेंज-1, नई दिल्ली में भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के अधीन दिनांक जून, 1984

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) और अन्तरिती (अन्तरिती) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित न्यूनतम से उच्च अन्तरक सिद्धित में मास्तिवक रूप से स्थापित नहीं किया गया है :-

(क) अन्तरक से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या आयकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

प्रतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की अपसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, यर्थात् :-

1 श्री जतिन्दर मोहन राणा श्री आरशिन्दर मोहन राणा और श्रीमती अन्तर प्रति कालरा, निवासी 37-ए कर्जन रोड, दालानवाला, वेहरादून :

(अन्तरक)

2. मास्टर, अर्जुन गुप्ता, मास्टर नकुल गुप्ता, सुपुत्र श्री अविनाश चन्द गुप्ता, निवासी एस-48 1, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।  
मास्टर, नेखिल लाल और कुमारी रितीका लाल, सुपुत्र एवं सुपुत्रा, श्री अश्वनी लाल, निवासी एस-487, ग्रेटर कैलाश, नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को यह सूचना धारो करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करवा हूँ।

उक्त संपत्ति को अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाधा :-

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि या भी अवधि मध्य में समाप्त होती है, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के नाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, या उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्पेस नं० 2, तादादी, 637 बर्ग फीट, 5-मंजिली, 56  
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

सुधीर चन्द्रा  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज-1, प्रप्रवाल हाऊस  
4/14/5, आसफअली सोड, नई दिल्ली

तारीख : 14-2-1985

माहूर

प्रत्येक पक्ष में एक एक

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ब (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 24 जनवरी 1985

निदेश सं० ए० एन० आर/81-85/163--यतः मुझे, एम० सी०, कपिल, आई० आर० ए०

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसमें इसमें इसकी पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

और जिसकी सख्या घूमि का प्लॉट है तथा जो मर्जाठा रोड के पीछे, अमृतसर में स्थित है (और इनमें उपायुक्त अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर में रजिस्ट्रार/कर्ता अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के तहत, जारी जून 1984

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अंतरण के लिए तब पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अंतरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है

(क) अन्तरण के तहत किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा नै किण्व; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 1) या उक्त अधिनियम या धनकर अधिनियम, 1857 (1857 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब के अनुसार, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ब की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्

1. श्री सुरजित चन्द,  
पुत्र श्री किशन चन्द,  
श्रीमती नीलम कान्ता  
पत्नी श्री विजय कुमार,  
शरीफपुरा, अबमृतसर।

(अन्तरक)

2 श्री लखवीर सिंह  
पुत्र श्री सोहन सिंह,  
गली बाबा बकाला जिला-अमृतसर

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में कोई किण्वदार हो।

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

(4)

(वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि-बाध में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लॉट 200 वर्ग० जो मर्जाठा रोड के पीछे, आंखों के हस्पताल के पास, अमृतसर में है जैसा सेल डी० नं० 2095/12-6-84 रजिस्ट्रार/कर्ता अधिकारी अमृतसर में दर्ज है।

एम० सी० कपिल,  
सक्षम प्राधिकारी  
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)  
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 24-1-1985

माहूर

## UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 25th January 1985

No. A 32014/1 85-Admn. III—In partial modification of this office Notification No A. 32014/1/84-Admn III, date d 9-1-1985, the President is pleased to appoint the following Section Officers of the CSS cadre of the Union Public Service Commission to perform the duties of Desk Officers on *ad-hoc* basis in this office for the period indicated against each or until further orders, whichever is earlier —

Sl. No.	Name	Period
1.	Shri K. P. Dyer	26-11-84 to 30-6-85
2.	Shri Ram Aular	30-11-84 to 30-6-85
3.	Shri Sudesh Kumar	30-11-84 to 30-6-85

2. The above noted officers shall draw a special pay @ Rs. 75/- p m in terms of Deptt. of P. & A. Rs O. M. No. 12/1/74-CS(I), dated 11-12-1975.

No. A 32014/1/85-Admn III—The President is pleased to appoint the following Assistants of the CSS cadre of the Union Public Service Commission to officiate as Section Officers on *ad-hoc* basis for the period indicated against each or until further orders, whichever is earlier.—

Sl. No.	Name	Period of ad-hoc appointment
1.	Shri S. L. Kumar	28-2-85 to 29-3-85
2.	Shri P. John	4-2-85 to 29-3-85
3.	Shri A. S. Jat	14-1-85 to 29-3-85
4.	Shri C. L. Bhat	24-1-85 to 29-3-85
5.	Shri Bharti Nath Kumar	12-1-85 to 29-3-85
6.	Shri Jata Singh (SC)	15-2-85 to 29-3-85

The 31st January 1985

No. A 38013/2/83-Admn II.—Consequent upon her retirement on superannuation with effect from 31st January, 1985 (Afternoon), Smt D. J. Lalwani, a permanent Technical Assistant (Hollerith) and a regular Superintendent (DP) has relinquished the charge of the office of Superintendent (DP) in the office of the Union Public Service Commission.

M. P. JAIN  
Under Secy (Admn.)  
Union Public Service Commission

## CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 12th February 1985

No. 2/4-Admn—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Surinder Paul, a permanent Section Officer and officiating PS to C.V.C. in the Central Vigilance Commission as Under Secretary in the Commission on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 1200—1600 for a period of 89 days w.e.f. 10-12-84 or till Shri Brahm Dutt, Under Secretary, resumes duty, whichever is earlier.

The 15th February 1985

No. DK PRS 61—Consequent upon his appointment as Joint Secretary, in the Department of Personnel & A.R., Shri D. C. Gupta, IAS (OR-67), Director, Central Vigilance Commission, is relieved of his duties with effect from 14-2-1985 (FN) to enable him to take up his new assignment.

K. L. MALHOTRA  
Under Secy (Admn.)  
for Central Vigilance Commissioner

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & AR  
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 18th February 1985

No. A-19019/1/78 ADV (Vol II)—In supersession of Head Office Notification of even number dated 12-2-1985, Shri E. N. Raison relinquished charge of the office of Additional Director/Central Bureau of Investigation and Special Inspector General of Police, Special Police Establishment on the afternoon of 31st January, 1985 after the expiry of re-employment from 1-8-1984 to 31-1-1985.

R. S. NAGPAL  
Administrative Officer (E)  
CBI

## BUREAU OF POLICE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT

New Delhi 110001, the 12th February 1985

No. 3/3/85-Adm I—The President is pleased to appoint Shri Kishore Kunal IPS (Gujarat-1972) as Assistant Director in the Bureau of Police Research & Development with effect from the forenoon of 29th January 1985, until further orders.

S. K. MALLIK  
Director General

## DIRECTORATE GENERAL CRP FORCE

New Delhi-110 003, the 13th February 1985

No. O II-1896/83-List I—Consequent on his appointment as Inspector General (HQs), Central Industrial Security Force, New Delhi on tenure deputation basis, Shri O. P. Bhutani, IPS (U.P.-1952), has handed over charge of the post of IGP, S/IV, CRPF, Shillong in the forenoon of 07-1-85.

No. DI-30/84-Estt I—The services of Shri M. D. Deshmanya, Dy SP of 2nd Bn., CRPF are placed at the disposal of Government of Tripura on deputation basis with effect from 23-1-85 (AN).

The 15th February 1985

No. O II 1281/76-Estt—Consequent on his retirement from Government service, Shri Balwant Singh relinquished the charge of the post of Dy. SP, GC, CRPF, New Delhi in the afternoon of 31-12-84.

No. O II-1466/80-Estt—Consequent upon his appointment as Divisional Organiser in the HP Division of the S.S.B. at Simla, in the rank of Inspector General of Police on tenure basis, Shri I. B. Negi, IPS (U.P.-1958) handed over charge of the post of Deputy Director (Adm), Directorate General, CRPF, New Delhi on the forenoon of 17th October, 1984.

ASHOK RAJ MAHEPETHI  
Assistant Director (Estt)

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION  
LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 2nd March 1985

No. 23/3/85 CPI—The All India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on Base, 1960=100 has remained stationary at 588 (Five hundred eighty eight), for the month of January, 1985. Converted to Base: 1949=100 the index for the month of January, 1985 works out to 715 (Seven hundred fifteen).

J. N. SHARMA  
Joint Director  
Labour Bureau

## MINISTRY OF FINANCE

## DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

## BANK NOTE PRESS

Dewas, the 10th February 1985

F No BNP/C/5/84—Shri A. K. Rastogi an adhoc Hindi Officer in the scale of Rs 650—1200 is reverted to the post of

Hindi Translator in the scale of Rs. 425—700 (Group 'C') in Bank Note Press, Dewas with effect from 10.2.1985 (afternoon).

M. V. CHAR  
General Manager

INDIA GOVERNMENT MINT

BOMBAY MINT DIARY

Bombay, the 2<sup>nd</sup> January 1985

Order No. 284.—Consequent on the termination of the adhoc officiating arrangement of Shri S. V. Khadilkar as Dy. Chief Assayer with effect from 1-10-84, Shri D. D. Koli, officiating Assay Supdt. (Gazetted) who was promoted to that post in the vacancy caused by the promotion of Shri S. V. Khadilkar, stands reverted to his substantive post of Asstt. Assay Supdt. (Non-Gazetted) with effect from the forenoon of 1st Oct., 1984.

Order No. 285.—The promotion of Shri S. D. Damle, as Assay Superintendent vide Bombay Mint Diary Order No. 241 dated 1st December, 1984 is hereby cancelled.

Order No. 286.—In accordance with the instructions contained in the Ministry of Finance, Deptt. of Economic Affairs New Delhi D.O. letter No. F.2/28-31-Coin dated 3-1-1985, the ad-hoc arrangement of Shri S. V. Khadilkar as Dy. Chief Assayer is terminated with effect from 1-10-1984. Shri S. V. Khadilkar therefore, stands reverted to his substantive post of Assay Superintendent with effect from the same date.

G. R. KAHATE  
General Manager

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT  
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)  
KERALA

Trivandrum, the 14th February 1985

No. Entt & Cash/1/10-3/84-85/102—Shri P. M. Thomas, Audit Officer and Smt. P. P. Muthamma, Assistant Audit Officer, of the Office of the Accountant General (Audit) Kerala Trivandrum retired from service on superannuation on 31-1-1985 AN.

V. LAKSHMINARAYANAN  
Accountant General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL  
(ACCOUNTS) MADHYA PRADESH

Gwalior, the 19th January 1985

No. Admn-I/C.Os Prom. 301—Accountant General (A & E) Madhya Pradesh, Gwalior been pleased to promote the under-mentioned officiating Section Officer as Accounts Officer in an officiating capacity in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200, until further orders, with effect from the date of his taking over as noted against his name

Sl No.	Name	Permanent No.	Date of taking over.
1.	Shri N. C. Nim	02/2022	31-12-84 Fore-noon.

[Authority:—A. G. (A & F) M. P. Order dt. 22-12-84].

(Sd.) Illosible  
Sr. Dy. Accountant General (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT)-I,  
UTTAR PRADESH

Allahabad, the 8th February 1985

No. Admn./A.G.(Aud.)-I/13-7/1892.—Following permanent Audit Officers of the Office of the Accountant General

(Audit)-II, Uttar Pradesh Allahabad have retired from Government Service with effect from 31 January 1985 (A.N.)

1. Shri Ram Singh
2. Shri Purshottam Prasad Tripathi.

B. K. CHATTOPADHYAY  
Sr. Deputy Accountant General (Audit)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT  
DEFENCE SERVICES

New Delhi, the 14th February 1985

No. 5298/A-Adm/130/82-84.—On attaining the age of superannuation Shri Gurbaksh Singh, Substantive Audit Officer, retired from service, with effect from 31-1-1985 (A.N.)

B. S. TYLE  
Jt. Director of Audit, Defence Services

MINISTRY OF DEFENCE  
INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE  
ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta, the 5th February 1985

No. 3/G/85.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri Nani Gopal Dutta, Offg. AWM (Subst. Foreman) retired from service w.e.f. 31st Oct., 1984 (AN).

V. K. MEHTA  
Deputy Director General

MINISTRY OF COMMERCE  
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS &  
EXPORTS

New Delhi, the 7th February 1985

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL  
(ESTABLISHMENT)

No. 6/1354/81-ADMN(G)/970.—On attaining the age of superannuation, Shri Bhagat Singh Assistant Director (Draw Back) in this office retired from Government service with effect from the afternoon of the 31st January, 1985.

No. 6/1429/83-ADMN(G)/1033.—On attaining the age of superannuation Shri N. L. Ghosh, Controller of Imports and Exports in the Office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, retired from Government service with effect from the afternoon of 31st May, 1984.

The 11th February 1985

No. 1/4/85-Admn(G)/1011.—The President is pleased to appoint, Shri S. P. Sharma, Desk Officer in the Ministry of Commerce, as Senior Administrative Analyst in the Office of the Chief Controller of Imports & Exports, New Delhi with effect from 30th January, 1985 (AN) on deputation basis.

M. P. ISAAC  
Dy. Chief Controller of Imports & Exports  
for Chief Controller of Imports & Exports

DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS  
(ADMN. SECTION—6)

New Delhi-110001, the 14th February 1985

No. A-1701/36/71/A-6.—Shri A. G. Thadani, a permanent Assistant Inspecting Officer (Engineering) in the office of Director of Inspection, Bombay retired from Government Service on the afternoon of 31st January, 1985 on attaining the age of Superannuation.

S. L. KAPOOR  
Dy. Director (Admn.)  
for Director General, Supplies & Disposals

New Delhi-110001, the 13th February 1985

No. A-17011/291/85-A6.—The President is pleased to appoint Shri I. K. Chaudhary, Superintending Engineer (Electrical), Hyderabad under the C.P.W.D. as Director of Inspection (Grade I of Indian Inspection Service, Group 'A') with effect from the forenoon of 14th January, 1985 on deputation basis for a period not exceeding three years.

2. Shri J. K. Chaudhary relinquished charge of the post of Superintending Engineer (Elec) at Hyderabad on the afternoon of 10th January, 1985 and assumed charge of the post of Director of Inspection in the Directorate General of Supplies and Disposal, New Delhi on the forenoon of 14th January, 1985.

The 15th February 1985

No. A-17011/16/71-A6.—The President is pleased to appoint Shri T. S. Sandhu, Dy. Director of Inspection (Engg.) (Grade II of the Engineering Branch of the Indian Inspection Service, Group 'A') to officiate as Director of Inspection (Grade I of the Indian Inspection Service, Group 'A') in the scale of Rs. 1500-50-1800-100-2000 on ad hoc basis with effect from the forenoon of 4th Feb. 1985, *vice* Shri G. Sivaraman, Director of Inspection proceeded on leave for 89 days w.e.f. 4-2-1985 to 3-5-1985.

2. The appointment of Shri T. S. Sandhu as Director of Inspection (Grade-I of Indian Inspection Service, Group 'A') is subject to the outcome of the three LPAs bearing Nos. 67/83, 68/83 and 69/83 filed by the Union of India in Delhi High Court and Writ Petition Nos. 3001/83 and 35/83 filed by Shri S. C. Anand, D.D.L., in Bombay High Court and transferred to Delhi High Court which are still pending in Delhi High Court.

3. Shri T. S. Sandhu relinquished charge of the post of Dy. Director of Inspection (Engineering) and assumed charge of the post of Director of Inspection in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi, w.e.f. the forenoon of 4th February, 1985.

S. L. KAPOOR  
Deputy Director (Administration)

## MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL

### DEPARTMENT OF MINES

#### INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 11th February 1985

No. A-19011(20)/84-PP.—On his retirement after attaining the age of superannuation Shri N. L. Chatterjee, Regional Controller of Mines is relieved of his duties in the Indian Bureau of Mines with effect from the forenoon of 1st Feb., 85 and accordingly his name has been struck off the strength of establishment of this Department.

The 16th February 1985

No. A-19012(100)/77-Estt.A.—Shri V. K. Tarackar, Officiating Assistant Chemist, Indian Bureau of Mines, has relinquished the charge of the said post with effect from 31.1.85 (Afternoon) on his proceedings on deputation to the Department of Patent Information System, Nagpur.

P. P. WADHI  
Administrative Officer  
for Controller General  
Indian Bureau of Mines

## NATIONAL ARCHIVES OF INDIA

New Delhi-1, the 15th January 1985

### CORRIGENDUM

No. F. 8-9/83-Estt.—The following amendments are made in this Department's Notification of even number dated 25th August, 1984.

In lines 1 & 2 of the said Notification, "Smt. Sudha Rani Sharma and Shri S. R. Bhatnaja" may be read as "Smt. Sudha Rani Sarma and Shri S. R. Batheja".

The other matter of the Notification remain unchanged.

Sd/- ILLEGIBLE  
Director of Archives  
Government of India

## DIRECTORATE GENERAL : ALL INDIA RADIO

New Delhi-1, the 16th February 1985

No. 4(34)/81-SI.—Shri P. Srinivasan, Programme Executive, All India Radio, Tiruchirapalli will hereafter be known as K. P. Srinivasan.

H. C. JAYAL  
Dy. Director of Administration  
for Director General

## DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

### WILDLIFE INSTITUTE OF INDIA

Dehra Dun, the 14th January 1985

No. 1- 2/84-WII/94.—In continuation of this Institute notification No. 112/84-WII/3(22)B, dated 27.1.84, the undersigned is pleased to continue the ad-hoc appointment of Shri C. P. Palwa, as Administrative Officer in the Wildlife Institute of India, Dehra Dun, for a further period of one year with effect from 9th January, 1985, or till the post is filled on a regular basis, whichever is earlier.

V. B. SAHARIA  
Director,  
Wildlife Institute of India

## MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING FILMS DIVISION

Bombay-400 026, the 7th February 1985

No. 9/31/49-Estt.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri H. G. Bhandarkar, relinquished charge of the post of Assistant Administrative Officer in Film Division, Bombay in the afternoon of 31st January, 1985.

N. N. SHARMA  
Administrative Officer  
for Director of Administration

## MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(DEPARTMENT OF FOOD)

### DIRECTORATE OF SUGAR

New Delhi-11001, the 19th February 1985

No. A.32014/1/83-FSTT—Shri Jem Prasad, an Assistant (Accounts and Statistics) (Selection Grade) in this Directorate has been appointed to officiate on purely temporary and ad-hoc basis, in the post of Section Officer (Accounts and Statistics), a Group 'B' (Gazetted) post in the pay scale of Rs. 500-20-700-EB-25-900 in the same Directorate, with effect from the 5th January, 1985 (Forenoon) and until further orders.

V. LAKSHMI RATAN  
Chief Director

## DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

### REACTOR RESEARCH CENTRE

Kalpakkam, the 2nd January 1985

No. RRC/A-32023/1/83-R.—In continuation of this Centre's Notification of even number (17237) dated November 21, 1984 Director, Reactor Research Centre has extended the period of officiating promotion of Shri Kallikulanga Maman Velayudhan, a permanent Assistant Accountant of this Centre as Assistant Accounts Officer in the same Centre for the period from 1-1-85 to 31-1-85 or until further orders, whichever is earlier in an officiating capacity on an ad hoc basis.

Kum. S. GOPALAKRISHNAN  
Administrative Officer



N.F. RAILWAY  
Maligaon, the 12th February 1985  
MEMORANDUM

scale of IRAS with effect from 1-1-83.

This issues with the approval of GM/N.F. Railway/Malligaon.

No. E/55/III/97(0).—Shri K. B. Nanda an officer in IRAS is hereby confirmed against an existing vacancy in junior

Sd/- ILLEGIBLE  
for General Manager (P)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 15th December 1984

No. A. 32014/3/84-EC (Pt.) (.)—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Technical Assistants to the grade of Asstt. Tech. Officer on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 650-1200/- for a period of six months w.e.f. the date of their taking over charge of the higher post or till the post is filled on a regular basis whichever is earlier and to post them to the stations indicated against each:—

Sl. No.	Name	Present Stn. of posting	Station to which posted	Date of taking over charge.
1	2	3	4	5
S/Shri				
1.	P.S. Narayanan	Madras	Madras	25-8-84 (FN)
2.	N.K. Sood	Bombay	Aurangabad	13-9-84 (FN)
3.	K. Velayudhan II	Trivandrum	Trivandrum	27-8-1984 (FN)
4.	V. K. Sharma	Nuh	Lucknow	29-9-84 (FN)
5.	K. Muthukrishnan	Nagpur	Nagpur	31-8-84 (FN)
6.	S. M. Bhandari	Sikandrabad	Jaipur	16-10-84 (AN)
7.	K. Velayudhan I	Trivandrum	Trivandrum	28-8-84 (FN)
8.	R. N. Gupta	Pant Nagar	Ludhiana	31-8-84 (FN)
9.	S. K. Ghose	Muzaffarpur	Ranchi	25-9-84 (FN)
10.	N. K. Gupta	Farukhabad	Lucknow	20-11-84 (FN)
11.	A. R. Goswami	Ahmedabad	Ahmedabad	31-8-84 (FN)
12.	Harish Pant	CATC Allahabad	CATC Allahabad	27-8-84 (FN)
13.	M. K. Dharmodhikari	Baroda	Belgaum	28-9-84 (FN)
14.	J. B. Sonar	Ahmedabad	Ahmedabad	31-8-84 (FN)
15.	D.C. Das	Calcutta	Bhubaneswar	27-9-84 (FN)
16.	A.K. Bansal	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
17.	S. Palaniappan	Madras	Madras	25-8-84 (FN)
18.	K. Lawrance	Trivandrum	Mangalore	28-9-84 (FN)
19.	Surjit Singh	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
20.	Subhash Chandra	Srinagar	Lucknow	20-9-84 (FN)
21.	Sampuran Singh	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
22.	D. Bhattacharya	Gaya	Gaya	28-8-84 (FN)
23.	R. P. Gaindhar	Varanasi	Madras	25-9-84 (FN)
24.	S. K. Nanda	Calcutta	Calcutta	2-9-84 (FN)
25.	P. S. Dholakia	Rajkot	Rajkot	26-9-84 (FN)
26.	T.M. Sainudeen	Trivandrum	Trivandrum	29-8-84 (FN)
27.	S. L. Nanda	CATC, Allahabad	CATC Allahabad	30-8-84 (FN)
28.	P. V. Kathe	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
29.	S.S. Hakim	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
30.	V.S. Malick	Calcutta	Calcutta	31-3-84 (FN)
31.	V.R. Nair	Trivandrum	Trivandrum	29-9-84 (FN)
32.	M.H. Aiyubi	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
33.	D.K. Chakraborty	Srinagar	Kanpur	29-9-84 (FN)
34.	S. L. Bhide	Bombay	Aurangabad	03-9-84 (FN)
35.	M.M. Bhajiwaj	Lucknow	Ahmedabad	20-9-84 (FN)
36.	M. J. Lukose	Bombay	Belgaum	19-9-84 (FN)
37.	C. Arumugham	Coimbatore	Coimbatore	31-8-84 (FN)
38.	P. A. Rathod	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
39.	L. N. Sharma	Gauhati	Gauhati	28-8-84 (FN)
40.	L. K. Mittal	Gwalior	Lucknow	16-10-84 (FN)
41.	H. R. Ranjan	ACS, Delhi	ACS, Delhi	2-9-84 (FN)
42.	S. D. Kumar	ACS, Delhi	Madras	30-8-84 (FN)
43.	B.S. Parmar	Nagpur	Nagpur	31-8-84 (FN)
44.	P. R. Anand	Lucknow	Bhopal	31-8-84 (FN)
45.	S. C. Sood II	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
46.	S. K. Khanna	Calcutta	Calcutta	29-8-84 (FN)
47.	P. K. Kapoor	Jaipur	Jaipur	24-8-84 (AN)

1	2	3	4	5
	S/Shri			
48.	N. S. Miyan	ACS, Delhi	Hyderabad	31-8-84 (FN)
49.	J. N. Nag	Jamshedpur	Jamshedpur	31-8-84 (FN)
50.	J. S. Deol	ACS, Delhi	ACS, Delhi	30-8-84 (FN)
51.	Nand Kishore	ACS, Delhi	ACS, Delhi	2-9-84 (FN)
52.	P. K. Chanda	Calcutta	Panagarh	31-8-84 (FN)
53.	S. K. Chanda	Calcutta	Calcutta	2-9-84 (FN)
54.	Yaqub Khan	Mandsaur	CATC, Allahabad	22-9-84 (AN)
55.	M. K. Sengupta	Calcutta	Calcutta	31-8-84 (FN)
56.	J. S. Saxena	Jaipur	Jaipur	3-9-84 (FN)
57.	M. L. Kochhar	ACS, Delhi	ACS, Delhi	2-9-84 (FN)
58.	S. R. Mitra	Calcutta	Calcutta	31-8-84 (FN)
59.	S. Karunakaran	Kancheepuram	Kancheepuram	27-8-84 (FN)
60.	B. Pal	Calcutta	Calcutta	30-8-84 (FN)
61.	M. L. Debnath	Tarakeshwar	Patna	29-9-84 (FN)
62.	G. S. Vidyarathi	ACS, Delhi	Nagpur	2-9-84 (FN)
63.	B. K. Mukherjee	Calcutta	Mohanbari	27-9-84 (FN)
64.	Swaminath	RCDU, Delhi	RCDU, Delhi	24-8-84 (FN)
65.	R. K. Chandra	Calcutta	Calcutta	17-9-84 (FN)
66.	Shital Singh	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
67.	Binayandra Datta	Calcutta	Calcutta	31-8-84 (FN)
68.	K. S. Chaugger	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	30-8-84 (FN)
69.	V. B. Taneja	CATC, Allahabad	CATC, Allahabad	27-8-84 (FN)
70.	M. N. Jeehi	Nagpur	Nagpur	31-8-84 (FN)
71.	R. S. Pillai	Trivandrum	Trivandrum	29-3-84 (FN)
72.	P. D. Saini	RCDU, Delhi	Bangalore	27-9-84 (FN)
73.	Yashpal Singh	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
74.	S. N. Lahiri	CALCUTTA	Bhubaneswar	31-8-84 (FN)
75.	G. M. Gadre	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
76.	M. L. Girdhar	RCDU, Delhi	RCDU, Delhi	28-8-84 (FN)
77.	S. C. Sawhney	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
78.	G. S. Datta	Calcutta	Mohanbari	26-9-84 (FN)
79.	R. N. Verma	ACS, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
80.	R. K. Nagi	ACS, Delhi	CRSD, Delhi	30-8-84 (FN)
81.	Kalyan Kumar Sen	Gaya	Imphal	18-9-84 (FN)
82.	Ashok Jolly	ACS, Delhi	ACS, Delhi	26-8-84 (FN)
83.	P. S. Verma	Bombay	Bombay	31-8-84 (FN)
84.	A. N. Singh	Silchar	Silchar	31-8-84 (FN)
85.	S. K. Chandra	Katihar	Silchar	26-9-84 (FN)
86.	Pallab Kanti Roy	Calcutta	Teju	27-9-84 (FN)
87.	A. J. Issac	Hyderabad	Hyderabad	29-8-84 (FN)
88.	Naval Bhatnagar	RCDU, Delhi	ACS, Delhi	28-8-84 (FN)
89.	Bijoy Kumar Nandi	Calcutta	Calcutta	30-8-84 (AN)
90.	O. P. Saxena	STP, DGCA	CRSD, Delhi	30-8-84 (FN)
91.	Askok Kumar Sharma	Bombay	Bhavnagar	25-9-84 (FN)
92.	J. K. Sarkar	Patna	Patna	28-8-84 (FN)
93.	P. K. Roy	Gaya	Gaya	28-8-84 (FN)
94.	Remesh Kumar	RCDU, Delhi	Hyderabad	31-8-84 (FN)
95.	T. K. Chowdhury	Port Blair	Port Blair	29-8-84 (FN)
96.	B. K. Das	Calcutta	Calcutta	30-8-84 (FN)
97.	J. M. Serkar	Calcutta	Calcutta	31-8-84 (FN)
98.	S. R. Biswas	Calcutta	Calcutta	31-8-84 (FN)
99.	J. S. Rekabr	Lucknow	Hyderabad	17-9-84 (AN)
100.	Inderjeet	Udipur	Mangalore	27-9-84 (FN)

The 4th February 1985

No. A-32013/6/83-EC—The President is pleased to appoint the undermentioned officers in the grade of Deputy Director, Controller of Communication in the Civil Aviation Department on regular basis with effect from 9.11.1984 and until further orders:—

S. No. &amp; Name

1. Shri N. K. Puri, Assistant Director of Communication
2. Shri P. K. Singhal, Assistant Director of Communication
3. Shri K. S. Krishnamurthy, Assistant Director of Communication.
4. Shri B. N. M. Rao, Assistant Director of Communication.

The 5th February 1985

No. A.19011/120/80-EI—On attaining the age of superannuation, Shri M. P. Khosla, Assistant Director (Training & Licensing) in the office of the Director General of Civil Aviation, New Delhi retired from Government service on 31.1.1985 (AN).

No. A. 31014/1/83-EC (.)—The Director General of Civil Aviation is pleased to appoint the following Assistant Technical Officers in the Civil Aviation Department in a substantive capacity in the same grade w.e. the date indicated against each —

Sl. No.	Name	Date
1	2	3
	S/Shri	
1.	C.L. Jain	1-4-1984
2.	A.K. Saxena	Do.
3.	Ranjit Ghose	Do.
4.	A. S. Pal	Do.
5.	H. L. Arora	Do.
6.	C.K. Sobti	Do.
7.	V. K. Rastogi	Do.
8.	J. S. Sarin	29-4-1981
9.	T.S. Krishnamurthy	Do.
10.	N. N. Nambiar	Do.
11.	B. S. Khurana	Do.
12.	C. Venkatachalam	Do.
13.	R.S. Sokhey	20-8-1981
14.	M. K. Krishnan	Do.
15.	Kulwant Singh	Do.
16.	N. V. Subramanian	Do.
17.	Kesho Nath	Do.
18.	G. S. Verma	16-12-1892
19.	S. K. Seth	Do.
20.	Jaswant Singh	Do.
21.	O. P. Juncja	Do.
22.	K.C. Sharma	Do.
23.	B.K. Puri	Do.
24.	R. Jayaraman	Do.
25.	K.S. Mukherjee	Do.
26.	M. Sibasubramaniam	Do.
27.	K. T. John	Do.
28.	V. G. Joshi	Do.
29.	S. R. D. Burman	Do.
30.	J. S. Narula	21-4-1983
31.	K. R. K. Sharma	Do.
32.	N. S. Sra	1-6-1983
33.	A. Ramadoss	Do.
34.	S. P. Sharma	2-6-1983

1	2	3
35.	I. S. VEDI	2-6-1983
36.	A. N. Shirke	Do.
37.	P. I. Bajaj	Do.
38.	G.L. Akolkar	Do.
39.	M. Prabha	Do.
40.	P. Chumari	Do.
41.	H. L. Choudhary	2-6-1983
42.	C. J. Mehra	28-8-1983
43.	S. P. Srinivasan	Do.
44.	S. P. Srinivasan	Do.
45.	S. P. Choudhury	Do.
46.	Ishwar Dayal	Do.
47.	A. Mahalingeswara	Do.
48.	T.S. Bhatta	Do.
49.	R. H. Mukunth	Do.
50.	B. K. Mukherjee	1-10-1983
51.	Joginder Singh Mann	Do.
52.	P. S. Dalvi	Do.
53.	S. S. Kang	Do.
54.	T.K. Dasgupta	Do.
55.	K. K. Ichhpunani	Do.
56.	V. M. Kattarmal	5-11-1983
57.	S. K. Liswas	Do.
58.	K. S. Negi	Do.
59.	O. P. Chadda	Do.
60.	Joginder Singh	12-2-1984
61.	M.K. Sataayac	Do.
62.	Y. C. Punetha	19-2-1984
63.	A. S. Gill	Do.
64.	P. N. Mani	Do.
65.	T. S. Joliv	Do.
66.	M. S. Baosale	Do.
67.	D. Selvaraj	Do.
68.	V. H. Ranga Rao	Do.
69.	R.C. Roy	Do.
70.	Harnek Singh	Do.
71.	T. N. J. Nambiar	Do.
72.	Krishan Lal	1-4-1984
73.	C.S. Ahluwalia	30-4-1984
74.	Balbir Singh	Do.
75.	K. L. Kapoor	Do.
76.	S.S. Grewal	Do.

The 6th February 1985

No. A 12025/3/71-E.I.—In continuation of this office Notification No. A 12025/3/71-E.I. dated the 19-11-1984, the Director General of Civil Aviation is pleased to continue the ad hoc appointment of Shri K. K. Sharma as Hindi Officer in the Civil Aviation Department upto 31.12.84.

The 7th February 1985

No. A.32013/5/83-EI.—In continuation of this Office Notification No. A.32013/5/83-E.I., dated the 23.6.1984, the President is pleased to extend the period of ad hoc appointment of Shri F. C. Sharma in the post of Deputy Director, (R & D) in the Civil Aviation Department for the period from 12.12.1984 to 11.6.1985, or till the date the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

V. JAYACHANDRAN  
Assistant Director of Admn.

## FOREST RESEARCH INSTITUTE AND COLLEGES

Dehra Dun, the 13th February 1985

No. 16/425/84-Ests-I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President, F.R.I. & Colleges, Dehra Dun is pleased to appoint Dr. C. B. S. Dutta as Research Officer under the Forest Soil *cum* Vegetation Survey, Midnapur under the Forest Research Institute and Colleges, Dehra Dun with effect from the 1st Jan., 1985 in a temporary capacity until further orders.

J. N. SAXENA  
Registrar

Forest Research Institute & Colleges

## MINISTRY OF SHIPPING &amp; TRANSPORT

## DIRECTORATE GENERAL OF SHIPPING

Bombay-1, the 12th February 1985

No. 11-TR(6)/83.—The President is pleased to accept the resignation of Shri D. Bandyopadhyay, Engineer Officer, Directorate of Marine Engineering Training, Calcutta with effect from 7.10.1984 (F.N.).

A. CHANDRA  
Dy. Director General of Shipping

## MINISTRY OF INDUSTRY &amp; COMPANY AFFAIRS

## (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

## COMPANY LAW BOARD

## OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

Bombay, the 13th February 1985

No. 40.—Notice is hereby given pursuant to Section 445(2) of the Companies Act, 1956 that M/s. Western India Spinning & Manufacturing Company Limited has been ordered to be wound up by an order dated 13-1-1977 passed by the High Court of Maharashtra and that the Official Liquidator attached to the High Court of Maharashtra has been appointed as the Official Liquidator of the company.

O. P. JAIN  
Addl. Registrar of Companies,  
Maharashtra, Bombay

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Sungold Finance & Investment Limited*

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560/11226.—Notice is hereby given pursuant to subsection (3) of section 560 of the Companies Act, 1956

that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sungold Finance & Investment Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Laxmi Forging Private Limited*

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560/4259/11230.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Laxmi Forging Private Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Gautam Paper Mills Limited*

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560/4407/11232.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Gautam Paper Mills Limited, has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. Super Star Paper Mills Private Limited.*

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/Stat/560/4466/11234.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Super Star Paper Mills Pvt. Ltd. has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

*In the matter of the Companies Act, 1956 and of  
M/s. B. D. Chit Fund & Financiers Private Limited*

Jalandhar, the 14th February 1985

No. G/STAT/560/11237.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. B. D. Chit Fund & Financiers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said company will be dissolved.

B. M. JAIN  
Registrar of Companies  
Punjab, H.P. & Chandigarh

FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 24th January 1985

Ref. No. ASR/84-85/163.—Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot of land situated at Behind Majitha Road (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Amritsar on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this Notice under sub-section (1) of Section 269(D) of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Surjit Chand S/o Shri Kishan Chand, Smt. Neelam Kanta w/o Shri Vijay Kumar, Sharifpura, Amritsar. (Transferor)
- (2) Shri Lakhbir Singh S/o Shri Sohan Singh, r/o Baba Bakala, Distt. Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 200 sq. yds. situated behind Majitha Road, near Eye Hospital, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 2096 dt. 12-6-84 of registering authority, Amritsar.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Amritsar

Date : 24-1-85  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 24th January 1985

Ref. No. ASR/84-85/164.—Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot of land situated at Behind Majitha Road, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Amritsar on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Surjit Chand S/o Shri Kishan Chand, Smt. Neelam Kama w/o Shri Vijay Kumar, Sharifpura, Amritsar. (Transferor)
- (2) Sh. Lakhbir Singh S/o Shri Sohan Singh, r/o Baba Bakala, Distt. Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 overleaf & tenants if any. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 200 sq. yds., situated Behind Majitha Road, near Eye Hospital, Amritsar as mentioned in sale deed No. 2095 dated 12-6-84 of registering authority, Amritsar.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assst Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Amritsar

Date : 24-1-85  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/165.—Whereas, I S: C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,500/- and bearing No.

Residential House situated at Katra Sher Singh, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

at S.R. Amritsar on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27) of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Harbhajan Singh S/o Shri Gurdit Singh,  
Gali No. 3, Daya Nand Nagar, Lawrence Road,  
Amritsar. (Transferor)
- (2) Shri Bajjit Singh S/o Shri Dayal Singh,  
r/o Naushehra Dhalla, Teh. Tain Taran, Dist.  
Amritsar. (Transferee)
- (3) As at, S. No. 2 above & tenants if any.  
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other  
(Person whom the undersigned knows to be  
interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

1/4th Share of residential house No. 1296/12 at Katra Sher Singh, Amritsar as mentioned in sale deed No. 2150 dated 18-6-84 of registering authority, Amritsar.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range

Date: 11-2-85  
Seal:

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/166.—Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Residential House situated at Katra Sher Singh, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Amritsar on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partners has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. Harbhajan Singh S/o Shri Gurdit Singh,  
Gate No. 3, Daya Nand Nagar, Lawrence Road,  
(Transferor)
- (2) Shri Satnam Singh S/o Shri Mohinder Singh,  
S/o Naushehra Dhalla, Teh. Tarn Taran, Amritsar.  
(Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above & tenants if any,  
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other  
(Person whom the undersigned knows to be  
interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

1/4th Share of residential house No. 1296/12, at Katra Sher Singh, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 2151 dt. 18-5-84 of registering authority, Amritsar.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Amritsar

Date: 11-2-85  
Seal: -



## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/167.—Whereas I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Residential House situated at Katra Sher Singh, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at S.R. Omritsar in July, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1972) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
42—486GI/84

- (1) Sh. Harbhajan Singh s/o Sh. Gurdit Singh,  
Gali No. 3, Daya Nand Nagar,  
Distt. Amritsar. (Transferor)
- (2) Shri Balbir Singh S/o Shri Mohinder Singh,  
r/o Naushehra Dhalla, Distt. Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above & tenants if any.  
(Person in occupation of the property)
- (4) Any other  
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

1/4th Share of residential house No. 1296/12 at Katra Sher Singh, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 3051 dt. 27-7-84 of registering authority, Amritsar.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Amritsar

Date : 11-2-85  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 11th February 1985

Ref. No. ASR/84-85 168.—Whereas I, S. C. KAPIL, IRS, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing

No. Residential House situated at Katra Sher Singh, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar in July, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been disclosed which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harbhajan Singh S/o Shri Gurdit Singh,  
Gali No. 3, Daya Nand Nagar, Amritsar.  
(Transferor)

(2) Shri Sukramjit Singh s/o Shri Mukhtar Singh,  
10 Namdhara Lhalia, Distt. Amritsar.  
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 above & tenants if any.  
(Person in occupation of the property)

(4) Any other  
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

1/4th share of residential house No. 1296/12, at Katra Sher Singh, Amritsar, as mentioned in sale deed No. 3052 dt 27-7-84 of registering authority Amritsar.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Amritsar

Date : 11-2-85  
Seal :

FORM NO. 112

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE, 3 CHANDER PUFF,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 14th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/170.—Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land situated at Vill. Gharyala, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R. Patti on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; which ought to be disclosed by the transferee for and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Pula Singh s/o Shri Surain Singh, Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar. (Transferors)
- (2) Shri Anokh Singh S/o Shri Inder Singh, Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar. (Transferees)
- (3) As at S. No. 2 above & tenants if any. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 24. kanals, 2.1/2 marlas, situated in Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar, as mentioned in sale deed No. 1030 dt. 29-6-84 of registering Authority, Patti.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Amritsar

Date : 14-2-85

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, 3-CHANDER PURI,  
TAYLOR ROAD, AMRITSAR

Amritsar, the 14th February 1985

Ref. No. ASR/84-85/170.—Whereas, I S. C. KAPIL, IRS being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agricultural land situated Vill. Gharyala (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at S.R. Patti, on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely —

- (1) Sh. Pala Singh S/o Shri Surain Singh, Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar. (Transferor)
- (2) Shri Anokh Singh s/o Shri Inder Singh, Vill. Gharyala, Teh. Patti, Distt. Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 above & tenants if any. (Person in occupation of the property)
- (4) Any other (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land measuring 24 kanals, 2.1/2 marlas, situated in Vill. Gharyala, Teh. Patti, Dist. Amritsar, as mentioned in sale deed No. 1030 dt. 29-6-84 of registering Authority, Patti.

S. C. KAPIL, IRS  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Amritsar

Date : 14-2-85  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No. Raj./IAC(Acq.)/2537.—Whereas, **MOHAN SINGH**

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot situated at Jaipur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 6-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Shri Gyan Pratiksh, Smt. Vishwamohini  
Sharad Prakash, Kumari Reena R/o Chithwari Ka  
Bagh, Amer Road, Jaipur. (Transferor)
- (2) M/s Rajesh Carpet, Bawari Gate,  
Fatehpur, Distt. Sikar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot situated in Rawaton ki gali, Chithwari ka Bagh, Jaipur and more fully described in the schedule registered by the Sub-Registrar, Jaipur vide Registration No. 1388 dated 6-6-84.

MOHAN SINGH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 15-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No. Raj./IAC(Acq.)/2538—Whereas, I  
MOHAN SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot No. 66B situated at Jodhpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 23-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Bri Mohanji Sharma S/o Shri Sawal Mal Sarna, Meo Colony, Ajeet. (Transferor)  
(2) Shri Badal Chand Oswal, Plot No. 66B, Ajeet Colony, Raj Ka Bagh Area, Jodhpur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Portion of Plot No 66B situated in Ajeet Colony, Raj Ka Bagh Area, Jodhpur and more fully described in the Sale deed registered by the Sub Registrar, Jodhpur vide Registration No 1688 dated 23-6-84

MOHAN SINGH  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Jaipur

Date : 15-2-1985  
Seal :

FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Brij Mohan Sharma S/o Shri Sawal Ram Sharma, Meo College, Ajmer.

(Transferee)

(2) Shri Shanti Lal S/o Shri Badalchand Oswal, R/o Plot No. 66B, Ajeet Colony, Rai Ka Bagh Area, Jodhpur.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No. Raj./IAC(Acq) 2539.—Whereas I  
MOHAN SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- No. Plot No. 66B situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 23-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than ten per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties as now being stated in the said instrument of transfer was the object of—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

House property at Plot No. 66B, situated in Ajeet Colony, Rai Ka Bagh Area, Jodhpur and more fully described in the Sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 1689 dated 23-6-84.

MOHAN SINGH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 15-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Ref. No. Raj./IAC(Acq.)/2540.—Whereas, I MOHAN SINGH being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. House Property situated at Ajmer (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ajmer on 14-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Kiratmal s/o Shri Lalchand through Attorney Shri Parasram S/o Shri Ghanshyamdas, Khari Kui, Ajmer. At present at 5, Begampura, Mumbaired, Surat. (Transferor)
- (2) Shri Rameshchand, Kundandas Usrigate, Ajmer. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. 630/23(30/405) situated at Blue Castle Parao, Ajmer and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Ajmer vide Registration No. 2122 dated 14-6-84.

MOHAN SINGH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Jaipur

Date: 15-2-1985  
Seal:



## FORM ITNS

(1) Shri Dharamdas and Shri Dayaldas S/o Shri Magar Mal Sindhi, 5th C-Road, Sardarpura, Jodhpur.  
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Nandlal & Shri Gopaladas S/o Shri Magar Mal R/o 5th C-Road, Sardarpura, Jodhpur.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 15th February 1985

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. Raj/IAC(Acq.)/2541.—Whereas, I MOHAN SINGH

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

No. Plot No. 1 situated at Jodhpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 16-6-64

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Plot No. 1 O.B.C.T. Road (Nai Sarak) 'Basement Portion' Jodhpur and more fully described in the sale deed registered by the Sub-Registrar, Jodhpur vide Registration No. 1637 dated 16-6-84.

MOHAN SINGH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Jaipur

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

43—486GI/84

Date : 15-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS- ---

(1) Shri Bopal S/o  
Shri Dolaj Rajput R/o  
Sewani, Teh Dhar

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Dividend Laboratories (P) Ltd.,  
Managing Director Shri Vasu Sodani S/o  
Shri Badrinarayan Sodani, America  
Thro General power of attorney  
Shri Ram Avtar S/o  
Shri Badrinarayan Sodani, R/o  
7, Sita Building, Yeshwan Road,  
Indore

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M P

Bhopal, the 6th February 1985

Ref No IAC/Acq/Bpl/5607 —Whereas I  
V K BARANWAL,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property having a fair market value exceeding  
Rs 1,00,000 and bearing No  
Land bearing Survey No 312 situated at village Sejwa  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer at  
Dhar on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument  
transfer with the object of —

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are  
defined in Chapter XXXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act,  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922  
(Act of 1922) or the said Act or the Wealth Tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Land bearing Survey No 312 situated at village Sejwaya,  
Dist Dhar This is the immovable property which has been  
declared in Form No 37-G verified by the transferee

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

Date 6 2 1985  
Seal

FORM ITNS -----

(1) Shri Harishchandra Goyal S/o  
Shri Phoolchandji Goyal, R/o  
Goyal Niwas, Sakhipura, Ujjain.

(Transferor)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,**

ACQUISITION RANGE  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl./5608.—Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No. Land bearing Survey No. 1541 situated at Chimanganj Mandi, Ujjain (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ujjain in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely

(2) Bhatat Housing Co-op. Society Maryadit,  
Off : Gandhi Bhavan New Road, Ujjain  
Thro' President : Shri Chandrabhan Gupta,  
P o Ujjain

(Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned. —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 1541 is situated at Chimanganj Mandi, Ujjain.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills. BHOPAL

Date : 6-2-1985.

## FORM ITNS

Bhopal, the 6th February 1985

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER,  
ACQUISITION RANGE,  
BHOVAL, M.P.  
Ref. No. IAC/Acq. Bpl./5609.—Whereas I,

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX  
STONER OF INCOME-TAX

V. K. BARANWAL.

## GOVERNMENT OF INDIA

being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land bearing Survey No. 1537 situated at Chimanganj Mandi, Ujjain, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ujjain in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Harishchandra Goyal S/o  
Shri Phoolchandji Goyal, R/o  
Goyal Niwas, Sakhtipura, Ujjain. (Transferor)
- (2) Bharat Housing Co-op. Society Maryadit,  
Off : Gandhi Bhavan, New Road, Ujjain  
Thro' President : Shri Chandrabhan Gupta,  
R/o Ujjain. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land bearing Survey No. 1541 is situated at Chimanganj Mandi, Ujjain.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 6-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq/Bpl./5610.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Land Survey No. 1541 is situated at Chimanganj Mandi, Ujjain (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office the Registering Officer at Ujjain in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Harishchandra Goyal S/o  
Shri Phooichandji Goyal, R/o  
Goyal Niwas, Sakhipura, Ujjain. (Transferor)
- (2) Bharat Housing Co-op. Society Maryadit,  
Off : Gandhi Bhavan, New Road, Ujjain (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land Survey No. 1541 situated at Chimanganj Mandi, Ujjain.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 6-2-1985.  
Seal :

## FORM INS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl./5611.—Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No. House bearing Municipal No. 15 situated at Hukumchand Marg, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shrimati Tulsibai W/o  
Shri Revashkarji Dubey,  
2. Shri Balkrishna,  
3. Shri Gulabchand,  
4. Shri Ashok Kumar S/o  
Shri Revashkarji Dubey,  
5. Smt. Pushpabai,  
(S. No. 1 to 4 R/o  
Sir Seth Hukumchand Marg, Indore),  
(S. No. 5 R/o Ratiam) &  
Shri Lalchand S/o  
Shri Sriramji Dubey, R/o  
Teli Bakhel, House No. 60,  
Indore. (Transferor)
- (2) Shri Kamalkishore Verma S/o  
Shri Bansidharji Verma, R/o  
House No. 20, Loddhipura No. 1,  
Indore. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House bearing Municipal No. 15 is situated at Hukumchand Marg, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Flour Mills, BHOPAL

Date : 6-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Shri Bhagirath S/o  
Shri Ganpatji, R/o  
Malpura, Ujjain.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Nav Akash Grih Nitman Sahakari Sanstha,  
Ujjain.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER,  
OF INCOME TAX  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq/Bpl.45612.—Whereas I,  
V. K. BARANWAL,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property having a fair market value exceeding  
Rs. 1,00,000 - and bearing No.  
Agricultural land Survey No. 3793/1, 3794, 3795, 3796,  
3807 & 3808/1 situated at Ujjain  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the Registering Officer at  
Ujjain in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefore by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Agricultural land bearing Survey No. 3793/1, 3794, 3795,  
3796, 3807 & 3808/1 situated at Ujjain. This is the immov-  
able property which has been described in form No. 37-G  
duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

Date : 6-2-1985  
Seal :

FORM ITNS-----

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl./5613.--Whereas I, V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Agricultural land situated at Ujjain

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Ujjain in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- (1) Shrimati Bhuri Bai W/o  
Shri Goverdhanji,  
Shri Rameshwar,  
Shri Babulal,  
Shri Chainshri,  
Shri Jammalal, R/o  
Ujjain.

(Transferor)

- (2) Nav Akash Grih Nirman Sahkari Sanstha,  
Ujjain.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agricultural land is situated at Ujjain. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the Transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 6-2-1985

Seal :



## FORM ITNS-----

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq./Bpl./5614.—Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Plot No. 56 & house thereon situated at Saket Nagar Colony, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Indore in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Shri Yeshwardhan S/o  
Shri Kishan Chopra, R/o  
215, Saket Nagar Colony, Indore.

(Transferor)

(2) 1. Shri Harikishan S/o  
Shri Hanumandasji,  
2. Shrimati Urmila Devi W/o  
Shri Harikishanji Agrawal, R/o  
6, Sita Building, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Plot No. 56 & house thereon is situated at Saket Nagar Colony, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—  
44-486GT/84

Date : 6-2-1985.

Seal :

## FORM IINS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq./Bpl./5615.—Whereas I, V. K. BARANWAL, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. House bearing Mun. No. 32/1595 situated at Maina Wali Gali, Lashkar, Gwalior (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (6 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gwalior in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri J. K. Day S/o  
Shri K. P. Dey, R/o  
B-323, Chhittaranjan Park,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri N. P. Dwivedi S/o  
Shri P. R. Dwivedi, R/o  
Mina Wali Gali, Lashkar, Gwalior.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House (Part thereof) bearing Municipal No. 32/1595 is situated at Maina Wali Gali, Lashkar, Gwalior. This is the immovable property which has been described in form No. 37-C duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 11-2-1985.

Seal :

FORM ITNS- ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE  
BHOPAL MP

Bhopal the 11th February 1985

Ref No IAC/Acq/R/Bpl/5616—Whereas I,  
V K BARANWAL,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act') have reason to believe that the  
movable property having a fair market value exceeding  
Rs 1,00,000/ and bearing No  
A part of house bearing Mun No 32/1595 situated at Mina  
Wali Gali, Lashkar, Gwalior  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registration officer at  
Gwalior in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act  
in respect of any income arising from the transfer,  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

(1) Shri J. K. Dey S/o  
Shri K. P. Dey R/o  
B 323 Chhattaranjan Park,  
New Delhi

(Transferor)

(2) Shrimati K. D. Dwivedi W/o  
Shri N. P. Dwivedi R/o  
Mina Wali Gali Lashkar, Gwalior

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons  
whichever period expires later,

- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expression used herein are  
are defined in Chapter V of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter

## THE SCHEDULE

House bearing No 32/1595 (Part thereof) situated at  
Mina Wali Gali Lashkar, Gwalior This is the immovable  
property which has been described in form No 37 G duly  
verified by the transferee

V K BARANWAL  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date 11-2 1985  
Seal.

## FORM ITNS

(1) Shri Jagannath S/o  
Shri Umkar, R/o  
Vavadiya Kalan, Dist. Bhopal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Ref. No. IAC/Acq'n /Bpl./5617.—Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Land Kh. No. 79/2, 70/2 situated at Vill. Bavdiya Kalan, Dist. Bhopal (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bhopal in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(2) Rohit Sahakari Grih Nirman Sansthan Maryadit,  
Bhopal Thro' President : Rohit Thas. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land Kh. No. 79/2, 70/2 situated at Vill. Bavadiya Kalan, The Huzur, Dist. Bhopal. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 8-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Sunil Kumar Shinde S/o  
Shri Sadashiv Rao Shinde, R/o  
Andherdeo, Jabalpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Anil Kumar Shinde S/o  
Shri Madhavrao Shinde, R/o  
Andherdeo, Jabalpur.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl./5618.—Whereas I,  
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property having a fair market value exceeding  
Rs. 1,00,000/- and bearing  
House No. 1081, 1081/1, 1081/2 situated at Ram Manohar  
Lohiya Ward, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer at  
Jabalpur in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object or —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of  
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957  
(27 of 1957);

## THE SCHEDULE

House No. 1081, 1081/1, 1081/2 situated at Ram Manohar  
Lohiya Ward, Jabalpur. This is the immovable property  
which has been described in form No. 37-G duly verified by  
the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons namely :—

Date : 8-2-1985.

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING  
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl /5619—Whereas I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Plot & House No. 67, 67/1, 67/2 situated at Gulgala, Jabalpur (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act; to the following persons, namely:—

(1) Shrimati Anitha Shinde W/o  
Shri Pramod Shinde, R/o  
159, Bajaj Nagar, Nagpur.

(Transferee)

(2) Sibi Gyanchand Jain & 7 Others, R/o  
Lordganj, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot & House No. 67, 67/1, 67/2 is situated at Gulgala, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 8-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Gurnam Singh So  
Shri Amrik Singh, R/o  
Mandi Bazar, Burhanpur.

Transferor(s)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Lila Chhajed W/o  
Shri Basant Kumar Chhajed, R/o  
Presently at 149, Janki Nagar Extension,  
Indore.

Transferee(s)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

Bhopal, the 8th February 1985

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the res-  
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

Ref No. IAC/Acq./Bpl./5620.—Whereas I,  
V. K. BARANWAL,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-  
and bearing No. 98 situated at Janki Nagar Extension,  
Indore  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer at  
Indore in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

## THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Land bearing No. 89 is situated at Janki Nagar Extension,  
Indore

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

Date 8-2-1985.  
Seal :

FORM ITMS

(2) Shri Arjun Singh S/o  
Shri Amkisingh Kaur, R/o  
Mardi Bazar, Burhanpur.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) 1. Shri Om Prakash S/o  
Shri Mohanlal,  
2. Shrimati Rameshwari Devi W/o  
Shri Om Prakash, R/o  
Sajan Nagar, Indore.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE,  
BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 8th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. /Bpl./5621.-- Whereas I,  
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. Land bearing No. 97 situated at Janaki Nagar, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Indore in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land bearing No. 97 is situated at Janaki Nagar, Indore

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills, BHOPAL

Date : 8-2-1985.  
Seal :



## FORM ITNS

- (1) Shri Birdichand S/o Shri Khushalchand Lunawat,  
Station Ganj, Narsingpur.  
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) M/s. Girdharilal Kanchhedilal Kathal  
Gadarwara Thro' Partner Sh. Sharadkumar  
S/o Shri Kedarnath Kathal, Gadarwara, Narsingpur.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/AcqN/Bpl/5627.—Whereas, I,  
V. K. BARANWAL,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 1,00,000/- and bearing No.  
Plot No. 22 & Double storeyed house situated at Ronsra,  
Narsinghpur thereon  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the Office of the Registering Officer  
at Narsingpur in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair-  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette, or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in the Chapter XXXA of the  
said Act, shall have the same meaning as  
given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act,  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11  
of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

House on plot No. 22 (Nazul Sheet No. 8) is situated at  
Ronsra, Teh. & Dist. Narsingpur. This is the immovable pro-  
perty which has been described in form No. 37-G duly veri-  
fied by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills,  
Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

Date : 6-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No IAC/AcqN/Bpl/5628.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/- and bearing Plot No 47-B situated at Saket Nagar, Indore (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Indore in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration to such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money, or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- |  |              |
|--|--------------|
| (1) Shri Charan Prasad S/o Jyoti Swaroop<br>Thro' General power of attorney<br>Pavija W/o Charan Prasad,<br>41, Saket Nagar, Indore. | (Transferor) |
| (2) Lalita Bai W/o Nandlai Jushi<br>R/o Hatod., Teh. Indore.   | (Transferee) |

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 47-B is situated at Saket Nagar, Indore. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills,  
Bhopal.

Date : 11-2-1985  
Seal

## FORM ITNS-----

(1) Smt. Raj Bhatia W/o Shri D. P. Bhatia,  
South Civil Lines, Jabalpur.  
(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Bhasin Builders, (Partnership firm)  
Thro' Managing Partner Shri Gurvinder Singh  
Bhasin, Gorakhpur, Jabalpur.  
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No. TAC/Acqn/Bpl/5629.—Whereas, I, V. K. BARANWAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. House (Part of) No. 411 situated at South Civil Lines, Jabalpur.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jabalpur on June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House (Part of) No. 411 is situated at South Civil Lines, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No. 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills,  
Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 11-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961).

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE  
BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5630.—Whereas, I,  
V. K. BARANWAL,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

House (Part of) No. 411 situated at South Civil Lines, Jabalpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Jabalpur in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Rajeev & Sandeep Bhatia,  
S/o Shri D. P. Bhatia, South Civil Lines,  
Jabalpur.

Transferor(s)

(2) M/s. Bhasin Builders (Partnership firm)  
Thro' Managing Partner Shri Gurvinder Singh  
Bhasin Gorakhpur, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House (Part of) No. 411 is situated at South Civil Lines, Jabalpur. This is the immovable property which has been described in form No 37-G duly verified by the transferee.

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills,  
Bhopal.

Date: 11-2-1985  
Seal:

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Y. C. Garg S/o S. M. L. Garg,  
R/o 64, C-sector, Indrapuri, Bhopal. (Transferor)
- (2) Shri Harindra Singh S/o Shri Sardar Amar Singh,  
R/o Surajgani, Itarsi. (Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
BHOPAL (M.P.)

Bhopal, the 8th February 1984

Ref. No. IAC/Acq/Bpl/5623 —Whereas, I,  
V. K. BARANWAL,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-  
movable property having a fair market value exceeding  
Rs. 1,00,000/- and bearing No.  
Plot No. 64 situated at C-sector, Indrapuri, Bhopal  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer at  
Bareilly in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act,  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or

## THE SCHEDULE

Plot No. 64 is situated at C-sector, Indrapuri, Bhopal.

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

V. K. BARANWAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Income Tax Building  
Near Central India Floor Mills,  
Bhopal.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

Date : 8-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

- (1) 1. Pradeep Kumar Bhan
2. Kamal Kumar Bhan
3. Arun Kumar Bhan.
4. Girish Kumar Bhan

(Transferor)

- (2) Smt. Asha Agarwal.

(Transferee)

- (3) Sellers

(Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

Ref. No. G.L.R. No. A-162/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot of land situated at No. 35, Rampur Bagh, Civil Lines, Bareilly

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot of land measuring 250 sq. yds. with construction situated at No. 35, Rampur Bagh, Plot No. A Block-S, Civil Lines, Bareilly (as mentioned in 37-G Form No. 4867) registered by the Registering Authority, Bareilly, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow.

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. A-163/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at the Campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Nainital on 20-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any proceeds or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Ram Prakash
2. Suraj Autar
3. Om Autar
4. Vishnu Autar
- Through Smt. Renu V. Autar
5. Anil Kumar
6. Rajiv Kumar
- Through Shri Anil Kumar Goel
7. Rakesh Kumar
- Ashok Kumar Goel

(Transferor)

- (2) 1. Shri Aan Singh Bist
2. Sme. Kamla Bist
3. Km. Ganga Bist

(3) Vendors

(Persons in occupation of the Property)  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 2022.59 sq. ft. situated in Campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital, registered by the registering Authority, Nainital, on 20-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow.

Date : 13-2-1985  
Seal :

FORM ITNS

(1) 1. Shri Brij Mohan Mehra

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) 1. Shri Chandra Prakash Sharma  
2. Smt. Omshree Sharma

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. C-44/ACQ. Whereas I,

A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25 000/- and bearing No. Part of Plot No. 2 situated at No. 1, Rana Pratap Marg, Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow on 13-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice, in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Part of plot No. 2 measuring about 4600 sq. ft. situated at No. 1, Rana Pratap Marg, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on 13-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow.

Date : 13-2-1985  
Seal :



## FORM I.T.N.S.—

- (1) M/s. 9mrpalli Sahkari Grih Nirman Samiti Ltd.,  
Lucknow  
Through its Secretary, Shri Dinesh Chandra  
Srivastava  
(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (2) 1. Shri Dalip Vaswani  
2. Smt. Vineeta Vaswani  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

- (3) Vendees  
(Person in occupation of the property)

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

Ref. No. D.I.R. No. J-55/9CQ.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 18/7 situated at 18, Madan Mohan Malviya Marg, Hazratganj, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 2-6-1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the transferor(s) and transferee(s) has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under sub-sections, namely :—

46—486GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 18/7, measuring 7,700 sq. ft. situated at 18, Madan Mohan Malviya Marg, P.S. Hazratganj, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow on 2-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow.

Date : 13-2-1985

Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW.

Lucknow, the 11th February 1985

Ref. No. G.I.R. No. I-2/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.Plot No. 3 situate at Birbal Sahni Road, Lucknow  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the Registering Officer  
at Lucknow on 15-6-1984for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or which  
ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11  
of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

- (1) Janta Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd.,  
Having its office in Aminabad, Lucknow.  
(Transferor)
- (2) Dr. Iqbal Ahmad Qidwai  
(Transferee)
- (3) Vendor  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of  
the publication of this notice in the Official  
Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 4 of the land in the Housing Scheme of the  
Janta Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd., measuring 2010  
sq. ft. situated at Birbal Sahni Road, Lucknow, registered  
by the Registering Authority, Lucknow, on 15-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow.

Date: 11-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. J-78/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing No. Plot No. 4 situated at Birbal Sahni Road, Lucknow (and more fully described in the scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow on 15-6-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferor for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Janta Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd.,  
Having its Office in Aminabad, Lucknow.  
(Transferor)

- (2) Mrs. Jameela Ahmad  
(Transferee)

- (3) Vendor  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 4 of the land in the Housing Scheme of the Janta Sahkari Grah Nirman Samiti Ltd., measuring 2041 sq. ft. situated at Birbal Sahni Road, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on 15-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow.

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. M-209/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Constructed house with land situate at Mohalla—Kunwarpur, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bareilly in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly, stated in the Said Instrument of Transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) 1. Shri Ashok Kumar  
2. Shri Anil Kumar  
(Transferor)
- (2) 1. Shri Mahesh Chandra  
2. Smt. Sumit Saxena  
(Transferee)
- (3) Seller.  
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning, as given, in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Constructed house with land measuring 401 sq. yds. situated at Mohalla-Kunwarpur, Bareilly (as mentioned in 37-G Form No. 4630) registered by the Registering Authority, Bareilly, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Seal :

FORM TINS

- (1) Shri-Indra Prakash Gupta  
(Transferee)
- (2) Shri Prem Chand Aggarwal  
(Transferee)
- (3) Vendee.  
(Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. P-133/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing Agri. land No. 92 situated at Bastauli, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/o.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agri. land No. 92, measuring 17 Biswa situated at Bastauli, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow on June, 1984 (as mentioned in 37-G Form No. 7584).

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G.I.R. No. P-134/Acq.—Whereas, I,

A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No.

Plot of land situated at 16, Rana Pratap Marg, Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or,

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) 1. Smt. Parmila Srivastava  
2. Rtn. Anuradha Chaudhary (Transferor)  
(2) Sdri Prem Kishore (Transferee)  
(3) Vendee (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Plot of land situated at No. 16, Rana Pratap Marg, Lucknow, measuring 980 sq. ft. (as mentioned in 37-C Form No. 3707) registered by the Registering Authority Lucknow, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Chaitarya Das (Transferor)  
 (2) Shri Prem Kishore (Transferee)  
 (3) Vendee (Person in occupation of the property)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G.O.R. No. P-135/Acq—Whereas, I,  
 A. PRASAD,  
 being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Portion of plot No. 16 situated at Rana Pratap Marg, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Portion of Plot No. 16, measuring 1100 sq. ft. situated at Rana Pratap Marg, Lucknow (as mentioned in 37G Form No. 7908) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

A. PRASAD  
 Competent Authority  
 Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
 Acquisition Range  
 Lucknow.

Date . 11-2-1985  
 Seal :

FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G. L. R. No. R-287/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No

Double storeyed building situated at 4/8, Park Lane, Narhi, Lucknow

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Lt. Col. R. K. Chawla. (Transferor)  
(2) 1. Shri Rakesh Sharma,  
2. Shri Hridayesh Sharma. (Transferee)  
(3) Seller. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Double storeyed building having land measuring 3645 sq. ft. situated at 4/8, Park Lane, Narhi Lucknow (as mentioned in 37G Form No. 6747) registered by the Registering Authority Lucknow, on June, 1984

A PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 11-2-1985  
Seal :



## FORM ITNS

- (1) Mrs. E. Chowfin. (Transferor)  
 (2) Shri Ram Prasad. (Transferee)  
 (3) Vendor. (Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
 INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
 COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
 57, RAM TIRTH MARG  
 LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. R-238/Acq.—Whereas, I,  
 A. PRASAD,  
 being the Competent Authority under Section 269B of the  
 Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
 as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
 able property, having a fair market value exceeding  
 Rs. 25,000/- and bearing No.  
 House situated at 84A, Civil Lines, Bareilly,  
 (and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
 has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
 of 1908) in the Office of the Registering Officer  
 at Lucknow in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair  
 market value of the aforesaid property and I have reason to  
 believe that the fair market value of the property as afore-  
 said exceeds the apparent consideration therefor by more than  
 fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
 consideration for such transfer as agreed to between the  
 parties has not been truly stated in the said instrument of  
 transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
 of the transferor to pay tax under the said Act, in  
 respect of any income arising from the transfer;  
 and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
 moneys or other assets which have not been or  
 which ought to be disclosed by the transferee for  
 the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
 Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
 Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
 aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
 section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
 persons, namely:—  
 47—486G1/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
 may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
 45 days from the date of publication of this notice  
 in the Official Gazette or a period of 30 days  
 from the service of notice on the respective persons,  
 whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
 able property, within 45 days from the date of  
 the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
 are defined in Chapter XXXA of the said  
 Act, shall have the same meaning as given  
 in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House with land measuring 1020 sq. yds. situated at 84A,  
 Civil Lines, Bareilly as mentioned in 37G Form No. 4625)  
 registered by the Registering Authority, Bareilly on June,  
 1984.

A. PRASAD  
 Competent Authority  
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
 Acquisition Range  
 Lucknow

Date : 13-2 1985  
 Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. R-239/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Agri. land No. 92 situated at Bastauli, Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| (1) Shri Indra Prakash Gupta. | (Transferor)                           |
| (2) Shri Ram Niwas Agarwal.   | (Transferee)                           |
| (3) Vendee.                   | (Person in occupation of the property) |

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

### THE SCHEDULE

Agri. Land No. 92 measuring 8 Biswa 10 Biswansi situated at Bastauli, Lucknow, (as mentioned in 37G Form No. 7586) registered by the Registering Authority, Lucknow on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 13-2 1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. R-240/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the im-  
movable property having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.  
Land situated at Beharipur, Bareilly,  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the office of the registering officer at  
at Lucknow in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act,  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

- (1) 1. Shri Ram Bahadur,  
2. Shri Prem Babu,  
3. Smt. Ram Kali,  
4. Master Mahesh (Minor) Through Mother,  
Smt. Ram Kali,  
5. Shri Chhotey. (Transferor)
- (2) Shri Ram Avtar. (Transferee)
- (3) Vendor (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective person,  
whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

An open piece of land measuring 700 sq. yds. situated in  
Beharipur, Bareilly (as mentioned in 37G Form No. 4728)  
registered by the Registering Authority, Bareilly on June,  
1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G. I. R. No. S-354/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Building No. 296/29 situated at Ahata Sangi Bagh, Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue for this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- |  |  |
|--|--|
| (1) Shri Mohd. Azeem Khan.                                   | (Transferor)                           |
| (2) 1. Shri raj Ahmad,<br>2. Fazal Ahmad,<br>3. Qamar Ahmad. | (Transferee)                           |
| (3) Vendees.   | (Person in occupation of the property) |

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Double storeyed building No. 296/29, measuring 1497.5 sq. ft. situated at Ahata Sangi Bagh, Lucknow (as mentioned in 37G Form No. 7376) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

- (1) Shri Indra Prakash Gupta. (Transferor)  
 (2) Shri Santosh Kumar. (Transferee)  
 (3) Vendee. (Person in occupation of the property)

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE  
 INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
 57, RAM TIRTH MARG  
 LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. S-356/Acq.—Whereas, I,  
 A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agri. land No. 92 situated at Bastauli, Lucknow (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agri. land No. 92, measuring 8 Biswa 10 Biswansi situated at Bastauli, Lucknow (as mentioned in 37G Form No 7587) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

A. PRASAD  
 Competent Authority  
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
 Acquisition Range  
 Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date ; 13-2 1985  
 Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri Indra Prakash Gupta. (Transferor)
- (2) Shri Shailendra Kumar. (Transferee)
- (3) Vendec. (Person in occupation of the property)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

Ref. No. G.I.R. No. S-357/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agri. land 92 situated at Bastauli, Lucknow (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Agri. land No. 92, measuring 8 Biswa 10 Biswas situated at Bastauli, Lucknow (as mentioned in 37G Form No 7585) registered by the Registering Authority, Lucknow, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2 1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. S-358/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Constructed property with land situated at Shyamganj, Bareilly (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering office at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Prakash Chandra,  
2. Master Gaurav Chand (Minor),  
through Karta of the Family. (Transferor)
- (2) Smt. Saraswati Devi Agarwal. (Transferee)
- (3) Sellers. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Constructed property with land measuring 3054 sq. yds. situated at Shyamganj, Bareilly as mentioned in 37G Form No. 4889) registered by the Registering Authority, Bareilly, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 13-2 1985  
Seal :

## FORM ITN

(1) Mrs Prem Lata Lal.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mrs. Usha Vidyarthi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

(3) Owner.

(Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

G. I. R. No. U-39/Acq.—Whereas, I,

A. PRASAD,

being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

First floor situated at 26/16, Wazir Hasan Road, Lucknow. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing at Lucknow in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

First floor having covered area 1920 sq. ft. together with open terrace along with motor garage on ground floor ad-measuring 215 sq. ft. situated at No. 26/16, Wazir Hasan Road, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on 26-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 11-2-1985  
Seal :



## FORM ITNS

(1) Maj. S. N. Misra.

(Transferor)

(2) Smt. Urmila Mittal.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 11th February 1985

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

G I R. No. U-40/Acq—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot of land No. 18 situated at Nehru Nagar Cooperative Housing Society Ltd, Lucknow (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

48—486G1/84

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot of land No. 18, measuring 5490 sq. ft. situated at Nehru Nagar, Housing Co-operative Society Ltd, Lucknow, registered by the Registering Authority, Lucknow, on June 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 11-2-1985

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) 1 Smt Nawab Noor Jehan Begum,  
2 Smt Nawab Noorunnissan Begum (Transferor)
- (2) Smt Zaibunnessan (Transferee)
- (3) Vendee (Person in occupation of the property)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G I R No Z-6/Acq—Whereas, I,  
A PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25 000/ and bearing No House No 133/19 Ka situated at Aminabad Road, Nazirabad Lucknow (and more fully described in the schedule annexed here) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later
- (b) by any person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922); or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

House No 133/19-Ka, with land measuring 1626 sq ft situated at Aminabad Road, Nazirabad PS Kaiserbagh Lucknow registered by the Registering Authority Lucknow on 27-6-1984

A PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

Date : 13 2 1985  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) Shri Anup Kumar Poddar.

(Transferor)

(2) Mrs. Anjali Shroff.

(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. A-164/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, structures etc. situated at Mauza-Khabrar Patti Satbonga, Teh. & Distt. Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 12 acres more or less together with all plants, trees and structures situated in Mashankhet Tak at Mauza-Khabrar Patti Satbonga, Teh. & Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2 1985  
Seal :

FORM I.T.N.S. ———

(1) Shri Anandilal Geonka,

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Bharat Kumar Khemka.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. B-127/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)  
(hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to  
believe that the immovable property, having a fair market  
value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No  
Land, structures etc. situated at Masankhet Tak, Mouza-  
Khabrar, Teh & Distt. Nainital  
(and more fully described in the schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer  
at Lucknow in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
**45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;**
- (b) **by any other person interested in the said immova-  
ble property, within 45 days from the date of  
the publication of this notice in the Official  
Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein at  
are defined in Chapter XXA of the said Act  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

- (a) **facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act  
in respect of any income arising from the transferor,  
and/or**

- (b) **facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of  
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);**

## THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 10.5 acres  
more or less together with all plants, trees and structures  
situated thereon and being a portion of snowview orchards  
in Masankhet Tak Mouza-Khabrar Patn Satbonga, Tehsil  
and Distt Nainital, registered by the Registering Authority,  
Calcutta, on 14-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

Date : 13-2-1985  
Seal :

FORM ITNS—

(1) Shri Anandilal Goenka.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shri Deepak Kumar Khemka.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. D-56/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land, structures etc. situated at Masankhet, Tak. &amp; Dist. Nainital.

and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Lucknow in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 10 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of snowview orchards in Masankhet, Tak Mauza-Khabrar Patti Satbonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta on 14-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
LucknowDate : 13-2 1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
57, RAM TIRTH MARG  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G. I. R. No. K-146/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot of land situated at the campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow in June, 1984. for an apparent consideration which is, less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Ram Prakash, .....  
2. Shri Suraj Autar,  
3. Shri Om Autar,  
4. Vishnu Autar,  
5. Shri Anil Kumar,  
6. Shri Rajiv Kumar,  
7. Shri Rakesh Kumar,  
8. Shri Ashok Kumar Goel. (Transferor)
- (2) Shri Kewal Kishore Chawla. (Transferee)
- (3) Vendors. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable Property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 356.90 sq. ft. or 30.33 sq. mtrs. situated in campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital (as mentioned in 37G Form No. 224) registered by the Registering Authority, Nainital in June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range  
Lucknow

Date : 13-2 1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Anandilal Goenka.

(Transferor)

(2) Shri Krishna Kumar Khemka.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. G-147/Acq—Whereas, I, A. PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land, structures etc situated at Masankhet Tak, Mouza-Khabrar, Teh. & Distt. Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/Sub-Registrar at Calcutta on 14-6-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

All that piece and parcel of land measuring 12.5 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of snowview orchards in Masankhet Tak, Mouza-Khabrar, Patti-Satbonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority Calcutta on 14-6-1984.

A PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

- (1) Sbri Anandilal Goenka. (Transferors)  
 (2) Mrs. Kanta Devi Shroff. (Transferees)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. K-148/Atq.—Whereas, I,  
A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land, structures etc. situated at Masankhet Tak Mauza-Khabrar Teh. & Distt. Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/Sub-Registrar at Calcutta on 14-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that piece and parcel of land measuring 12.5 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of snowview orchards in Masankhet, Tak, Mouza-Khabrar Putti Satbonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta, on 14-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2-1985  
Seal :



## FORM IINS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow the 13th February 1985

G.I.R. No. M-210/Acq.—Whereas, I, A. PRASAD, being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at the Campus of Hotel Waldorf, Nainital (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/Sub-Registrar at Nainital in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of;

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—  
49—486GI/84

- (1) 1. Shri Ram Prakash  
2. Shri Suraj Autar  
3. Shri Om Autar  
4. Shri Vishnu Autar  
5. Shri Anil Kumar  
6. Shri Rajiv Kumar  
7. Shri Rakesh Kumar  
8. Shri Ashok Kumar Goel. (Transferor)
- (2) 1. Shri Mohan Singh Bist.  
2. Shri Govind Singh Bist. (Transferee)
- (3) Vendors. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 550 sq. ft. or 51.20 metres situated in campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital (as mentioned in 37G Form No. 227) registered by the Registering Authority, Nainital, on June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS ———

(1) Shri Om Prakash Goenka.

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Machine Works (International) Ltd.  
J, Au Bhand Place, Calcutta.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. M-211/Acq—Whereas, I,  
A. PRASAD,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land, structures, etc. situated at Mauza-Khabra, Patti Sathbonga Teh &amp; Distt Nainital

(and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (11 of 1908) in the Office of the Registering Officer, Sub-Registrar at Calcutta in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moveable or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 10.5 acres more or less together with all plants, trees and structures situated thereon and being a portion of Masankhet Tak at Mouza-Khabra Patti-Sathbonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered by the Registering Authority, Calcutta, in June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. M-212/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 250,000/-  
and bearing  
Ground floor of premises No. 31/56 situated at  
Mahatama Gandhi Marg, Hazratganj, Lucknow  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (15  
of 1908) in the Office of the Registering Officer/Keonjhar  
Sub-Registrar at  
Lucknow on 22-6-1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act to the following  
persons, namely:—

- (1) Dr. Ranjit Bhargava.  
(Transferor)
- (2) M/s. Modern Silk House,  
31/56 Mahatma Gandhi Marg, Lucknow,  
Through its Partner,  
Shri Chandra Kumar Jashnani.  
(Transferee)
- (3) Vendee. (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons, which-  
ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space of the ground floor shop of premises No. 31/56  
(Old No. 48) together with four walls, floor and ceiling ex-  
cepting the land (on which the said shop exists), situated  
at M. G. Marg, Hazratganj, Lucknow, registered in the Re-  
gistering Authority, Lucknow, on 22-6-1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM TINS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA,  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. R-241, Acq.--Whereas, I,  
A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot of land situated at the Campus of Hotel Waldorf, Nainital

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/Sub-Registrar of Nainital in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

- (1) 1. Shri Ram Prakash  
2. Shri Suraj Autar  
3. Shri Om Autar  
4. Shri Vishnu Autar  
5. Shri Anil Kumar  
6. Shri Rajiv Kumar  
7. Shri Rakesh Kumar  
8. Shri Ashok Kumar Goel. (Transferors)
- (2) Shri Rajendra Prasad Agarwal. (Transferees)
- (3) Vendors (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 1297.77 sq. ft. or 120.72 sq. metres situated in campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital (as mentioned in 37G Gorm No. 222) registered by the Registering Authority, Nainital, in June, 1984

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Scal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Shri. Sushil Kumar Goenka  
(Transferor)
- (2) Shri Reknas Limited,  
5, Fancy Lane,  
Calcutta.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

GLR. No. R-242/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act') have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing No.

Land, structures etc. situated at Mauza-Khabrar,  
Patti Satbonga Teh. & Distt. Nainital  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Transfer of Property Act, 1908 (16  
of 1908) in the Office of the Sub-Registrar at  
Calcutta in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I do not  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been disclosed to the Registering  
of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
Section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 11 acres more  
or less together with all plants, trees and structures situated  
thereon and comprised in Mashanket Orchard at Mauza-  
Khabrar Patti-Satbonga, Tehsil and Distt. Nainital, registered  
by the Registering Authority, Calcutta, in June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow, the 13th February 1985

G.I.R. No. S-355/Acq.—Whereas, I,  
A. PRASAD

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot of land situated at the Campus of Hotel Waldorf Nainital

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar/Sub-Registrar at Nainital in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Ram Prakash  
2. Shri Suraj Autar  
3. Shri Om Autar  
4. Shri Vishnu Autar  
5. Shri Anil Kumar  
6. Shri Rajiv Kumar  
7. Shri Rakesh Kumar  
8. Shri Ashok Kumar Goel. (Transferor)
- (2) Smt. Sheela Tandon. (Transferee)
- (3) Vendors (Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 415.32 sq. ft. or 30.81 sq. metres situated in campus of Hotel Waldorf Nainital, Nainital (as mentioned in 37G Form No. 228) registered by the Registering Authority, Nainital, in June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
LucknowDate : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
57, RAM TIRTH MARG,  
LUCKNOW

Lucknow the 13th February 1985

GIR, No V-76/Acq—Whereas, I, A PRASAD being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing Plot of land situated at the Campus of Hotel Waldorf Mallital Nainital (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer/Registrar / Sub-Registrar at Nainital in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been of which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely —

- (1) 1. Shri Ram Prakash
2. Shri Suraj Autar
3. Shri Om Autar
4. Shri Vishnu Autar
5. Shri Anil Kumar
6. Shri Rajiv Kumar
7. Shri Rakesh Kumar
8. Shri Ashok Kumar Goel.

(Transferor)

- (2) Shri Vijay Gupta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

A plot of land measuring 1045.01 sq. ft. or 98 sq. mtrs. in campus of Hotel Waldorf, Mallital, Nainital (as mentioned in 37G Form No. 223) registered by the Registering Authority, Nainital in June, 1984.

A. PRASAD  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Lucknow

Date : 13-2-1985  
Seal :

FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) M/s. Babu Khan Constuction Co.,  
5-9-58/1, Bashirbagh,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Ratnamala Sabco,  
3-4-144/3, Eden Garden,  
Hyderabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-EF/123.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269D of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Office situated at Babukhan Estate Bashirbagh, Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at IAC, Acq. Hyderabad in 4/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons; whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

## THE SCHEDULE

Office No. 1007, 10th floor of Babu Khan Estate, Hyderabad, area 1058 sqft., as stated in the agreement registered in the Office of the IAC, Acq. Hyderabad vide Sl. No. 574/84

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-FE/124.—Whereas, I, M JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Office situated at Babukhan Estate Bashirbagh, Hyderabad (and more fully, described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at IAC, Acq. Hyderabad in 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—  
50—486GI/84

(1) M/s. Babu Khan Constructions,  
5-9-58/1-15 Bashirbagh,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Baby Maliba Saher,  
D/o Shri Bashiruddin Babukhan,  
6-3-1111/4, Nishat Bagh layout, Begumpet,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office space No. 1306 in 13th floor of 5-9-58/1-15, Babu Khan Estate, Bashirbagh, Hyderabad area 1103 sq. ft. agreement registered in the Office of the IAC Acq. Hyderabad vide Sl No 575/84

M JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-FE/125.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office situated at Bashirbagh Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Ind. in Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at IAC, Acq. Hyderabad in 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Babu Khan Constnuctions,  
5-9-58/1-15 Babu Khan Estate, Bashirbagh,  
Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri Syed Ameer  
R/o 1-6-675/3, Musheerabad,  
Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office space No. 1308 in 13th floor of Babu Khan Estate, Bashir Bagh, Hyderabad area 1022 sqft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 576/84.

M JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range,  
Hyderabad (A.P.)

Date : 14.2.1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC ACQ/37EE/126. —Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Office situated at Babukhan Estate Bashirbagh, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at

IAC, Acq. Hyderabad in 4/84

market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Babu Khan Constructions,  
5-9-58/1-15, Bashirbagh,  
Hyderabad.

(Transferor)

- (2) Sri Ajmal Z. Sanai,  
R/o Tulipa, 1-8-303/34, S. P. Road,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office No. 167, 168, 172, 173 1st floor of Babu Khan Estate Bashir Bagh, Hyderabad area as mentioned in the agreement to (1523.76 sft.) sale registered in the office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 586/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) M/s. Innovation Associates,  
142/C, Prenderghast Road,  
Secunderabad.

(Transferor)

(2) Sri K. Mohan Reddy,  
1-11-28, Phulong Road,  
Nizamabad.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1984

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/127.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at IAC, Acq. Hyderabad in 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 204 in Innovation Apartments, P.G. Road, Secunderabad area 1375 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C. Acq. Range Hyderabad vide Serial No. 594/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985

Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/128.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office situated at Babukhan Estate Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registration Officer at IAC, Acq. Hyderabad in 4/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957),

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Babu Khan Construction Co.,  
5-9-58/1-15, Bashibagh,  
Hyderabad. (Transferor)
- (2) Smt. Masarathunissa Begum,  
702, Mogul Apartments,  
Devcane Towers, Bashibagh,  
Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office No. 1301, 1302 at 13th floor of Babu Khan Estate, Bashibagh, Hyderabad area as mentioned in the agreement to sale 2407 stt, registered in the Office of the I.A.C. Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 596/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range,  
Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Amrit Apartments,  
4-3-336, Bank Street,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. Praveen Rani Saxeena,  
6-2-966/6, Hill Colony, Khairatabad,  
Hyderabad.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/129.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat situated at Bank Street, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 103-B in ground floor of Amrit Apartments, 4-3-336, Bank Street, Hyderabad area 763 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 600/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/130.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at A. C. Guards, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acqn, Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s Rudraraju Builders,  
10-2-6, A. C. Guards,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Shri Namnadas,  
Bombay Discount, Hall,  
Phool Bazar, Kurnool.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat situated at 10-2-6, A.C. Guards, Hyderabad area 1021 sqft. as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range Hyderabad vide Sl. No. 603/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :

**FORM ITNS**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/131 Whereas, I,  
M JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.  
Flat situated at Marredpally Secunderabad  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer at  
IAC, Acqn., Hyderabad in April, 1984  
for an apparent consideration which is less than the  
fair market value of the aforesaid property and I have  
reason to believe that the fair market value of the property  
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen per cent of such apparent consideration and  
that the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act to the follow-  
ing persons, namely :—

(1) Gitanjali Construction,  
A.O.C. Centre, 226/A, Marredpally,  
Secunderabad.

(Transferor)

(2) Sri Keki Dadabhy, D-11-17, Moti bagh,  
New Delhi-21.

(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days, from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 2 in ground floor of Gitanjali Construction,  
Marredpally Secunderabad area as mentioned in the agree-  
ment to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range,  
Hyderabad vide serial No. 604/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985

Seal :



## FORM ITNS—

- (1) Gitanjali Construction,  
A. O. C. Centre,  
225/A, Marredpally, Secunderabad (Transferor)
- (2) Noshir Talwala, Salana Tea Estate,  
Salana P O Nowgong, Assam-782 139 (Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSIST COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE HYDRABAD (A P)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref No RAC. NO. IAC/ACQ/37-EE/132 Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No Flat situated at Marredpally Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acqn. Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely  
51-486GI/84

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Flat No. 3 in A.O.C. Centre, 225/A, Marredpally, Secunderabad area as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the IAC, Acquisition Range, Hyderabad vide Sl. No 605/84

M., JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range Hyderabad (A P)

Date : 14-2-1985  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Babu Khan Construction, 6-9-58/1-15, Basheerbagh, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Smt. Razia Ashraq, w/o Sri Ashraq Ahmed Khan, Office space No. 145, 1st floor, 5-9-58/1-15, Babu Khan Estate, Hyderabad (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/133.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Office situated at Bashirbagh Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Office space No. 145 in Bashirbagh, Hyderabad 5-9-58/1-15, agreement as registered in the office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 606/84. (Area 305.46 sft.)

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Innovation Associates,  
142/C, Penderghast Rd,  
Secunderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Ahmed & Co., Sojaji gate,  
Jodhpur. (Rajasthan)

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

LAC/ACQ/37-EE/134 Whereas, I,  
M JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269D of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
Form No. 37EE is submitted  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer  
at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen percent of such apparent consideration and  
that the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein  
as are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 407 in 4th floor of 142/C, Penderghast Road,  
Secunderabad area 1650 sft., as mentioned in the 37-EE regis-  
tered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide  
Sl. No. 609/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons namely:—

Date: 14-2-1985

Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/135.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Bashirbagh Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Babu Khan Construction,  
5-9-58/1-15, Bashirbagh,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri Mahmood Ali,  
16-2-59/C, Akbarbagh,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

- (b) by any other persons interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office space No. 156, 157 at Babu Khan Estate, Bashirbagh, Hyderabad area 614 sqt., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 611/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/136.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000 and bearing No. Flat situated at Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at I.C. Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Platinum Construction Co.,  
4-1-966, Abdi Road,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Miss Ayesha Sultana,  
5-7-328, New Agapura,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested to the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 4 in 3-6-138, Hyderabad area 12138 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range, Hyderabad vide Sl. No. 612/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-2-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/137.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat situated at Marredpally Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Gitanjali Construction,  
225/A, Marredpally,  
Secunderabad. (Transferor)

(2) Mr. Mark Stephen Romeo,  
218, West Marredpally,  
Secunderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice the service of notice on the respective persons, in the Official Gazette or a period of 30 days from
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 1 in ground floor at Marredpally, Secunderabad area as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 611-A/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :

FORM ITNS—

(1) M/s. Platinum Construction,  
4-1-966, Abid Road,  
Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Master M.A. Rajman,  
5-7-328, New Agapura,  
Hyderabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/138.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop situated at Himayathnagar Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Shop No. 3 at Himayathnagar, Hyderabad area 12138 sqft., as mentioned in agreement to sale registered in the Office of the IAC, Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 613/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/139.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Himayathnagar Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) M/s. Platinum Construction Co.,  
4-1-966, Abid Road,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri M.A. Mujeeb,  
5-7-328, New Agapura,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop Nos 1 and 2 at Himayathnagar, Hyderabad area 12138 sft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 614/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985

Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/140.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Flat situated at Himayathnagar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Platinum Construction Co.,  
4-1-966, Abid Road,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) M. A. Samad,  
5-7-328, New Agapura,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 15 at Himayathnagar, Hyderabad area 12138 sft., as mentioned in the agreement to sale as registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range, Hyderabad vide Sl. No. 615/84.

M. JEGAN MOHAN  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date: 14-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/141.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop situated at Himayathnagar, Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Platinum Construction Co.,  
4-1-966, Abid Road,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Mrs Reeta Suxena,  
20-1-397, Sukhain, Koka-Tatti,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given at that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 16 area 12138 sft., as mentioned in agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acquisition Range, Hyderabad vide Sl. No. 616/84

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/142.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Raghunathbagh, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Dr. Neena P. Desai,  
F. No. 5, Adarshnagar,  
Hyderabad.  
(Transferor)
- (2) Smt. Mrudula Vinod Sharma & Other,  
Apartment No. F-3, Raghunathbagh Apartments,  
Raghunathbagh,  
Hyderabad.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 3 in Raghunath Apartments, Raghunath Bagh, Hyderabad area 979 sft., as mentioned in the agreement in the office of the I.A.C., Acq., Range, Hyderabad vide Sl. No. 619/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad A.P.)

Date: 14-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ/37-EE/143.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat situated at Bank Street, Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer

at IAC, Acq., Hyderabad in April, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Amrit Apartments,  
4-3-336, Bank Street,  
Hyderabad.

(Transferor)

- (2) Smt. Hemalatha Srinivasan,  
P. No. 62, Madhav Nagar, Saidabad,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 55 in 4th floor of Amrit Apartments, Hyderabad area 1067 sq. ft., as mentioned in the agreement to sale registered in the Office of the I.A.C., Acq. Range, Hyderabad vide Sl. No. 624/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad A.P.)

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 986/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Punjagutta, Hyderabad and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Virgo Constructions, Re/. by Sri B. N. Reddy, Banjara Hills, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Smt. K. Bharathi w/o. Dr. K. Radhakrishna, Flat No. 6, Kantisikhara Compled, Punjagutta, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 6 in 1st floor D-Block, Kantisikhara Apartments, Punjagutta, Hyderabad admeasuring 558 sq. ft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3199/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date: 11-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 987/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing  
No. Flat situated at Red Hills, Hyderabad  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer at  
Hyderabad on 6/84  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

(1) Sri Mukundlal Agarwal, s/o Giridharlal,  
11-4-656/1, Red Hills, Hyderabad.  
(Transferor)

(2) Smt. P. Ramani W/o P. J. J. Rapu,  
1-2-593/7, Domalguda, Hyderabad.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the respective  
persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in the Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. B-710, VII floor at 11-4-656/1, Red Hills,  
Hyderabad admeasuring 1181 sft., registered by the S.R.O.  
Khairatabad vide document No. 1293/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date: 11-2-1985  
Seal:

FORM ITNS—

(1) Sri Mukundlal Agarwal, w/o. Giridharlal,  
11-4-656/1, Red Hills, Hyderabad. (Transferor)

(2) Sri K. N. Raom s/o. K. Balaram 11-4-656/1,  
Flat No. 211, Red Hills Hyderabad. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

**Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of  
the publication of this notice in the Official  
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

RAC. No. 988/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.  
Flat situated at Red Hills Hyderabad  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the registration Act,  
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer  
at Hyderabad on 6/84  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or which  
ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11  
of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

THE SCHEDULE

Flat No. 211 in 2nd floor at 11-4-656/1, Red Hills,  
Hyderabad measuring 1258 sq.ft., registered by the S.R.O.,  
Khairatabad vide document No. 1270/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

Date : 11-2-1985  
Seal :

FORM ITNS— —

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 989/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing  
No. Flat situated at Red Hills, Hyderabad  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the Registering Officer at  
Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

- (1) Sri Laxmi Prasad & Others,  
1-1-770/1, Gandhinagar, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri T. Ramgopal 3-6-190/3, Himayathnagar,  
Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 706 at Red Hills, Hyderabad M. No. 11-4-656/1,  
Hyderabad admeasuring 1181 sft., registered by the S.R.O.,  
Hyderabad vide document No. 3047/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :



## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

(1) Sri Laxmi Prasad & Others,  
Gandhinagar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Sri P. V. Subramanyam, 6-3-612/7,  
Anandnagar, Hyderabad,

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 990/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat situated at Red Hills, Hyderabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908  
(16 of 1908) in the office of Registering Officer  
at Hyderabad on 6/84for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the  
said Act, hereby initiate proceedings for the acquisition  
of the aforesaid property by the issue of this notice under  
sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the fol-  
lowing persons, namely :—

53—486GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said im-  
movable property, within 45 days from the date  
of the publication of this notice in the Official  
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 713 in VIIth floor at Red Hills, Hyderabad ad-  
measuring 874 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide  
document No. 3048/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 991/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as  
the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing  
No. Flat situated at A. C. Guards, Hyderabad  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer  
at Hyderabad on 6/84  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11  
of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons namely:—

- (1) M/s. Basera Builders, Rep. by Sri Intiaz  
Ahmed Khan, 10-2-287/3, Shanti nagar,  
Hyderabad. (Transferor)
- (2) Dr. T. Adinarayanaiah, Rep. by his wife  
Dr. Indira Venkataratnam, 11-6-655,  
Red Hills, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of  
the publication of this notice in the Official  
Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in the Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. E/II floor at Basera Apartments, 11-4-633/4,  
A. C. Guards, Hyderabad admeasuring 1050 sft., registered  
by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3342/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal ;

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
(HYDERABAD (A.P.))

Hyderabad the 11th February 1985

RAC. No. 992/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Akber Jah Bazar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to believe the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. K. Lalitha, w/o late K. Jagadshwariah, 15-5-614 to 616, Akber Jah Bazar, Hyderabad and others.

(Transferor)

(2) Smt. Meva Baim w/o. K. Shamsunder Agarwal 15-5-729, Akber Jah Bazar, Afzalgunj, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the afore-said persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property No. 15-5-614 to 616, Akberjah Bazar, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3618/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :

FORM ITNS

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 993/84-85.—Whereas I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing  
No. Flat situated at Samrat Complex, Hyderabad  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the Office of the Registering Officer at  
Hyderabad on 7/84  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issued of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

(2) Smt. Thara Balakrishnan and Other,  
Flat No. 9, Kanchenbagh, Hyderabad.  
(Transferor)

(2) Smt. Anuradha Pottabathni, 16-9-427/A/1,  
Old Malakpet, Hyderabad.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

**EXPLANATION:—**The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter

**THE SCHEDULE**

Flat No. D-5 in H. No. 5-9-12 and 12/1, Sairabad,  
Hyderabad Samrat Complex registered by the S.R.O., Hydera-  
bad vide document No. 3998/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date: 11-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 994/84-85.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at Hari Bowli, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Usha Rani Sainchar & 3 Others,  
Kishen Pershad Devdi, Hyderabad. (Transferor)

(2) Smt Raja Bai and Vimal Bai,  
21-7-572, Khokervadi, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property bearing No. 23-6-3, and 4 at Hari Bowli, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3478/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.).

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Sri G. Madhava Reddy & Others,  
16-2-738/D/3, Malakpet, Hyderabad.  
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 296D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Pawan Engineering Pvt. Ltd.,  
Rep. by Sri Venkataratnam, R/o 1-113,  
Malkajgiri, Hyderabad-47.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 995/84-85.—Whereas J,  
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Land situated at Nagaram (v) R.R. Dt., (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, the pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land admeasuring 3000 sq. yds. situated at Nagaram village, Medchal Tq., R.R. Dt., registered by the S.R.O., R.R. Dt., vide document No. 3299, 3655, 3300, 3301, 3654/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :

**FORM ITNS**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Sri Mohammed Osman and Others, 5-9-1110/4/2, King Kothi, Hyderabad  
(Transferor)

(2) Sri Syed Ahmed Abdul Mujeeb and others, 23-1 662/2, Mogalputa, Hyderabad.  
(Transferee)

**GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 996/84-85.—Whereas, I, M JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No House situated at Ramkote Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been, which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

**THE SCHEDULE**

H No 3-5-121/C/1/2, Part of RAHATMANZIL Ramkote, Edenbagh, Hyderabad admeasuring 538 Sq Yds of land and 843 sft, plinth area registered by the S R O, Hyderabad vide document No. 3168/84.

M JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date 11-2-1985  
Seal ,

FORM ITNS—

(1) Sri N. Jaganath Reddy, 3-6-525, Himayathnagar, Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Kum. G. Kavitha Goud, 1-2-217/8, Domalguda Hyderabad.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad. the 11th February 1985

RAC. No. 997/84-85.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. House situated at Barkatpura Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any Income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. 3-4-495/1, Barkatpura, Hyderabad admeasuring 1145 sq. yds. of land area and 1085 sq. ft. plinth area registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No 3085/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 11-2-1985  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 998/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

House situated at Himayathnagar Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

34—486GI/84

(1) Smt. Ayesha Siddique Begum,  
w/o Mohd. Sultan Ali alias Ali Sultan,  
3-6-111, Himayathnagar, Hyderabad.

(Transferor)

(2) Anarkali Exports Pvt. Ltd.,  
Anarkali Chambers, Unity House, Abids,  
Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. 3-6-11, Himayathnagar, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3492/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date: 11-2-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC, No. 999/8485.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. J and situated at Gaddiannaram, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (II of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mr. Rooplal Sohani & Others  
5-9-83, Chappal Road, Hyderabad.  
(Transferor)

(2) Sri P. Venkat Reddy s/o Kanaka Reddy,  
16-11-101, Moosarambagh, Hyderabad.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot of land admeasuring 1117 sq.yds, situated at Gaddiannaram, Hyderabad registered by the S.R.O., Azampur, vide document No. 2367/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985

Seal :

**FORM ITNS**

(1) M/s. Vijaya Builders, 7-1-79/B/1, Rep. by  
Sri Y. Laxmana Rao & Others, Ameerpet,  
Hyderabad.

(Transferor)

(2) Smt. S. Dhanalakshmi,  
C/o. Y. Janardhana Rao,  
Executive Engineer, 425/MIGH,  
S.R.Nagar, Hyderabad-500 038.

(Transferee)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX****ACQUISITION RANGE,  
HYDERABAD (A. P.)**

Hyderabad, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1000/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat situated at Ameerpet Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice hereby under sub-section (1) of Section 269D of said Act to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

**THE SCHEDULE**

Flat No. 106 in Vijaya Apartments, Ameerpet, Hyderabad admeasuring 832 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3547/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date: 11-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1001/84-85. Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Ashoknagar Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Mehta Towers, Rep. by Sri Vijay Mehta,  
2-4-65, M.G. Road, Secunderabad. (Transferor)
- (2) Sri A. Hanumantha Rao, S/o A. Venkatappaiah,  
1-1-293/4, Ashoknagar, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Flat No. 405 in 1-1-293/4, at Ashoknagar, Hyderabad measuring 921 sqft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3384/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Sagar Constructions, 1-2-524, Domalguda, Hyderabad.  
(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

(2) Mr. Kateja Issardas, R/o 102, Sagar Apartments, Domalguda, Hyderabad.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Hyderabad, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1002/84-85. Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

R. S. No. Flat situated at Domalguda, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on 6/84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

## THE SCHEDULE

Flat No. 102 on 1st floor of Sagar Apartments, 1-2-534, Domalguda, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3092/84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE  
HYDERABAD (A. P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

Ref. No. RAC. No. 1003|84-85. Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat situated at Domalguda Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of Registering Officer at Hyderabad on 6/84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Vijay Builders, Rep. by Sri G.L. Rao & Others, 7-1-70|B|1, Ameerpet, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Smt. Y. Padmavathi, w/o Y. S. Chowdary, 1-2-593|4, Domalguda, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Flat in 1-2-593|4, Domalguda, Hyderabad admeasuring 1170 sft., registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3439|84.

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Sri V. Jagadishwar Rao, 3-6-563,  
Himayathnagar, Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) M/s. Harkudan Ramnath Kedia Charitable  
Trust, Through its Managing Trustee  
Sri Gidharilal Kedia, 5-3-981  
Fasijung Lane, Hyderabad.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, 11th February 1985

RAC No. 1004/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.  
House situated at Goshamahal, Hyderabad  
(and more fully described in the schedule annexed hereto),  
has been transferred under the  
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Re-  
gistering Officer at  
Hyderabad on June 84  
for an apparent consideration  
which is less than the fair market value of the aforesaid pro-  
perty, and I have reason to believe that the fair market value  
of the property as aforesaid exceeds the apparent considera-  
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent  
consideration and that the consideration for such transfer as  
agreed to between the parties has not been truly stated in the  
said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein  
as are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property bearing No. 14-2-378, 378/1 and 2, 14-2-  
377 situated at Goshamahal, Hyderabad registered by the  
S.R.O., Hyderabad vide document No. 3575/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Dated : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1005/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House situated at Masab Tank area Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sri G. V. Ramana Reddy,  
R/o Jubilee Hills, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri Sabu, S/o Abdul Jabbar Khadri,  
10-4-771/4/1, Masab Tank, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

## THE SCHEDULE

House No. 10-4-771/4/1, Sriramnagar Colony, Masab Tank, Hyderabad registered by the S.R.O. Khairatabad vide document No. 1283/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Dated : 11-2-1985  
Seal :



## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Smt. Mohammandi Fatima, W/o S. M. Waheeduddin, 10-2-508, Asifnagar, Hyderabad. (Transferor)
- (2) Sri Tajuddin and Others, R/o 145/B, Aghapura, Hyderabad. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1006/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot situated at Asifnagar, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Khairatabad on June 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Plot of land bearing No. 10-2-508/A, Asifnagar, Hyderabad admeasuring 470 sq. yds. registered by the S.R.O. Khairatabad vide document No 1432/84

M. JEGAN MOHAN  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

55—486GI/84

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, 11th February 1985

RAC No. 1007/84-85.—Whereas I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000- and bearing No. Plot situated at Somajiguda Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on June 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any assets or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sri Telakshi, S/o Sri Bhanji, 6-3-354/15, Hindinagar Colony, Hyderabad and other. (Transferor)
- (2) M/s. Banjara Construction Co. Pvt. Ltd. Rep. by Mr. Ali Khwaja, Office at 1, Banjara Castle, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot of land admeasuring 614 sq. yds. situated at Somajiguda, Hyderabad registered by the S.R.O., Hyderabad vide document No. 3470/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985  
Seal :

FORM ITNS—

(1) Sri D. Viswanadha Raju, R/o 33/MIGH  
Mehdipatnam, Hyderabad.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) Smt. Fatima Begum, W/o late Mohd Ikramullah  
Khan, 33/MIGH, Mehdipatnam Colony,  
Hyderabad.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1008/84-85.—Whereas I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property, having a fair market value  
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.  
House situated at Mehdipatnam, Hyderabad  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the  
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the  
Registering Officer at  
Khairatabad on June 84  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason  
to believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen per cent of such apparent consideration and  
that the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons;  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as  
given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or;

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

H. No. 33/MIGH (12-2-831/69) situated at Mehdipatnam  
colony, Hyderabad registered by the S.R.O., Khairatabad vide  
document No. 1480/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely:—

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

- (1) Smt. A. Meenakshi GPA Sri A. Venkatrao,  
R/o Kaknada.  
(Transferor)
- (2) Smt. P. Indumathi, 10-1-18/34, Shyamnagar,  
A.C. Guards, Hyderabad.  
(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 1009/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. House situated at A. C. Guards, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Khairatabad on June 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. 10-1-18/34 at A.C. Guards, Shyamnagar, Hyderabad admeasuring 402 sq. yds. of land area and 1400 sq. ft., plinth area registered by the S.R.O., Khairatabad vide document No. 1249/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Date : 11-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Sri B. Suryanarayana Raju  
and Other, Kakinada.

(Transferor)

(2) Sri S. Jayaramarao and other  
D. No. 38-1-16, Vallabhai Road,  
Kakinada.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 402/84-85—Whereas I,  
M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 5,000/- and bearing

No. House situated at Kakinada

and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (22 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property situated at Kakinada, registered by the S.R.O., Kakinada vide document No. 5699 and 5700/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad (A.P.)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Dated : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 403/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN, being the Competent Authority under Section 269 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing No. Land situated at Tanumalla E.G.Dt., (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kakinada on June 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec. (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sri P. Venkata Surya Satyanarayana,  
Tanumalla, Kakinada Tq., E.G. Dt.,  
(Transferor)
- (2) Sri Velugubotla Bhaskara Rao,  
Kazaluru village, Kakinada Tq., F.G. Dt.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in the Chapter.

## THE SCHEDULE

Land admeasuring 1-67 acres situated at Tanumalla village, E.G. Dt., registered by the S.R.O., Kakinada vide document No 4498/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 11-2-85  
Seal :

## FORM ITNS-----

OFFICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Smt V Gayatri Rama, Rao,  
W/o V P Rama Rao, 613/34/22/5  
Durgam Chauri Colony Hyderabad (Transferor)
- (2) Dr. P V Reddy and Other  
Medical Practitioners 30-14 2,  
Allipuram Ward, Vizag (Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A P)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC No. 404/84-85—Whereas, I,

M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs 25 000/- and

bearing No House situated at Vizag and more fully described in the Schedule annexed hereto has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vizag on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, with object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House property bearing No 30-14-2 situated at Allipuram Ward Dabagundens Vizag registered by the SRO, Visakhapatnam vide document No 7511/84

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 11-2-85  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 405/84-85.—Whereas, I, M. JEGAN MOHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

Land situated at Vizag Dt

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred as per deed registered under the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Vizag on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice, under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sri K. Ramakrishna and Others,  
"HILLSIDE" 8-2-472/A, Road No. 1,  
Banjara Hills, Hyderabad. (Transferor)
- (2) M/s. Pron Magnate pvt. Ltd. Harbour  
Approach Road, Visakhapatnam  
Rep. by Sri V. Sivarama Prasad, Director. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land admeasuring 4.36 acres situated at Vadlapudi adjacent to National High Way registered by the SRO, Vizag- vide 2 separate sale deeds bearing document Nos. 7692/84 and 7726/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad

Date : 11-2-85  
Seal :



## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE, HYDERABAD (A.P.)

Hyderabad, the 11th February 1985

RAC. No. 406/84-85.—Whereas, I,  
M. JEGAN MOHAN,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act') have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing

No. Land situated at Waltair Ward Vizag  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred as per deed registered under the Indian  
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Re-  
gistering Officer at  
Vizag on June 84

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

- (1) Chandra Fabricators, 47-11-14,  
Dwarakanagar, Visakhapatnam. (Transferor)  
(2) Dr. Ch. Satya Seshe Kumari,  
W/o Dr. Ch. Srikrishna, 1st Lane,  
Guntur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein or  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land admeasuring 1082 sq. yds. situated at C.B.M. Com-  
pound, Vizag registered by the S.R.O., Vizag vide document  
No. 8772/84.

M. JEGAN MOHAN,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 11-2-85  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. AC-65/ACQ. R-IV/CAL/84-85.—Whereas, I SANKAR K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value No. situated at Naihati (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 22-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of : —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) :

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Krishna Tools & Hardware Products (P) Ltd.  
20, Ghoshpara Road, Hazinagar,  
24-Parganas. Transferor (s)

(2) M/s. Unique Manufacturers,  
A/20, Sundia Housing Estate,  
P.O. Jagaddal. 24-Parganas Transferee(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land : 17 cottahs of land with factory shed 7 building.  
Address : Mouza-Prosadnagar, P.S. Naihati, 24-Parganas  
Deed No. 7220 of 1984.

SANKAR K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-IV, Calcutta,  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-700 016

Date : 13-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-IV, CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. AC-64/Acq. R-IV/Cal/84-85.—Whereas, I SANKAR K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. — situated at Baguhati, 24-Parganas (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 21-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-Tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Sri Kumaresh Chowdhury  
Bulbul Chowdhury  
Block DB8 Desh Bandhu Nagar  
Baguiati, Calcutta-59. (Transferor)
- (2) Smt. Sova Rani Saha  
Block DB8 Desh Bandhu Nagar,  
Baguhati, Calcutta-59. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Land 3 cottahs 8 chittaks with building. Address Block DB/8, Deshbandhu Nagar, Mouja-Raghubathpur, Deed No. 7187 of 1984.

SANKAR K BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-IV, Calcutta.  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-700 016.

Date : 12-2-85  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE IV, CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref No AC-63/Acq R-IV/Cal/84-85 —Whereas, I SANKAR K BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing situated at Jote Helakadam, Darjeeling (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 7 7 84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s Duncans Agro Industries Ltd  
31, Netaji Subhas Road,  
Calcutta 700 001

(Transferor)

(2) M/s R D Manufacturing Industries Ltd  
4 Middleton Street,  
Calcutta

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned .

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Land 48.04 acres with structures Address Hansque Tea Estate, Jote Helakadam, Darjeeling Decd No 7808 of 1984

SANKAR K BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Asstt Commissioner of Income tax  
Acquisition Range-IV Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-700 016

Date 12-2 85  
Seal :

FORM ITNS-----

(1) Sm. Rooma Bhattacharjya

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sm. Sudhira Sen

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANG-I, CALCUTTA

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 172/84-85/SI. 974 I.A.C./Acq. R-I|Cal.—  
Whereas, I, S. K. BANERJEE,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the said Act) have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing

No. 12/C, situated at Camac Street, Calcutta-17  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of  
1908) in the office of the Registering Officer/  
Competent Authority, I.A.C., Acq. R.I., Cal on 7-6-84  
for an apparent consideration which is less than the fair  
Market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefore by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the instrument  
of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that Flat No. 7B of a multi storied building situated  
and being premises No. 12/C, Camac Street, Calcutta-700017.  
Total Carpet Area 1242 Sq. ft. consisting of a living cum  
Dining room, two bed rooms with attached bathrooms two  
balcones, one each on the East and West, a kitchen along  
with one covered car parking space on the ground floor and  
a servant's quarter on the mezzanine floor in a dormitory.  
Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisi-  
tion Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 172 dt. 7-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Date: 15-2-85  
Seal:

## FORM ITNS

(1) Mrs. Kiran G. Advani

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sri Mohanlal Sekhani

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 5/84-85/Sl. 975 I.A.C./Acq. R-I/Cal.—  
Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (443 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 3, situated at Middleton Row, Calcutta (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Competent Authority, I.A.C., Acq. R-I, Calcutta on 2-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that property in Middleton Apartments, 7th floor, Block-D, at 3, Middleton Row, Calcutta. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide sl. no. C.A. 5 dated 2-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Date : 15-2-85  
Seal :

**FORM ITNS**

(1) Smt Asha M Kewalramani

(Transferor)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**(2) Shri Ghanshyamdas Sakhrani,  
Shri Ashok Sakhrani &  
Shri Naresh Sakhrani

(Transferee)

**GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

Acquisition Range I, Calcutta

Calcutta the 15th February 1985

**Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—**

Ref No C A 6/84-85/SI 976 I A C /Acq R I/Cal—  
Whereas, I, S K BANTRJEF being the Competent Authority under Section 269B of the Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding 2, situated at Wood Street Calcutta 16 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Competent Authority, I A C Acq R-I Calcutta on 14.6.84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

**EXPLANATION**—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

**THE SCHEDULE**

All that property in 'Sangam Building' Flat No G-6 with car parking space, area 1568 sq ft at 2, Wood Street, Calcutta 16 Registered before the Competent Authority, I A C, Acquisition Range I Calcutta vide sl no C A 6 dated 14.6.84.

S K BANTRJEF  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54 Pali Ahmadi Kidwai Road,  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely

Date 15.2.85  
Seal

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) Harkishin Narandas Advani

(Transferor)

(2) Mrs. Manju Gupta.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 8/84-85/SI. 977 I.A.C./Acq. R-I|Cal.—  
Whereas, I, S. K. BANERJEE,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
and bearing No.

3, situated at Middleton Row, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer at  
Competent Authority, I.A.C., Acq. R-I, Calcutta on 16-6-84  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269C of the said Act, to the following  
persons namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the res-  
pective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

## THE SCHEDULE

All that Flat K-1, Apsara Co-operative Housing Society  
Ltd., 3, Middleton Row, Calcutta, Area : 1426 sq. ft., Regis-  
tered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition  
Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 8 dated 16-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Date : 15-2-85  
Seal ;



## FORM ITNS

(1) Jayant Kripalani

(Transferor)

(2) Mrs. Jaitun Nissa,  
Mrs. Asma Khatun &  
Mrs. Saïmun Nissa.

(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 9/84-85/SI. 978 I.A.C./Acq. R-I|Cal.—  
Whereas, I. S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

8/1A, situated at Chowringhee Lane, Calcutta-700016 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Competent Authority, I.A.C., Acqn. Range-I, Cal on 16-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

57—486GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that undivided proportionate share of land together with a flat on the first floor having a total super covered area of 1899 sft (approx) at 8/1A, Chowringhee Lane, Calcutta-700016. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide SI. No. C.A. 9 dated 16-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.Date : 15-2-85  
Seal ;

## FORM ITNS

(1) Mr. Dinesh V Hemani &amp; Ors.

(Transferor)

(2) Mrs. Archana Dass &amp; Ors.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 13/84-85/SI. 979 I.A.C./Acq. R-I]Cal.—  
Whereas, I, S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 61B, situated at Park Street, Calcutta (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Competent Authority, I.A.C., Acqn. Range-I, Cal on 21-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that the Flat No. 5C on the 5th floor of "Neelam" at premises No. 61B, Park Street, Calcutta. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 13 dated 21-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 15-2-85  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) M/s Sujan Viniyoge Ltd.

(Transferor)

(2) Smt. Sankari Guha.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. C.A. 20/84-85/Sl. 980 I.A.C./Acq. R-I|Cal.—  
Whereas, I, S. K. BANERJEE,  
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 18A, situated at Park Street, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Competent Authority, I.A.C., Acq. Range-I, Cal on 26-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

## THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

All that undivided share or interest on the roof of 6th storey of premises No. 18A, Park Street, Calcutta, comprised in Flat No. 6-0. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide Sl. No. C.A. 20 dated 26-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 15-2-85  
Seal :

## FORM ITNS—

- (1) M/s Sujan Viniyoge Ltd. (Transferor)  
 (2) Sri Mukul Agarwal & Sri Shekhar Agarwal (Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 15th February 1985

Ref. No. C.A. 21/84-85/Sl. 981 I.A.C./Acq. R-I/Cal.—  
 Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 18A, situated at Park Street, Calcutta (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Competent Authority, I.A.C., Acqn. Range-I, Cal on 28-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that undivided share or interest in the roof of 6th Storey of premises No. 18A, Park Street, Calcutta, comprised in Flat No. 6F. Registered before the Competent Authority, I.A.C., Acquisition Range-I, Calcutta vide S. No. C.A. 21 dated 28-6-84.

S. K. BANERJEE  
 Competent Authority  
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
 Acquisition Range-I, Calcutta  
 54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
 Calcutta-16.

Date : 15-2-85  
 Seal :

**FORM ITNS**

- (1) Sri Keshardeo Khemka  
(Transferor)
- (2) Smt. Gayatri Devi Ginodia  
(Transferee)
- (3) Tenants  
(Person in occupation)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. TR-169/84-85/Sl. 982 I.C.A./Acq. R-I/Cal.—

Whereas, I, S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-and bearing No.

196-C situated at Chittaranjan Avenue, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R.A., Cal. on 21-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

**THE SCHEDULE**

All that undivided 1/3rd share in 5 Cottahs 4 Chittacks of land with partly 5 storied and partly 4 storied building being premises No. 196-C, Chittaranjan Avenue, Calcutta, Registered before the Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. I-7202 dated 21-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269 of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2-85.  
Seal :

## FORM ITNS—

- (1) Sri Satya Narayan Khemka (Transferor)  
 (2) Smt. Gayatri Devi Ginodia (Transferee)  
 (3) Tenants (Persons in occupation)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. TR-170/84-85/Sl. 983 I.A.C./Acq. R-I[Cal.—  
 Whereas, I, S. K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 196-C, situated at Chittaranjan Avenue, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R.A., Cal on 21-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that Undivided 1/3rd Share in 5 Cottahs 4 Chittacks of land with partly 5 storied and partly 4 storied building being premises No. 196-C, Chittaranjan Avenue, Calcutta. Registered before the Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. I-7203 dated 21-6-84.

S. K. BANERJEE  
 Competent Authority  
 Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
 Acquisition Range-I, Calcutta  
 54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
 Calcutta-16.

Date : 13-2-85.  
 Seal :

## FORM ITNS—

- (1) Sri Dwarka Prasad Khemka  
(2) Smt. Gayatri Devi Ginodia  
(3) Tenants
- (Transferor)  
(Transferee)  
(Persons in occupation)

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Acquisition Range-I, Calcutta

Calcutta, the 13th February 1985

Ref No. TR-171/84-85/Sl. 984 I.A.C./Acq. R-I[Cal.—  
Whereas, I, S. K. BANERJEE,  
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 196-C, situated at Chittaranjan Avenue, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at S.R.A., Cal on 21-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that undivided 1/3rd share in partly 4 storied and partly five storied building with 5 Cottahs and 4 Chittacks of land being premises No. 196-C, Chittaranjan Avenue, Calcutta. Registered before the Sub-Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. 1-7204 dated 21-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Date : 13-2-85.

Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. TR1174/84-85/Sl. 985 I.A.C./Acq. R-I|Cal.—  
Whereas, I, S. K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 100/5/1A, situated at Surendra Nath Banerjee Road, Calcutta-14

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at R.A., Cal. on 1-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferee to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and  
or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Sulhas Bala Devi & Sri Nirmal Kr. Banerjee  
(Transferor)
- (2) Smt. Saraswati Gupta,  
Smt. Krishnawati Gupta & Smt. Chandrawati Gupta  
(Transferee)
- (3) Achhalal Shaw  
(Persons in occupation)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that 1150 Sq. ft. measuring flat at 1st floor at premises No. 100/5/1A, Surendra Nath Banerjee Road, Calcutta-14. Registered Before the Registrar of Assurances, Calcutta vide Deed No. 1-6276 dated 1-6-84.

S. K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I, Calcutta  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16,

Date : 12-2-85,

Seal :



## FORM ITNS

- (1) Smt. Smita Chowdhary  
(Transferor)
- (2) Rohit Properties & Trading Co.  
(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1725/Acq. R-III/Cal/84-85.—Whereas, I, SANKAR K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing

9 situated at Sunny Park, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 8-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—  
58—486 GI/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 1 b. 10 ch. & 13 ch. (undivided 3/27th share) two storeyed building. Reg. vide No. 1-6490 dt. 8-6-84 the Property at 9, Sunny Park, Calcutta.

SANKAR K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Date : 14-2-85  
Seal :

FORM ITNS

(1) Fatehpuria Housing Society Pvt. Ltd. (Transferor)

(2) Sushila Fatehpuria Foundation. (Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1724/Acq. R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR K. BANERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (3 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 204, A B. &amp; C situated at Netaji Subhas Chandra Bose Rd, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC Acq R-III/Calcutta on 27-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe, that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that Flat Area 4112 sqft. being premises No. 204, A, B &amp; C, Netaji Subhas Ch. Bose Rd., Cal. Regd. before IAC Acq R-III/Cal. vide Reg No. 37EE/Acq R-III/273 dt., 27-6-84.

SANKAR K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III,  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Date : 14-2-85

Seal :

FORM ITNS—

(1) Sri Kumar Chowdhury

(Transferor)

(2) Rohit Properties &amp; Trading Co.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1723/Acq R-III/Cal/84-85.—Whereas, I, SANKAR K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 1,00,000/- and bearing No. 9, situated at Sunny Park, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 8-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

All that piece or parcel of Land measuring 1B-10ck-13ch. (undivided 10/27th share) being Premises No. 9, Sunny Park, Calcutta Reg. before R/A, Cal vide Deed No. 6491 dt. 8-6-84.

SANKAR K. BANERJEE

Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III,  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-2-85  
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. Anuradha Gupta (now Chawdhury)  
(Transferor)(2) Rohit Properties & Trading Co.  
(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1722/Acq R-III/Cal/84-85.—Whereas, I, SANKAR K. BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 9, situated at Sunny Park, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta in 8-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

## THE SCHEDULE

All that piece or parcel of Land measuring 1B-10ck-13ch. (undivided 4/27th share) being Premises No. 9, Sunny Park, Calcutta. Reg. before R/A, Cal. vide deed No. I-6493 dt. 8-6-84.

SANKAR K. BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III,  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road,  
Calcutta-16.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-2-85  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Saura Kumar Chowdhury.

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Rohit Properties &amp; Trading Co.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

(a) By any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

Ref. No. 1721/Acq R-III/Cal/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-and bearing No. 9 situated at Sunny Park Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 8-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

All the piece or parcel of land measuring 1 B.—10 ch.—13 ch. undivided (10/27th Share) with two storied building being Premises No. 9, Sunny Park, Calcutta Reg. vide deed No. 1-6492, dated 8-6-84 with R/A.

SANKAR BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

- (1) Shri Krishna Pasha Seth. (Transferor)  
 (2) Raichand Co-op Housing Society Ltd. (Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1720/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANERJEE, Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 21 & 21/1 situated at Prannath Pandit Steel, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 18-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that land with brick built structures measuring 5K—13 ch—42 sq. ft. situated at 21 and 21/1 Prannath Pandit Steel, Calcutta registered on 18-6-84 vide Deed No. I 6916.

SANKAR BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-2-85  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1719/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 167/3 situated at Bidhar Sarani, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 26-6-84 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sri Kashi Nath Roy. (Transferor)  
(2) Sri Dina Bandhu Kar and Sri Subodh Kr. Kar. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that piece or parcel of land measuring 1 K.—7 Ch. (undivided 1/2 share) together with three (3) storied building, being Premises No. 167/3, Bishan Sarani, Calcutta.

SANKAR BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Date : 14-2-85  
Seal :

FORM ITNS ———

(1) M/s V. K. Thakkar Properties Pvt. Ltd.  
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Jhunjhunwala Traders.  
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 1718/Acq R-III/84-85.—Whereas I, SANKAR BANERJEE, Income-tax, Acquisition Range, Bangalore, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 224/1 A.J.C. situated at A.J.C. Bose Road and 68 B.C. Road, Calcutta, and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at IAC, Acqn R-III on 5-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that (1) 3 flats of 'F' type at 7th, 8th and 9th floor of 1561 sq. ft each (2) 2 flats of 'D' type at 8th and 9th floor of 932 sq. ft. each (3) 5 Car parking spaces at the premises of 224/1 A.J.C. Bose Road and 68, B.C. Road, Calcutta registered before IAC Acq. R-III Calcutta by filing Form No. 37EE deemed Reg. 5-6-84.

SANKAR BANERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 14-2-85  
Seal :



## FORM ITNS—

(1) Jogendra Nath Anddy.

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Priyalal Saha &amp; ors.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1717/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. 7/2 situated at Bondel Road, Calcutta-19, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at IAC Acqn R-III on 3-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that land with 4 storeyed building situated at 1, Mandir Street, Calcutta registered before IAC Acqn R-III, Calcutta on 3-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
59—486 GI/84

Date : 14-2-85  
Seal :

FORM LT.N.S.—————

(1) M/s Ram Gopal Gaveriwalla (P) Ltd. & Ors.  
(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Shankarlal Poddar & Ors.  
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 14th February 1985

Ref. No. 1716[Acq R-III]84-85.—Whereas I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq. R-III, Calcutta on 2-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that property of unit No. 2, in the 1st floor measuring 5235 sq. ft. (Super built up area) at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani registered before IAC Acq. R-III, Calcutta on 2-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Date : 14-2-85  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1715/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Calcutta on 19-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferor and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ram Gopal Ganeriwalla (P) Ltd. or. (Transferor)

(2) M/s Horizon Murti Projects Ltd. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that flat No. 5 and 6 measuring 1394, sq ft. at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani registered before IAC Acq. R-III, Calcutta on 19-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Date : 13-2-85  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Sh. Ashrafali.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Amal Kr. Ghatak.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1714/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. situated at Mauza Kankulia (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 27-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that a small structure on a land measuring 6K—11 ch. at Mauza Kankulia registered at Calcutta on 27-6-84 vide Deed No. 3046.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2-85  
Seal :

## FORM ITNS

(1) M/s. Ram Gopal Ganeriwalla & ors.  
(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Halary Commercial Enterprises Ltd.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Calcutta, the 13th February 1985

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 1713/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at JAC Acq R-III, Calcutta on 2-6-84

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

All that space unit No. 9 and 10 in 4th floor measuring 1418 sq. ft. at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta registered before IAC Acq R-III, Calcutta on 2-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2-85  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

(1) M/s Ram Gopal Ganeriwalla (P) Ltd. & ors.  
(Transferor)(2) M/s Lions Commercial Company Ltd.  
(Transferee)NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—**

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1712/Acq R-III/84-85;—Whereas, I,  
SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer IAC Acq R-III on 2-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that space unit No. 7 and 8 in 4th floor measuring 1528 sq. ft. at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta registered before IAC Acq. R-III, Calcutta on 2-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269(D) of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 13-2-85  
Seal :

FORM ITNS—

(1) Sukumai Chatterjee.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sankar Ray and other

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 13th February 1985

Ref. No. 1711/Acq R-III/84-85.—Whereas, I,  
SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 35 situated at Vivekananda Road, Calcutta-32, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 26-6-84,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that one storied building and land measuring 4-X 4. ch. at 35, Vivekananda Road, Calcutta-32 registered at Calcutta on 26-6-84; vide Deed No. I 7327.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16Date : 13-2-85  
Seal :

## FORM ITNS

- (1) Sri Snehamoy Chattapadhaya. (Transferor)
- (2) Smt. Shila Chattapadhaya. (Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1710/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 101 situated at Kankulia Road, Calcutta, (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Calcutta on 11-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that 1/3rd space of 2 cuttah 7 chittacks of land with three storied bldg. and partly four storied building being the premises No. 101, Kankulia Road, Calcutta registered at Cal. vide Deed. No. 2740 dt. 11-6-84.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Date : 12-2-85  
Seal :



FORM ITNS

(1) Sri Sachindra Nath Saha.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Arati Ghosh.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Ref. No. 1709/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 85 situated at Ibrahimpur Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 22-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

All that property of 50% of undivided share of land and building measuring 1 cottah 5 ch of 12 sq ft. (Two storied bldg.) registered at Calcutta vide deed No. 2987 dt. 22-6-84.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

60—486 GI/84

Date : 12-2-85  
Seal :

FORM ITNS

(1) Sri Diptimoy Chattopadhaya.

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sri Shila Chattapadhaya.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1708/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, R. BHARDWAI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 101 situated at Kankulia Road, Calcutta-29 (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Calcutta on 11-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, of the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

All that 1/3rd share of 2 Cottah 7chittacks of land with three storeyed building and partly 4 storeyed building at premises No. 101G, Kankulia Road, Calcutta registered at Calcutta deed No. 2741 dt. 11-6-84.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Date : 12-2-85  
Seal :

FORM ITNS—

- (1) Sri Lilabati Devi Ganveriwalla & ors. (Transferor)  
 (2) Sri Kamal Kumar Agarwal. (Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1707/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2, situated at Narendra Ch. Dutta Sarani, Cal. (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer IAC Acqn R-III on 19-6-84, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that undivided proportionate share of land and office room unit No. 2 in the 3rd floor measuring 1053 sq ft. at 2, Narendra Ch. Dutta Sarani Cal. registered before IAC Acq. R-III Cal. on 19-6-84 by filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE  
 / Competent Authority,  
 Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
 Acquisition Range-III  
 54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
 Calcutta-16

Date : 12-2-85  
 Seal :

FORM ITNS

(1) M/s Constructions.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Mr. H. S. Sinha.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1706/Acq R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 335 situated at Jodhpur Park, Calcutta, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq R-III on for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that portion of roof at 2nd floor of premises No. 335, Jodhpur Park, Calcutta comprising of an area of 1400 sq. ft. with part construction thereon registered before IAC, Acqn. R-III, Calcutta on 24-6-84 filing Form No. 37EE.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
Calcutta-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 12-2-85  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Sri Kanyakubja Vaishya Naba Yuvak Sangha (WB)  
(Transferor)(2) Smt. Usha Malhotra.  
(Transferee)NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

**Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 11th February 1985

Ref. No. 1705/Acq.R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 116B situated at Kalighat Road, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 25-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

**EXPLANATION :—**The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that land measuring 3K-802-43 sq. ft. together with a structure of tolly a tin shed at the premises No. 116B, Kalighat Road, registered at Calcutta vide deed No. 3023 dated 25-6-1984.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
CALCUTTA-16

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Sri Ashok Kumar Sood and Others.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Ava Sood.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1704/Acq.R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 38 situated at Lake Gardens, Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Calcutta on 8-6-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

All that flat No. 2, measuring 900 sq. ft. at 38, Lake Gardens registered at Calcutta vide Deed No. 6515 dated 8-6-84.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
CALCUTTA-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 11-2-1985  
Seal :

FORM ITNS

(1) Sri Sekharendra Nath Sengupta.

(Transferor)

(2) Sri Arup Chakraborty.

(Transferee)

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

**GOVERNMENT OF INDIA**

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 12th February 1985

Ref. No. 1703/Acq.R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No.

Bansdroni situated at Khaitan No. 741

P.S. Regent Park, 24 Pgs.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at Calcutta on 27-6-1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or:

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

All that 4 Cottahs of land at Mouza Bansdroni Khaitan No. 741, Deed No. 1362, P.S. Regent Park 24 pgs. registered at Calcutta vide Deed No. 3048 on 27-6-1984.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
CALCUTTA-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely :—

Date : 12-2-1985  
Seal :

FORM ITNS—

(1) M/s. Pushpa Apartment.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Sri R. S. Haralalka.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
CALCUTTA

Calcutta, the 11th February 1985

Ref. No. 1702/Acq. R-III/84-85.—Whereas, I, SANKAR BANNERJEE,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 63A, situated at Bright Street, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred

under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC, Acq. R-III on 25-6-1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

All that flat measuring 1000 sq. ft. on the third floor being the flat No. 3A situated at 63A, Bright Street, Calcutta registered before IAC., Acq. R-III, Calcutta by filing Form No. 37EE dated 25-6-1984.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
CALCUTTA-16

Date : 11-2-1985  
Seal :



FORM ITNS

(1) M/s. Ramgopal Baneri Walla (P) Ltd. & Other.  
(Transferee)NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)(2) M/s. Gambhir Chand Bohra (HUF.).  
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
to be made in writing to the undersigned :—OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-II  
CALCUTTA

Calcutta, the 11th February 1985

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notices on the respective persons,  
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette

Ref. No. 1701/Acq-R-III/84-85. Whereas, I,  
SANKAR BANNERJEE,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing

No. 2, situated at Narendra Chandu Dutta Sarani, Calcutta  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the Office of the Registering Officer at  
IAC Acq-R-III on 2/6/84

for an apparent consideration which is less than  
the fair market value of the aforesaid property, and I have  
reason to believe that the fair market value of the property  
as far said exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen per cent of such apparent consideration and  
that the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

All that unit No. 10 consisting an area of 454 sq. ft. at the  
premises, No. 2 Narendra Ch. Dutta Sarani, Calcutta regis-  
tered on 2-6-1984 vide 37EE/251 before C.A., IAC Acq-  
R-III, Calcutta.

SANKAR BANNERJEE  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
54, Rafi Ahmed Kidwai Road  
CALCUTTA-16

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act to the following  
persons, namely :—  
61—486 GI 84

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHINew Delhi, the 11<sup>th</sup> February 1985

Ref. No. IAC/Asst/SR-III/684/322.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No. H-II/26, Lajpat Nagar, New Delhi situated at New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby inform you that for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Vidya Wati Sawhney,  
w/o Sh. Tara Chand Sawhney,  
R/o H-II/26, Lajpat Nagar,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Vijya Laxmi,  
w/o Sh. R. K. Gupta,  
R/o M. B. 120, Shakurpur,  
New Delhi. (Transferee)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. H-II/26, Lajpat Nagar, New Delhi, measuring 100 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date: 11-2-1985  
Seal

FORM IT.N.S.—

(1) Shri K. Lina Kumar Madan,  
2134, Sector 23,  
Faridabad (U.P.)

(Transferor)

(2) Shri Hori Lal Gupta,  
1553, Gurdawar Road,  
Kotla Mubarakpur,  
New Delhi.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF AIL ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 31st January 1985

Ref. No. IAC/ACC I/SR-III/6-84/325.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. E-IV/218, Amar Colony, Lajpat Nagar, situated at New Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the date of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

**EXPLANATION:—**The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

2½ storied No. E-IV/218 Amar Colony, Lajpat Nagar, New Delhi. Built property with an area 100 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ail Road  
New Delhi.

Date : 31-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985 ,

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/329.—Whereas, I, SUDHIR, CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M-50, Greater Kailash-I, New Delhi situated at New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Parkash Khanna and  
Smt. Bacti Khanna,  
S/o & W/o Shri Late Buxis Rai Khanna,  
R/o C-143, Greater Kailash-I,  
New Delhi-48.

(Transferor)

(2) Shri B. L. Shailesh,  
Shri S. L. Ratnakar and  
Master Rajesh Kumar (Minor) through  
Smt. Asha Shailesh,  
R/o R-192, Greater Kailash-I,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

M-50, Greater Kailash-I, New Delhi. Area 510 sq. vds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 31st January 1985

R f. No. IAC/Aco.I/SR-III/6-84/334.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. M-78, Greater Kailash-I, New Delhi situated at New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Modern Agencies Limited,  
Thapar House,  
124, Janpath,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Sterling Overseas Impex Pvt. Ltd.,  
70, Medows Street,  
Fort,  
Bombay-400 023.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

2½ storeyed residential building situated on Plot No. 78, Block M, Greater Kailash-I, New Delhi, admeasuring 500 sq. yards.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 31-1-1985  
Seal :

FORM 11NS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/ACQ-I/SR-III/6-84/336.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, being a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. E-605, Greater Kailash-II, situated at New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the evasion or evasion of the liability of the transferee to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Pradeep Shankar Bhatt and Shri Achal Shankar Bhatt S/o Shri Amba Shankar Bhatt, through attorney Satish Seth, R/o G-1/16, Darya Ganj, New Delhi. (Transferor)
- (2) Mr. Ranjit Ajwani S/o Shri Amba Shankar Bhatt, R/o D-20, Aaram Housing Society Santa Cruz East, Bombay. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette,

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Third Floor rear portion of Property No. E-603, Greater Kailash-II, New Delhi. Mg. 397 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 11-2-1985  
Seal :

FORM TINS - - -

## NOTICE UNDER SECTION 269 D (1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE I  
AGGARWAL HOUSE  
4 14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref No IAC/AcqI SR-III 684 357—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein after referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. E-605, Greater Kailash-II, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908, (16 of 1908) or the Rules made thereunder by the Registering Officer at New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifty per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as stated to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any assets or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property, by the instrument of transfer, sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the income persons, namely—

(1) Shri Pradheep Shankar Bhatt and  
Shri Ashwani Shankar Bhatt  
S/o Shri Anba Shankar Bhatt,  
in such attorney Satish Seth,  
R/o G-1/16, Darya Ganj,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Ranjit Dass  
S/o Shri Ashwani Dass and  
Mrs. Lakashmi Dass  
W/o Shri Ranjit Dass,  
992, DDA Flate, Kalkaji,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Rear portion on ground floor of property No. E-605, Greater Kailash-II, New Delhi. M<sup>2</sup>. 397 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 11-2-1985  
Seal :

FORM INS

(1) Mrs. Savitri Devi Kohli  
W/o Mr. K. C. Kohli,  
R/o C-226, Greater Kailash-I,  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Deer Wood Pvt. Ltd.,  
8/3, Asaf Ali Road,  
New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 4th February 1985

Ref. No. IAC/Sec. 269D-III/6-84/353.—Whereas, I,  
SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Acq. and in vill. Bijwasan, situated at Teh. Mehrauli, New Delhi.

and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been acquired under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for a apparent consideration which is less than the fair market value of the said property and I have reason to believe that the acquisition of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration by more than 50 per cent and that the apparent consideration and that the consideration to such transfer being made between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any assets or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Kh. No. 188/4, Min having total area of 22 bighas and 19 biswas out of which 16 bighas and 4 biswas of vill. Bijwasan, Teh. Mehrauli, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 4-2-85  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,  
ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 4th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/354.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agr. land in village Bijwasan, situated at Teh. Mehrauli, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or others assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
62—486GI/84

(1) Mrs. Savitri Devi Kohli  
W/o Mr. K. C. Kohli,  
R/o C-226, Greater Kailash-I,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. South Fork Ranch (P) Ltd.,  
8/3, Asaf Ali Road,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Kh. No. 188/4, Min having total area of 22 bighas and 19 biswas out of which of 6 bighas and 15 biswas (having some old structure) i.e. two small cottages, a summer house, cemented well, water tank, well house, one room and one servant house at vilage Bijwasan, Teh. Meh. New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 4-2-85

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/355.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1-E/108-109, Lajpat Nagar situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984, for a napparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(2) S/Shri Bhakwan Mamtani,  
Prabhu Mamtani,  
Deepo Mamtani and  
Neelam Keswani,  
F-136, Sarojani Nagar,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Shobha Shera and  
Smt. Suman Shera,  
R/o 1-E/108-109, Lajpat Nagar,  
New Delhi.\*

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. 1-E/108-109, Lajpat Nagar, New Delhi, Mg. 200 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/380.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. W-60, Greater Kailash-I, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the service of notice on the respective persons (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Mata Jai Kaur Charitable Trust (Regd.)  
through one of its trustee  
S. Darshan Singh,  
R/o 6/21, Roop Nagar, Delhi. (Transferor)

(2) Shri Narinder Singh Sethi  
Smt. Manjit Kaur Sethi,  
through attorney Sh. Paramjit Singh,  
R/o 10, Raj Niwas Marg,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. W-60, Greater Kailash-I, New Delhi. Mg. 500 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ail Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/390.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-II/57, Lajpat Nagar situated at New Delhi. (and more fully described in Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Smt. Lajwanti  
W/o Late Shri Prem Chand,  
R/o House No. E/139, Saket,  
New Delhi-17.

(Transferor)

(2) Shri Satinder Kumar Gupta  
So Late Shri Tota Ram,  
R/o House No. 8/47, Punjabi Bagh,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning is given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. G-II/57, Lajpat Nagar, New Delhi, measuring about 100 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) M/s. Mini Jain, R/o  
K-41, Hans Khas Enclave,  
New Delhi.

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) M/s. Pal & Pal Builders Ltd.,  
12, Geetal Building, Parliament Street,  
New Delhi.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE,  
AGGARWAL BHAWAN,  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/SR-III/6-84/433.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. E-101, Greater Kailash-I situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908, (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in June, 1984

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later :

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Flat in property No. E-101, Greater, Kailash-I, New Delhi, area 352.5 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range  
Aggarwal Bhawan,  
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 11-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Joginder Kumar Gandhi, R/o  
A-77, Gurrawalan Town, Delhi.  
(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Kiran Soni &  
Shrimati Kavita Soni, R/o  
37, Hanuman Road,  
New Delhi.  
(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-II,  
AGGARWAL BHAWAN  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 6th February 1985

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/387.—Whereas I,  
R. P. RAJESH,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that  
the immovable property having a fair market value  
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing  
No. BB-3 situated at Dilkhush Industrial Estate, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in  
the office of the IAC. ACQ-II in June, 1984,  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen per cent of such apparent consideration and  
that the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of :—

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or,

THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax,  
Act, 1957 (27 of 1957);

Property No. BB-3, Dilkhush Industrial Estate, New Delhi.  
Measuring 872 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

Date : 6-2-1985.  
Seal :

FORM ITNS

(1) M/s. Delhi Commercial Builders Pvt. Ltd.,  
Adinath Shree House,  
Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/388.—Whereas I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 1-12, A-31/34 situated at Dr. Mukherjee Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC. ACQ.-II Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(2) Shri Anil Kumar & Sons (HUF)  
through Karta Shri Anil Kumar, R/o  
50-A, Banarasi Dass Estate, Timarpur,  
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. 1-12, A-31/34 Dr. Mukherjee Nagar, Delhi  
Measuring 492 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 6-2-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/389.—Whereas I,  
R. P. RAJESH,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding  
Rs. 1,00,000/- and bearing  
No. 101 situated at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi  
(and more fully described in the schedule annexed hereto)  
has been transferred  
under the Income-tax Act, 1961 in the office of the Register-  
ing Officer at  
IAC, ACQ-II Delhi in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have  
reason to believe that the fair market value of the pro-  
perty as aforesaid exceeds the apparent consideration there-  
for by more than fifteen per cent of such apparent  
consideration and that the consideration for such transfer as  
agreed to between the parties has not been truly stated in the  
said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect to any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

(1) Shrimati Rukmani Gupta,  
Smt. Meena Kumari Bhatia &  
Smt. Chander Kanta Malhotra, R/o  
WVA/170, Shakarpur, Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Delhi Commercial Builders,  
Adinath Shree House,  
Connaught Circus, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 101, at A-31/34 Dr. Mukherjee Nagar, Delhi.  
Measuring 460 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II,  
Delhi/New Delhi

Date : 6-2-1985.  
Seal :



**FORM ITNS**

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37-EF/6-84/390.—Whereas I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No 1-12 & 1-14 situated at Dr. Mukherjee Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the office of the IAC ACQ-II Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
63—486G1/84

(1) M/s. Delhi Commercial Builders Pvt. Ltd.,  
Adinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Kundan Lal Bhasin, R/o  
C-5/108, Lawrence Road,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Property No. 1-12 & 1-14 Dr. Mukherjee Nagar, Delhi,  
Measuring 384 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
Delhi/New Delhi

Date : 6-2-1985.  
Seal :

**FORM ITNS****NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI**

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/391.—Whereas I,  
R. P. RAJESH,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/-  
and bearing  
No. 401 & 402 situated at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar,  
Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the  
Office of the Registering Officer at  
IAC. ACQ.-II in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (1) M/s. Delhi Commercial Builders,  
Adi Nath Shree House,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Vidyawati Jain &  
Shri Paramvir Jain & Others,  
103, Veer Nagar, Jain Colony,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

**EXPLANATION:—**The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning given  
in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(ii of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 401 & 402, at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar,  
Delhi.  
Measuring 312 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section  
(1) of Section 269D of the said Act, to the following per-  
sons, namely :—

Date : 6-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS-----

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No AIC/Acq.II/37EE/6-84/392.—Whereas I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 2 situated at Basement at D-I, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC, ACQ-II, Delhi in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Master Swarup Aggarwal, R/o  
3/74, Vishnupuri,  
Kanpur (U.P.).

(Transferor)

(2) M/s. Anand Traders,  
52-54, Kaushalya Bhawan, Sadar Bazar,  
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice of the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Basement No. 2 at D-I, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi.  
Measuring 575 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
Delhi/New Delhi

Date : 6-2-1985.  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/393.—Whereas I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 404 & 403 situated at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the IAC, ACQ.-II in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Delhi Commercial Builders,  
Adinath Shree House,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Master Himanshu Malhotra S/o  
Shri Khushal Chand, R/o  
52/24, Ramjas Road, Karol Bagh,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 403 & 404 at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar,  
Delhi  
Measuring 456 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
Delhi/New Delhi

Date : 6-2-1985  
Seal:

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/394.—Whereas I, R. P. RAJESH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. 1-15 situated at Jain House Extn., Dr. Mukherjee Nagar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the IAC, ACQ.-II in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

(1) M/s. Delhi Commercial Builders,  
Adinath Shree House,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri Atul Kumar Gupta S/o  
Shri Puran Chand,  
21/A/4696, Ansari Road, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. 1-15, Jain House Extension, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi.

Measuring 83 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 6-2-1985

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EE/6-84/395.—Whereas I,  
R. P. RAJESH,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961(43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property having a fair market value exceeding  
Rs. 1,00,000/- and bearing  
No. I-10 situated at A-31/34, Dr. Mukherjee Marg,  
Delhi.  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the  
Office of the  
IAC, ACQ-II, at Delhi in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the  
fair market value of the aforesaid property and I have  
reason to believe that the fair market value of the  
property as aforesaid exceeds the apparent consideration  
therefor by more than fifteen per cent of such apparent  
consideration and that the consideration for such transfer  
as agreed to between the parties has not been truly stated in  
the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act  
in respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or  
any moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

(1) M/s. Delhi Commercial Builders,  
Adinath Shree House,  
Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

(2) Mrs. Rita Chawla W/o  
Shri Swaran Singh Chawla, R/o  
50 Udai Park,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publications of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. I-10 at A-31/34, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi.  
Measuring 364 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
Delhi/New Delhi

Date : 6-2-1985.

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Smt. Krishna Kumari, R/o F-6/7, Model Town, Delhi. (Transferor)
- (2) Smt Rakhee Valicha, R/o L/G-21, Sebh Sarai, Phase-II, New Delhi. (Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. JAC/ACQ-II/37FE/6-84/396.—Whereas I, R. P. RAJESH,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. G-5 situated at 4, 5 & 6, Bhai Parmanand Colony, Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the IAC, ACQ-II, at Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Property No. G-5 at 4, 5 & 6, Bhai Parmanand Colony, Delhi.  
Measuring 221 sq. ft.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 6-2-1985.

Seal :

**FORM ITNS****NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)****GOVERNMENT OF INDIA****OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX**

ACQUISITION RANGE-II,  
G-13, GROUND FLOOR, CR BUILDING, I. P. ESTATE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 6th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.II/37EP/6-84/397.—Whereas I,  
R. P. RAJESH,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe  
that the immovable property, having a fair market value  
exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing  
No. 25 situated at Racquet Court, Civil Lines, Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the  
Office of the Registering Officer at  
IAC, ACQ Delhi in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the parties  
has not been truly stated in the said instrument of transfer  
with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

(1) M/s. High Tower Builders,  
Racquet Court Road, Civil Lines,  
Delhi-54.

(Transferor)

(2) Mrs. Sushila B. Mehta &  
Shri B. H. Mehta, R/o  
73, Lucknow Road, Timarpur,  
Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other persons interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Flat No. 25 at 4 Racquet Court Road, Civil Line, Delhi-54.

R. P. RAJESH  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-II  
Delhi/New Delhi

Date : 6-2-1985.  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III,  
AGGARWAL BHAWAN,  
4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/384.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 12 situated at Siri Fort Road, New Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

64—486G1/84

- (1) Shri Dharam Singh, Trustee of M/s. Dharam Singh Family Trust, A-2/140, Safdarjung Enclave, New Delhi. (Transferor)
- (2) S. B. Commercial (P) Ltd., 94, Kazi Syed Street, Ganga Vihar, Bombay-400 003. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

12, Siri Fort Road, New Delhi.  
Area—750 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
New Delhi

Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Saket Properties (P) Ltd.,  
C-538, Defence Colony,  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Shrimati Sushma Suri &  
S. V. S. Investments,  
GF-7/92, Nehru Place,  
New Delhi.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III,  
AGGARWAL BHAWAN,  
4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/385.—Whereas I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing  
No. 4 situated at Plot No. 21, Yusuf Sarai, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the Office of the Registering Officer at  
Delhi in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer,  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 4 (basement) Plot No. 21, Yusuf Sarai Commu-  
nity Centre, N. Delhi.  
Area—318 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
New Delhi

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

Date : 30-1-1985.

Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,  
AGGARWAL BHAWAN,  
4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/385A.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing Shop No. 167A situated at 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Income-tax Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC, ACQ-II, Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Lt. Col. G. D. Dayal Puri (Rctd.), R/o C-25, West End Colony, New Delhi.

(Transferor)

- (2) Mr. Arvind Bali, R/o B-1, West End Colony, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Under Construction Building, Shop No.-167A, at 9, Bhikaji Cama Place, New Delhi, Area—183 Sq. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
New Delhi

Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/386.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 163 situated at Plot No. 6 Bhikaji Cama Place N. Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer in June 1984 for an apartment consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Gajinder Pal Singh  
G.H.R. Inds., 1328, Sultan Singh Building,  
Kashmere Gate, Delhi. (Transferor)
- (2) Avinash Puri & Smt.  
Prem Puri, 26/72 Punjabi Bagh,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 163 Plot No. 6, Bhikaji Cama Place, New Delhi.  
Area—260 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Date : 30-1-85  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Meena Match Inds.,  
19, Thiruttangal Rd., Bhoopati Buildings,  
Sivakasi. (Transferor)
- (2) Mohiud Din & Sons,  
B-48, Part-1, Vishnu Garden, N. Delhi.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/387.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 2 situated at Plot No. C-1 Najafgarh, New Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax, under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the means of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 2, on basement floor "KANCHAN HOUSE"  
Plot C-1, Najafgarh Rd., Community Centre, N. Delhi.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Dated : 30-1-85  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/388.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 4 situated at Plot No. A-7, 8, 9, Ranjit Ngr., New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) S.P.S. International  
B-197, Naraina Vihar, N. Delhi. (Transferor)
- (2) Guru Amardass International  
(P) Ltd., B-197, Narain Vihar, N. Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 4 on third floor, "SAMRAT BHAWAN" Plot A-7-8-9, Ranjit Ngr., Community Centre, N. Delhi. Area—529 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Dated : 30-1-85  
Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Gurbachan Kaur &  
S. Rahinder Singh, H-58, Bali Ngr.,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Tara Chand Himmat Ranka,  
21/35 West Patel Ngr., N. Delhi. (Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/389.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing  
No. B-1/185 situated at Pashim Vihar, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
of 1908) in the Office of the registering Officer at  
in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in the Chapter.

## THE SCHEDULE

No. B-1/185, Paschim Vihar, New Delhi.  
Area—150 Sq. Yds.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Dated : 30-1-85  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

## ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/390.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 10, situated at Plot 3 & 4 Prit Nagar, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Savitri Properties (P) Ltd.  
5/92, "Deepali" Nehru Place, N. Delhi.  
(Transferor)

(2) Bhim Sain Vij,  
D-141 Vivak Vihar, Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 10, on ground floor, at Plot No. 3 & 4 Preet Nagar, Delhi.

Area—157 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Dated : 30-1-85  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Δcq.3/37EE/6-84/391.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 607-A situated at 9-Bhikaji Cama Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C. of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
65—486GI/84

- (1) Neera Sethi & Mrs. Ajuna Bhandari, 16/334, Khajoor Road, Karol Bagh, New Delhi. (Transferor)
- (2) Khemka Instruments (P) Ltd. Shakspear Court. Shakspear Sarain, Calcutta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 607-A in 9 Bhikaji Cama Place, N. Delhi, Area—333 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Dated : 30-1-85  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Shri Vinod K. Anand,  
C-19, Chirag Enclave, N. Delhi. (Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Khemka Instruments (P) Ltd.,  
Shakespear Court, Shakespear Sarain,  
Calcutta. (Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/392.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 614 situated at 9, Bhikaji Cama Place, N. Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Flat No. 614 in 9 Bhikaji Cama Place, New Delhi.  
Area—352.5 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 30-1-85  
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/393.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 507 situated at 2-A Bhikaji Cama Place, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Kailash Nath & Associates,  
18006 Kanchenjunga, 18 Barakhamba Rd.,  
N. Delhi. (Transferor)
- (2) Miss Jyoti Anand C/o  
Mr. K. K. Anand, S-218, Greater Kailash-II,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 507 on 5th floor of proposed Commercial Complex 'ALPS', 2-A Bhikaji Cama Place, New Delhi.  
Area—205 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Date : 30-1-85  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Kailash Nath & Associates,  
1006 Kanchanjunga, 18 Barakhamba Road,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Bimal Kumari, 128, Sector No. 3  
R. K. Puram, N. Delhi. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/394.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing No.  
situated at Plot No. 2-A Bhikaji Cama Place,  
New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of  
1908) in the Office of the Registering Officer  
in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for the transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons;  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 7, Upper Ground Floor, Commercial Complex  
"ALPS" 2-A Bhikaji Cama Place, N. Delhi.  
Area—88 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

Date : 30-1-85

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/395.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 614-A situated at 9, Bhikaji Cama Place, N. Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Pramila Rai  
C-19, Chirag Enclave, N. Delhi. (Transferor)
- (2) Khemka Instruments (P) Ltd.,  
Shakespear Court, Shakespear Sarain,  
Calcutta. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of the notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 614-A in 9 Bhikaji Cama Place, N. Delhi.  
Area—352.5 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Date : 30-1-85  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Mohini Devi W/o  
Sh. Girdhari Lal, 4D/64, Rajinder Ngr.,  
N. Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

(2) Ashok Kumar Jain S/o  
Sh. K. C. Jain, H-252 Sarojini Ngr.,  
New Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

## ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/5-84/396.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred  
to as the 'said Act', have reason to believe that the im-  
movable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.

4-D/64, situated at Old, Rajinder Nagar, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act 1908 (16  
of 1908) in the office of the registering officer  
in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason  
to believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, the following  
persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notices on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

4-D/64 Old Rajinder Nagar, New Delhi.  
Area—88.1 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Date : 30-1-85  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/397.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-7 situated at Jaina Tower, Dist. Centre, Janak Puri, N. Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Jaina Properties (P) Ltd,  
Acc. nach Sale House Opp. Super Bazar,  
Con. Circle, New Delhi. (Transferor)
- (2) Rajiv Dutt S/o Sh. B. L. Dutt  
Smt. Lakta Dutt W/o Sh. Rajiv Dutt,  
E-A/139 Inder Pura, N. Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 5 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

UG-7, Jaina Tower, Distt. Centre Janak Puri, New Delhi.  
Area—80 Sq. Ft.

G. S. GOPALA,  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III, New Delhi.

Date : 30-1-85

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/389.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No. UG-18 situated at Jaina Tower, Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (P) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Conn. Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Sudesh Kathuria  
W/o Shri K. L. Kathuria,  
C-18, Vikas Puri, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

UG-18, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi, Area 98 sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi.

Date : 30-2-1985  
Seal :



## FORM IINS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/399.—Whereas, I, G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-11 situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

66—486GI/84

- (1) Jaina Properties (P) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Conn. Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Adarsh Kathuria  
W/o Shri D. R. Kathuria, C-28/98B,  
Janak Puri, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

UG-11, Jaina Tower, Dist. Centre, Janak Puri, New Delhi. Area—155 sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi.

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq 3/37FE/6-84/400.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

484-C situated at Janak Puri, New Delhi and more fully described in the Schedule annexed hereto, has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (P) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Conn. Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Kapoor Chand Jain  
S/o Sh. Khem Chand Jain,  
A-99, Vikas Puri, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

484-C Jaina Tower, Dist. Centre, Janak Puri, New Delhi. Area—178 Sq. Ft

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal.

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Jaina Properties (P) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Conn. Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Bij Bhushan Sharma  
S/o Shri Tirath Ram Sharma,  
C/5 New Krishna Park, Dholi Piau,  
Najafgarh Road, New Delhi. (Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/3714, 6-84/401.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as  
the 'said Act'), have reason to believe that the immovable pro-  
perty, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 -  
and bearing No.  
UG-14A situated at Janak Puri, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto).  
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16  
of 1908) in the office of the Registering Officer at  
New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason  
to believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of  
the publication of this notice in the Official  
Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter

## THE SCHEDULE

14-A Jaina Tower, Dist. Centre, Janak Puri, New Delhi  
Area—188 Sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-  
tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons namely :

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/402.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

UG-8A situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer at New Delhi in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (P) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Conn. Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Raj Barry W/o Major V. K. Barry,  
Plot No. 82, Flat No. 82, Pocket No. 13,  
Block C-4B, Janak Puri, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

UG-8A, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi. Area—89 Sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/ Acq.3/37EE/6-84/403.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein-in-after referred to  
as the said Act), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing  
Flat No. 506, situated at 3, Janak Puri, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office  
of the registering Officer  
at IAC/ Acq. Range-III, in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transferor,  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.  
(Transferor)

(2) Sh. Satpal Bhatia S/o J. N. Bhatia,  
& Smt. Suman Bala Bhatia  
W/o Satpal Bhatia,  
R/o. B1/624, Janak Puri, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 506, 5th Floor, Plot No. 3, Jaina Tower Distt.  
Center Janak Puri, New Delhi, Area—462 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
Near Broadway Hotel  
4/14-A, Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to following  
persons, namely:—

Date: 30-1-1985  
Seal:

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/ Acq.3/37EE/6-84/404.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-32, situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/ Acq. Range-III, in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

(2) Sh. Tivinder Pal Singh S/o Sardul Singh Sethi,  
R/o F-64, Gura Nanak Pura, Jail Road,  
Tilak Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. UG-32, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi. Area--155 sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
Near Broadway Hotel  
4/14-A, Asaf Ali Road,,  
New Delhi.

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/405.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269AB of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-7B, situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi  
(Transferor)

(2) Smt. Kailash Bansal W/o R. K. Bansal  
R o B 10, Ramesh Nagar, D. S. Qrs. New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. UG-7B, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Area—75 Sq. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
Near Broadway Hotel  
4/14-A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III,  
AGGARWAL BHAWAN,  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/406.—Whereas, **G. S. GOPALA,**

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-16B, situated at Janak Puri, New Delhi, (and more described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (Pvt) Ltd,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Sh. Inder Pal Singh & Vijender Pal Singh,  
R/o H. No. 6-3/4, Vill. Binda Pur,  
P.O. Uttam Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (b) by any aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within forty five days from the date of publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. UG-16B, Jaina Tower, Distt. Center. Janak Puri, New Delhi, Super Bazar, Area—80 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
Near Broadway Hotel  
4/14-A, Asaf Ali Road.  
New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal :



## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/407.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 207, situated at Jaina C. Complex, Yusuf Sarai, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, in June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
67--486G1/84

(1) Aar Pee Apartments (Pvt) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.  
(Transferor)

(2) Smt. Renu Gupta W/o Sh. Sudhir Gupta,  
C/o Sh. Anupam Goyal  
R/o 114, Jor Bagh, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 297, Jaina Commercial Complex, Yusuf Sarai,  
New Delhi, Area—285 Sq. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
Near Broadway Hotel  
4/14-A, Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/408.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing

No. U.G.-9B, situated at Janak Puri, New Delhi  
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office  
of the registering Officer at  
IAC/Acq. Range-III, in June 1984,  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

(2) Shri Sagar Mal Sharma  
S/o Late Shri Anant Ram Sharma  
R/o WZ-26, Manohar Park,  
Rohtak Road, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop No. U.G.-9B, Jaina Tower, Distt Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-100 Sq. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec-  
tion (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:

Date: 30-1-1985

Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/409.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. U.G-5A situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, in June 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.  
(Transferor)

(2) Shri Parkash Chandra Kakkar  
S/o Shri Ramji Kakkar,  
R/o M-50, Vikas Puri, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said D.O may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-5A, Jaina Tower, Dist. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-100 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date: 30-1-1985  
Seal:

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq3/37EE/6-84/410. Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. G-17A situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.  
(Transferor)

(2) Mr. Amarjit Singh  
S/o Shri Jagram,  
R/o H. No. 10- Vill. Bindapur, P.O.  
Uttam Nagar, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No.-G-17, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Bazar-90 Sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) L. N. Modi & Sons (HUF)  
C-8, South Extension, Part II,  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Shri Sudesh Kumar,  
469 Dev Motor Market, Hamilton Road,  
Kashmere Gate, Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14 A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/411.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot No. 83, situated at New Rajdhani Enclave, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June 1984 for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Prop. No.-G-83, New Rajdhani Enclave, New Delhi,  
Lease Hold.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

No, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/412.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 411-B, situated at Janak Puri, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been duly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri C. K. Rampal  
S/o Late Shri Ham Raj Rampal  
R/o A-80, Sjhankar Garden,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No.-411B, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Area-85 Sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/413.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. U.G. 76, situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)

(2) Shri C. K. Idnani  
S/o Shri J.G. Idnani,  
C/o Shri R. K. Tevari,  
R/o B-2/B-147,  
Janak Puri, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. U.G. 7-C, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Area-75 Sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date: 30-1-1985

Seal:

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/414.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. U.G-12, situated at Janak Puri, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range. III in June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration by such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act 1922, (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957, 27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Birmi Devi  
W/o Sh. Chander Singh,  
R/o B-3/186, Janak Puri,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-12, Jaina Towar, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Area-153 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
Near Broadway Hotel  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal:



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/415.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act') have reason to believe that the  
immovable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing  
No. U.G.-4, situated at Janak Puri, New Delhi,  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of  
the Registering Officer  
at IAC/Acq. Range, III in June, 1984,  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason  
to believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said treatment of  
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Subhash Chander Bhalla and  
Shri Ashok Kumar Bhalla,  
R/o WZ 32, Krishna Park Extn.,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter

## THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-4, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-205 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
Near Broadway Hotel  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—  
68—486 GI/84

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/416.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 603 situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I. T. Act, in the Office of the registering Officer at IAC/ACQ. Range III on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House, ,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Kailash Aggarwal  
W/o Sh. R. K. Aggarwal,  
R/o 2C2/Pocket No. 2/Flat No. 76,  
Janak Puri,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

### THE SCHEDULE

Prop. No. 603, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-300 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date 1 30-1-1985.

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE III,  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref No IAC/Acq-3/37FE/6 84/417—Whereas, I,  
G S GOPALA,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the said Act), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs 25,000/-  
and bearingNo U G, 16A situated at Janak Puri, New Delhi  
(and more fully described in the schedule annexed hereto),  
has been transferred under the T Act, 1961 in the office of  
the Registering Officer  
at IAC/Acq Range III, on June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of  
1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957  
(27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) M s Sahkti Industrial Stamping Industries,  
& Bharat Bhushan,  
R/o 23, Raja Garden,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the res-  
pective persons, whichever period expires later,
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter

## THE SCHEDULE

Property No. U G -16A, Jaina Tower, Distt. Center, Janak  
Puri, New Delhi Super Area-75 Sq feet

G S GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III,  
NEW DELHI  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/418.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing  
No. 404B situated at Janak Puri, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of  
the Registering Officer  
at IAC/Acq. Range. III in June, 1984,  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen percent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons namely :—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi,

(Transferor)

(2) Smt. Asha Rani  
W/o Shri M. P. Vagmi,  
R/o 2/5, Tilak Nagar,  
New Delhi-18.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the res-  
pective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter

## THE SCHEDULE

Prop. No. 484B, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Arca-130 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269-D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.-3/37EE -684/419.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding

Rs. 25,000 - and bearing

No. U.G.-8 situated at Janak Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Chacke Thanka Chand  
S/o Sh. Chack Chacke,  
R/o Y-2, Hauz Khas,  
New Delhi-16.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-8, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-84 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date: 30-1-1985  
Seal:

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/420.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. U.G.-7A situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House, ,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Sujan Singh Rana  
S/o Shri Ujjagar Singh Rana,  
R/o D-182, Fateh Nagar,  
New Delhi-18.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. U.G.-7A, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
Area-100 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/421.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-14B, situated at Janak Puri, New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Capt. J. N. Johar,  
R/o B-1/500, Janak Puri,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter,

## THE SCHEDULE

Prop. No. G-148, Jaina Tower, Distt. Center Janak Puri,  
Super Area. 100 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date . 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EF/6-84/422.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-25 situated at Paschim Vihar, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Income Tax Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House, ,  
Opp. Super Bazar,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Saniay Aggarwal and  
Shri Delbir Aggarwal,  
R o A-2/48, Paschim Vihar,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. G-25, Paschim Vihar, New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985

Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/423.—Whereas, I,  
S. GOPALA,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
as the 'said Act') have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing

No. B-22 situated at Janak Puri, New Delhi.

and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office  
of the Registering Officer

IAC/Acq, Range-III in June, 1984

- an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between  
the parties has not been truly stated in the said instrument  
of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
said property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

-486 GI/84

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. H. B. R. Printers,  
Prop. Sh. Harjeet Singh Thaper,  
R/o H-31, Bali Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. B-22, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-170 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/424.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000[-  
and bearing

No. 110A situated at Janak Puri, New Delhi.  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred  
under the Income-tax Act, 1961 in the office of the Register-  
Officer  
at IAC/Acq. Range-III in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Kiran Singh  
W/o Shri O. N. Singh,  
R/o C-2/98, Moti Bagh,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(b) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. 110A, Jaina Tower Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-170 S. Sect.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985.

Seal:

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/425.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-5A situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ashok Kumar Malhotra  
S/o Sh. Kundan Lal Malhotra,  
Shri Yoginder Kumar  
S/o Shri Sita Ram,  
R/o A-82, Vikas Puri,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. G-5A, Jaina Tower Distt. Centre, Janak Puri, New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269 D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/426.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-14 situated at Janak Puri, New Delhi.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi, in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act; or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Vidha Seth  
W/o Shri Suresh Seth,  
R/o F/58A, MIG, Flats ,G-8,  
Area Hari Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No.-UG-14, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri  
New Delhi, Super Area-105 Sq. feet.

G. S. GOPAL  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985.  
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/427.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-9, situated at Jank Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-II in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Charanjit Singh,  
Shri Surinder Singh Sethi,  
Shri Amarjit Singh Sethi, and  
Shri Kuldip Singh Sethi,  
R/o B-1 47, Fatch Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

Prop. No. G-9, Jaina Tower, Distt. Center Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-120 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985.  
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/428.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 410-B situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Dr. Lalit Kumar Uppal and  
Dr. Smt. K. L. Uppal,  
R/o-B-2/286, Janak Puri,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. 410-B, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-180 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/429.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 604-B, situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range, in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

New, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Surinder Singh Sethi and  
Shri Narinder Singh Sethi,  
S/o Shri B. K. Sethi,  
R/o WZ-M-33, New Mahabir Nagar,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. 604B, Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-130 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.

Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/430.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-23, situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range, in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the objects of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Adinath Saree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kamal Kishor Singh,  
S/o Shri M. L. Singal,  
R/o C3/1 91, Janak Puri,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires late;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. UG-23, Jaina, Dist. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985.  
Seal :



FORM I.T.N.S.-----

(1) Jaina Properties (Pvt) Ltd.,  
Adinath Sance House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Raj Khanna  
W/o Shri S. D. Khanna,  
Shri Sain Dass Khanna  
S/o Late Sh. Kishore Chand Khanna,  
R/o C-300, Vikas Puri,  
New Delhi.

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING  
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/431.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing

No. UG-6 situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range, in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Prop. No. UG-6, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri, New Delhi, Super Bazar, 105 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

70—486 GI/84

Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/432.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. UG-5, situated at Janak Puri, New Delhi. (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Ravinder Lal Malhotra,  
S/o Shri Purshottam Lal Malhotra,  
R/o A/73A, Kirti Nagar,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. UG-5, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-155 Sq. feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III,  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/433.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the said Act) have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearingNo. G-14 situated at Jaina Tower, Distt. Centre, Janak Puri,  
New Delhi,(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office  
of the Registering Officer

at IAC/Acq. Range-III in June, 1984.

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as afore-  
said exceeds the apparent consideration therefor by more  
than fifteen per cent of such apparent consideration and that  
the consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of the notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Adinath Saree House,  
Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Rajesh Kumar Bhalla and  
Shri Sunil Kumar Bhalla,  
R/o WZ-38, Street  
No. 3 Krishana Park,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons  
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. G-14, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-100 Sq. feet.G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan  
4/14A, Asaf Ali Road  
New Delhi.Date : 30-1-1985.  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN,  
NEAR BROAD HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84./434.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. G-6A, situated at Jaina Towers, Distt Centea, Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the office of the registering officer at IAC/Acq Range-III, in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circle, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri I. S. Anand & S. K. Anand,  
S/o Late Shri B. S. Anand,  
R/o 15/3-B, Tilak Nagar,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No.. G-6A, Jaina Tower, District Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area-90 Sq., Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/435.—Whereas, I, G. S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,000/- and bearing No.

No. G-5, situated at 3, Janak Puri, District, Center, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the register officer at IAC/Acq. Range-III in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Paramjiti Singh Arora,  
Shri Charanjit Singh Arora,  
R/o C-35, Fateh Nagar, Jail Road,  
Tilak Nagar, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. G-5, Plot No. 3, Janak Puri, Distt. Center, New Delhi, Super Area-90 Sq. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN,  
NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 20th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/436.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing  
No. G/14-B, situated at 3, Janak Puri, Distt. Center, New  
Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office  
of the register officer of IAC/Acq. Range-III in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been fully stated in the said instrument of  
transfer with the object of —

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely:—

- (1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.  
(Transferor)
- (2) Smt. Raj Rani W/o Shri Raj Kumar Bhalla  
Shri Raj Kumar Bhalla S/o Shri D. D. Bhalla,  
R/o D-A/98-D, IIG Flats, Hari Nagar, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of  
the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. G/14-D, Plot No. 3, Janak Puri District Center,  
New Delhi, Super Area 100 Sq. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road,  
New Delhi

Date: 30-1-1985  
Seal:

FORM I.T.N.S.———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

- (1) Usbr Rowal W/o Shri R. K. Rawal,  
C-11, Lamesh Nija, Double Storey,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Senla Verma W/o Shri Surinder Mohan,  
A-5/55, Moti Nagar,  
New Delhi. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS-  
SIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN,  
NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37FE/6-84/437.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 1,00,00/- and bearing No. G-1 situated at Paschim Vihar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the register officer at IAC/Acq. Range-III in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

## THE SCHEDULE

No. G-1, Jaina Commercial Complex, Paschim Vihar, New Delhi.  
Area—120 Sq. Ft.

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road  
New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN,  
NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/438.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 1,00,000/- and bearing No.  
B-8 situated at Basement Oriental Apartments Com-  
munity Centre, Yusuf Sarai  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office  
of the register officer at IAC/Acq. Range-III in June 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

- (1) Bombay Builders India (P) Ltd.,  
18, Malcha Marg, Commercial Complex,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Harish Chandor Sakhuja,  
Prop. Diamond Edge, E-57, Kalkaji,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the res-  
pective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

## THE SCHEDULE

No. B-8, Basement at Oriental Apartments Community  
Centre, Yusuf Sarai, Plot No. 19, New Delhi-110016.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road,  
New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :



## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN,  
NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq/37FE/6-84/439.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 - and bearing No. 104 situated at K-84 Green Park New Lehi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the register officer at IAC/Acq. Range-III in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the Act, to the following persons namely:—  
71—486 GI/84

- (1) K. L. Mehta & Dr. Atma Deva Sharma,  
A-1/41 Panchshal Enclave,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Surjit Kaur W/o S. Harbans Singh,  
L-3, Green Park,  
Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office Flat No. 104, on 1st floor of Multistoreyed Commercial Bldg., Ash'wad K-84, Green Park, Delhi. Area—300 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road,  
Acquisition Range-III  
New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

(1) Jaina Properties (Pvt.) Ltd.,  
Addinath Shree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, AGGARWAL BHAWAN,  
NEAR BROADWAY HOTEL, 4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq./37EF/6-84/448 —Whereas, I,  
G. S. GOPALA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 1,00,000/- and bearing No. F-10-B situated at Janak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering officer at IAC/Acq Range-III, in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(2) Karamjit Singh Bedi S/o S. S. Bedi,  
Smt. Krishna Mehta W/o Shri D. D. Mehta,  
R/o A-2/73, Rajouri Garden,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

F. 10 B, Jaina Tower, District Centre, Janak Puri, New Delhi, Area—185 Sq. ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Aggarwal Bhawan 4/14-A, Asaf Ali Road,  
New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME  
TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IRC/Acq.3/37EE/6-84/441.—Whereas I,

G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearingNo. U.G-15 situated at Janak Puri, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the Registration Act, 1908  
(16 of 1908) in the Office of the registering Officer at  
New Delhi in June, 1984for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

(1) Jaina Properties (P) Ltd.,  
Adinath Saree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.  
(Transferor)

(2) Shri Paramjit Singh Arora,  
Shri Charanjit Arora,  
C-53 Fatch Nagar, Jail Road,  
Tilak Nagar, New Delhi.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

UG-13, at Plot No. 3, Janak Puri, Dist. Centre, New Delhi.  
Area—155 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons namely:—

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Jaina Properties (P) Ltd.,  
Adinath Saree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Gyatri Enterprises,  
Smt. Radha Rani Gupta &  
Smt. Asha Agarwal (Partner)  
R/o 23-A, LIG Flats,  
Rampura, Delhi,

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/442.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11-A situated at Funak Puri, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Prop. No. 111A, Jaina Tower, Distt. Center, Janak Puri,  
New Delhi, Super Area—130 Sq. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/443.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and being No. 107 situated at Plot No. 11, Yusuf Sarai, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) R. P. Apartments (P) Ltd.  
Adinath Saree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferor)
- (2) Grace Rani Gongu &  
Master Rajiv Gongu (Minors)  
C/o Shri Amit Lal,  
J-62, Rajouri Garden, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

No. 107, Plot No. 11, Yusuf Sarai, New Delhi.  
Area—260 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14 A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq 3/37FF/6-80/444.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under sec. 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

No. 281 situated at Yusuf Sarai, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1922 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Shri Ashok Kumar Aggarwal,  
B-7/187, Safdarjung Enclave,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) R. P. Apartments (P) Ltd.,  
Adinath Saree House, Opp. Super Bazar,  
Connaught Circus, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

No. 281, Commercial Complex, Yusuf Sari, New Delhi.  
Area 228 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

FORM NO. I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EF/6-84/445.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. 111, situated at 4 Bhikaji Cama Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Rajdhani Builder-  
Prop. Mehta Industries Ltd.,  
Atma Ram House,  
1, Tolstoy Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Neelam Sharma,  
Z-5, West Patel Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the Publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

No. 111 First Floor, Plot No. 4, Bhakiji Cama Place, New Delhi. Measuring—515.5 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL,  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq3/37EE/6-84/446.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
No 287 situated at A-2, Najafgarh Road, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office  
of the Registering Officer at  
New Delhi in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason  
to believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen per cent of such apparent consideration  
and that the consideration for such transfer as agreed to  
between the parties has not been truly stated in the said  
instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the Acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269 D of said Act, to the follow-  
ing persons, namely:—

(1) Shri Satish Chawla  
S/o Shri Latha Malji,  
Model Town, Karnal.

(Transferor)

(2) Shivlok Properties,  
Adinath Saree House,  
Opp. Super Eazar,  
Connaught Circus, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days, from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter.

## THE SCHEDULE

No. 207, Milan Cinema Complex, A/2, Najafgarh Road,  
Commercial Complex, New Delhi.  
Measuring 500 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date: 30-1-1985  
Seal:



FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/447.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 288, situated at C-3, Karam Pura, Community Centre, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

72--486GI/84

(1) Smt. Kusum Sandhu &  
Shri Madhavendra Singh Sandhu,  
B-171, Greater Kailash-I,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Madhu Gupta,  
10/2 Jai Dev Park,  
Near Punjabi Bagh,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

No. 208 Second Floor, Building No. C-3, Karam Pura  
(U.C.M.B) Community Centre, New Delhi.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.III/37EE/6-84/448.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing No. 283 situated at Plot No. R-1, Hauz Khas, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Karanjit Singh  
F-62, Green Park,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri R. Ramamurthy,  
III/E-12, Lajpat Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice, on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

No. 283, Ground Floor, Plot No. R-1, Hauz Khas, New Delhi.—Area—1319.35 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/449.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereunder referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. F-181 to 184 situated at Plot No. 4, Bhikaji Cama Place, New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Rajdhani Builders  
Prop. Mehta Industries Ltd.,  
Atma Ram House,  
1, Tolstoy Marg, New Delhi. (Transferor)

- (2) Orissa Industries  
Infrastructure Development Corp.,  
Post Box No. 7, Hauz Khas,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 181 to 184 at first floor at 4 Bhikaji Cama Place, New Delhi.  
Area—1583 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 3/37EE/6-84/450.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. F-185, situated at Plot No. 4, Bhikaji Cama Place, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

- (1) Rajdhani Builders  
Prop. Mehta Industries Ltd.,  
Atma Ram House,  
1, Tolstoy Marg, New Delhi. (Transferor)
- (2) Smt. Sarga Devi  
W/o Shri S. K. Shakhdar,  
2 Palam Marg, Vasant Vihar,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

F-186, Plot No. 4, Bhikaji Cama Place, New Delhi.  
Area—285 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

FORM I.T.N.S.—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 3/37EE/6-84/451.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 198, situated at Block B-2, Pashim Vihar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the registering Officer at New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Mulakh Raj  
A/8 Punjabi Bagh,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Smt. Gurbachan Kaur  
H-58 Bali Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objection if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expression used herein are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 190 Block B-2, Pashim Vihar, New Delhi.  
Area—158 Sq. Yds.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date: 30-1-1985  
Seal:

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/452.—Whereas, I,  
G. S. GOPALA,  
being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the  
immovable property, having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing No.  
Flat No. 103, situated at Plot No. 22, C. Center,  
Yusuf Sarai, New Delhi,  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office  
of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III  
New Delhi in June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer  
and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11  
of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act,  
1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely:—

- (1) Bhanot Properties & Industries Ltd.  
102-103, Raja House,  
30-31, Nehru Place,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Master Rahul Nayar &  
Miss Radhika Nayar,  
C/o Shri V. Nayar,  
R/o C-5, Friends Colony (East),  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable  
property within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 103, 1st Floor of building to be Constructed on  
Plot No. 22, C. Center, Yusuf Sarai, New Delhi  
Area—385 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/453.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 184, situated at Plot 22, Community Center, Yusuf Sarai, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi in June, 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd.  
102-102, Raja House,  
30-31, Nehru Place,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mrs. Meera Nayar  
C/o Shri V. Nayar,  
R/o C-5, Friends Colony (East),  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 184, First Floor Of Building to be Constructed, On Plot No. 22, Community Center, Yusuf Sarai, New Delhi, Having approx Area—280 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/454.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 383, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd.  
102-103, Raja House,  
30-31, Nehru Place,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Vijay Gupta,  
R/o 681, Chiranjiv Tower,  
43, Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXV of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 303, IIrd Floor of building to be Constructed,  
On Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, N. Nelhi,  
Having approx. Super Area—584 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd.  
102-103, Raja House,  
30-31, Nehru Place,  
New Delhi.

(Transferor)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI(2) Jenny Saw & Veneer Mills (P) Ltd.  
2045/2, Chuna Mandi Street No. 6,  
Pahar Ganj, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/455.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/ and bearing Flat No. 381, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette :—

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

## THE SCHEDULE

Flat No. 301, IIIrd Floor of building to be Constructed, On Plot No. 22, Community Centre Yusuf Sarai, N. Delhi, having approx. Super Area—585 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-IU  
Delhi/New Delhi

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by this issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/456.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 302, situated at Plot No. 22, Community Centre Yusuf Sarai, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely —

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd.  
102-103, Raja House,  
30-31, Nehru Place,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Jenny Saw & Veneer Mills (P) Ltd.  
284/2, Chuna Mandi Street No. 6,  
Pahar Ganj, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 302, IIIrd Floor of building to be Constructed, On Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, having approx. Super Area—584 Sq Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985

Seal :

**FORM ITNS**

**NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)**

**GOVERNMENT OF INDIA**

**OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BILAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI**

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/37EE/6-84/457.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 105, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-III New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Bhaat Properties & Industries Ltd.  
102-103, Raja House,  
30-31, Ncluu Place,  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Suresh Gupta,  
S/o Shri Harish Gupta  
R/o N-8, Panchhila Park,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

**THE SCHEDULE**

Flat No. 105, First Floor of building to be Constructed, on Plot No. 22, Community Center, Yusuf Sarai, N. Delhi, having approx. Super Area-347 Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN, NEAR BROADWAY HOTEL  
4/14-A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.3/27EE/6-84/458.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 304, situated at Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III, New Delhi in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Bhanot Properties & Industries Ltd.  
102-103, Raja House,  
30-31, Nehru Place,  
New Delhi

(Transferor)

(2) M/s. Alp Art,  
D-5, West End,  
New Delhi.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 304, IIIrd Floor of building to be Constructed on Plot No. 22, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, having approx. Super Area—505, Sq. Ft.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

(1) Sh. Karan Singh  
R/o 12, Regal Bldg Parliament Street,  
New Delhi

(Transferor)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt Manmohan Kaur  
R/o B-57, Sarvodaya Enclave,  
New Delhi

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROAD WAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

Objections if any to the acquisition of the said property may be made within the stipulated period.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/634/459 —Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 75,000/- and bearing Flat No. 101, situated at R-1, Hauz Khas, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION —The terms and expressions used herein as defined in Chapter XXXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer;

## THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Flat No. 101, Plot No. R-1, Hauz Khas, New Delhi, Covered Area Approx. 1030 Sq Feet

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III,  
Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

(1) Sh. Karanjit Singh,  
R/o 12, Regal Bldg, Parliament St.  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Sh. Tara Chand Verma &  
Smt. Nisha Malik,  
R/o H-523, Sarojini Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NARFAR BROAD WAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq 3/37EE/6-84/460.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, bearing a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 301, situated at R-1, Hauz Khas, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq, Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer, the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

## THE SCHEDULE

Flat No. 381, R-1, Hauz Khas, New Delhi, Covered Area  
Approx 1005 Sq Feet

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM IITS

(1) Sh. Karanjit Singh,  
12, Regal Bldg. Parliament Street,  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt. Hemlata Mehta,  
R/043, Southern Avenue,  
Calcutta.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BHAWAN  
NEAR BROAD WAY HOTEL  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq-3/37EE/6-84/461.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 302, situated at R-1, Hauz Khas, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceed the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of —

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under that said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

## THE SCHEDULE

Flat No. 302, R-1, Hauz Khas, New Delhi Area-1000 Sq. Feet.

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi/New Delhi.

Now, the aforesaid in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Date : 30-1-1985  
Seal :

FORM ITNS

(1) Smt. P. S. Kanwal &  
Smt. Kuldip Kaur,  
R/o 21/101 Lodhi Colony,  
New Delhi-3.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Smt. Razia Sultan,  
W/o Intazar Ahmed. Siddiqui,  
R/o 2139, M. P. Street Near Patandi House,  
Daryaganj, Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGAR WAI BAWAN  
NEAR BROAD WAY HOTEL  
4/14A, ANAF ALI ROAD  
NEW DELHI.

Objections, if any, to the acquisition of the said property, may be made in writing to the undersigned:—

New Delhi, the 30th January 1985

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

Ref. No. IAC/Invq 3/37EE/6 84 462.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 364-E, situated at Nirman Vihar, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the said Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and;

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Prop. No. 364-E, Nirman Vihar, New Delhi, Area. 802 S q. Feet.

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-III  
Delhi-110014, India.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date : 30-1-1985

Seal :



## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Oxford Engineers (P) L.d.  
18, Commercial Complex, Malcha Marg,  
Diplomat Enclave,  
New Delhi.

(Transferor)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-III  
AGGARWAL BIRJAWAN  
4/14A, ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI.(2) Miss. Indra Kohli  
D-II/A-13, Moti Bagh,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq 3/37FF/6-94 463.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Store No. B-1, situated at 20, Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

74—486GI/84

## THE SCHEDULE

Store No. B-I, Plot No. 20, Oriental Apartments, Buld. Community Centre, Yusuf Sarai, New Delhi, Area-360 79 Sq Feet

G. S. GOPALA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range-III  
New Delhi,

Date : 30-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISS-  
SIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/892.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. S-466, Greater Kailash-II, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I, in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration there for by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Rajspin Officer's Welfare Foundation Pvt. Ltd., Bhilwara Bhavan, 40-41, Community Centre, New Friends Colony, N. Delhi-65. (Transferor)
- (2) M/s. Hindustan Electro Graphites Ltd. 40-41, Community Centre, New Friends Colony, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. 466 Block No. S. Greater Kailash-II, New Delhi  
Area mg. 551 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14 A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/894.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 83 and 84 on L. G. F. 28, B. K. Rd, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-III in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Gopal Das Estates and Housing Pvt. Ltd., 28, Barakhamba Road, New Delhi-110001.  
(Transferor)

(2) Devi Saha Kohli (HUF) S/22, Civil Township, Rourkela-IV-Area No. 7 and 8.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 83 and 84 on Lower Ground Floor in 'DR. Gopal Das Bhawan' 28, Barakhamba Road, New Delhi-1. Area mg. 367.46 sq. ft. (Space No. 83, 133.66 sq. ft.) (Space No. 84, 233.80 sq. ft.)

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14 A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/895.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000—Flat No. 904, in 21, B. K. Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Gimpex Rubbers,  
Prop. Hilton Engineers (P) Ltd.,  
40, Navyug Market, Ghaziabad (U.P.)  
(Transferor)

(2) Smt. Shakuntala Sahni  
W/o T. R. Sahni, Anupama Chandok &  
Anshu Chandok (Minors),  
Cottage 30, West Patel Nagar,  
New Delhi-8.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 904 in 21 Bauxhamba Road, New Delhi. Area 595 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14 A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) Sh. Sanjay Bansal  
R/o B-15, Greater Kailash-I,  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(2) Smt. Ritu Sachdeva,  
R/o B/N (Poo'vi), 33, Shalimar Bagh Resl  
Scheme, Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASST. COMMISSIONER  
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I,  
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/897.— Whereas, I,  
SUDHIR CHANDRA,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the im-  
movable property, having a fair market value exceeding  
Rs 25,000/- and bearing No.  
Flat No. 806, 13, Tolstoy Marg,  
situated at New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of  
the registering Officer at IAC/Acq Range-I, on June, 1984  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen percent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Booking of office space measuring 390 sq. ft. on 8th floor  
in the proposed multi-storeyed building at 13, Tolstoy Marg,  
New Delhi-110001. Flat No. 806.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14 A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the Act, to the following  
persons, namely :—

Date : 30-1-1985  
Seal :

FORM I.T.N.S.-----

(1) Sh. S. P. Bansal,  
R/o B-15, Greater Kailash-II,  
New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-  
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/898.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 803, at 13, Tolstoy Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion or the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following person namely :—

(2) Mrs. Wija Sawhney,  
R/o D-13A/26, Model Town,  
Delhi-9.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Booking of office space measuring 390 sq. ft. on 8th floor in the proposed multi-storeyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi, Space Flat No. 803.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14 A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 29-1-1985  
Seal ,

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,  
NEW DELHI

New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I 37EE/6-84/901.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 802 at 22, K. G Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I. T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Miss. Malini Bhatat Rarm (Minor)  
UGQ Mr. Vivek Bharat Ram,  
R/o 25, Sardar Patel Road,  
New Delhi. (Transferor)

(2) Bharat Ram Foundation,  
25, Sardar Patel Road,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Commercial Flat No. 802, proposed multistoreyed building at 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi. mg. 555 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14 A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 28-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I. 37FE/6-84/902.—Whereas I,  
SUDHIR CHANDRA,being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act') have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding Rs.25,000/- and bearing  
No. M-71, Greater Kailash-II, situated at New Delhi  
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto),  
has been transferred under the  
I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at  
IAC/Acq. Range-I on June 1984for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason  
to believe that the fair market value of the property as  
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by  
more than fifteen per cent of such apparent consideration  
and that the consideration for such transfer as agreed to bet-  
ween the parties has not been truly stated in the said instru-  
ment of transfer with the object of—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957):Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act to the following  
persons, namely:—(1) M/s. Pravasi Enterprises Ltd.,  
27, Brobourn Road, 10th floor,  
Narayani Bldg., Calcutta.

(Transferor)

(2) Mrs. Rajan Nehru and  
Mr. V. P. Nehru (acting for self and as Karta of  
R. K. Nehru, D-II/20, Kaka Nagar,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned:—(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act  
shall have the same meaning as given in  
that Chapter.

## THE SCHEDULE

First and Barsati floors of premises No. M-71, Greater  
Kailash-II, New Delhi. Covered area 1800 sq. ft. approx.SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New DelhiDate: 30-1-1985  
Seal:



## FORM IINS

(1) Mrs. Sheila Bharat Ram,  
25, Sardar Patel Road, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Bharat Ram Foundation,  
25, Sardar Patel Road,  
New Delhi.

(Transferee)

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/903.—Whereas I,  
SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. 609, a. 22, K. C. Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at

IAC/Acq. Range-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

75--486G1/84

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Commercial Flat No. 609 in proposed multistoreyed building under construction at 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, mg. 522 sq. ft

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New DelhiDate : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/905.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 18, in 21, B.K. Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Shiv Kapur, Joginder Kapur,  
R/o 2720, Ajmal Khan Road,  
Katol Bagh, New Delhi. (Transferor)
- (2) Sh. Bhajan Singh Chauhan,  
(2) Sh. Shamsheer Rajau Chauhan,  
(3) Miss Sujata Chauhan,  
D-6/27, Vasant Vihar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 18, First Floor in multi-storeyed building at 21-  
Barakhamba Road, New Delhi.  
Area 595 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/917.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 6, 6th floor, Block E, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extension,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) Master Ashish Khera &  
Miss Bhavna Khera,  
U/F Mr. S. C. Khera,  
213, New Delhi House,  
27, Barakhamba Road, New Delhi-1. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 6 on sixth floor in Block No. F of Hotel-cum-commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx Area 735 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date: 28-1-1985  
Seal:

FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/918.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Space No. 9 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I, hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extn.,  
New Delhi-14.

(Transferor)

- (2) M/s. Talwar Forgemasters & Engineers Pvt. Ltd.,  
B-1/8, Malviya Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 9 on 6th floor in Block No. E, of Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx Area 484 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/919.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No 18, 6th floor E-Block situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extension,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) Mrs. Madhu Bawa w/o S. K. Bawa &  
S. K. Bawa s/o G. S. Bawa,  
4, Dharam Marg,  
Diplomatic Enclave,  
Nehru Place,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 18 on 6th floor in Block 'E' Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx. Area 638 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax  
Aggarwal House  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/920.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 13, 6th floor, E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extension,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) M/s. Indian Biotech Company (P) Ltd.,  
109/32-33, Nehru Place,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 13, on 6th floor in Block No. E, of Hotel-cum-commercial complex, Nehru Place, New Delhi. Approx. Area 726 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/921.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 8 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extension,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) Master Vikas Bajaj. U/G.  
Sh. J. M. Bajaj,  
R/o E-92, Malcha Marg,  
Chanakiya Puri,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 8, on 6th floor in Block No. E, of Hotel-cum-commercial complex, Nehru Place, New Delhi, Approx Area 484 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING  
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/922.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 8, 8th floor, E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this office notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s. Nehru Place Hotel Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extension,  
New Delhi-14.

(Transferor)

(2) Master Rajiv Shah Gosain &  
Master Vikram Shah Gosain s/o's of  
Sh. K. K. Gosain,  
F-31, Saket, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 8, on 7th floor in Block No. E, Approx Area 484 sq. ft. Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
SUDHIR CHANDRA



## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI.

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/923.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 7 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by the more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—  
75—476GI/84

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extension,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) Sh. K. N. Bajaj s/olate  
Sh. R. L. Bajaj,  
R/o S-543, Greater Kailash-II,  
New Delhi-48. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 7 on 6th floor in block-E, Hotel-cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx Area 484 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal:

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,  
4/14A ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.1/37EE/6-84/924.—Whereas, I,  
SUDHIR CHANDRA,being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing No.

Flat No. C-162, DDA Flat, Sakat, situated at New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto)  
has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of  
the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I  
New Delhi on June 1984,for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—(1) Dr. (Mrs.) Raj Kumar Aggarwal,  
Prof. of Law,  
Puna University, Pune-411007.

(Transferor)

(2) Mohd. Aslam & Mohd. Akram,  
Ss/o Shri Noor Mohd,  
R/o I-6/D.D.A. Flats, Turkman Gate, Delhi-6.  
(Transferee)Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—(a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of 30 days  
from the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;(b) by any other person interested in the said immov-  
able property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.EXPLANATION :—The terms and expressions used here as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

C-162, D.D.A. Flats, Sakat, New Delhi-17, measuring 900  
sq. ft.SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New DelhiDate : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE  
4/14A ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/926.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 7 on 7th floor, E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such apparent consideration between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (u) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

- (v) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C of the said Act, I hereby initiate proceeding for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extn., New Delhi-14.

(Transferor)

- (2) M/s. Techinvest (India) (P.),  
804, Vishal Bhawan, 95, Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 7 on 7th floor in Block-E, Hotel-Cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi, Area Approx 484 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE  
4/14A ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/927.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 104 (First floor), 56, N. Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at New Delhi on June 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Tarlok Nath Bajaj S/o Sh. Mangat Ram,  
92/B, New Layall Pur Colony,  
Trans Yamuna, Chander Nagar, Delhi-51.  
(Transferor)
- (2) Shri Balkrishan Chadha S/o Shri Gian Chand,  
R/o 1/7156, Shivajee Park, Shahdara, Delhi-32,  
Shri Harish Chandra,  
R/o 21, Railway Road, Meerut City (U.P.).  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 104 on First floor of 224 sq. ft. covered area in 56, Nehru Place, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New DelhiDate : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) M/s. Gopal Das Estates and Housing Pvt. Ltd.,  
28-Barakhamba Road, New Delhi-110001.  
(Transferor)
- (2) Mr. Karori Ram Mehra S/o Mr. Lakhmi Chand Mehra,  
R/o E-174, Masjid Moth, New Delhi-48.  
(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,  
ACQUISITION RANGE-I,  
4/14A ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/929.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 8, L.G.F. at 28, B.K. Road, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, New Delhi in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

## THE SCHEDULE

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Space No. 8 on Lower Ground Floor in 'DR. Gopal Das Bhawan' at 28, Barakhamba Road, New Delhi. Area (super) 140.78 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons; namely :—

Date : 29-1-1985

Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME TAXACQUISITION RANGE  
4/14A ASAF ALI ROAD  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.1/37EE/6-84/940.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act) have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Shop No. 37, Ajit Arcade, Lajpat Rai Road, situated at New Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, New Delhi on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

- (1) Smt. Uma Kiran,  
H-26, Green Park Extn. New Delhi. (Transferor)
- (2) Shri Vinod Batra,  
Shri Sunil Batra,  
R/o E 57, N.D.S.E. Part-I, New Delhi and  
Sh. Parmod Kumar Verma,  
r/o C-27, N.D.S.E. Part-I, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Shop No. 37, Ajit Arcade, Lala Lajpat Rai Road, New Delhi, Area 225 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 15th February 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/943.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- bearing Flat No 1204-A, at 89, Nehru Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, New Delhi on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) M/s. Ashok Kumar Garg and Brothers, R/o M-24, Greater Kailash, Market, New Delhi-48.

(Transferor)

(2) Mrs Shashi Sikka,  
Mrs. Shama Magoo,  
Mrs. Sudesh Bhandula,  
M-267, Greater Kailash-II,  
New Delhi-48.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the name meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office Flat No. 1204-A (12th floor) in Skipper Tower, 89, Nehru Place, flat area 548 sq. ft. New Delhi.  
Date : 15-2-1985

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
Delhi/New Delhi

Date : 15-2-1985  
Seal :

Form No. I.T.N.S.

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,

New Delhi, the 13th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EF/6-84/948.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 1/27, Shanti Nektan, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I, on June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Ms. Rajan Nehru and  
Mr. V. Y. Nehru acting for self and as Karta of  
R. K. Nehru, HUF  
D-Li/20, Kaka Nagar,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Pravasi Enterprises Ltd.  
27, Brabourne Road, 10th floor,  
Narayani Bldg., Calcutta.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Property No. 1/27, Shantiniketan, New Delhi, total area of about 2,000 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
Delhi/New Delhi

Date: 13-2-1985  
Seal :



## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC-Acq./37EE/6-84/954.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 12 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, New Delhi on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Eros Cinema Building,  
Jangpura Extn.,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) Smt. Kailash Wati (Bimla),  
W/o Sb. Ram Lal Aggarwal,  
104-E, Kamla Nagar,  
Delhi-110007. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 12 on 6th floor in Block No. E, of Hotel Cum Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi. Approx. Area 570 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
Delhi/New Delhi

Date: 29-1-1985  
Seal:

## FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/955.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 17 6th floor, E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s Nehru Place Hotels Ltd.  
Eros Cinema Building,  
Jangpura Extn.,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) M/s. Saz International (P)  
Lt., through its Director  
Shri G. S. Gill, B-849,  
New Friends Colony, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 17 on 6th floor, in Block-E, of Hotel-cum-commercial complex Nehru Place, New Delhi, Approx. Area 638 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I,  
Delhi/New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITMS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/956.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 10 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, New Delhi on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.,  
Fros Cinema Building, Jangpura Extn.  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Mrs. Jadu Leekha w/o Mr. K. K. Leekha,  
B-4/1, Safdajang Enclave,  
New Delhi-29. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 10, on 6th floor in Block No. E, of Hotel Cum Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi Area Approx. 513, sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
Delhi/New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 14th February 1985

Ref No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/957.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat No. 409, at 89, Nehru Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I, New Delhi on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate Proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Mrs. Rita Lakhina w/o Sh. Satish Lakhina,  
R/o E-511, Greater Kailash-II, New Delhi.  
(Transferor)

(2) Mr. Vashitsungba Ao s/o  
Late Mr. Taka Ao Kher Mohal,  
Dimapur (Nagaland).  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

## THE SCHEDULE

Office flat No. 409 measuring 530 sq. ft. on fourth floor in Bldg., No. 89, Nehru Place, New Delhi, (Under Construction).

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
Delhi/New Delhi

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 21st January 1985

Ref. No. IAC/Acq.I/37EE/6-84/959.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 78, L.G.F. at 28, B. K. Road, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act 1961 in the office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I in June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (1) M/s. Gopal Das Estates and Housing Pvt. Ltd., 28, Barakhamba Road, New Delhi. (Transferor)
- (2) M/s. Yashomati Trust, through its Trustees Shri Bhagwati Pershad, M-122, Connaught Circus, New Delhi-110001. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 78 on Lower Ground Floor in 'Dr. Gopal Das Bhawan' 28, Barakhamba Road, New Delhi. (super) 121.38 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,  
I.P. LSTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE, 6-84/961.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. A-18, Connaught Place (Basement) situated at New Delhi

I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Mr. Mohinder Kumar Bajaj,  
r/o 12/164, Malviya Nagar,  
2. Ravi Madan,  
43-A, Malviya Nagar,  
3. Mr. R. C. Kaira,  
11/148, Malviya Nagar,  
4. Ambica Builders (P) Ltd.,  
15/4577, Darya Garj,  
New Delhi.

(Transferor)

- (2) Mrs. Amarjit Kaur,  
r/o 331, Basant Enclave,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

154 sq. ft. in Basement in A-18, Connaught Place,  
New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I,  
New Delhi

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,  
I.P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/684/963.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No. 19 (8th floor) F-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the LT Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC/Acq. Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) M/s. Nehru Place Hotel's Ltd.,  
110, Cinema Building, Jangpura Extn.,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) Sh. B. R. Bhanot s/o  
Late Sh. Gopal Das Bhanot &  
Mafat Bhanot s/o  
Sh. B. R. Bhanot,  
r/o BL-22, Anand Vihar, Jail Road,  
New Delhi-64. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 19 on 8th floor, in Block-E, of Hotel Cum Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi, Approx. area 638 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
New Delhi

Date: 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref No. IAC/Acq I/37FF/6 84/964—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No 16 (6th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the IT Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC/Acq Range-I on June 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s Nehru Place Hotels Ltd,  
Eros Cinema Building, Jangpura Extn.,  
New Delhi 14.

(Transferor)

(2) Mr. Anil Bajaj s/o  
Sh. S. I Bajaj &  
Mrs. Meera Bajaj w/o Sh. Anil Bajaj,  
Kunal Bajaj,  
Ranjit Bajaj &  
Shiv Bajaj,  
r/o 140, Golf Links,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 16 on 6th floor in Block-E, of Hotel Cum Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi, Area Approx. 638 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Acquisition Range-I,  
New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal



## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/965.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Space No. 12, (8th floor) E-Block, situated at Nehru Place, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC/Acq. Range-I in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. Nehru Place Hotels Ltd.  
Eros Cinema Building,  
Jangpura Extn.,  
New Delhi-14. (Transferor)
- (2) Dr. (Mrs.) Saroj Sagar,  
w/o Sh. V. Sagar,  
R/o K.46, Jangpura Extn.,  
New Delhi-14. (Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 12 on 8th floor, in Block E, of Hotel-Cum-Commercial Complex, Nehru Place, New Delhi, Approx. Area 569 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority,  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX,ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14-A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/971-A.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. E-101, Greater Kailash-I, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Miss Mini Jain,  
House No. 4782/1-23, Daryaganj,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Pal & Pal Builders Ltd.,  
12, Regal Building,  
Parliament Street,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Plot No. F-101, Greater Kailash-I, New Delhi. (352.5 sq. yards).

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

- (1) Universal Builders & Contractors, Parveen Apartment 'Sujan Singh Park (South)'  
New Delhi. (Transferor)
- (2) Mr. Amar Singh Gill,  
6, Hailey Road,  
New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

GOVERNMENT OF INDIA  
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/972-A.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 1, Sujan Singh Park, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

79—486G1/84

Residential Flat No. 1 on 2nd floor in proposed Praveen Group Housing Scheme at Sujan Singh Park, New Delhi.  
mg. 2000 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 28-1-1985

Seal :

~~FORM ITNS~~NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/973-A.—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Prop No. 34, Babar Road, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC/Acq. Range-I in June, 1984 for an apparent consideration which is less than the fair fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Kishan Bahadur Mathur  
S/o Sh. Prem Shanker Mathur,  
and Viney Shanker Mathur,  
Ravi Shanker Mathur,  
Mohinder Shanker,  
R/o 34, Babar Road,  
New Delhi.  
Now P-95, South Extn. New Delhi. (Transferor)
- (2) Sh. Vikram Dutt Suri  
S/o Late Sh. Madan Lal Suri,  
R/o P-95- N.D.S.E-II,  
New Delhi-49 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

House No. 34, Babar Road, New Delhi having a Plot area 212.5 sq. yards.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14A Asaf Ali Road,  
New Delhi.

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX.ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37EE/6-84/974.—Whereas, I,  
SUDHIR CHANDRA,being the Competent Authority under Section 269B of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearingFlat No. 802 situated at 13 Tolstoy Marg, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office  
of the Registering at  
IAC/Acq. Range-I in June, 1984for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

(1) Mr. Sanjay Bansal,  
1767, Bhagirath Place,  
Chandni Chowk,  
Delhi.

(Transferor)

(2) Mrs. Rekha Luthra,  
Master Sharan Luthra,  
Miss Gayatri Luthra,  
C-3, Nizamuddin West,  
New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period  
of 45 days from the date of publication of this  
notice in the Official Gazette or a period of  
30 days from the service of notice on the res-  
pective persons, whichever period expires later;

- (b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the  
publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
Tolstoy Marg, New Delhi.  
Flat No. 802.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House,  
4/14A Asaf Ali Road,  
New Delhi,

Date : 30-1-1985  
Seal :

FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 11th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/979-A.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Flat No. 54, Deepak Bldg., 13, Nehru Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the IT Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC/Acq. Range-I on June, 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) M/s. Kailash Apartments (P) Ltd.,  
Chand Cinema Building, Trilokpuri,  
Delhi-91.

(Transferor)

- (2) Sanjay Malik, Rahul Malik,  
Rohit Malik, Sanjay Sethi & Sandeep Sethi,  
305, Thaper Nagar, Meerut (U.P.).

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publications of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 54, Deepak Building, 13, Nehru Place, New Delhi measuring 825 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 11-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING  
ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX  
ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 14th February 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EF 6-84/983-A.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 812-B, Hemkunt Tower, N. Place situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at IAC Acq. Range-I on June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/s. Hindustan Arms,  
H. S. 35, Kailash Market,  
New Delhi.

(Transferor)

(2) Mrs. Pramoda Dayal,  
Miss Bindu Dayal,  
Miss Anuradha Dayal  
R/o Fla. No. 812-B, Hemkunt Tower,  
98, Nehru Place, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 812-B, Hemkunt Tower, 98, Nehru Place, New Delhi, measuring 54½ sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 14-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE  
4 14A ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37FF/6-84/984-A ---Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 1005, at 22, K.G. Marg, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument to transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property, by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Rajiv Gupta  
R/o Harmiz Villa,  
8-A, Carmichael Road, Bombay. (Transferor)
- (2) Sh. C. B. Aggarwal (HUF),  
c/o United Wheels (P) Ltd.,  
20/1, Asaf Ali Road, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 1005, in Building at 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi, Proposed (Area 542 sq. ft.)

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :



## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT  
COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 12th February 1985

- (1) M. s. Competent Builders,  
101-Competent House, F-14, Connaught Place,  
New Delhi-1  
(Transferor)
- (2) Shubh Charitable Trust,  
A-439 Defence Colony, New Delhi-24 and  
Sapan Charitable Trust,  
101-Padma Palace,  
86, Nehru Place, New Delhi-19.  
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of  
**45 days** from the date of publication of this notice  
in the **Official Gazette** or a period of **30 days** from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said  
immovable property, within **45 days** from the  
date of the publication of this notice in the  
Official Gazette.

Ref. No. IAC/Acq. 1/37FF/6-84/985-A.—Whereas I,  
SUDHIR CHANDRA,  
being the Competent Authority under Section 269B of  
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred  
to as the 'said Act'), have reason to believe that the immov-  
able property having a fair market value exceeding  
Rs. 25,000/- and bearing  
No. 406, Competent House F-14, Con. Place, situated at  
New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office  
of the Registering at  
IAC/Acq. Range-I on June, 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property, and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

- (b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for the  
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of  
1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957  
(27 of 1957);

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said  
Act, shall have the same meaning as given  
in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 406-Competent House, F-14, Connaught Place,  
New Delhi, measuring 730.64 sq. ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-  
ing persons, namely :—

Date : 12-2-1985  
Seal :

## FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER  
OF INCOME-TAXACQUISITION RANGE-1  
AGGARWAL HOUSE  
4 14A ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 28th January 1985

Ref No IAC/Acq. 1/37EF, 6-84/896-A—Whereas, I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No B-49, Friends Colony, New Delhi situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC Acq Range-1 on June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sh. Gurmukh Singh,  
House No. 8, Road No 19,  
Punjabi Bagh,  
New Delhi-26. (Transferor)
- (2) Smt. Sharda Gupta,  
8C/9, Abdul Aziz Road,  
New Delhi-5. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter

## THE SCHEDULE

B-49, Friends Colony, New Delhi. mg 209 sq. meters,  
250 sq. yds.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-1  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date: 28-1-1985  
Seal

FORM NO. I.T.N.S.—

(1) M/s. Bakshi Vikram Vikas Const. Co. (P) Ltd.,  
13, Tolstoy Marg, New Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(2) Dr. Devinder Puri and  
Mr. Sanjiv Puri,  
B-4, Gugaranwala Town,  
New Delhi.

(Transferee)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE,  
4/14A, ASAF ALI ROAD,  
NEW DELHI

New Delhi, the 29th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I.37EE/6-84/989-A.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 405, in the multistorcyed Bldgs. situated at 13, Tolstoy Marg, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering at I.T. Act, 1961 in the Office of the registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June, 1984, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Booking of office space No. 405, mg. 696 sq. ft. on 4th floor in the proposed multistoreyed building at 13, Tolstoy Marg, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 29-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

(1) M. s. Bakshi Vikram Vikas  
Construction Co. (Pvt.) Ltd.,  
13, Tolstoy Marg, New Delhi-1.

(Transferors)

(2) Smt. Sita Devi, Sh. Dharam Vir Aggarwal &  
Sh. Rajesh Aggarwal,  
302/3, Kaushalya Park, Hauz Khas,  
New Delhi.

Transferees

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-  
SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
AGGARWAL HOUSE  
4 14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI  
New Delhi, the 28th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. 1/37EE/6-84/990-A.—Whereas I,  
SUDHIR CHANDRA,  
being the Competent Authority under Section 269D of the  
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to  
as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable  
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-  
and bearing No.  
Office space on the 5th floor F. No. 506, situated at 13,  
Tolstoy Marg, New Delhi  
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),  
has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office  
of the Registering Officer at  
IAC/Acq. Range-I on June 1984,  
for an apparent consideration which is less than the fair  
market value of the aforesaid property and I have reason to  
believe that the fair market value of the property as aforesaid  
exceeds the apparent consideration therefor by more than  
fifteen per cent of such apparent consideration and that the  
consideration for such transfer as agreed to between the  
parties has not been truly stated in the said instrument of  
transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability  
of the transferor to pay tax under the said Act, in  
respect of any income arising from the transfer;  
and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any  
moneys or other assets which have not been or  
which ought to be disclosed by the transferee for  
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922  
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax  
Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said  
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the  
aforesaid property by the issue of this notice under sub-  
section (1) of Section 269D of the said Act, to the following  
persons, namely :—

Objections, if any, to the acquisition of the said property  
may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of  
45 days from the date of publication of this notice  
in the Official Gazette or a period of 30 days from  
the service of notice on the respective persons,  
whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable  
property, within 45 days from the date of the publi-  
cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as  
are defined in Chapter XXA of the said Act,  
shall have the same meaning as given in that  
Chapter

## THE SCHEDULE

Booking of Office Flat No. 506 mg. 390 sq. ft. on 5th floor  
in the proposed multistoreyed building at 13, Tolstoy Marg,  
New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi  
Acquisition Range-I  
New Delhi

Date : 28-1-85  
Seal :

## FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE  
INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I  
AGGARWAL HOUSE  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI  
New Delhi, the 30th January 1985

Ref. No. IAC/Acq. I/37FF/6-84 991-A.--Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said 'Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Flat No. 907 at 89, Nehru Place, situated at New Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto) has been transferred under the IT. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC//Acq. Range-I on June 1984, for an apparent consideration and which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to be the following persons, namely:--

- (1) M/s. Broadway Towers (India) Pvt. Ltd.,  
B-102, Greater Kailash-I,  
New Delhi-48. (Transferors)
- (2) Sh. Yash Paul Sangari &  
Mrs. Veena Sangari R/o  
6/53B, Punjabi Bagh,  
New Delhi. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette

EXPLANATION:--The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Flat No. 907 measuring 551 sq. ft. in 89, Nehru Place, New Delhi.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority,  
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,  
Aggarwal House  
4/14A Asaf Ali Road, New Delhi  
Acquisition Range-I  
New Delhi

Date : 30-1-1985  
Seal :

## FORM ITNS

## NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

## GOVERNMENT OF INDIA

## OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,  
4/14A ASAF ALI ROAD, NEW DELHI

New Delhi, the 14th February 1985

Ref. No IAC/Acq. I/37EF/6-84/992-A.—Whereas I, SUDHIR CHANDRA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Space No 2, 56, Nehru Place, situated at New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the I.T. Act, 1961 in the Office of the Registering Officer at IAC/Acq. Range-I on June 1984,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

- (1) Sh. Jotinder Mohan Rana, & Sh. Ashinder Mohan Rana & Mrs. Antai Preet Kalra, 37 A, Curzon Road, Dallanwala, Dehradun. (Transferors)
- (2) Master Arjun Gupta, Master Nakul Gupta, ss/o Sh. Avinash C. Gupta, S-481, Greater Kailash, N. Delhi, & Master Nikhil Laul & Miss Ritika Laul, D/o Sh. Ashwani Laul, R/o S-487, G. K. New Delhi. (Transferees)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

## THE SCHEDULE

Space No. 2 on 5th floor, 56, Nehru Place, New Delhi, measuring 637 sq ft.

SUDHIR CHANDRA  
Competent Authority  
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax  
Acquisition Range-I  
Aggarwal House  
4/14A, Asaf Ali Road, New Delhi

Date : 14-2-1985  
Seal :